राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 7] दसवीं विधान सभा के सातवें सत्र का आठवां दिवस [संख्या : 6

शुक्रवार,

5 जुलाई, 1996

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुयी।

(श्री शांतिलाल चपलोत, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

सार्वजनिक निर्माण विभाग के कनिष्ठ अभियन्ताओं की पदोन्नति प्रकरण

149. **श्री अरूण सिंह** (डीग) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विभाग में ऐसे कनिष्ठ अभियन्ता कार्यरत हैं जिनकी सेवाएं 28 से 31 वर्ष की हो गयी है और उनको अभी तक भी पदोन्नति नहीं मिली है ? यदि हां, तो ऐसे अभियन्ता कितने हैं ?

(2) क्या न्यायालय के आदेशानुसार एक कर्मचारी/अधिकारी को कम से कम दो पदोन्नतियां अवश्य मिलनी चाहिये, परन्तु उपरोक्त कनिष्ठ अभियन्ताओं को इतने लम्बे कार्य काल में एक भी पदोन्नति नहीं मिली है ? क्या सरकार न्यायालय के आदेशों की अनुपालना करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि कनिष्ठ अभियन्ता से सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नति हेतु वर्ष 1995-96 में 300 पद अपग्रेड किये गये थे, परन्तु उक्त पदों हेतु जो विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक होनी थी वह एक साल से लम्बित है ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार उक्त पदोन्नतियां करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक, और नहीं, तो क्यों ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री ललित-किशोर चतुर्वेदी) : (1) जी हां। विभाग में कार्यरत कनिष्ठ अभियन्ता जिनकी सेवाएं 28 से 31 वर्ष हो चुकी है परन्तु उनकी अभी तक पदोन्नति नहीं की जा सकी है। ऐसे कार्यरत कनिष्ठ अभियन्ताओं की संख्या 177 है।

(2) जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) जी हां। राज्य सरकार ने वर्ष 1995-96 में कनिष्ठ अभियन्ताओं के 344 पद सहायक अभियन्ताओं के पदों में क्रमोन्नत किये गये थे किन्तु उच्च न्यायालय के निर्णय के सन्दर्भ में इस क्रमोन्नयन को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है।

(सार्वजनिक निर्माण मन्त्री)

(4) जी हां। नियमों में संशोधन की प्रक्रिया जारी है और यह कार्यवाही पूर्ण होने पर पुनः पदों के क्रमोन्नयन की प्रक्रिया करके पदोन्नति की कार्यवाही की जायेगी।

श्री अरूण सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि 344 posts were sanctioned in the year 1995-96. मन्त्री महोदय, एलिजिबल इंजीनियर्स 1200 हैं and only 344 posts were sanctioned. Two promotions for the employees in the service period, this is the ruling of the High Court and the Supreme Court. मन्त्री महोदय, यह कंटेम्प्ट आफ कोर्ट है कि इन बाकी इंजीनियरों की पदोन्नति नहीं हो रही है। सलेक्शन स्केल के नहीं मिलने से हर सरकारी कर्मचारी को हानि हो रही है, यह तीन पदोन्नति के वेतनमान मिलने चाहिये। यह क्यों नहीं हो रहा है ? जे. ईएन. 27 सालों से ए. ईन. नहीं बन रहे हैं, तो यह पोस्टों का एक स्टेग्नेशन हो रहा है। यह आपके विभाग में ही नहीं है पर इरिगेशन में, पी. एच. ई. डी. में, आर. पी. एस. से आई. पी. एस., आर. ए. एस. से आई. ए. एस. की पदोन्नति में यह स्टेग्नेशन क्यों हो रहा है ? यह मेरा सवाल है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य ने कहा है, टोटल जे. ईएन. की संख्या 1,389 है जिनमें से 624 डिग्री होल्डर्स हैं और 765 डिप्लोमा होल्डर्स हैं इसलिये आपने जैसा कहा है कि 1200 एलिजिबल हैं। यह संख्या बिलकुल ठीक नहीं है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत मैं माननीय सदस्य से और सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का दो पदोन्नतियां निश्चित रूप से दे दी जाएं ऐसा कोई भी निर्णय नहीं है। किन्तु व्यक्तिगत रूप से मैं इस बात को मानता हूं कि दो पदोन्नतियां सेवा-काल में निश्चित रूप से दी जानी चाहिये अगर ठीक रूप से राज्य कर्मचारी काम करें और इसीलिये मैं माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो जे. ईएन्स. हैं यद्यपि इनकी पदोन्नति ए. ईएन. के पद पर नहीं हुई है किन्तु 9, 18, 27 जिसका निर्णय राज्य सरकार ने नॉन गजेटेड स्टाफ के लिये किया है। इन सारे जे. ईएन्स. को 9, 18 एवं 27 के अन्तर्गत निश्चित रूप से नैक्स्ट स्केल्स दे दिये गये हैं, किन्तु तो भी साइक्लोजिकली असर होता है कि मुझे पदनाम नहीं मिला। इसका असर होता है इंजीनियर के माथे पर और स्टेग्नेंसी होती है। इस स्टेग्नेंसी को दूर करने के लिए ही राज्य सरकार ने और 23-9-1995 को 344 पद स्वीकृत किये। जिन जे. ईएन्स. को ए. ईएन्स. में क्रमोन्नत करने के लिये पदों का क्रमोन्नयन किया गया इसमें से 300 पद सहायक अभियन्ता सिविल के थे, 29 पद सहायक अभियन्ता यांत्रिकी के थे और 15 पद सहायक अभियन्ता विद्युत के थे, किन्तु जैसे ही इनको क्रमोन्नत कर दिया और इनकी प्रक्रिया चालू हुई चार पद क्रमोन्नत करने के पश्चात् हमको डी. पी. सी. करने से पहले अपने नियमों में संशोधन करना पड़ता है।

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

नियमों में संशोधन करके एक बार में ही इन सारों का प्रमोशन कर दिया जाए। जब इस विषय को हमने राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन को भेज दिया। वहां से स्वीकृत होकर आ गये। हमने विधि विभाग से जो संशोधन था उसको पास करवा दिया, तीनों मंत्रियों ने, मेरे विभाग ने जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने, इरिगेशन विभाग ने, इन तीनों ने भी सहमति दे दी। मंत्रिमण्डल का ज्ञापन बन गया, ज्ञापन आने ही वाला था उस समय एक हाई कोर्ट का निर्णय आ गया कि आप 50 प्रतिशत पदोन्नति ही डी.पी.सी. से करिये और 50 प्रतिशत पदोन्नति आप राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन से करिये, ओपन मार्केट से लीजिये। इसलिये वह समस्या आते ही....

श्री रामनारायण चौधरी(मण्डावा) : 9 वर्ष वालों की पदोन्नति क्यों नहीं मान ली?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : वह तो दे दी हमने।

श्री रामनारायण चौधरी : दे दी। 9 और 18 वालों को....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : Let me complete, please, पूरी बात ध्यान में आ जाय आपको मैं इसलिये आपसे निवेदन करना चाहता हूं और मेरी भी सहमति है कि जब वह आ गया तो हमको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हम अगर एक बार संशोधन करते हैं तो हमने पद क्रमोन्नत पहले किये हैं उनमें से 50 प्रतिशत वैसे और 50 प्रतिशत वैसे करने पड़ेंगे। इसलिये हमने यह प्रक्रिया प्रारम्भ की है। पहले नियमों में संशोधन हो जाए और फिर पदों का क्रमोन्नयन करके इन 344 लोगों को पदोन्नति कर दें। जल्दी से जल्दी इस विषय पर विभाग कार्यवाही कर रहा है। जैसा माननीय सदस्य ने पदोन्नति मानने के लिये कहा है। यह पदोन्नति है 9, 18 और 27 की....

श्री रामनारायण चौधरी : पदोन्नति तो है इनका डेजिग्नेशन असिस्टेंट इंजीनियर कर दीजिये।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : विराजें।

श्री रामनारायण चौधरी : एक मिनट जिनकी 9 साल की सर्विस है, जिनकी 18 और 27 साल की सर्विस हो गयी है।

श्री अध्यक्ष : विराजें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : एक बार उनको पूरे सवाल कर लेने दीजिये आप।

श्री अरुण सिंह : मंत्री महोदय, मेरा अनुरोध यह है कि इन इंजीनियर्स का सरकार शोषण कर रही है। उनको न्याय दिलायें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं आश्वस्त करना चाहता हूं माननीय सदस्य को कि वैसे इस प्रक्रिया में तीन महीने लगेंगे लेकिन मेरी इस प्रकार की इच्छा होगी कि 15 अगस्त को ही डेढ़ महीने में इस प्रकार की सौगात उन जूनियर इंजीनियर्स को ए.ईएन. करके दे दूं डेढ़ महीने में कर दूं। यह मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : विराजें। अब इसमें क्या पूछना है? श्री मीखा भाई।

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डोली) : साहब, हमारा भी है।

श्री अध्यक्ष : आपका प्रश्न स्थगित किया है। आपका प्रश्न स्थगित हुआ है।

श्री रामनारायण चौधरी : जिन जूनियर इंजीनियर्स की 9 साल की सर्विस हो गयी है ...

श्री शांतिकुमार धारीवाल : साहब, स्थगित किया है आपने। मेरा सवाल इसमें यह है कि ...

श्री अध्यक्ष : नहीं, ऐसा नहीं है।

श्री रामनारायण चौधरी : 9 साल और 18 साल फिलहाल जो आप अपर ग्रेड देते हो ...

श्री अध्यक्ष: एक मिनट, विराजें आप। मंत्री जी बोल रही हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : 9 साल और 18 साल के ऊपर आप उनको हायर ग्रेड देते हो, अपर ग्रेड देते हो। जूनियर इंजीनियर को आप असिस्टेंट इंजीनियर की ग्रेड देते हो तो फिर आप उसको असिस्टेंट इंजीनियर ही डेजिग्नेट क्यों नहीं करते? इसमें आपका क्या नुकसान होता है? आपको कोई फाइनेंसियल लायबिलिटी नहीं आती। उनका डेजिग्नेशन बढ़ जाएगा। आज देखिए पुलिस के अन्दर जहां ए.एस.आई. था वहां आपने इंस्पेक्टर लगा दिया, जहां इंस्पेक्टर था वहां डी.एस.पी. लगा दिया, क्यों लगा दिया? यह वर्क की एफिसिएंसी के हिसाब से इसलिये जो जूनियर इंजीनियर का काम है वह असिस्टेंट इंजीनियर भी कर लेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। आप इन सबको असिस्टेंट इंजीनियर बना दीजिये। नैक्स्ट प्रमोशन जो 9 साल का है, 18 साल का है इनको आप अपर डेजिग्नेशन दे दीजिये। इसमें आपका क्या लगता है।

श्री अध्यक्ष : विराजें आप। इसमें आपको क्या पूछना रह गया। अब मैं दूसरा प्रश्न बोल चुका हूं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : एक मिनट से ज्यादा लूंगा नहीं, साहब। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आप फरमाते हैं कि बजट भी कम है और पोस्टें भी नहीं हैं लेकिन कम से कम इसकी तो जांच करवाइए कि मध्य प्रदेश के रहने वाले और उत्तरप्रदेश के रहने वाले लोग किस तरीके से फर्जी बोनाफाइड का सर्टिफिकेट बनवा कर आपके यहां पर जूनियर इंजीनियर और ए.ईएन. लग गये। मैं आपसे जांच की उम्मीद करता हूं। कम से कम जांच करवा लें।

श्री अध्यक्ष : विराजें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि ऐसी कोई भी जानकारी किसी के बारे में आएगी, अविलम्ब जांच करवायी जाएगी और एक्शन लिया जाएगा जिसने गलत इस प्रकार एफिडेविट किया।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती शशीदत्ता जी।

श्री रामनारायण चौधरी : मेरे वाले प्रश्न का क्या जवाब दिया आपने?

श्री अध्यक्ष : वह सबका जरूरी नहीं, विराजिये आप ।

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : नहीं, पहले वो उनका पढ़ रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 150 ।

न्यायिक सेवाओं में आरक्षण

150. श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : क्या विधि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान न्यायिक सेवा में अनुसूचित जाति/जन-जाति के कितने-कितने पद आरक्षित हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि आरक्षण कोटे के मुताबिक उक्त जातियों के व्यक्तियों का आरक्षित पदों पर चयन नहीं किये जाने के कारण पद रिक्त चले आ रहे हैं ? यदि हां, तो कितने-कितने पद रिक्त हैं ?

राज्य मंत्री, विधि (श्रीमती शशीदत्ता): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठाया था और मैं माननीय सदस्य को यह सूचित करना चाहूंगी कि आपका प्रश्न 22-6-96 को मेरे डिपार्टमेंट को मिला । मैं आपको बहुत विनम्र शब्दों में यह निवेदन करना चाहती हूं कि उस समय, पिछले महीने में माननीय उच्च न्यायालय बन्द था और एक तारीख से ही खुला है । जो सूचना आप मेरे से चाहते हैं वह सूचना माननीय हाई कोर्ट से लेकर ही आपको बतानी है । इसीलिये अभी पांच ही दिन हुए हैं । मैं आपको पूर्ण आश्वासन दूंगी कि इस बारे में बिलकुल निश्चिन्त रहें। मैंने दो बार खुद पर्सनली रजिस्ट्रार से बात की है, आज सुबह भी बात की है और कोशिश यह करूंगी कि आपको पांच दिन के अन्दर- अन्दर जवाब दे दूं ।

श्री अध्यक्ष : नहीं वो तो आप एक्सप्लेन कर रही हैं ।

श्रीमती शशीदत्ता: इसी सैशन में जल्दी से जल्दी दे दूंगी ।

श्री परसादीलाल मीणा : इसमें तारीख तय करवाइए, अध्यक्ष महोदय । दो नम्बर पर लिस्ट है और दो नम्बर पर ही लिस्ट होनी चाहिये ।

श्री अध्यक्ष : इसी सैशन में लगाएंगे, विराजिये आप ।

श्री कालूलाल गूजर (मांडल): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री महोदय जब इसका उत्तर दें तब यह भी उत्तर दे दें कि क्या ओ.बी.सी. के व्यक्तियों को भी न्यायिक सेवा में आरक्षण देंगी ? यह भी उसके साथ ही उत्तर मंगवा लें । यह उत्तर उसके साथ ही आ जायेगा तो अच्छा रहेगा ।

श्री भीखा भाई : 151, मैं बार-बार बोल रहा हूं उसका जवाब नहीं आ रहा है ।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया जाता है । हां, आप विराजिये । श्री भीखा भाई !

(6)

जिला डूंगरपुर में अनुसूचित जाति/ जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम के अन्तर्गत लम्बित प्रकरण

151. **श्री भीखा भाई** (सागवाड़ा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला डूंगरपुर में जनवरी, 1993 से मई, 1996 तक विभिन्न थानों में कितने मामले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति अत्याचार निरोधक अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज किये गये ?

(2) अब तक कितने मामले फैसल हो चुके हैं और उनके क्या-क्या परिणाम रहे हैं ?

(3) क्या यह सही है कि तफतीश के अभाव एवं ढंग से पैरवी नहीं करने के कारण यह मामले अधिकांशतः असफल रहे हैं ?

गृह मंत्री (श्री कैलाश मेघवाल) : (1) जिला डूंगरपुर में वर्ष 1993 में 59, वर्ष 1994 में 41, वर्ष 1995 में 55 एवं 1996 में 21 अपराध अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज हुए है। विस्तृत विवरण परिशिष्ट "क" में सलग्न है।

(2) न्यायालय द्वारा निर्णित एवं लंबित प्रकरणों की सूचना परिशिष्ट "ख" में संलग्न है।

(3) जी, नहीं।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट–1 देखें)

श्री भीखा भाई : अध्यक्ष महोदय, माननी मंत्री जी बहुत अच्छे आदमी हैं और उनका आशय और हमारा आशय एक ही है, परन्तु जिस एक्ट को, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति निरोधक कानून जो बनाया है उसके अन्दर जो स्प्रिटिव है, एक भावना है, एक मानसिकता है, उसका पालन कहीं नहीं हो रहा है और उसमें स्पष्ट मालूम है कि जो फीगर सन् 1993 में 59 थे और अभी दर्ज रजिस्टर 21 हुए। इसका मतलब यह है कि पुलिस केसेज दर्ज नहीं करती है और तहकीकात नहीं करती है वक्त पर और प्रोसिक्यूशन वाले केस को प्लीड नहीं करती। इस प्रकार की बात को रोकने के लिये सरकार क्या चिन्तन कर रही हैं ? क्या सरकार 374 की भांति, जिस प्रकार महिलाओं पर अत्याचार होता था, बलात्कार होता था, उस प्रकार से कानून में संशोधन करने के लिये करेगी भारत सरकार को कोई रिकमंडेशन का विचार रखती है ? यह भी पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : स्पेसिफिक पूछते आप तो कि यह नहीं हुआ है डूंगरपुर में (व्यवधान) सराड़ा उदयपुर में है। विराजिये आप। डूंगरपुर की बात हो रही है अभी। Please,do'nt waste valuable time.

श्री परसादीलाल मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, सवाल एस.टी, एस.सी. का है, मेहरबानी करके इसमें (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपा करके आप विराज जाए। मेरे को कई प्रश्न लेने हैं। कई माननीय सदस्यों के प्रश्न नहीं आ पाते और रोज आकर के शिकायत करते हैं, विराजें आप।

श्री परसादीलाल मीणा : आप अगर + + + बिठाना चाहो तो हम नहीं बैठेंगे, हम तो बोलेंगे। (व्यवधान)

श्री भीखा भाई : (व्यवधान) एट्रोसिटी का सवाल है, आज केस रजिस्टर नहीं होते हैं। केस रजिस्टर होते हैं तो इन्वेस्टिगेशन नहीं होते हैं। उसके बाद तहकीकात होने में और विलंब होता है। यह सारी बातें मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, उसकी जांच होनी चाहिये। यह फीगर क्यों गिर गये ? जब 1993 में 59 थे तो 1996 में 21 कैसे रह गये। जबकि अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : अब मैं नहीं समझ रहा हूं कि यह डूंगरपुर की बात हो रही है कि कितने केस रजिस्टर हुए, उन्होंने कह दिया कि इतने केस रजिस्टर हुए, अब आप क्या कहना चाह रहे हैं ? कोई स्पेसिफिक बात हो कि इसका केस रजिस्टर नहीं हुआ है तो बात समझ में आती है वरना आप सारे राजस्थान की एक साथ सूचना चाहते हैं, this is not possible. (व्यवधान)

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय मंत्री महोदय ने प्रश्न के भाग तीन में बताया है जी, नहीं। तो आप यह बताइए कि जितने आपने चालान किये उसमें सजा का क्या प्रतिशत रहा ? आप प्रश्न का भाग तीन पढ़िये उसमें आपने कहा है जी, नहीं। अगर यह बात सही नहीं है, तो पर्सेण्टेज क्या रहा सजा का ? कितने आपने चालान किये उसमें कितने में सजा हुई, यह बता दीजिए।

श्री परसराम मोरदिया (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या ऐसे मुकदमे डूंगरपुर में ही है या पूरे राजस्थान में है ? क्या यह सही है कि हरिजन अत्याचारों के मुकदमें तफतीश जो अधिकारी करते हैं वे चलाकर के उनको लंबा खींचते हैं और दो तीन महीने तक गिरफ्तारियां नहीं होतीं ? क्या गृह मंत्री जी ऐसे आई.ओज, के खिलाफ कार्यवाही करने का विचार रखते हैं ? क्योंकि इन मामलों के अन्दर, जिन पर अत्याचार होता है ...

श्री अध्यक्ष : विराजें, अब ज्यादा लम्बा मत करिये।

श्री परसराम मोरदिया : ... अध्यक्ष महोदय, उन पर टाइम लेकर इस बात का प्रेशर डाला जाता है ताकि वे राजी हो जायं या रो-धोकर घर पर बैठ जायं। अभी मैं पूना गया था

श्री अध्यक्ष: आप स्पेसिफिक प्रश्न पूछो सब का साथ ही जवाब दे देंगे। हां, बोलिये, श्री रघुवीरसिंह जी।

श्री परसराम मोरदिया : ऐसे मामले में क्या गृह मंत्री जी उन अधिकारियों के खिलाफ जो शिथिलता बरतते हैं, नेग्लीजेंसी बरतते है, उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करने का विचार रखते हैं ?

श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के क्वेश्चन के जवाब में 1993, 1994, 1995 और मई

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री रघुवीर सिंह)

1996 तक 176 केसेज दर्ज हुए। उसमें अदम बकुआ 75 बताये गये इतने सालों में, अदम सबूत एक बताया गया, जैर तफतीश 8 बताये गये, चालान 91 बताये गये, सजा 12 बतायी गयी, बरी 37 हुए और पेंडिग ट्रायल 42। 1993 का पेंडिग ट्रायल 17 केसेज हैं आउट आफ 59। क्या यह विभाग की मंशा है कि जैसे-तैसे इन केसों को दबा दिया जाए किसी भी तरह से? ...

श्री अध्यक्ष: आप विराजें। वो अदालत में चल रहे हैं।

श्री रघुवीर सिंह : 176 में से जिन 12 आदमियों को सजा दी गयी, इसका मतलब यह है कि कहीं न कहीं लीपापोती हो रही हूं।

श्री अध्यक्ष: क्या मंत्री जी इस सम्बन्ध में कोई विशेष व्यवस्था करने की कृपा करेंगे? हां, यों पूछिये आप।

श्री बनवारी लाल बैरवा : यह तो तफतीश की बाबत पूछ रहे हैं।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय श्री भीखा भाई जी की चिंता, श्री परसराम जी मोरदिया की चिंता श्री रघुवीर सिंह जी की चिंता और हमारे माननीय विधायक की चिंता जो है, वह चिंता बिलकुल सही है। यह जो अधिनियम 1989 में बना था, यह सामाजिक रूढ़िवादिता की जो हमारे समाज की रचना है, उस रचना में सुधार के लिये बना। शिड्यूल्ड कास्ट, शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग स्वाभिमान से जी सकें इसलिए बना और ये जो पर्सेण्टेज हैं, यह सही है कि एफ.आई.आर. होने के बाद चालान कम होते हैं, एफ.आर. लगती है उसके बाद अदालत में जाने के बाद भी सजा का प्रतिशत कम है, इसको मैं स्वीकार करता हूं। और मैंने इस बारे में विशेष तौर से मेरे प्रोसिक्यूशन विभाग को सेम्पल सर्वे, आज कल यह क्या कारण है और इसमें कई कारण, माननीय अध्यक्ष महोदय, आये हैं और मैं माननीय सदस्यों को जानकारी के लिये कहना चाहता हूं कि कारण हम सब जानते हैं, क्योंकि यह झगड़े जब होते हैं, तो इन झगड़ों में साधारणत: गांव में रहने वाले ही होते हैं और गांव में यह व्यवस्था है। उस व्यवस्था में किसी न किसी कारण से इस अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज हो जाता है और फिर इसको स्वीकार करता हूं कि गांव के मुखिया, पंच-पटेल उस बीच में आकर के कहते हैं कि भाई हो गयी गलती आइन्दा नहीं होगा, क्योंकि एक सामाजिक रूढ़िवादिता जो चल रही है उस पर जो चोट करने की बात है, इस अधिनियम के द्वारा उसमें एक पहला पक्ष तो यह आ जाता है कि एफ.आई.आर. हो गयी गरमा गरमी में सारा हो गया और उसके बाद गांव के पंच-पटेल जो अपराधी हैं उसको समझाते हैं कि नया जमाना आ गया है, समरसता की स्थिति आनी चाहिये, सामाजिक बराबरी की स्थिति आनी चाहिये और ऐसी स्थिति में क्योंकि वही गांव में उनको रहना होता है, तो वो जो गांव के बुजुर्ग, पंच-पटेल आकर के उनमें समझौता करा देते हैं तो एक तो यह कारण सामने आया। मैंने इसका सर्वे करवाया है।

(श्री कैलाश मेघवाल)

दूसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, जब अदालत में जाता है, तब तक यह भी है कि इनको लम्बान करने से अदालत में भी विलम्ब होने से, अब यह एक सामान्य प्रक्रिया है, हमारी दण्ड विधि की प्रक्रिया संहिता है, उसमें गवाहों में भी बदलाव आ जाता है और कई बार तो कई केसेज में यह स्थिति भी आयी है कि स्वयं फरियादी भी होस्टाइल हुआ है। अब उसके कई कारण हो सकते हैं। गांव में दबाव भी हो सकता है, समझाइश भी हो सकती है, दूसरे प्रलोभन भी हो सकते हैं।

श्री परसराम मोरदिया : पुलिस कार्यवाही नहीं करती है, पुलिस की नेग्लिजेंसी होती है।

श्री अध्यक्ष : अदालत की बात हो रही है, आप समझ हो नहीं रहे हैं।

श्री कैलाश मेघवाल : देखिये, ऐसा है कि इस मामले में अपन सब जानते हैं जब अपने मिलने वाले होते हैं, अपन जानते हैं कि इस कानून के अन्तर्गत अपराध भी हुआ है, लेकिन जब मिलने वाले होते हैं तो उस मामले में समझाइश करके, समझा करके, दबा करके, क्योंकि बड़ा गम्भीर है, इसमें सजा भी बड़ी नॉन बेलेबल है, नॉन कम्पाउंडेबल है और सजा भी बड़ी भारी है, तो उसमें भी कई बार, गवाहों के द्वारा भी पक्ष का समर्थन नहीं किया जाता है। मैं सर्वे के आधार पर यह कह रहा हूं। ये 5-6 बिन्दु आये हैं। मैंने प्रोसिक्यूशन ब्रांच से सर्वे करवाया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कई बार फरियादी गांव में इस तरह के अपराध करने वालों से भयभीत भी होता है। उसको जब दूसरे लोग हिम्मत बंधाते हैं, तब वह एफ. आई. आर. भी देता है और तब गवाहियां भी ढूंढ़ता है। कई बार गवाह भी नहीं मिलते हैं। आर्थिक दृष्टि से भी चूंकि ये लोग कमजोर हैं तो आजकल की कानून की प्रक्रिया में और तफ्तीश की प्रक्रिया में जिस तरह से सतर्कता और तेजी रखनी चाहिये, वह रखने में वे असफल रहते हैं। यह भी एक कारण सामने आया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जातिवादी दुराग्रह इस समाज में है, यह मानकर हमको चलना चाहिये। हमारी जो कल्पना है जातिविहीन और वर्गविहीन समाज की, उस कल्पना के लक्ष्य तक अपन पहुंचेंगे। अब वह दूसरी बात है। यह जो 161 के बयान हैं, इसमें कई बार ऐसी स्थिति भी आयी है कि कमजोर रख दिया जाता है। अध्यक्ष महोदय, इसमें एक चीज और आयी है, जो मैंने बहुत ध्यान से देखी है कि यह जो एट्रोसिटिज एक्ट है, जो कोई एक एक्शन हुआ वह वाकई में एट्रोसिटिज है या नहीं। अब मैं और श्री रामनारायणजी अगर बाहर जाकर लड़ लें और चूंकि मैं शिड्यूल्ड कास्ट का हूं, अब उसमें कहीं एट्रोसिटिज का कारण नहीं है। ऐसे भी प्रकरण आये हैं कि कोई छोटा-मोटा भी झगड़ा हो गया तो उसमें इस अधिनियम के सैक्शन लगा दिये जाते हैं। अब जैसे मैंने उदाहरण दिया है। मैं श्री रामनारायणजी से लड़ाई की बात कर रहा हूं। वैसे हम दोनों कभी लड़ेंगे नहीं, लेकिन मान लो हम

(10)

(श्री कैलाश मेघवाल)

बाहर लड़ लें और आपस में सामान्यतः बराबरी के हैं। ये भी एम. एल. ए. हैं, मैं भी मिनिस्टर हूं। लेकिन उसमें भी मैं अगर इस अधिनियम के प्रावधान इन्वोक करता हूं, तो उस सूक्ष्मता में भी कई बार पुलिस जाती है और अदालत भी उस सूक्ष्मता में जाती है। मैंने खुद ने देखा है।

श्री रामनारायण चौधरी : आपका यह विश्लेषण बहुत सही है।

श्री कैलाश मेघवाल : हां सही है। मैंने विश्लेषण करवाया है। मेंसरिया उसमें क्या है अधिनियम के अनुसार मेंसरिया है या नहीं है, वह भावना है या नहीं। क्योंकि मैं शिड्यूल्ड कास्ट का हूं, इसलिये इन्होंने मेरे थप्पड़ मारी है या मैं शिड्यूल्ड कास्ट का हूं इसलिये थप्पड़ मारते ही इसके एक्शंस, इसके प्रावधान इन्वोक कर लिये जाएं। यह स्थिति भी उसमें आयी है और इसलिये यह जातिवादी पूर्वाग्रह है जातिवादी दुराग्रह है, माननीय अध्यक्ष महोदय, इनका असर मैं स्वीकार करता हूं कि जो तफ्तीश अधिकारी होता है, उसके दिमाग में भी होता है। तफ्तीश अधिकारी जिस जाति का है। अब तक सब करने के बावजूद भी उस एलीमेंट ऑफ कास्टिज्म को हम नहीं निकाल पाये हैं तो वह भी कई बार चलता है, समझाइश की कोशिश करता है हो गया है तो। वह स्थिति भी कई बार सामने आती है।

अध्यक्ष महोदय, गांवों में एक स्थिति और सामने आयी है। आज की राजनीतिक परिस्थिति और आज की सामाजिक परिस्थिति में गांवों में जगह-जगह कई तरह के तनाव हैं, कई तरह के राजनीति के कारण भी हो जाते हैं, सामाजिक व्यवस्था के कारण भी हो जाते हैं, सम्पत्ति के झगड़े भी हो जाते हैं, खेती के ऊपर झगड़े हो जाते हैं, उससे भी हो जाते हैं, तो इन तनावों के बीच में कई बार इस एट्रोसिटिज एक्ट के प्रावधानों का प्रयोग दुश्मनी निकालने के लिये भी होता है। यह मेरे इस अनुसंधान से आया है। इस का, माननीय अध्यक्ष महोदय, न्यायालय में भी बड़ा गम्भीर अपराध है और दस साल तक की सजा इसमें होती है। इस अपराध में सजा देने में न्यायालय बियोंड डाउट, बियोंड एनी शेडो ऑफ डाउट जो है, तो बेनीफिट ऑफ डाउट भी तरह के मामलों में ज्यादातर मिला है। यह मेरे देखने में आया है और कहीं-कहीं पैरवी की खामियां, आजकल जिस तरह से पैरवी हो रही है, वह अपराध स्वरूप रही हैं।

मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस अधिनियम का वास्तविक उद्देश्य सामाजिक समरसता लाने का है और उसके लिये हम सब कमिटेड हैं। इस बारे में कहीं-कहीं जब-जब भी शिकायतें होती हैं, मैं भी देखता हूं, हर स्तर पर देखते हैं। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने भी इस मामले में एक प्रकोष्ठ बना रखा है, वह भी इन मामलों को देखते हैं। मैं यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यह जो कमियां आयी हैं उनमें किस तरह से सुधार किया जा सके, किस तरह से जो वास्तव में एट्रोसिटिज हुई हैं, उन एट्रोसिटिज

(श्री कैलाश मेघवाल)

के अपराधियों को सजा मिले। यह पुख्ता तौर से राज्य सरकार के ध्यान में है और हम हमेशा इस बात का प्रयत्न करेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती मीना अग्रवाल।

श्री भीखा भाई : अध्यक्ष महोदय, एक सप्लीमेंट्री रह गयी मेरी।

श्री अध्यक्ष : अब क्या है ? मैं समझता हूं, अब तो काफी लम्बा कह दिया है।

श्री भीखा भाई : माननीय मन्त्री महोदय से मैं आश्वासन चाहता हूं कि कैसेज का जो रजिस्ट्रेशन होता है, ऑफेंस के रजिस्ट्रेशन के बारे में कोई परिपत्र जारी करेंगे ताकि हर आदमी का केस दर्ज रजिस्टर हो ? आपने 1995 में 55 बताए हैं और 1996 में 91 का रजिस्ट्रेशन हुआ है। इसका मतलब यह है कि रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो रहा है। अपराध तो बढ़ते ही जा रहे हैं। (व्यवधान) कहीं, ये असत्य बोल रहे हैं। अपराध तो बढ़ते ही जा रहे हैं। शिड्यूल्ड कास्ट पर, शिड्यूल्ड ट्राइब्स पर, महिलाओं पर बढ़ते जा रहे हैं, हर इंसान पर बढ़ते जा रहे हैं।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : समाज में समझ आ गयी, जुर्म कम होने लग गये। इस तरह से घटने लगे हैं, इसलिये कम हो रहे हैं।

श्री भीखा भाई : मन्त्री महोदय, इसलिये आश्वासन दें।

श्री परसराम मोरदिया : गांव के अन्दर कोई .. (व्यवधान)... होगा। उसका मुकदमा हो, जिन हरिजनों पर अत्याचार होता है, घोड़ी पर चढ़ने नहीं दिया जाए, जमीन पर जाकर कब्जा कर लें ! बहन-बेटियों के साथ मारपीट हो, उसमें अगर कोई ऑफिसर नेग्लिजेंस बरतता है, उसके खिलाफ आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री कन्हैयालाल मीणा (बस्सी) : जो सांसी हैं, कंजर हैं, ऐसी जातियां हैं जो डकैती डालती हैं, लूट-पाट करती हैं, चोरी करती हैं और जब गांव वाले उनको पकड़ लेते हैं, पकड़ने के बाद में माल भी बरामद कर लेते हैं परन्तु उन लोगों ने ऐसे सैकड़ों केसेज एट्रोसिटिज एक्ट में दर्ज करा दिये हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा ऐसे जो लूट–खसोट के केसेज हैं, जिनमें एट्रोसिटिज के केस लगा दिये गये, लूट का सामान तो दूर रह गया, उल्टे उनको एट्रोसिटिज में पकड़ने के लिये पूरे गांव के लोगों के खिलाफ सामूहिक एट्रोसिटिज एक्ट का केस लगा दिये हैं। और उनको पकड़ने के लिये वे सारे माल को भी छोड़ देते हैं, उस तफ्तीश के अन्दर कोई कार्यवाही नहीं होती है। इसमें कोई संशोधन किया जाना चाहिये कि इस किस्म के अपराधी होंगे। जिन व्यक्तियों को एट्रोसिटिज में पकड़ा गया है उनके मामलों में इस सम्बन्ध में कोई रियायत होनी चाहिये।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, बस्सी से आने वाले माननीय विधायक ने जो बात कही है, उस तरह के भी कुछ प्रकरण सामने आये हैं कि कोई केस हो जाता है। लेकिन श्री परसरामजी मोरदिया जो बात कर रहे हैं, वो जो आपने

(श्री कैलाश मेघवाल)

गिनाये हैं, ये तो वास्तव में एट्रोसिटिज के केस हैं, ऐसे केसेज में कहीं भी कोताही होगी तो उसे राज्य सरकार भी गम्भीरता से लेगी। सागवाड़ा से आने वाले माननीय विधायक बड़े वयोवृद्ध हैं, अनुभवी भी हैं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप इस विषय पर जितने भी सुझाव देंगे और वे सुझाव इस एक्ट की मंशा के पालन करने में जिस सीमा तक हमको मदद करेंगे, उस सीमा तक आपके सुझाव को मानकर हम परिपत्र भी जारी करेंगे और उस तरह की पुख्ता व्यवस्था भी करेंगे।

श्री अध्यक्ष : ठीक है। श्रीमती मीना अग्रवाल।

अलवर के चिकित्सालयों में चिकित्सकों के रिक्त पद

152. **श्रीमती मीना अग्रवाल**(अलवर): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अलवर के जनरल जनाना अस्पताल में विभिन्न विभागों में कितने डाक्टर्स के पद रिक्त हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें। रिक्त पद अभी तक क्यों नहीं भरे गये ? सरकार इन्हें अब कब तक भरने का विचार रखती है ?

(2) अलवर के जनरल व जनाना अस्पताल में क्या रात को एक-एक डाक्टर ही नाइट ड्यूटी पर रहता है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार महसूस नहीं करती कि रात को भी दोनों अस्पतालों में कम से कम दो-दो डाक्टर नाइट ड्यूटी में लगाये जावें ताकि वहां एक डाक्टर वार्डों को सम्भाल सके तथा दूसरा रात में आउटडोर में आने वाले मरीजों को सम्भाल सके ? यदि हां, तो सरकार यह व्यवस्था कब तक करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (श्री राजेन्द्र राठौड़): (1) जनाना अस्पताल, अलवर में किसी भी वर्ग के चिकित्सक का पद रिक्त नहीं है। जनरल अस्पताल अलवर में विभिन्न संवर्ग के निम्नलिखित चिकित्सकों के पद रिक्त हैं :

नाम पद	रिक्त पदों की संख्या
1. वरिष्ठ विशेषज्ञ (अस्थि)	1
2. चिकित्सा अधिकारी	4

वरिष्ठ विशेषज्ञ (अस्थि) का पद वहां पदस्थापित चिकित्सक के सेवानिवृत्त होने के कारण रिक्त है। जिसे विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित कर शीघ्र भर दिया जायेगा। चिकित्सा अधिकारी के चार पद विभाग में चिकित्सकों की अनुपलब्धता के कारण रिक्त हैं। लोक सेवा आयोग से नाम प्राप्त होने पर रिक्त पद शीघ्र भर दिए जावेंगे।

(2) जी, हां। क्योंकि एक-एक चिकित्सक से अधिक चिकित्सकों से अधिक चिकित्सकों की आवश्यकता नहीं है।

(3) जी, नहीं। क्योंकि नाइट ड्यूटी के समय केवल आपातकालीन सेवाएं ही

(राज्यमंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य)

उपलब्ध करायी जाती हैं एवं आवश्यकता पड़ने पर विशेषज्ञों को भी बुलाया जाता है ।

श्रीमती मीना अग्रवाल: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी के जवाब से सही नहीं लग रहा है । इनके पास जो जवाब आये हैं, उससे ऐसा जाहिर हो रहा है कि गलत सूचना इनको मिली है ।

श्री अध्यक्ष : क्या-क्या मिली है वही बताओ आप । लम्बा भाषण नहीं ।

श्रीमती मीना अग्रवाल : मैं वही बता रही हूं ।

अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न है कि विभिन्न विभागों में कितने डाक्टरों के पद रिक्त हैं ? इसका जवाब नहीं है । अध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह बताना चाहूंगी कि विभिन्न विभागों में 9 पद रिक्त हैं । उनके विरुद्ध डाक्टर्स लगे हुए हैं । जैसे तीन साल से दांतों के डाक्टर नहीं हैं, उसके विरुद्ध मेडिसन के डाक्टर लगे हुए हैं, चर्म रोग के विरुद्ध मेडिसन के डाक्टर लगे हुए हैं, इसी तरह से उप नियंत्रक के विरुद्ध टी.बी के डाक्टर लगे हुए हैं । आई.सी.यू. में भी कनिष्ठ विशेषज्ञ डाक्टर लगे हुए हैं । कुष्ठ रोग में भी जी.एस. और एस.एस. का पद रिक्त है । एक वरिष्ठ चिकित्सक लगे हुए हैं । टी.बी. हास्पिटल में जी.एस. का पद रिक्त है । उसके विरुद्ध में, वरिष्ठ डाक्टर लगे हुए हैं । अध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह भी बताना चाहूंगी कि अलवर हास्पिटल में पांच-पांच विकलांग लग रहे हैं। वे सब एक ही जगह लगे हुए हैं । मैं आपसे निवेदन करूंगी कि उनको अलवर डिस्पेंसरी में लगाया जाए । भाग बांटा जाए, क्योंकि काम करने में वे असमर्थ हैं । दूसरी बात मैं आपको यह कहूंगी कि हड्डी के चार डाक्टर्स अलवर में लग रहे थे । चार में से आज एक डाक्टर है । एक डाक्टर छुट्टी पर चला गया तो कम्पाउण्डर पर हास्पिटल चल रहा है । दांतों का डाक्टर नहीं है, वह कम्पाउण्डर चला रहा है । हड्डी के डाक्टर अगर छुट्टी पर चले गये तो वहां कम्पाउण्डर इलाज कर रहा है । एक्सर-साइज में भी एक डाक्टर छुट्टी पर चले गये तो वहां भी कम्पाउण्डर काम कर रहा है । कम्पाउण्डरों से हास्पिटल चल रहा है । एक डाक्टर राजीव सक्सैना थे, उनको इन्होंने डेपुटेशन पर प्राईवेट नर्सिंग होम, बिन्नी गुप्ता के यहां लगा दिया है । इस तरह से सात डाक्टर्स प्राइवेट नर्सिग होम में लगाये गये हैं । बच्चों का डाक्टर है, मेडिसन का डाक्टर है, हड्डी का डाक्टर है, सर्जन है, अनेस्थेशिया वाले डाक्टर हैं, यह छह-सात डाक्टर वहां डेपुटेशन पर लगाये हुए हैं, हास्पिटल की हालत खराब है, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगी कि हास्पिटल की व्यवस्था को सुधारें । अपने भाषण में वे कहते हैं कि नर की सेवा नारायण सेवा है तो मंत्री जी भी इस बात में कायम रहे कि ये नर की सेवा नारायण की सेवा ही समझ करके करें ।

श्री अध्यक्ष : विराजिये ।

श्रीमती मीना अग्रवाल : नहीं एक बात और है मान्यवर । अभी दूसरा प्रश्न और है । पहले भी अलवर से, राजस्थान के मंत्री रहे हैं, चिकित्सा विभाग में । पर इस तरह

(श्रीमती मीना अग्रवाल)

अलवर की पोजीशन खराब नहीं हुई जो आज अलवर हास्पिटल की पोजीशन खराब है।

दूसरे मेरे क्वेश्चन का उत्तर इन्होंने यह दिया है कि इमरजेंसी में डाक्टर बुलाया जाता है। मगर मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि डाक्टर बुलाने में डेढ़-दो घंटे लग जाते हैं और जहां दुर्घटना होती हैं, वहां से मरीज आने में भी डेढ़-दो घंटे लग जाते हैं। चार घंटे में तो मरीज मर जाते हैं। मैं आपको उदाहरण के रूप में एक साल की रिपोर्ट बताना चाहूंगी कि चिकित्सा के अभाव में बच्चे मर गये। 14 जुलाई को दुर्घटना हुई। दुर्घटना के समय डाक्टर को बुलाने में तीन घंटे लग गये। मेरे यहां पांच बच्चे अलवर में मर गये।

श्री अध्यक्ष : आप जनाना हास्पिटल की बात कर रही हैं या दूसरे हास्पिटल की?

श्रीमती मीना अग्रवाल : नहीं, जनरल हास्पिटल की। जनाना तो अभी बाकी है साहब। अभी तो टी.बी. हास्पिटल बाकी है। अभी सारे और विभाग बाकी हैं।

श्री अध्यक्ष : आप ज्यादा जोर से नहीं बोलें। आप अपने आपको रेस्ट्रेन रखें पहले तो। पहले तो आपने जनाना हास्पिटल के बारे में पूछा है। जनाना हास्पिटल के बारे में बात कहें आप।

श्रीमती मीना अग्रवाल : जनरल, सारा जनरल है। मेरी बोली तेज है, मैं माफी चाहूंगी। मैंने एक बिन्दु बोला है कि रिक्त पदों के बारे में कि विभाग में नौ रिक्त पदों के विरुद्ध डाक्टर्स लगे हुए हैं। जो मैंने आपको संक्षेप रूप में बताया। आप चाहे तो पूरी लिस्ट मैं आपको दे सकती हूं। इसके अलावा आप हास्पिटल की स्वयं व्यवस्था देखिये कि वहां क्या व्यवस्था है? "ए" क्लास का हास्पिटल, जंक्शन अलवर, छह फैक्ट्री एरिया और काफी जनसंख्या है.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब आपकी हो गयी पूरी बात. आप विराजिये। आप विराजिये, उनका जवाब तो सुनें।

श्रीमती मीना अग्रवाल: अध्यक्ष महोदय, ढाई साल में पहली बार मेरे क्वेश्चन का नम्बर आया है इसलिये मैं चाहूंगी कि आप बोलने का तो पूरा मौका दें।

श्री अध्यक्ष : आपने पूरी बात कह दी है, विराजिये आप। प्रश्न पूछिये आप। बहुत लम्बा हो जाता है, फिर दूसरे के प्रश्न नहीं आ पाते हैं।

श्री मदन मोहन (खैरथल) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि....

श्री भगराज चौधरी (आहोर) : अध्यक्ष महोदय, कितनी अव्यवस्था हो रही है, आप प्रश्न का उत्तर तो दिलवाइये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये। आप विराजिये, नहीं तो और ज्यादा समय हो जाएगा और आपका नहीं आएगा।

श्रीमती सूर्यकांता व्यास (जोधपुर) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से उनके प्रश्न का उत्तर तो दिलवाइये।

(15)

श्री अध्यक्ष : आप विराज जाएं। आप क्या समझती हैं कि श्रीमती मीना जी नहीं बोल सकती हैं ?

श्री मदन मोहन : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि (व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा(जयपुर ग्रामीण): मंत्री महोदय उत्तर दें।

श्री अध्यक्ष : विराजिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप डाइल्यूट हो रहे हैं। उत्तर दीजिये, मंत्री महोदय।

श्री अध्यक्ष : आप कुछ पूछ रहे हैं ?

श्रीमती मीना अग्रवाल : ऐसी क्या मजबूरी थी कि जो डेपुटेशन पर डाक्टरों को भेज दिया ? मुझे उत्तर दिलवाइये।

श्री मदन मोहन (खैरथल) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि अलवर में जिस तरह से प्राइवेट हास्पिटल चल रहे हैं उनके अन्दर राज्य सरकार के डाक्टर्स हैं वे उनमें कितने समय सेवा देते हैं ? दूसरा अलवर में एक प्राइवेट हास्पिटल ए.सी. जो खुला है, उसका जो मालिक है, वह अभी अलवर में जो यौन शोषण प्रकरण हुआ है उसका अभियुक्त भी है, तो क्या राज्य सरकार उस हास्पिटल को बन्द करने का विचार रखती है ?

श्री अध्यक्ष : विराजिये।

श्री मदन मोहन : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक और निवेदन करता हूं कि अलवर हास्पिटल में जितनी भी महिला डाक्टर्स हैं, उनमें से ज्यादातर ड्यूटी पर उपलब्ध ही नहीं होती हैं और गत वर्ष जब छापा मारा गया तो अलवर जिले के 18 डाक्टर प्राइवेट हास्पिटल में काम करते हुए पकड़े गये और आज उन डाक्टर्स को एक प्राइवेट हास्पिटल, जो खुला है, उसके अन्दर डेपुटेशन पर लगाया हुआ है या ठेके पर लगाया हुआ है ? मैं मंत्री महोदय से यह भी पूछना चाहता हूं कि राज्य सरकार उनके खिलाफ क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री अध्यक्ष : श्री मदन मोहन जी आप विराजिये। हां, श्री जुबेरजी, पूछ लिया आपने ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, दो-तीन प्रश्न माननीय सदस्यों ने किये हैं। एक प्रश्न तो उन्होंने यह किया कि सरकारी चिकित्सालय के चिकित्सक निजी चिकित्सालयों के अन्दर प्रतिनियुक्ति पर भेजे गये हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहूंगा कि चेरिटेबल ट्रस्ट द्वारा जो भी चिकित्सालय सचालित होते हैं, राज्य सरकार के नियम हैं, चिकित्सक उसके लिये आवेदन-पत्र देते हैं, उन आवेदन-पत्रों पर विचार करके राज्य सरकार उनको डेपुटेशन पर भेजती है। वह किसका चिकित्सालय है, अध्यक्ष महोदय यह मेरी जानकारी में नहीं है, परन्तु चेरिटेबल इंस्टीट्यूट द्वारा वह चिकित्सालय संचालित किया जा रहा है। उसके सारे परिपत्रों को जांच करने के पश्चात् सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है।

दूसरा, माननीय सदस्यों ने यह कहा कि वहां बड़ी संख्या में पद रिक्त हैं

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अलवर के अन्दर विभिन्न वर्गों के चिकित्सकों के 31 पद हैं, उनमें से पांच पद रिक्त जरूर हैं और यह भी सही है कि चार-पदों के विरूद्ध जूनियर स्पेशलिस्ट (मेडिसन) के डाक्टर्स लगे हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, पिछले कई वर्षों में पदोन्नति की बैठकें नहीं हो रही थीं। अब हमने पदोन्नति की बैठक की है और बैठक होने के पश्चात जैसे-जैसे हमारे पास कनिष्ठ विशेषज्ञ अलग-अलग विभाग के, सब्जेक्ट्स के आ रहे हैं, हम उसको पद-स्थापित कर रहे हैं और अगेंस्ट पोस्ट में जो भी हैं उनको हम वहां से हटा रहे हैं।

तीसरा, इन्होंने कहा कि नाइट ड्यूटी के अन्दर चिकित्सक उपलब्ध नहीं रहते हैं। अध्यक्ष महोदय, नाइट ड्यूटी के अन्दर चिकित्सक उपलब्ध रहते हैं और इसके अलावा एक प्रश्न यह भी उठा कि कुछ चिकित्सकों के विरूद्ध किसी तरह की शिकायत थी। अध्यक्ष महोदय शिकायत प्राप्त हुई थी। हमने जांच भी करवायी थी। चार चिकित्सकों को हमने 16, सी.सी.ए. रूल के तहत उनके खिलाफ आरोप-पत्र भी जारी किये हैं। एक चिकित्सक सेवानिवृत्त हो गये और भी कोई शिकायत आएगी तो किसी भी दोषी को बचाने की मंशा हम नहीं रखते हैं। रही बात चिकित्सालय में सुधार होना चाहिये, इसके लिये हम खुद भी संकल्पबद्ध हैं। हमने इसीलिये चिकित्सा सलाहकार समिति के माध्यम से माननीय प्रतिनिधियों को और दूसरे समाज के वर्गों को जोड़कर, किस तरह से इस पूरी व्यवस्था में सुधार हो सके, उसके लिये प्रयास किया है। मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्या और दूसरे माननीय सदस्य जो अलवर से सम्बन्ध रखते हैं, बैठकर विचार करें अगर किसी तरह के सुधार की आवश्यकता होगी, हम रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए इस तरह की संस्थाओं की सुधार की बात करेंगे। निश्चित तौर पर उसके गुणात्मक परिवर्तन भी आएंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री जुबेर खान जी।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही हाथ उठाया था।

श्री अध्यक्ष : हां, तो बोलिये आप।

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि राज्य सरकार ऐसी नीति बनायी हुई है कि डेपुटेशन के सम्बन्ध में। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, अलवर हास्पिटल की हालत देखिये। डा. राजीव सक्सैना हड्डी स्पेशलिस्ट जनरल हास्पिटल से गायब। चेरिटेबल हास्पिटल में। डा. योगेश भार्गव, अनेस्थेशिया वाला डाक्टर, वह गायब, डा राजेन्द्र गुप्ता, मैडिसन का जो मशहूर डाक्टर है, वह वहां से चेरिटेबल हास्पिटल में बैठता है। डा जी.सी. मित्तल बच्चों का डाक्टर, वह वहां नहीं मिले। डा. के.के. गुप्ता ...

श्री अध्यक्ष : अब यह तो बातें हो चुकी हैं।

श्री जुबेर खान : अब मेरा निवेदन यह है, अध्यक्ष महोदय, ...

श्री अध्यक्ष : अब आप जो प्रश्न पूछना चाहते हैं, वे प्रश्न पूछिये ।

श्री जुबेर खान : मेरा प्रश्न यह है कि जनरल हास्पिटल जो कि बीस-पच्चीस बीघा में फैला हुआ है, जिसमें पूरे जिले के लोग आते हैं और यह जो चेरिटेबल हास्पिटल पांच सौ गज में बना हुआ है, क्या पूरे जिले के लोगों को वहां इलाज हो सकता है। जहां पचास-पचास रुपया शुल्क लिया जाता हो ? मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि यह राजनीति की बात नहीं है, वहां अस्पताल की बुरी हालत है। पशु घूमते रहते हैं वार्ड्स के अन्दर ··· (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप भाषण मत दीजिये। मैंने आपको दस बार टोक दिया है। स्पेसिफिक प्रश्न पूछिये आप।

श्री जुबेर खान: कहीं और से चिकित्सक डेपूटेशन पर भेजिये लेकिन जो यहां पाच चिकित्सक हैं, आप अलवर की जनता के हमदर्द बनिये, उनको आप जनरल हास्पिटल में बैठाइये। जनरल हास्पिटल में कोई डाक्टर मिलता ही नहीं है। आम आदमी को क्या पता कि कौनसा चेरिटेबल हास्पिटल है।

श्री अध्यक्ष : विराजिये आप।

श्री जुबेर खान : इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि आप तुरन्त प्रभाव से डेपुटेशन खत्म करके जनरल हास्पिटल में उनको बैठाइये और आप जयपुर से डेपुटेशन पर चेरिटेबल हास्पिटल में भेजिये। क्योंकि हर आदमी चेरिटेबल हास्पिटल में नहीं जा सकता।

श्री अध्यक्ष : बैठिये आप। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : बुरी हालत है। आप बराये मेहरबानी के एक गार्ड तो बैठा दीजिये। दो गार्ड तो अस्पताल के दरवाजे पर बैठा दीजिये ताकि पशु वार्डस में नहीं आयें। जहां मरीज सोते हैं, वहां पर पशु आकर बैठ जाते हैं, गोबर करते हैं (व्यवधान) ··

श्री अध्यक्ष : यह आप बाद में बात करना। यह आप क्या कह रहे हैं ?

श्री जुबेर खान : अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप अस्पताल में जाकर देख लें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया, बैठिये आप।

श्री जुबेर खान : आपको यही हालत वहां पर मिलेगी।

श्री अध्यक्ष : बैठिये आप।

श्री जुबेर खान : क्या हालत हो रही है ? आप जैसे ··· (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री जुबेर जी, बैठिये आप।

श्री जुबेर खान : आप जैसे सक्षम आदमी के समय में अगर (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बैठिये आप। दूसरों के प्रश्न भी आने दीजिये। ?' बेरजी, कोई प्रश्न पूछिये आप।

श्री जुबेर खान : अस्पताल की ?ह हालत रही तो इस कदर की चिकित्सालय की हालत भगवान भरोसे रहेगी।

श्री कन्हैयालाल मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से एक सैकण्ड में पूछना चाहता हूं। मैं माननीय मंत्री महोदय का एक सैकण्ड में ध्यान दिलाना चाहूंगा ....

श्री अध्यक्ष: No, No, Not allowed Please sit down.

श्री कन्हैयालाल मीणा : कि डाक्टर्स की रात्रि ड्यूटी के लिये आप कह रहे हैं डाक्टर्स रात्रि में रहते हैं तो

श्री अध्यक्ष : श्री कन्हैयालाल जी, विराजें आप। प्लीज सिट डाउन।

श्री कन्हैयालाल मीणा : मानयीय, एक मिनट। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर जो हास्पिटलस हैं वहां पर परमानेंट ड्यूटी लगा दी जाए।

श्री अध्यक्ष : व्यवस्था में योगदान दें। माननीय मुख्य सचेतक।

श्री कन्हैयालाल मीणा : क्योंकि एक्सीडेंट होकर जो भी आते हैं, रात को डाक्टर को क्वार्टर में से उठा कर लाना बड़ा मुश्किल होता है और कई बार एक्सीडेंट हो कर ...

श्री अध्यक्ष : श्री कन्हैयालालजी, आप बैठ जाओ। I have not allowed you.

श्री कन्हैयालाल मीणा : और कई बार एक्सीडेंट होकर वे मछली की तरह पड़े-पड़े तड़फते रहते हैं, तो मेरा यह निवेदन है....

श्री अध्यक्ष : क्या कर रहे हैं यह सब? आप बैठ जाइये।

श्री कन्हैयालाल मीणा : उन हास्पिटल में कम से कम आप ड्यूटी तो लगवाइये वहां।

श्री अध्यक्ष : आप बैठ जाइये। विराजें आप।

श्रीमती मीना अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि जो डाक्टर्स विरुद्ध में लगे हुए हैं उनको कब चैंज करेंगे? इस बात का तो आश्वासन दे दें। चर्म रोग की जगह मेडिसन लग रहे हैं .... दांत की जगह मेडिसन लग रहे हैं, कोढ़ की जगह दूसरे लग रहे हैं ...

श्री अध्यक्ष : आप विराजें। माननीय मंत्रीजी।

श्रीमती मीना अग्रवाल : उन को कब चैन्ज करेंगे? दूसरी बात मेरी यह है कि.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब नहीं, बस बहुत हो गयी आपकी बात। विराजें आप।

श्रीमती मीना अग्रवाल : दूसरी बात यह है कि मेरे पास पी.एम.ओ. की रिपोर्ट है,

श्री अध्यक्ष : बैठिये आप।

श्रीमती मीना अग्रवाल : 6 डाक्टर्स तो विरुद्ध में लगे हुए हैं, इनके पास जवाब गलत आया है और चार ये रिक्त पद हैं। पी. एम. ओ. की रिपोर्ट मैं आपको दे सकती हूं।

श्री अध्यक्ष : आप बात सुनें उनकी। दूसरे माननीय सदस्यों के भी प्रश्न हैं। विराजें आप।....(व्यवधान)....

श्रीमती मीना अग्रवाल : जो सलाहकार समिति की मीटिंग होती है, कोई शांतिपूर्वक मीटिंग नहीं होती, न सूचना होती है हमारे पास।

श्री अध्यक्ष : विराजें।

श्रीमती मीना अग्रवाल : मैं एक बात और कहना चाहती हूं।

श्री अध्यक्ष : अब बार बार, यह this is not a debating stage अब विराजिये आप।

श्रीमती मीना अग्रवाल : एक बात और कहना चाहती हूं, अध्यक्ष महोदय। एक बच्चों का हास्पिटल खोलने के लिये हमने एक मीटिंग की और एक कमेटी का गठन किया। उस मीटिंग में जनता के सहयोग से लाखों रुपये जमा हो गये ...(व्यवधान)...

श्री जुबेर खान : आप जाकर देखिये अस्पताल में ....

श्री अध्यक्ष : आप बोल रहे हैं, this is not a stage.

श्रीमती मीना अग्रवाल : और फिर भी वहां हास्पिटल नहीं खुल रहा है अभी तक।

श्री जुबेर खान : आप अगर जाकर देखेंगे अस्पताल को तो मरीजों से ज्यादा पशु मिलेंगे आपको।

श्री अध्यक्ष : Mr. Juber Khanji, this is not a stage.

श्री जुबेर खान : आप दौरा कीजिये एक दिन का ...

श्री अध्यक्ष : यह स्टेज नहीं है यहां पर स्पेसिफिक प्रश्न पूछिये आप। विराजें आप।

श्रीमती मीना अग्रवाल : मंत्री जी, मैं एक निवेदन और करना चाहूंगी। बच्चों का हास्पिटल ...

श्री अध्यक्ष : आप यदि नहीं सुनना चाहती हैं तो मैं अगला प्रश्न बोल रहा हूं।

श्रीमती मीना अग्रवाल : एक मिनट, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : मैं अगला प्रश्न बोल रहा हूं। आप उत्तर सुनें पहले मंत्री जी का।

श्रीमती मीना अग्रवाल : मेरी बात तो बोलने दो, ढाई साल में पहली बार समय मिला है। .. (व्यवधान) ...

श्री अध्यक्ष : कितनी बार बोलेंगी आप ? विराजें आप। नहीं, विराजें आप।

श्रीमती मीना अग्रवाल : बच्चों के हास्पिटल का तो कर दो जिसके लाखों रुपये जनता के जमा हैं।

श्री अध्यक्ष : आप इनको रोकते नहीं क्या। ... (व्यवधान) ...

श्रीमती मीना अग्रवाल : बच्चों का हास्पिटल, अलग से कमेटी का गठन हो गया, जनता ने लाखों रुपये जमा करा दिये, उसको तो पूरा करवा दें।

श्री अध्यक्ष : आप विराजें ना। लाखों रुपये-लाखों रुपये, मैंने 7 बार सुन लिया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, पिछले एक वर्ष में विभिन्न संवर्ग के चिकित्सकों की डी.पी.सी. कर के हमने 1106 चिकित्सकों को पदोन्नत किया है। निश्चित तौर पर कुछ स्पेशलिटीज के चिकित्सकों की पदोन्नति में विलम्ब हुआ। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को आश्वासन देना चाहता हूं कि इसी माह के अन्त तक जिन पदों के विरुद्ध दूसरे चिकित्सक लगे हुए हैं, उनको हटा कर उसी स्पेशलिटी के चिकित्सकों को पदस्थापित कर दिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष : श्री दयारामजी।

श्रीमती मीना अग्रवाल : बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती तारा भण्डारी(सिरोही): अध्यक्ष महोदय, एक काम और करवा दो, इन सलाहकार समितियों की कहीं भी बैठकें नहीं होती हैं।

श्री अध्यक्ष : यह आप बाद में जा कर के बात करें उनसे। श्री दयारामजी।

जनजाति उपयोजना क्षेत्र में संचालित मदिरा विक्रय केन्द्र

153. श्री दयाराम परमार(खैरवाड़ा): क्या मुख्य (आबकारी) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा जनजाति उपयोजना क्षेत्र में गंगानगर शुगर मिल द्वारा निर्मित देशी शराब की दुकानों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया गया है ? यदि हां, तो क्यों और इसका क्या उद्देश्य है ?

(2) क्या सरकार जनजाति उपयोजना क्षेत्र में शराब की दुकानें बन्द करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राज्य मंत्री, आबकारी (श्री अनंग कुमार जैन) : (1)जी, हां। गंगानगर शुगर मिल्स द्वारा निर्मित देशी शराब की दुकानों की संख्या जनजाति उपयोजना क्षेत्र में बढ़ाने का निर्णय लिया गया है, क्योंकि इसका उद्देश्य जनजाति क्षेत्र में लोगों को अच्छी किस्म की मदिरा उपलब्ध कराना है ताकि अवैध आश्वन एवं विक्रय पर प्रतिबन्ध लगे तथा असामयिक ही किसी विषैली मदिरा के सेवन से दुर्घटना न हो।

(2) जी, नहीं। जनजाति उपयोजना क्षेत्र की बहुसंख्यक अनुसूचित जनजाति में मदिरा का उपभोग उनकी सामाजिक मान्यता के तौर पर होता है। पूर्ण नशाबंदी कर दिये जाने पर वे लोग अवैध मदिरा की ओर आकृष्ट होंगे इससे कानून व्यवस्था की स्थिति प्रभावित होगी। अतः फिलहाल इस क्षेत्र में राजकीय संस्थान से देशी मदिरा की दुकानें चलवाये रखना उचित समझा गया है (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया, आपकी बात बहुत तसल्ली से सुनी गयी है तो दूसरों की बात भी सुनें, श्रीमती ताराजी।

श्री दयाराम परमार : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से दो सप्लीमेंट्री प्रश्न करना चाहता हूं।

पहला प्रश्न मेरा यह है कि शराब का आर्थिक दृष्टि से बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और, अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि ट्रायबल एरिया में रहने वाले लोग 90 प्रतिशत गरीबी की रेखा के नीचे अपना जीवनयापन कर रहे हैं और वह अपना गुजारा दैनिक मजदूरी कर के, 15,20,30 रुपये कमा कर करते हैं और बसर करते हैं। ऐसे में सरकारवहां पर शराब की दुकान खोल रही है। सरकार एक तरफ यह कहती है कि "गरीब को गणेश" मान कर हम अपना कार्यक्रम चला रहे हैं, तो क्या इस गरीब की ···

श्री अध्यक्ष : कृपया प्रश्न पूछें, स्पेसिफिक प्रश्न पूछें जिससे दूसरों के प्रश्न भी आ सकें। मैं भाषण अलाऊ नहीं करूंगा अब, बहुत दिन हो गये भाषण होते।

श्री दयाराम परमार : अध्यक्ष महोदय, मैं जो प्रश्न कर रहा हूं स्पेसिफिक ही कर रहा हूं।

क्या सरकार ऐसा मानती है कि "गरीब को गणेश" मान कर जो कार्यक्रम आप चला रहे हैं उसका शराब पिलाने से लोगों को कोई फायदा नहीं मिलेगा ?

दूसरा, प्रश्न यह है कि जब आप कहते हैं कि सामाजिक मान्यता के आधार पर हम शराब पीने के लिये वहां पर दुकानें खुलवा रहे हैं तो हम बार-बार यह मांग कर रहे हैं कि महुए की शराब, जो हमें पांच या दस रुपये में पड़ती है, उसको पीने की छूट दी जाए, तो सरकार हमारी सामाजिक मान्यताओं के आधार पर क्यों नहीं पीने की छूट देती है ? इन दोनों प्रश्नों का मुझे जवाब दें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विराजिये आप। श्री शिवनाथ सिंह जी। एक मिनट, श्री शिवनाथ सिंह जी बोल रहे हैं।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने आदिवासी क्षेत्रों में शराब का प्रचलन बढ़ाने के लिये अपनी सरकार की नीति की घोषणा की यह तो आपकी सरकार ही जाने इस नीति के कैसे, क्या उद्देश्य हैं ? मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहूंगा कि आप शराब की दुकानों का ठेका दीजिये, शराब अलाऊ कीजिये लेकिन जो ठेकेदार अधिकृत दुकानों के अलावा दुकानें चला रहे हैं उनके नियंत्रण के लिये भी आप उपाय कीजिये। आज इस प्रांत में सबसे बड़ी समस्या अनधिकृत दुकानों की है और इसमें एक तरह से गुंडागर्दी हो रही है, मर्डर्स हो रहे हैं, उनको रोकने के लिये आप उपाय कीजिये बाकी आदिवासी क्षेत्रों का कितना सत्यानाश आप करना चाहते हैं आपकी नीति के अनुसार, कीजिये हमें एतराज नहीं।

श्री मोहनलाल मोदी (नीमकाथाना): अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न।

श्री अध्यक्ष : यह आदिवासी इलाके की बात हो रही है आपके उधर तो है नहीं, श्री मोदी जी।

श्री अनंगकुमार जैन : पहले जवाब सुन लीजिये आप।

श्री अध्यक्ष : एक मिनट, उनका उत्तर आने दीजिये।

श्री अनंग कुमार जैन : अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार की कतई यह मंशा नहीं है कि शराब का प्रचलन राजस्थान में बढ़े। जनजाति क्षेत्र के जो माननीय विधायकगण चुन कर के आये उन्होंने पिछली विधानसभा में यह प्रश्न स्वयं ने उठाया था कि जनजाति क्षेत्र के अन्दर धार्मिक मान्यताओं के आधार पर शराब का सेवन होता है, वहां पर जब आप ठेकेदारों को ठेके देते हैं तो वह बहुत महंगी दरों में शराब बेचते हैं और इससे जनजाति क्षेत्र की गरीब जनता का शोषण होता है। माननीय सदस्यों की मांग पर ही, और अभी भी माननीय श्री दयाराम जी ने कहा कि सरकार हम को पांच से दस रुपये बोतल वाली शराब पीने की इजाजत दें। आप के ही सुझावों को दृष्टिगत रखते हुए राजस्थान सरकार ने यह निर्णय लिया कि जनजाति क्षेत्र में जनजाति क्षेत्र के गरीब बन्धुओं को उचित दर पर और सस्ती दर पर शराब उपलब्ध हो और उनकी धार्मिक मान्यताओं का भी निर्वहन हो। इसलिये 115 दुकानें नयी खोलने का निर्णय लिया और, अध्यक्ष महोदय, जो शराब की बोतल जयपुर, बीकानेर, जोधपुर और उदयपुर में 60 रुपये में मिलती थी वह उनको वहां 9 रुपये में सप्लाई की जायेगी। राज्य सरकार ने आपकी भावनाओं का आदर करते हुये, श्री दयारामजी परमार की भावनाओं का आदर करते हुए, इनकी मांग को स्वीकार करते हुए ही जनजाति बाहुल्य क्षेत्र के अन्दर दुकानें खोल रही है। यदि माननीय सदस्यों की सब की यह इच्छा होगी, तो राज्य सरकार उस पर भी विचार करने के लिये तैयार है।

दूसरा, अध्यक्ष महोदय, माननीय श्री शिवनाथ सिंह जी ने पूछा कि राजस्थान के अन्दर कई जगह अवैध दुकानें खुल रही है। मैं इस बात से स्पष्ट रूप से इन्कार नहीं करता बल्कि मैं स्वयं स्वीकार करता हूं कि कई क्षेत्रों के अन्दर, दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों में जिन ठेकेदारों को ठेका दिया जाता है, शराब की अवैध दुकानें चलाने का प्रयास किया जाता है, कई जगह चालू भी कर दी हैं। इस प्रश्न का जवाब मैंने पिछले विधान सभा सत्र में भी दिया था, पिछले वर्ष भी हमने 5578 धावे आयोजित कर के पूरे राजस्थान के अन्दर इस प्रकार के लोगों का चालान किया, उनको जेल भेजा, उनका माल जब्त किया और राज्य सरकार ने अपनी मशीनरी को पूरी सजगता और मुस्तैदी से लगा रखा है कि जहां कहीं भी यह शिकायत प्राप्त होती है, अवैध दुकान चल रही है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाती है।

श्री अध्यक्ष : श्री दयाराम जी। (व्यवधान) मूल प्रश्नकर्ता। मूल प्रश्नकर्ता को बात कहने दें आप। (व्यवधान) श्री दयारामजी बोल रहे हैं, श्री भीखा भाई। (व्यवधान)

श्री भीखा भाई : शराबबंदी नहीं करते हो (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपका स्वास्थ्य खराब है आप बिराजिये।

श्री दयाराम परमार : अध्यक्ष महोदय, यहां प्रश्न शराब का सस्ता मिलने का नहीं है। प्रश्न यह है कि आदिवासियों को शराब पिला कर के विकास की मुख्य धारा से उनको विचलित करने की नीति सरकार

(श्री दयाराम परमार)

की है, उस धारा में आने देना नहीं चाहती है सरकार। इतनी शराब की वहां पर अवैध दुकानें खोल दी हैं। आप तो गिन रहे हैं गंगानगर शुगर मिल की एक दुकान, खैरवाड़ा में चार और इस साल आप खोल रहे हैं, पता नहीं और कितनी खोल रहे हैं लेकिन जिस दारू का अंग्रेजी वालों का ठेका है उसकी 50 से 100 दुकानें अवैध रूप से चल रही हैं। और उसकी खैरवाड़ा में केवल अंग्रेजी की दुकान, उदयपुर में शहर में उसका ठेका है वहां पर उसको देशी शराब का ठेका भी साथ में मिलता है, इतनी दुकानें खोल रखी हैं कि हर गांव में दुकानें और दारू। और वह दारू की बोतल 50 रुपये में बिकती है और उसका असर यह हुआ है, अध्यक्ष महोदय, कि यह आदिवासी आपस में लड़ते हैं और हर महीने में मेरे एक थाने में दो मर्डर होते हैं। इतने आपस में दूर हो रहे हैं और अपने विकास तथा अपने काम की ओर कोई ध्यान नहीं देते हैं। इसलिये सरकार अगर चाहती है कि आदिवासियों का विकास हो तो किसी भी तरह से ट्रायबल एरिया में शराब बंद करायें।

श्री अध्यक्ष : श्री महावीर भगोरा जी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से एक बात पूछना चाहती हूं।

श्री अध्यक्ष : आप बैठें। यह उदयपुर जिले की बात है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : कहीं का भी हो, मैं एक बात पूछना चाहती हूं कि मंत्री महोदय ने इनके कहने से दुकानें खोली हैं और जब यह कह रहे हैं कि बन्द कर दें तो बन्द करने में आपको क्या दिक्कत है? अगर माननीय सदस्य के पिछले सत्र में कहने से दुकानें खोल दीं और उनका कहना है कि नहीं खोलनी है, बन्द कर दें तो आपको क्या आपत्ति है? और इस सम्बन्ध में सलाहकार समिति क्यों नहीं बनाते?

श्री अध्यक्ष : श्रीमती उजला जी, आप बिराज जाएं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : हम अपने-अपने क्षेत्र में शराब बिकवाना नहीं चाहते तो आप क्यों बेचते हैं? मेरा आपसे आग्रह है कि आप सलाहकार समिति बनाकर ··· (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप विराज जायें। अंकित नहीं हो जो श्रीमती उजला जी बोल रही हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : × × ×

श्री अध्यक्ष : आप विराज जायें उजला जी। आपका अंकित नहीं हो रहा है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : × × ×

श्री अध्यक्ष : आप विराजें। आपका अंकित नहीं हो रहा है। विराजें आप। कृपा करके विराज जाएं श्रीमती उजला जी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : × × ×

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(24)

श्री अध्यक्ष : अब आप विराजें न ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : × × ×

श्री अध्यक्ष : सामाजिक प्रश्न है तो आप समाज में सुधार का काम करवाइये । विराजें आप। आप विराज जाएं कृपया विराजें । श्री मगोरा जी ।

श्री महावीर मगोरा (गोगुन्दा) : राज्य सरकार ने आदिवासी क्षेत्रों में जो शराब की नीति लागू की है । हमारा यह निवेदन है कि सरकार की जितनी भी आमदनी होती है, इस नीति को सरकार वापस लेवें । क्योंकि आदिवासी लोग शराब पीकर झगड़ा-टंटा करते हैं । हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इसको बंद कर दें।

श्री अध्यक्ष: श्री मोदी जी । (व्यवधान) एक मिनट विराजिये । आप जल्दी करिये ।

श्री मोहनलाल मोदी (नीमकाथाना) : अध्यक्ष महोदय, हरियाणा में शराब बन्दी हो गयी । मेरा सारा एरिया हरियाणा के साथ लगता हुआ है या तो राज्य सरकार यह निर्णय ले कि गुजरात में और हरियाणा में बन्द है ...

श्री अध्यक्ष : विराजिये ।

श्री मोहनलाल मोदी: एक मिनट बस । मैं यह कहना चाहता हूं कि उस बोर्डर से 10 किलोमीटर पर शराब नहीं बेची जाए। यह मेरा निवेदन है ।

श्री अध्यक्ष : विराजिये आप । (व्यवधान) एक मिनट ठहरें आप । श्री उदयलाल जी, अपने को यह नहीं करना काम । उनको बोलने दें आप ।

श्री हीरालाल सहरिया (किशनगंज) : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि क्या ट्राइबल एरिये में सस्ती शराब की दुकानें खोलने के साथ-साथ क्या अंग्रेजी शराब का ठेका उन ठेकेदारों भी सी दिया गया है, उसकी क्या नीति है ? इसका जवाब देदें आप ।

श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा हो रही है । मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विराजें आप । आई हैव नोट अलाउड यू । (व्यवधान) एक सैकण्ड विराजें आप ।

श्री राजेन्द्र चौधरी : अध्यक्ष महोदय, एक ही मिनट में अपनी बात कहना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष : मैं आपको भी समय दे दूंगा । आप जदोजहद में ऐसे ऐसे टाइम मत खराब करिये । विराजें आप, प्लीज । श्री लक्ष्मण सिंह जी । श्री उदयलाल जी विराजें आप । आपको भी समय दूंगा । श्री लक्ष्मण सिंह जी ।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत (भीम) : अध्यक्ष महोदय, सबसे अच्छा तो यह रहता कि आदर्शों की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे प्रदेश में (व्यवधान)

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

श्री अध्यक्ष : आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं या भाषण दे रहे हैं ?

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : प्रदेश में हरियाणा की तरह शराब बन्द करें। मेरा प्रश्न यह है कि महाराष्ट्र की तरह, जहां अगर किसी ग्राम की 75 प्रतिशत महिलाएं लिखकर दे देती हैं या प्रतिनिधित्व करती हैं तो उस गांव में वहां की सरकार शराब-बन्दी कर देती है तो आदिवासी क्षेत्र के अन्दर वहां की 75 प्रतिशत महिलाएं अगर सरकार को रिप्रजेंटेशन दे दें तो क्या राज्य सरकार उस पर विचार करके वहां शराब-बन्दी कर देगी ?

श्री अध्यक्ष : श्री कोगटा जी। जल्दी बोलिये आप।

श्री किशन गोपाल कोगटा (मसूदा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आबकारी मंत्रीजी यह बताये कि आदिवासी क्षेत्रों में सस्ती दर की दुकानें खोलेंगे ? मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं मेरा एरिया राजसमंद से जुड़ा हुआ है। राजसमंद एरिये में ठेका सस्ता छुटा हुआ है उस मेरे एरिया के लोग उस एरिया में अपने रिश्तेदारों के वहां जाते हैं और शराब पीकर वापस आते हैं। तो इधर अजमेर डिस्ट्रिक्ट में पुलिस उनको ठोक-पीटकर बन्द कर देती है। क्या सस्ती दुकानें खोलने के बाद यह क्राइम ऐसे बढ़ेगा या पीने वाले (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विराजिये। उदयलाल जी आंजना। सुन लिया, श्री कोगटा जी, विराजें आप। (व्यवधान)

श्री उदयलाल आंजना (निम्बाहेड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अपने जवाब में यह बताया है कि आदिवासी क्षेत्र में सस्ती शराब उपलब्ध करायी जाएगी। मेरा निवेदन यह है कि छोटी सादड़ी पंचायत समिति में 10 पंचायतें आदिवासी क्षेत्र में आती हैं। वहां उन आदिवासियों को महंगी शराब मिलती है जिससे आबकारी विभाग के ठेकों के सेटलमेंट भी पूरे नहीं हो पाते हैं। इसलिये जो छोटी सादड़ी की 10 पंचायत समितियां हैं, उनमें भी आदिवासियों को सस्ती शराब मिलने का उनको भी लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा ?

श्री अध्यक्ष : अच्छा, विराजें आप। श्री रघुवीर सिंह जी।

श्री रघुवीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह धार्मिक आस्थाओं से जुड़ा हुआ मामला है। मैं मंत्रीजी से यह पूछना चाहूंगा कि जैसे मध्य प्रदेश में महुआ की 5 किलोग्राम कच्ची शराब बनाकर वहां काम में ले सकते हैं, वहां ऐसी नीति बना रखी है। क्या आप भी कोई ऐसी नीति बनाने का विचार रखते हैं ?

श्री अध्यक्ष : विराजिये, श्री राजेन्द्र जी। (व्यवधान) दोनों ही हैं, आप दोनों ही को बुला रहा हूं।

श्री राजेन्द्र चौधरी : अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा मानवीय सम्बन्ध से जुड़ा हुआ प्रश्न है (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप भाषण मत दो। आप तो केवल प्रश्न पूछिये।

श्री राजेन्द्र चौधरी : मैं पाइंटेड प्रश्न ही पूछ रहा हूं। आप मेरे से सहमत होंगे इस बात से।

श्री अध्यक्ष : मैं तो हमेशा ही आपसे सहमत हूं पर अभी नहीं हूं ।

श्री राजेन्द्र चौधरी : धन्यवाद । ऐसा है कि हरियाणा में शराबबन्दी लागू होने के बाद में हरियाणा का प्रभाव हमारे सीमा क्षेत्र के जो गांव हैं, वहां पर पड़ा है और उसी से प्रभावित होकर पड़ोस के गांव की महिलाओं ने इकट्ठा होकर वहां पर शराब की दुकानों में आग लगा दी । शराब के ठेकेदार ने मुकदमा किया । मुझे यह बतायें आप मंत्री जी ·· (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विराजिये । नहीं, तो जवाब नहीं आएगा ।

श्री राजेन्द्र चौधरी : इस तरह की जो बात है ·· (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपने बहुत अच्छी बातें पूछी हैं । विराजिये, नहीं तो जवाब नहीं आएगा । (व्यवधान) श्री राजेन्द्र जी गहलोत ।

श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि जोधपुर शहर में जहां शराब की दुकानें हैं····

श्री अध्यक्ष : जोधपुर की बात नहीं हो रही है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र की बात हो रही है···· (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र गहलोत : बहुत महिलाएं आन्दोलन कर रही हैं । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह पालिसी की बात है । अनुसूचित जनजाति की बात हो रही है, जनजाति उप योजना क्षेत्र की । विराजें आप । (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र गहलोत : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल एक मिनट का ही है, सुनिये तो सही । जोधपुर शहर के अंदर वार्ड नं. 22 और मिल्कमैन कालोनी के अंदर, जहां शराब की दुकानें खोली गयी हैं, वहां की जनता उसका विरोध कर रही है और मैं भी माननीय मंत्री महोदय से से निवेदन करना चाहूंगा कि वहां से दुकानें हटायी जाएं ।

श्री हीरालाल विश्नोई (सांचौर) : (व्यवधान) दारू जो स्मगलिंग से गुजरात में जाती है क्या सरकार नशाबन्दी को रोकेगी? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विराजिये, माननीय मंत्रीजी ।

श्री अनंगकुमार जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जो चिन्ता जाहिर की है उससे मैं भी इत्तफाक करता हूं । कई माननीय सदस्यों ने अवैध दुकानों के बारे में चिन्ता की और माननीय श्री दयाराम जी ने कहा कि मेरे क्षेत्र के अन्दर कई दुकानें अवैध खुल रही हैं तो मैं आपके माध्यम से उनको आश्वस्त करना चाहता हूं वह मुझे लिस्ट दें, मैं तत्काल ही मेरे एडिशनल कमिश्नर लेवल के अधिकारी को उनके साथ भेजूंगा या सीधा भेजकर उन अवैध दुकानों को दो दिन के अंदर बन्द करवा दूंगा । मुझे आप लिस्ट दें । जहां-जहां माननीय सदस्य बताएंगे राज्य सरकार

(श्री अनंगकुमार जैन)

सख्ती से कार्यवाही करके उन दुकानों को बन्द करवा देगी ।

श्री दयाराम परमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, अवैध दुकानों का सवाल ही नहीं है, हम कह रहे हैं कि ट्राइब्ल एरिये में जो शराब की दुकानें खुली हुई हैं चाहे वह लीगल हों या इल्लीगल हों, उन सबको बन्द करने की मांग कर रहे हैं । यहां पर लीगल-इल्लीगल का प्रश्न नहीं है । जहां हमारे आदिवासियों के जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है । (व्यवधान) अगर सरकार को आर्थिक रूप से नुकसान है, तो टैक्स का पेमेंट करने के लिये हम तैयार हैं ।

श्री अध्यक्ष : श्री दयाराम जी, सुनें ।

श्री दयाराम परमार : हम टैक्स का पेमेंट करने के लिये तैयार हैं । लेकिन ये शराब बन्द करवाइये ।

श्री अनंगकुमार जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो आप कह रहे हैं, अभी राज्य सरकार के पास नशाबन्दी की नीति विचाराधीन है । माननीय सदस्य आप इतने जोर से पूछ रहे हैं । राजस्थान के अन्दर शराब किसने चालू की ? 1977 के अंदर श्रीमान् भैरोंसिंह जी ने नशाबन्दी लागू की थी । 1980 के अंदर श्री चन्दनमल बैद ने इसी जगह से खड़े होकर बड़े लटके-झटकों के साथ कहा था कि मुझे स्कूल भी खोलने हैं, मुझे दवाखाने भी खोलने हैं, मुझे पुलिया भी बनानी हैं । मैं राजस्थान की जनता का विकास कैसे करूंगा । उस वक्त श्री चन्दनमल जी बैद बोल रहे थे, माननीय सदस्य भी बोले, माननीय सदस्यों ने हाथ खड़े करके उस नीति का समर्थन किया । वरना इस सरकार ने तो 1977 के अन्दर नशाबन्दी लागू कर दी थी । आज माननीय सदस्य किस मुंह से यह बात कह रहे हैं । उस वक्त श्री चन्दनमल जी कह रहे थे कि मैं शराब बेचकर स्कूल खोलूंगा, शराब बेचकर दवाखानें खोलूंगा, शराब बेचकर पुलियाओं का निर्माण करूंगा तो आज ·· (व्यवधान) आप हमसे यह चाहते हैं कि राजस्थान का विकास भी हो, राजस्थान में स्कूल भी खुलें, दवाखानें भी खुलें, पुलियाओं का निर्माण भी हों, सारे राजस्थान के विकास की बात भी हो और शराबबन्दी भी आप चाहते हैं, तो राजस्थान सरकार ने केन्द्र सरकार से यह निवेदन किया है यदि इसकी भरपाई कर दी जाए तो इस सम्बन्ध में हम विचार करेंगे । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया शांति बनाये रखें । प्रश्नकाल समाप्त हुआ । (व्यवधान)

(12·00)

श्री हरिसिंहजी, मैं खड़ा हो गया हूं, आप विराज जाएं । महुआ में तो झगड़ा ही नहीं है अभी । आप विराज जाएं ।

श्री बनवारीलाल बैरवा (निवाई) : माननीय अध्यक्ष जी, मेरा भी एक प्रश्न था।

श्री अध्यक्ष : श्री भीखाभाई मैं खड़ा हो गया हूं, आप विराज जाएं एक बार····(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप यह तो कहो कि कौन पक्ष में है कौन नहीं है । ऐसे ही बता दो कि कितने पक्ष में हो, हाथ उठा दो । शराब बन्द करने के पक्ष में कौन-कौन

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

हैं ? शराब बन्द करनी चाहिये, यह मेरे पक्ष में हैं। मैं तो कहूं बन्द हो जाए, मेरा भी आग्रह है। जब सारे लोग पक्ष में हैं तो आप बन्द क्यों नहीं करते ?

एक माननीय सदस्य : ये सब हाथ उठाने वाले आठ बजे चले जाते हैं यहां से।.... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : पहले नहीं पीने की कसम खाओ।

श्री अध्यक्ष : कृपया विराजें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : कितने सारे जन प्रतिनिधियों की मांग है आप बन्द करें, मैं बधाई दूंगी, बन्द करनी चाहिये।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : सदन जीता, सदन जीता, शराब बन्दी लागू करें आप।

श्री अध्यक्ष : आपकी चिन्ता वाजिब है विराजें आप।

श्री रामनारायण मीणा : सारे सदन की मांग है। शराब बन्दी लागू करें।

एक माननीय सदस्य : आये दिन एक्सीडेंट होते हैं हजारों की जानें जाती हैं बरात की बरात शराब पीती है.. (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, सर्वसम्मति हो गयी ...

श्री अध्यक्ष : श्री अमरारामजी, विराजें आप।

श्री रामस्वरूप मीणा : शराबबन्दी का सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करें और राजस्थान की सरकार को.... (व्यवधान) सरकार शराबबन्दी की घोषणा करे।

श्री अध्यक्ष : श्री रामस्वरूप जी, विराजें आप।

श्री हरिसिंह (महुआ) : सरकार के पास कोई विकल्प नहीं है।

श्री रामनारायण मीणा : प्रस्ताव पारित। सदन ने प्रस्ताव किया है कि शराबबन्दी लागू की जाए। कह दीजिये पारित, सर्वसम्मति से पारित (व्यवधान)

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

लेखा एवं अधीनस्थ लेखा संवर्ग के पदों पर पदोन्नति

195. श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा) : क्या मुख्य (वित्त) मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान लेखा सेवा एवं राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के कुल कितने पद स्वीकृत हैं ?

(2) इन सेवाओं हेतु पदोन्नति की क्या प्रक्रिया है एवं पिछले पांच वर्षों में पदोन्नति द्वारा कितने पद भरे गये ? पदवार एवं वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

(3) वर्तमान में लेखाकारों के पद पर भर्ती हेतु पदोन्नति एवं सीधी भर्ती द्वारा कितना-कितना कोटा निर्धारित है क्या सरकार ने सीधी भर्ती बन्द करने का निर्णय लिया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) राजस्थान लेखा सेवा एवं राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा हेतु कैडर स्ट्रैंथ रिव्यू के अन्तिम आदेश सरकार द्वारा कब जारी किये गये और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हुयी है ? जानकारी सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान लेखा सेवा एवं राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा में कुल 7150 स्थायी पद स्वीकृत हैं।

(2) पदोन्नति विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशषा के अनुसार की जाती है। वर्ष 1991-92 से 1995-96 तक राजस्थान लेखा सेवा में क्रमशः 44, 76, 97, 93, 29 एवं 1991-92 से 1994-95 में राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा में 444, 245, 329 एवं 441 को पदोन्नति दी गयी।

(3) जी नहीं। वर्तमान में लेखाकार के पद 80 प्रतिशत पदोन्नति से एवं 20 प्रतिशत सीधी भर्ती से (राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से) भरे जाते हैं।

(4) राजस्थान लेखा सेवा के अन्तर्गत कैडर स्ट्रैंथ रिव्यू के पश्चात् आदेश दिनांक 27-4-93 को प्रसारित किये गये हैं तथा राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा में आदेश निम्नांकित तिथियों को प्रसारित किये गये हैं :—

1.	सहायक लेखाधिकारी	22-9-87
2.	लेखाकार	10-11-87
3.	कनिष्ठ लेखाकार	19-11-87

तहसील मुख्यालयों पर उप कोष कार्यालयों का सृजन

196. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) : क्या मुख्य (वित्त) मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि तहसील मुख्यालयों पर उप कोष कार्यालय खोले गये हैं ? यदि हां, तो नागौर जिले में कौन-कौन से तहसील मुख्यालयों पर ?

(2) जो तहसील मुख्यालय इस सुविधा से वंचित हैं उनमें नागौर जिले के कौन-कौन से तहसील मुख्यालय हैं ?

(3) जो नये उपकोष कार्यालय खोला जाये उसके लिये वर्कलोड कितना होना चाहिये तथा इसका असेसमैंट कब कराया गया ? नागौर जिले में जहां यह सुविधा अभी तक नहीं है उनके असेसमैंट का नतीजा क्या रहा ?

(4) नागौर जिले में जिन तहसील मुख्यालयों पर यह सुविधा नहीं है वहां

(श्री हरजीराम बुरड़क)

कब तक यह सुविधा उपलब्ध करा दी जायेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। वर्तमान में नागौर जिले में तहसील डीडवाना, नावां, मेड़ता, परबतसर, डेगाना, जायल और लाडनूं में उपकोष हैं।

(2) नागौर जिले में नवसृजित तहसील खींवसर तथा मकराना में अभी तक उपकोष नहीं खोले गये हैं।

(3) प्रत्येक तहसील मुख्यालय पर उपकोष कार्यरत हैं। इसके लिये उपकोष कार्यभार का आकलन आवश्यक नहीं है। नागौर जिले की नवसृजित तहसील मकराना एवं खींवसर मुख्यालयों पर अभी उपकोष की सुविधा नहीं है।

(4) तहसील खींवसर तथा मकराना को उपकोष कार्य करने के लिये मामला विचाराधीन है।

जयपुर में पदस्थापित भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी

197. **श्री भीमराज भाटी** (पाली) : क्या मुख्य (सामान्य प्रशासन) मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भारतीय प्रशासनिक सेवा के जयपुर में कितने अधिकारी पदस्थापित हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इन प्रशासनिक अधिकारियों के निवास व कार्यालय में कितने-कितने दूरभाष संस्थापित हैं ?

(3) इन अधिकारियों के जनवरी, 1994 से जनवरी, 1996 तक कार्यालय तथा निवास के दूरभाषों पर कितना-कितना बिल आया ? प्रत्येक की पृथक-पृथक जानकारी सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सूची संलग्न है। (परिशिष्ट–क)

(2) जानकारी संलग्न सूची परिशिष्ट 'ख' में अंकित कर दी गयी है।

(3) सूचना परिशिष्ट 'ख' पर संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

ब्यावर में मजदूर किसान शक्ति संगठन का आन्दोलन

198. **श्री लक्ष्मण सिंह रावत** (भीम) : क्या मुख्य (सामान्य प्रशासन) मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सूचना के अधिकार को लेकर एक सामाजिक संस्था मजदूर किसान शक्ति संगठन ने कुछ समय पूर्व ब्यावर व जयपुर में आन्दोलन किया था तथा सरकार को ज्ञापन भी प्रस्तुत किया था ? यदि हां, तो उक्त आन्दोलन व

(श्री लक्ष्मण सिंह रावत)

ज्ञापन पर सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया ?

(2) क्या सरकार ने सूचना के अधिकार को सिद्धान्त रूप से स्वीकार कर लिया है ? यदि हां, तो कब से ?

(3) सरकार ने उपरोक्त सिद्धान्त की क्रियान्विति हेतु अब तक क्या कदम उठाये हैं ?

(4) सरकार उपरोक्त दिशा में जिला/उपखण्डीय स्तर पर क्या व्यवस्था करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1-4) यह सही है कि सूचना के अधिकार को लेकर मजदूर किसान शक्ति संगठन ने माह अप्रेल, 1996 में ब्यावर में धरना दिया था। कुछ दिनों बाद आन्दोलनकारियों ने धरना स्वयं उठा लिया। इस प्रकार के अधिकार के बारे में कोई केन्द्रीय अथवा राज्य स्तर पर कानून बना हुआ नहीं है फिर भी राज्य सरकार ने दिनांक 6-4-96 को आदेश जारी कर किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा 5/– का निरीक्षण शुल्क जमा कराने पर उनको निर्माण कार्यों के मस्टररोल तथा वाउचर दिखा दिये जाने के बारे में पंचायती राज संस्थाओं को निर्देश जारी किये।

अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 17-6-96 को एक समिति का गठन किया गया है जो निर्माण कार्यों की सूचना उपलब्ध कराने व फोटो प्रति के विभिन्न पहलूओं पर जांच कर सरकार को अपने सुझाव देगी। समिति की अनुशषा आने के बाद ही सरकार द्वारा इस बारे में और आगे विचार किया जा सकेगा।

विधवाओं/परित्यक्ताओं को राज्य सेवा

199. श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) : क्या मुख्य (कार्मिक) मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधवाओं एवं परित्यक्ताओं को सरकारी सेवा में लेने का क्या प्रावधान है तथा कौन-कौन से विभागों में उन्हें नौकरी दी जाने की व्यवस्था है ?

(2) राजस्थान में कुल कितनी विधवाओं/परित्यक्ताओं के आवेदन कहां-कहां पर लम्बित हैं ?

(3) ऐसे प्रकरण कब तक निपटा दिये जाएंगे ?

उत्तर

(1) विधवाओं एवं परित्यक्ताओं को सरकारी सेवा में लेने के लिये मात्र शिक्षा विभाग एवं ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग में ही निम्नानुसार विशेष प्रावधान हैं :—

शिक्षा विभाग

1. राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम, 1971 के नियम 11 में निम्न प्रावधान हैं :—

मुख्य (कार्मिक) मन्त्री)

"विधवाओं एवं विछिन्न विवाह महिलाओं को अध्यापक या वरिष्ठ अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु एस. टी. सी या बी. एड. की अर्हताओं में छूट प्रदान की जाएगी यदि वे अन्यथा पात्र हों और यह परिवचन दे दें कि वे एस. टी. सी. या बी. एड. की अर्हताऐं जो भी सुसंगत हो, तीन वर्ष की कालावधि के भीतर अभिप्राप्त कर लेंगी। वे अपनी नियुक्ति के तुरन्त पश्चात् एस. टी. सी. या बी. एड. की अर्हताएं अर्जित करने हेतु, अध्ययन छुट्टी स्वीकृत किये जाने के लिये भी पात्र होंगी।

गामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

2. राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद सेवा नियम, 1959 के नियम 11 में निम्न प्रावधान हैं :—

"विधवाओं और विछिन्न महिलाओं को अध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिये एस. टी. सी. की अर्हता से शिथिलता दी जाएगी यदि वे अन्यथा अर्ह हैं और इस प्रभाव का वचनबध प्रस्तुत कर देती हैं कि एस. टी. सी. की अर्हता तीन वर्ष की कालावधि के भीतर प्राप्त करली जायेगी। वे उनकी नियुक्ति के तुरन्त पश्चात् एस. टी. सी. की अर्हता प्राप्त करने के लिये, अध्ययन छुट्टी स्वीकृत किये जाने के लिये भी अर्ह होंगी।

उपर्युक्त दो विभागों सहित राज्य के सभी विभागों में सभी संबद्ध पदों पर पात्रतानुसार, रोजगार कार्यालयों से बिना नाम मंगाये ही नियुक्ति अधिकारी सीधे ही नियुक्ति करने को प्राधिकृत हैं। ऐसी महिलाओं से प्राप्त ऐसे आवेदनों के निपटारे में अन्य आवेदकों की तुलना में प्राथमिकता दी जायेगी।

(2) ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अधीन विभिन्न जिला परिषदों में विधवाओं/परित्यक्ताओं के 111 आवेदन पत्र लम्बित हैं जिनकी सूची संलग्न है (परिशिष्ट "क")

(3) लम्बित प्रकरणों को परीक्षण करने के बाद निपटाने की कार्यवाही सम्बन्धित जिला परिषदों में जिला स्थापना समिति द्वारा सामान्य प्रक्रिया के तहत चल रही है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

नागौर जिले में संचालित शराब की दुकानें

200. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) : क्या मुख्य (आबकारी) मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नागौर जिले में कौन-कौन से शराब के ठेकेदार हैं तथा कहां-कहां पर शराब की लाइसेंसशुदा दुकाने हैं ? तहसीलवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री हरजीराम बुरडक)

(2) जिला नागौर में ठेकेदारों द्वारा बिना लाइसेंस की दुकानें कहां-कहां चलाई जा रही हैं ? तहसीलवार सूचना सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि ठेकेदारों द्वारा जो बिना लाइसेंस की दुकानें चलाई जा रही है उनके विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये आबकारी विभाग ने कोई छापा मारा है और उनके विरुद्ध कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो चालू वर्ष और पिछले वर्ष में कहां-कहां पर छापा मारा गया और उसका परिणाम क्या रहा ? तहसीलवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) जिला स्तर पर शराब की दुकानों के स्थानों के बारे में विचार करने के लिये सरकार द्वारा गठित समिति का गठन कब हुआ तथा उसकी कब-कब बैठकें हुई एवं उसमें कौन-कौन से मामलों पर विचार किया गया ?

उत्तर

(1) नागौर जिले में शराब के 7 समूह है। 6 समूह ठेकेदारों द्वारा संचालित है तथा एक समूह नावां कुचामन मै. गंगानगर शुगर मिल्स द्वारा संचालित किया जा रहा है। इस छह समूहों के ठेकेदारों के नाम निम्न प्रकार है :—

I. **नागौर-जायल समूह (तहसील नागौर एवं जायल)**

(1) श्री रणजीतसिंह पुत्र गोपालसिंह, नि. चंडालिया तहसील परबतसर

(2) श्री श्रवणसिंह पुत्र सोरानसिंह, नि. डी-8 वैशाली नगर, जयपुर

(3) श्री शेरसिंह पुत्र सोरानसिंह, डी-8 वैशाली नगर, जयपुर

II. **डेगाना समूह (डेगाना तहसील)**

(1) श्रीमती भगवती देवी पत्नी जगदीश प्रसाद ग्राम पालडी जोड तहसील बाली

(2) श्री जगन्नाथ टांक पुत्र मांगीलाल टांक ग्राम टाटोरी तहसील सरवाड़

(3) श्री मोहनदास पुत्र चन्द्रदास ग्राम ढाणीपुरा तहसील डेगाना।

III. **डीडवाना समूह (तहसील डीडवाना)**

(1) श्री सीताराम पुत्र जीवराज निवासी जवाहरनगर, अजमेर

(2) श्रीमती गीता देवी पत्नी अशोक कुमार निवासी रोहट जिला पाली

IV. **लाडनूं समूह (तहसील लाडनूं)**

(1) श्री अनवरअली पुत्र करने खां, तह. कुचीलपुरा, बीकानेर

V. **परबतसर मकराना समूह (तहसील परबतसर)**

(1) श्री सोनसिंह पुत्र गिरधारीसिंह, निवासी चंडालिया तहसील परबतसर

(2) श्रीमती मुमताज बानो पत्नी बदरुद्दीन, रेलवे स्टेशन के पास, सरदारशहर

(3) श्रीमती ताजकंवर पत्नी गंगासिंह, निवासी चंडालिया तहसील परबतसर

VI. **मेड़ता समूह (तहसील मेड़ता)**

(1) श्री बद्रीप्रसाद पुत्र बीजराज, निवासी रोहट जिला पाली

(मुख्य (आबकारी) मन्त्री)

तहसील वाइज दुकानें

नागौर तहसील की देशी मदिरा दुकाने

1. मानासर–चूंगीनाका, 2. मून्डवा, 3. कुचेरा, 4. माही गेट नागौर, 5. दिल्ली गेट नागौर, 6. कुम्हारी गेट नागौर, 7. नकासगेट नागौर 8. तहसील चौक नागौर, 9. रोडवेज डिपो के पीछे नागौर, 10. बाइपास चौराहा नागौर, 11. नेहरू कॉलोनी नागौर, 12. रेलवे स्टेशन नागौर, 13. बासनी रोड नागौर, 14. रूण, 15. कुचेरा, 16. खींवसर, 17. पांचोड़ी, 18. शंखवास, 19. कडलू, 20. कुचेरा, 21. भावण्डा, 22. बासनी, 23. बिरलोक, 24. कुचेरा, 25. खजवाना, 26. अलाय, 27. श्री बालाजी, 28. गौराऊ।

भारत निर्मित विदेशी मदिरा दुकानें तहसील नागौर

1. मुण्डवा, 2. कुचेरा, 3. खींवसर, 4. नागौर नं. 1, 5. नागौर नं. 2

जायल तहसील की देशी मदिरा दुकानें

1. जायल, 2. रोस, 3. तरनाऊ, 4. डेड, 5. खाटूबडी, 6. सूरपालिया, 7. रेलवे स्टेशन खाटूबडी

डीडवाना तहसील
देशी मदिरा दुकानें

1. डीडवानानं. 1, 2. डीडवाना नं. 2 3 मोलासर, 4. खुनखुना, 5. बांठडी, 6. छोटी खाटू, 7. मारवाड़ बालिया, 8. ओकोदा, 9. तोषिणा, 10. कोलिया, 11. खोखारोकावास, 12. दौलतपुरा 13. सिघाणा, 14. ललासरी, 15. डाबडा, 16. सुपका, 17. विचक, 18. निमोद, 19. ठाकरियावास।

भा. नि. वि. मदिरा दुकानें

1. डीडवाना नं. 1, 2. डीडवाना नं. 2, 3. छोटी खाटू।

डेगाना तहसील
देशी मदिरा की दुकानें

1. बाइपुरा डेगाना, 2. पालडी कांदा, 3. आलनियावास, 4. थांबला, 5. हरसौर, 6 चांदारूण, 7. बुटाटी, 8. डेगाना नं. 2, 9. सांजू, 10. डेगाना इडवा रोड, 11. सेवदा, 12. इडवा, 13. बिखरणिया, 14. सारण्डा, 15. थांवला नं. 2, 16. देवला मागा, 17. किरोदा, 18. निम्बडीकलां।

भा. नि. वि. मदिरा की दुकानें

1. बाइपुरा डेगाना, 2. डेगाना नं. 2, 3. थांबला, 4. हरसौर।

मेड़ता तहसील
देशी मदिरा की दुकानें

1. मेड़तासिटी नं. 1, 2. मेड़तासिटी नं. 2, 3. मेड़तारोड़, 4. गोटन, 5. पादूबड़ी, 6. रियांबड़ी, 7. गोटन नं. 2, 8. बाइपुरा मेड़तारोड़।

भा. नि. वि. मदिरा की दुकानें

1. मेड़ता सिटी नं. 1, 2. मेड़तारोड़।

(मुख्य (आबकारी) मन्त्री)

परबतसर तहसील

देशी मदिरा की दुकानें

1. परबतसर, 2. मकराना, 3. मकराना घाटी मकराना, 4. पेट्रोलपम्प मकराना, 5. गुणावती मकराना, 6. बरूण, 7. पीलवा, 8. बोरावड़, 9. बेसरोली, 10. गच्छीपुरा, 11. बड़ू, 12. जाबेबा (जाबेला), 13. बुडसू, 14. भकरी, 15. रीड़, 16. कालेटडा, 17. पट्टी डोबरिया, 18. चावंडिया, 19. कालानाडा, 20. कोलाडूंगरी, 21. खोखरे 22. कीबलान ।

भा. नि. वि. मदिरा की दुकानें

1. परबतसर, 2. बोरावड़, 3. मकराना ।

(2) ठेकेदारों द्वारा बिना लाइसेंस लिये दुकानें संचालित नहीं की जा रही हैं। लाइसेंस लेने के बाद ही दुकानें चलाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(3) बिना लाइसेंस लिये कोई भी दुकान जिला नागौर में संचालित नहीं की जा रही है। अवैध रूप से मदिरा विक्रय को रोकने के लिये पिछले वर्ष 25 अभियोग बने थे तथा चालू वर्ष में 24 अभियोग बनाये गये हैं यह अभियोग वृत्त डीडवाना, नांवा, नागौर तथा मेड़ता में बनाये गये हैं।

वर्ष 95–96

1. नागौर तहसील के ग्राम अहमदपुरा, टांकला, मेणउ तथा गवारियो का मोहल्ला नागौर ।

2. जायल तहसील के ग्राम सूरपालिया, कमेडियां ।

3. मेड़ता तहसील के ग्राम मेड़तासिटी, डांगवास ।

4 परबतसर तहसील के ग्राम बरवाला, जसवंतपुरा मकरी ।

5. डीडवाना तहसील के ग्राम ढाकरीयावास, खारखालिया ।

6. लाडनूं तहसील के उदरासर, मंगलपुरा, तंवरा, टोकी चंदराई, मिडासरी, जैसलान, सीलनवाद, निम्न बिजाया, वाकलिया, बालसमन्द तथा खटीक मोहल्ला लाडनूं में छापे मारकर अभियोग पंजीकृत किये गये जो न्यायालय में विचाराधीन हैं।

7. नांवा तहसील के आनन्दपुरा ।

8. डेगाना तहसील—शून्य ।

वर्ष 1996–97

1. नागौर तहसील–खियास, बछधारी, सरवास, पांचला, बसवान ।

2. जायल तहसील—रोहिणा, बुरड़ी ।

3. नांवा तहसील— चितावा ।

4. परबतसर तहसील—यूथ हाउस मकराना ।

5 लाडनूं तहसील—सावंराद, जसवंतगढ़ ।

6. डीडवाना तहसील–दौलतपुरा रोही, बरागना, बावड़ी ।

(मुख्य (ग्राबकारी) मन्त्री)

7. मेड़ता तहसील-मेड़तारोड़, खेडूली, ददवाड़ी, नोखाचांदावता।

8. डेगाना तहसील-मिठड़या, जसवंतपुरा, चोसली, दौलतपुरा, लाडपुरा।

उपरोक्त ग्रामों में छापे मारकर ग्राबकारी ग्रधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किये गये। ग्रभियोग न्यायालयों में विचाराधीन हैं।

(4) राज्य सरकार के ग्रादेश क्रमांक प. 20 /वित्त/ग्राब/95 दिनांक 17-4-95 से समिति का गठन हुग्रा जिला नागौर में इसकी बैठक जिलाधीश द्वारा दिनांक 5-12-95 को आयोजित की गयी तथा लोकेशन के लिये 4 परिवादों पर विचार कर निर्णय लिया गया था इन मामलों का विवरण निम्न प्रकार है :—

1. **ग्रखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सुजानगढ़ की ग्रोर से सुजला महाविद्यालय के समीप से शराब की दुकान हटाने बाबत।**

जिला आबकारी ग्रधिकारी द्वारा यह अवगत कराया गया कि देशी मदिरा उप-दुकान जसवंतगढ़ ग्राबकारी नियमों के तहत स्वीकृत दुकान है। यह परिवाद सुजानगढ़ के ठेकेदार द्वारा आपसी व्यापारिक प्रतिस्पर्धा के कारण हो रहे हैं। इस प्रकरण पर पूर्व में सतर्कता समिति में विस्तृत विचार-विमर्श एवं जांच की गयी। उप जिला दण्डनायक डीडवाना, उप-अधीक्षक पुलिस डोडवाना से भी इसकी रिर्पोट ली जाकर प्रकरण सतंकता समिति से दिनांक 16-9-95 को समाप्त कर दिया गया।

2. **देशी मदिरा दुकान मंगरावास वार्ड नं. 3 लाडनूं**

यह परिवाद श्री सम्पतिसिंह चारण वार्ड नं. 3 लाडनूं नगरपालिका मण्डल द्वारा प्रस्तुत किया गया। ग्राबकारी विभाग की रिर्पोट के ग्रनुसार स्कूल व मन्दिर की दूरी नियमों में बताये ग्रनुसार देशी मदिरा दुकान 80 × 100 के प्लाट में चल रही है जिसके चारों ग्रोर लगभग 6-7 फुट ऊंची दीवार बनी हुयी है। जन सामान्य को दुकान से कोई तकलीफ नहीं है यह परिवाद निहित स्वार्थ के कारण करवाया गया। दुकान नियमानुसार नियमानुकूल स्थल पर होने से सर्व सम्मति से अध्यक्ष महोदय ने परिवाद को समाप्त करने के निर्देश दिये।

3. **देशी मदिरा दुकान सीलनवाद परिवाद श्री राम बेडा सरपंच ग्राम पंचायत सीलनवाद द्वारा किया गया। गांव से ग्रवैध मदिरा दुकान हटाने बाबत।**

परिवाद में ग्रंकित व्यक्ति श्री रामसिंह राव के मकान की तलाशी दिनांक 29-11-95 को ली गयी। तलाशी में चार बोतल सादा शराब बरामद हुई। चार बोतल शराब व्यक्तिगत कब्जे में रखने की छूट होने से कोई ग्रभियोग पंजीकृत नहीं हुग्रा। श्री रामसिंह ने बताया कि वह ग्रपने निजी प्रयोग के लिये लाडनूं ठेके से शराब खरीद कर लाया। आबकारी निरीक्षक, डीडवाना को निर्देशित किया जा चुका है कि ग्राम सीलनवाद में ठेकेदार द्वारा अवैधानिक रूप से

(मुख्य (आबकारी) मंत्री)

बिक्री नहीं की जावें तलाशी फर्द जिलाधीश को प्रस्तुत की गयी। कार्यवाही नियमानुसार होने से सर्वसम्मत्ति से अध्यक्ष महोदय ने प्रकरण समाप्त करने के निर्देश दिये।

4. **देशी मदिरा दुकान मोलासर** :– देशी मदिरा दुकान मोलासर स्वीकृत है। परिवाद दुकान के लोकेशन से सम्बन्धित नहीं होकर लिछमनराम द्वारा शराब उधार न देने व बिल न देने बाबत–ठेकेदार का नाम, पता पूछे जाने पर उसके साथ मारपीट हुई। अतः उसने परिवाद किया कि शराब की दुकान एवं मीट की दुकान हटाई जावे। चूंकि परिवाद दुकान की लोकेशन के सम्बन्ध में नहीं था अतः सर्वसम्मति से अध्यक्ष महोदय ने प्रकरण समाप्त किये जाने का निर्देश दिया।

लम्बी अवधि से कारागृहों में बन्द कैदियों की मुचलकों पर रिहाई

201. **श्री शांतिकुमार धारीवाल** (हिण्डोली) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश की विभिन्न कारागृहों में अपहरण, चोरी, धोखाधड़ी, दंगाफसाद, सीमा-शुल्क, कानून व शस्त्र कानून के तहत पकड़े गये लोगों की संख्या कितनी है जो गत एक साल से बिना किसी सुनवाई के जेलों में बंद हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार ऐसे कैदियों को जो काफी लम्बे समय से जेलों में बंद हैं और जमानत पेश करने की स्थिति में नहीं हैं, उन्हें निजी मुचलकों पर रिहा करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) गत एक साल से बिना सुनवाई के कारागृहों में बंद अपहरण, चोरी, धोखाधड़ी, दंगा फसाद, सीमा शुल्क कानून व शस्त्र कानून के अन्तर्गत कोई बंदी नहीं है।

(2) जी, नहीं। क्योंकि जेल में बंदी न्यायालय के आदेशों से आता है इस सम्बन्ध में निर्णय न्यायालय ही ले सकता है।

राज्य में खानों से आय

202. **श्री कालूलाल गूजर** (मांडल) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में खानों से सभी प्रकार की वार्षिक आय वर्ष 1985 से 31 मार्च, 1996 तक कुल कितनी हुई? वर्षानुसार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 1985 से 1995–96 तक किस वर्ष में सर्वाधिक आय हुई और यह आय किन कारणों से बढ़ी?

उत्तर

(1) राजस्थान के खान विभाग को सभी मदों में वर्ष 1985–86 से दिनांक 31-3-1996 तक कुल आय रुपये 1,19,841·53 लाख रही। वर्षवार विवरण संलग्न है।

(2) वर्ष 1985–86 से 1995–96 की अवधि में सर्वाधिक आय रुपये

(खनिज मंत्री)

21,369·81 लाख वर्ष 1995–96 में हुई, जिसका मुख्य कारण कुछ खनिजों के उत्पादन में बढ़ोतरी कुछ सीमा तक अप्रधान खनिज की रायल्टी दरों में परिवर्तन तथा विभाग द्वारा वसूली में किये गये अथक प्रयास हैं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-4 देखें)

जोधपुर संभाग की खानों में अवैध खनन

203. श्रीमती सूर्यकांता व्यास (जोधपुर) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जोधपुर संभाग में अवैध खनन करने वालों पर राशि बकाया है ? यदि हां, तो कितनी ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या अवैध खनन करने वालों के नाम वैध खानें भी हैं ? यदि हां, तो किस-किस नाम से ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार अवैध खननकर्त्ताओं से बकाया राशि वसूल करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(4) क्या अवैध खनन की राशि वसूल नहीं करने से अवैध खनन करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी ? यदि हां, तो अवैध खननकर्त्ताओं से बकाया राशि कब तक वसूल कर ली जाएगी ? वसूली में शिथिलता बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां। जोधपुर संभाग में अवैध खनन करने वालों पर रु० 95,71,195/– की राशि बकाया है। जिसकी सूची परिशिष्ट–1 पर संलग्न है।

(2) जी, हां। अवैध खनन करने वाले पट्टाधारियों के नामों की सूची परिशिष्ट–2 पर संलग्न है।

(3) जी, हां। अवैध खननकर्त्ताओं से बकाया राशि की वसूली नियमानुसार की जा रही है।

(4) अवैध खनन की बकाया राशि की वसूली हेतु सभी यथासंभव कार्यवाही की जा रही है। लेकिन अवैध खननकर्त्ताओं के सही नाम और पते प्राप्त करने में कठिनाई होती है और सही नाम और पते न होने पर उनकी सम्पत्ति का पता लगाना संभव नहीं हो पाता है, अतः वसूली में देरी होना स्वाभाविक है। मौके पर जो व्यक्ति मिलते हैं, वे सही नाम पता नहीं बताते हैं। सभी अधिकारियों द्वारा वसूली की कार्यवाही नियमानुसार की जा रही है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–5 देखें)

जिला जयपुर एवं सीकर में दर्ज हत्या प्रकरण

204. श्री बनवारी लाल भिण्डा (फतेहपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जनवरी, 1995 से अब तक जयपुर एवं सीकर जिले एवं शहर में पृथक्-पृथक्

(श्री बनवारी लाल भिण्डा)

कितनी हत्याएं हुई, कितनों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ, कितने मुल्जिमान को पकड़ा जा चुका है, कितनों की तलाश जारी है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त हत्याओं में शेष मुल्जिमों को कब तक पकड़ा जाकर सभी मामलों में चालान पेश कर दिये जायेंगे ?

(3) क्या सरकार उक्त हत्याओं को रोकने हेतु कोई ठोस कदम उठाने जा रही है ? यदि हां, तो क्या और कब तक ?

उत्तर

(1) सूचना संलग्न परिशिष्ट "क" में अंकित है।

(2) शेष मुलिजमानों की तलाश जारी है। शीघ्र ही पकड़े जाकर उनके विरूद्ध चालान न्यायालय में पेश किये जावेंगे।

(3) हत्या जैसे अपराध की रोकथाम हेतु समय-समय पर निरोधात्मक कार्यवाही की जाती है। गश्त का माकूल इन्तजाम किया जाकर असामाजिक तत्वों के विरूद्ध सख्त कानूनी कार्यवाही भी की जा रही है।

(सूचना के लिये कृपया परिशिष्ट-6 देखें)

गांव तालाचेड़ी (दौसा) का कमलेशी शर्मा हत्याकाण्ड

205. श्री परसादी लाल मीणा (लालसोट): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या दौसा जिले के थाना सलेमपुर के तालाचेड़ी गांव में कमलेशी शर्मा हत्याकाण्ड में अपराधियों की गिरफ्तारी कर ली गयी है ? यदि हां, तो अपराधियों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार कमलेशी शर्मा हत्याकाण्ड की जांच सी.बी.आई. से करवाने का विचार रखती है ? यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, नहीं।

(2) जी, नहीं।

एम्फोर्ट एग्रो फाइनेंस लि., पर मकान किराये की बकाया राशि

206. श्री अरुण सिंह (डीग) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पुलिस थाना अशोक नगर, जयपुर ने एम्फोर्ट एग्रो फाइनेंस लि., के किराये पर लिये गये कार्यालयों को दिनांक 2 जुलाई, 1994 को सील किया था ? यदि हां, तो आज तक उक्त कार्यालय भवन किसके कब्जे में है ?

(2) उक्त किराये के कार्यालय भवनों का दिनांक 2 जुलाई, 1994 से आज तक का किराया क्या सरकार ने मकान मालिकों को चुका दिया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? इस अवस्था में किराया देने की जिम्मेदारी किसकी है ?

(3) उक्त कम्पनी के संरक्षक कौन थे ?

उत्तर

(1) जी, नहीं। चूंकि कम्पनी के दस्तावेज संबंधित न्यायालय में तथा भविष्य में

(गृह मन्त्री)

संभावित लिक्वीडेटर को कानूनी रूप से सुपुर्द किये जाने थे, अतः उन दस्तावेजों एवं कम्पनी कार्यालय भवनों में रखे गये सामान की सुरक्षा हेतु पुलिस गार्ड अवश्य लगायी गयी थी।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता। एम्फोर्ट कम्पनी के कार्यालय भवनों के किराया देने का सम्बन्ध लिक्वीडेटर की नियुक्ति से पूर्व स्वयं कम्पनी का था चूंकि उच्च न्यायालय के आदेशानुसार इस कम्पनी पर लिक्वीडेटर की नियुक्ति हो चुकी है अतः किराये का सम्बन्ध कम्पनी एवं लिक्वीडेटर के मध्य है। सरकार का किराये के सम्बन्ध में किसी प्रकार का कोई उत्तरदायित्व नहीं है।

(3) एम्फोर्ट एग्रो फाइनेंस कम्पनी जयपुर, भारतीय कम्पनी अधिनियम के तहत पंजीकृत पूर्णतया निजी कम्पनी है जिसके मैमोरण्डम ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में प्रबन्ध निदेशक एवं निर्देशकों का ही उल्लेख है। इसका कोई अन्य संरक्षक नहीं था।

जिला सवाई माधोपुर में नये थानों का सृजन

207. **श्री रामस्वरूप मीणा** (टोडाभीम) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार राजस्थान में जनसंख्या के बढ़ते हुये दबाव तथा बढ़ते हुये अपराधों को देखते हुये थानों की संख्या बढ़ाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कहां-कहां ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला सवाई माधोपुर में कुल कितने थाने एवं चौकियां हैं ? क्या सरकार ने थानों एवं चौकियों के भवन निर्माण की कोई योजना बनायी है ? यदि हां, तो भवन कब तक बना दिये जायेंगे ?

(3) क्या सरकार थानों में नये हथियार एवं नये संसाधन देने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या राज्य में आतंकवादी गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं ? यदि हां, तो अब तक कितनी घटनाएं हुई हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) आतंकवाद को रोकने हेतु सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(1) जी, हां। राज्य सरकार ने राजस्थान पुलिस के पुनर्गठन की एक विस्तृत योजना बनायी है जिसके अन्तर्गत वर्ष 1995-96 में राज्य में 21 पुलिस थाने, 25 पुलिस चौकियां स्वीकृत की गयी हैं। विवरण परिशिष्ट "क" संलग्न है।

(2) जिला सवाईमाधोपुर में कुल 24 पुलिस थाने एवं 18 पुलिस चौकियां हैं। थानों एवं चौकियों के भवनों की आवश्यकता का आंकलन किया जाकर वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर उनके निर्माण का कार्य किया जावेगा।

(गृह मन्त्री)

(3) जी, हां। राज्य सरकार द्वारा पुलिस थानों में आधुनिक हथियार एवं अन्य संसाधन उपलब्ध कराने के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धि के आधार पर किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 1995-96 में 400 नई राइफलें तथा 7.62 एम.एम. की राइफलें पुलिस बल के लिये क्रय की गयी है एवं नये क्रमोन्नत पुलिस थानों को वायरलेस व टेलीफोन उपलब्ध कराये जा रहे हैं।

(4) राज्य में आतंकवाद से सम्बन्धित वर्ष 1995 में 4 अपराध जयपुर शहर में दर्ज हुए तथा वर्ष 1996 में दो मुकदमें दर्ज हुए एक बम विस्फोट की घटना जयपुर के पुलिस थाना गांधीनगर क्षेत्र में व एक बम विस्फोट की घटना रोडवेज बस में घटित हुयी जो मुकदमा पुलिस थाना महुआ जिला दौसा में दर्ज हुआ।

आतंकवाद की रोकथाम के लिये

1. सीमावर्ती जिलों में रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाया जाता है जिसका क्षेत्र गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर जिलों में एक किलोमीटर रखा गया है जबकि जैसलमेर जिले में 5 किलोमीटर का क्षेत्र रखा गया है।

2. संदिग्ध व्यक्तियों से संयुक्त रूप से पूछताछ करने हेतु जोधपुर, बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर व बाड़मेर जिलों में संयुक्त पूछताछ केन्द्रों की स्थापना की गयी है।

3. पुलिस एवं सीमा गुप्तचरी पोस्टों का सुदृढ़ीकरण किया गया है।

4. सीमा पर कार्य सभी एजेंसियों के समन्वय हेतु गोष्ठियां आयोजित की जाती हैं जिनमें सूचनाओं का आदान-प्रदान किया जाता है।

5. सीमा पर कार्यरत सभी एजेंसियों द्वारा सामूहिक गश्त, नाकाबन्दी, दबिश आदि का आयोजन किया जाता है।

6. भारत सरकार द्वारा सीमा पर जैसलमेर एवं बाड़मेर जिले में तारबन्दी एवं प्रकाश व्यवस्था का कार्य करवाया जा रहा है।

7. सीमा पर कार्यरत पुलिस कर्मियों को आधुनिक हथियार उपलब्ध कराये गये हैं।

8. संचार एवं यातायात सुविधायें उपलब्ध करायी गयी हैं।

9. राष्ट्रीय राजमार्गों पर पुलिस गश्त बढ़ाई जाकर अवांछनीय गतिविधियों पर निगरानी रखी जा रही है।

10. रेलवे स्टेशन, बस स्टैंडों एवं संवेदनशील क्षेत्रों में सतर्कता हेतु उपर्युक्त पुलिस कर्मी लगाये जाते हैं।

11. आतंकवादी गतिविधियों से निपटने हेतु विशेष शाखा मुख्यालय पर एक पुलिस अधीक्षक स्तर का पद सृजित किया गया है जिसके अधीन एक ए. टी. सी. सैल स्थापित किया गया है। गंगानगर व जोधपुर जिले में भी ए. टी. सी. सैल खोले गये हैं।

(गृह मन्त्री)

12. पुलिस अधीक्षक (आप्रेशन) गंगानगर का पद गंगानगर से स्थानान्तरित कर पुलिस मुख्यालय, जयपुर पर किया गया है।

13 समस्त जिला पुलिस अधीक्षक/रेंज/जोन/वी. आई. अधिकारियों को समय-समय पर सतर्कता बरतने एवं निगरानी हेतु दिशा निर्देश जारी किये जाते हैं।

14 सीमावर्ती जिलों में टास्क फोर्स का गठन किया गया है तथा सभी जिलों में कार्य योजना बनायी गयी है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-7 देखें)

पाली जिले में भूमि रूपान्तरण

208. **श्री भीमराज भाटी** (पाली): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पिछले तीन वर्षों से पाली जिले में भूमि रूपान्तरण का कार्य सुचारू तरीके से नहीं किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो विभिन्न उपखण्डों के अनुसार भूमि रूपान्तरण की कितनी पत्रावलियों का पिछले तीन वर्षों में निस्तारण किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि पाली उपखण्ड में भूमि रूपान्तरण की एक भी पत्रावली का निस्तारण 1 जनवरी, 1994 के बाद अब तक नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों और इस बारे में सरकार की आगे की क्या कार्य योजना है ?

(3) क्या यह भी सही है कि पाली उपखण्ड में भूमि रूपान्तरण एवं विकास शुल्क की सैंकड़ों/हजारों पत्रावलियों की राशि आवेदकों ने जमा करा रखी है ? यदि हां, तो ऐसे आवेदकों के नामों की सूची सदन की मेज पर रखें। सरकार इन्हें कब तक निष्पादित करने का विचार रखती है ? समयबद्ध कार्यक्रम सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, नहीं। पाली जिले में भूमि रूपान्तरण सम्बन्धी कार्य सुचारू रूप से किया जाता रहा है। पिछले तीन वर्षों में उपखण्ड वाइज भूमि रूपान्तरण प्रकरणों का निस्तारण का विवरण निम्न प्रकार है :—

1. बाली	1102
2. सोजत	618
3. जैतारण	701
4. पाली	56
	2477

(2) जी, नहीं। पाली उप खण्ड में जनवरी, 1994 के बाद 36 प्रकरणों का निस्तारण किया गया।

(3) जी, हां। यह सही है कि पाली उपखण्ड के शहरी क्षेत्र में 1343 पत्रावलियों में आवेदकों द्वारा भूमि रूपान्तरण एवं विकास शुल्क की राशि जमा करा रखी है।

(राजस्व मन्त्री)

सूची संलग्न है। विचाराधीन प्रकरणों में निस्तारण की कार्यवाही जारी है। नगर परिषद से अनापत्ति में समय लग रहा है। कलक्टर को अभियान चलाकर निस्तारण के निर्देश दिये जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि संपरिवर्तन आदेश सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी किये जा रहे हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

पिण्डवाड़ा में गोचर भूमि की सुरक्षा

209. श्री प्रभूराम गरासिया (पिण्डवाड़ा) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या पिण्डवाड़ा राजस्व क्षेत्र में खसरा नं. 660 व 662 की भूमि को गोचर भूमि हेतु सुरक्षित किया गया है? बिनानी लिमिटेड हेतु भूमि अवाप्ति के बाद अब कितनी भूमि गोचर हेतु सुरक्षित है? बिनानी लिमिटेड के कब्जे में आज कुल कितनी भूमि है?

(2) क्या सुरक्षित गोचर भूमि में बिनानी सीमेंट लि. फैक्ट्री द्वारा ट्यूबवेल खोदे गये हैं? यदि हां, तो किसकी इजाजत से? तहसीलदार पिण्डवाड़ा ने बिना इजाजत ट्यूबवेल खोदने वालों के विरुद्ध क्या कदम उठाये ?

(3) बिनानी सीमेंट फैक्ट्री का सरकार ने कितनी भूमि आवंटित की है और वर्तमान में इस फैक्ट्री का कुल कब्जा कितनी भूमि पर है? आवंटित भूमि के अलावा अवैध कब्जे को हटाने के लिये तहसीलदार पिण्डवाड़ा ने क्या कार्यवाही की है? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) बिनानी सीमेंट कम्पनी को आवंटित भूमि की क्या नेखम बन्दी की गयी है? यदि हां, तो नेखम बन्दी कितनी भूमि पर की गयी है? अब गोचर भूमि से यह कब्जा कब तक खाली करा दिया जायेगा?

उत्तर

(1) जी हां। मौजा पिण्डवाड़ा के ख. नं 660 एवं 662 की कुल 295 बीघा भूमि आदेश क्रमांक प. 12. (3) (62) राज/94/1629–32 दिनांक 20–6–95 द्वारा गोचर हेतु सुरक्षित घोषित किया गया है।

(2) बिनानी लि. के आवंटन के बाद 1298 बीघा 10 बिस्वा भूमि गोचर हेतु सुरक्षित है। बिनानी लि. के कब्जे में आज 917 बीघा 3 बिस्वा भूमि है।

जी हां। मौजा पिण्डवाड़ा की गोचर भूमि खसरा नं. 660 एवं 662 पर बिनानी सीमेन्ट लि. द्वारा भू-जल विभाग के माध्यम से बिना इजाजत 5 ट्यूबवेल 8 इंच बोर के खुदवाये हैं। ट्यूबवेल खोदने के लिये किसी से इजाजत नहीं ली गयी है। तहसीलदार पिण्डवाड़ा द्वारा बिना इजाजत ट्यूबवेल खोदने के लिये बिनानी सीमेंट लि. के विरुद्ध धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर कार्यवाही

(राजस्व मंत्री)

प्रारम्भ की गयी है जो तहसीलदार पिण्डवाड़ा के यहां विचाराधीन है ।

(3) बिनानी सीमेंट लि. को उद्योग (ग्रुप–1) विभाग, राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक प. 4 (53) उद्योग/1/94 दिनांक 19–4–95 एवं समसंख्यक आदेश दिनांक 4–9–95 द्वारा कुल 920 बीघा 3 बिस्वा भूमि का आबंटन किया गया है । उक्त आबंटित भूमि में से 3 बीघा भूमि कम्पनी द्वारा राज्य सरकार के पक्ष में समर्पित करने से वर्तमान में 917 बीघा 3 बिस्वा भूमि पर फैक्ट्री का कब्जा है । आबंटित भूमि के अलावा गोचर हेतु सुरक्षित ख. नं. 660 एवं 662 की भूमि पर अवैध रूप से बिनानी लि. द्वारा 5 ट्यूबवेल खोदने से तहसीलदार पिण्डवाड़ा द्वारा विधिवत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत कार्यवाही प्रारम्भ की है ।

(4) बिनानी सीमेंट लि. को आबंटित 920 बीघा 3 बिस्वा भूमि का मौके पर नाप कर उद्योग विभाग के माध्यम से तहसीलदार पिण्डवाड़ा द्वारा कब्जा सुपुर्द किया गया है । जिसमें से 3 बीघा भूमि बिनानी लि. द्वारा पुनः राज्य सरकार को समर्पित करने से वर्तमान में बिनानी सीमेंट फैक्ट्री के कब्जे में 917 बीघा 3 बिस्वा भूमि है । बिनानी लि. द्वारा गोचर भूमि पर अवैध रूप से बिना इजाजत 5 ट्यूबवेल खोदने से उनके विरुद्ध धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत तहसीलदार पिण्डवाड़ा द्वारा कार्यवाही प्रारम्भ की है । न्यायालय के निर्णय अनुसार कार्यवाही की जायेगी ।

मौजा गैंवा तहसील जोधपुर की भूमि में राजस्व वाद

210. श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मौजा गैंवा तहसील जोधपुर के खसरा नं. 808 की भूमि का आबटन वर्ष 1967, 1974 एवं 1976 में नगर सुधार न्यास जोधपुर को राजकीय सिवाय चक भूमि आबंटन हेतु आबादी विस्तार के लिये जारी किया गया था ? क्या इन आदेशों को लेकर न्यास व विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विभिन्न अदालतों में मुकदमें दायर किए गये ? यदि हां, तो उन आदेशों एवं विभिन्न अदालतों के प्रकरणों में क्या परिणाम हुआ ? विवरण निर्णय की प्रति सहित सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि मौजा गैंवा तहसील जोधपुर की खसरा नं. 808 की भूमि के बारे में राजस्व वाद संख्या 142/89 व 143/89 दिनांक 2–5–1990 व 7–5–1990 को उपखण्ड अधिकारी जोधपुर ने न्यास द्वारा वर्ष 1990 में लिए गए विभिन्न प्रस्तावों के अनुसार निर्णीत किया एवं इन निर्णयों के विरुद्ध न्यास व सरकार की ओर से अपीलें राजस्व अपील अधिकारी, जोधपुर की अदालत में पेश की गई ? राजस्व अपील अधिकारी ने अपील/डिक्री/जोधपुर 72/93 व 73/93 में दिनांक 29-6–1995 को निर्णय पारित किया एवं अधीनस्थ अदालत का आदेश

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

बहाल रखा जिसके विरुद्ध सरकार की ओर से अपील राजस्व मण्डल अजमेर में पेश किए जाने के बावजूद भी न्यास द्वारा अपने पदाधिकारियों/राजनेताओं व उनके परिवारों को लाभ पहुंचाने की नियत से न्यास द्वारा दिनांक 9–1–1996 व 20–2–1996 को प्रस्ताव पारित कर भूमि का विनिमय अवैधानिक और अनियमित तौर पर किया ? अब सरकार इसे निरस्त किये जाने व दोषी अधिकारियों/पदाधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

(3) क्या यह सही है कि इसी भूमि को लेकर एक परिवाद संख्या प–16(2) लोआस/91 माननीय लोकायुक्त सचिवालय में दायर हुआ है ? क्या इसमें प्रतिवेदन सरकार को प्राप्त हुआ एवं उस पर क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। तहसील जोधपुर के ग्राम गैंवा के ख. नं. 808 की सिवायचक भूमि हेतु दिनांक [illegible]-1-67 व 10-9-74 एवं दिनांक 12-7-76 को आबादी विस्तार हेतु भूमि का आबंटन किया गया था। इन आदेशों को लेकर न्यास व विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विभिन्न अदालतों में मुकदमें दायर किये गये थे जिनका विवरण परिशिष्ट "अ" संलग्न है।

(2) जी, हां। उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर द्वारा वाद संख्या 142/89 बाबूखां बनाम सरकार व न्यास जोधपुर में मौजा गैंवा के ख. नं. 808 रकबा 51·2 बीघा भूमि के सम्बन्ध में दिनांक 2-5-90 को निर्णय पारित किया गया जिसमें खातेदारी अधिकार व डिक्री पारित की। इसके अनुसार आदेश में प्रस्ताव दिनांक 5-4-90 अनुसार मुआवजा पाने का अधिकारी घोषित किया। राजस्व वाद संख्या 143/89 विजय सिंह बनाम सरकार, न्यास व अन्य 4 में दिनांक 7-5-90 को आदेश मय डिक्री ख. नं. 808 रकबा 40 बीघा भूमि का खातेदार वादी विजयसिंह एवं अन्य प्रतिवादी नं. 3 व 4 जयसिंह मदनसिंह पिसरान गिरधारी सिंह को घोषित करने का पारित किया. उक्त दोनों आदेशों के विरुद्ध अपील संख्या अपील/डिग्री/जोधपुर/72 व 73 व 73/93 सरकार बनाम विजय सिंह व न्यास बनाम विजय सिंह, अपील डिक्री/जोधपुर/74/93 न्यास बनाम बाबूखां व सरकार अपील संख्या अपील/डिक्री/जोधपुर/75/93 सरकार बनाम बाबूखां व न्यास राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर में पेश की। राजस्व अपील अधिकारी, जोधपुर द्वारा निर्णय दिनांक 29-6-95 को निर्णीत कर उक्त उपखण्ड अधिकारी जोधपुर से आदेश दिनांक 2-5-90 व 7-5-90 को बहाल रखा।

राजकीय अधिवक्ता राजस्व अपील अधिकारी, जोधपुर ने उक्त अपीलेट कोर्ट के आदेशों की जानकारी दिनांक 6-10-95 को करवायी जिस पर तहसीलदार, जोधपुर को जिला कलक्टर, जोधपुर के पत्र दिनांक 10-10-95 अनुसार राजस्व मण्डल अजमेर में अपील पेश करने हेतु निर्देश दिये उक्त निर्देश की पालना में तहसीलदार, जोधपुर

(राजस्व मंत्री)

ने अपील राजस्व मण्डल अजमेर में दायर करवायी जिसमें तारीख पेशी 18-6-96 थी। न्यास द्वारा राजस्व मण्डल अजमेर में अपील पेश नहीं की गयी। विषयान्तर्गत प्रकरण में जिला कलक्टर से विस्तृत जांच करवायी जायेगी। रिपोर्ट प्राप्त होने पर दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। एवं राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में पत्र क्रमांक प 3(222) नविप्रा3/90 दि 25-4-96 को आदेश जारी कर दिये हैं जिसकी प्रति संलग्न है।

(3) जी, हां। प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध में परिवाद संख्या एफ. 16(2)लोग्रास/91 संस्थित हुआ था। इसमें प्रारम्भिक जांच में किसी भी लोक सेवक के विरूद्ध अन्वेषण का मामला नहीं पाये जाने पर प्रकरण नत्थीबद्ध कर दिया गया है। प्रकरण में कोई रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रेषित नहीं की गयी।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

बीकानेर जिले में कृषकों को खातेदारी पट्टे

211. श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि खाजूवाला, छतरगढ़, पूंगल, लूणकरणसर, बीकानेर तहसीलों के सिंचित क्षेत्र के काश्तकारों को किश्तें पूरी चुका देने पर खातेदारी पट्टे प्राप्त करने में बहुत परेशानियां व खर्चे बर्दाश्त करने पड़ते हैं ?

(2) क्या सरकार ऐसे काश्तकारों को खातेदारी पट्टा जारी करने में कोई सरल पद्धति अपनाने का निर्देश देगी ताकि सम्बन्धित काश्तकार को कोई परेशानी न उठानी पड़े ?

उत्तर

(1) जी, नहीं।

(2) इस सम्बन्ध में आयुक्त, उपनिवेशन बीकानेर एवं जिला कलक्टर, बीकानेर/जैसलमेर को पत्रांक 10(6 उप/86, दिनांक 21-12-95 को प्रक्रिया सरलीकरण के निम्न निर्देश दिये हैं :—

1. यदि भूमि के पेटे कोई बकाया नहीं है एवं शर्तों के उल्लंघन की शिकायत नहीं है तो अन्तिम बकाया राशि जमा करवाने की तिथि के 15 दिन के भीतर तहसील स्तर पर सनद् जारी करने हेतु विवरण पत्र आबंटन अधिकारी को भिजवा दिया जावे।

2. आबटन अधिकारी अगले 15 दिन में सनद् तैयार कर ले और आबंटी का पूर्ण पता उपलब्ध होने पर सनद् रजिस्टर्ड ए.डी. पत्र द्वारा आबंटी को भिजवावें तथा सनद् फीस की मांग कायम कर वसूल कर ली जावे।

3. जिन आबंटियों के प्रार्थना-पत्रों में पता अपूर्ण है, उनके सम्बन्ध में वर्तमान प्रक्रियानुसार कैम्प लगाकर सनद् जारी की जावे।

(राजस्व मंत्री)

काश्तकारों को परेशानी न उठानी पड़े, इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर यह निर्देश जारी किये गये हैं। वर्तमान में इसमें संशोधन करना अपेक्षित नहीं है।

विधान सभा क्षेत्र हिण्डौन में कृषि भूमि की खरीद पर कर

212. श्री कमल (हिण्डौन) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र हिण्डौन में कृषि भूमि क्रय किये जाने पर 13 प्रतिशत राजस्व कर वसूल किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या जमीन के बदले जमीन खरीदने पर कोई कर वसूल किया जाता है? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार ऐसे कर को समाप्त किये जाने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, नहीं। कृषि भूमि के क्रय किये जाने पर किसी तरह का राजस्व कर वसूल नहीं किया जाता।

(2) जी, नहीं।

(3) उत्तर के भाग-1 एवं 2 के अनुसार प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

तहसील डेगाना (नागौर) के उपस्वास्थ्य केन्द्र

213. श्री रिछपाल सिंह (डेगाना) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील डेगाना (नागौर) में कुल कितने उपस्वास्थ्य केन्द्र कार्यरत हैं ? सूची ग्रामवार सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान वर्ष 1996-97 के दौरान कितने नये उपस्वास्थ्य केन्द्र नागौर जिले में खोले जाने प्रस्तावित हैं ? सूची तहसीलवार पूर्ण विवरण सहित सदन की मेज पर रखें ?

(3) नागौर जिले में विभिन्न अस्पतालों, उपस्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों, मेल नर्सों, ए. एन. एम. आदि के कुल कितने पद रिक्त हैं ? विवरण तहसीलवार सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त रिक्त पदों की सरकार द्वारा कब तक पूर्ति कर दी जायेगी ?

उत्तर

(1) तहसील डेगाना (जिला नागौर) में 51 उप-स्वास्थ्य केन्द्र कार्यरत हैं, ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) वर्ष 1996-97 में वर्तमान में नागौर जिले में 8 उप-स्वास्थ्य केन्द्रों की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। स्वीकृत किये गये उप-स्वास्थ्य केन्द्रों के नामों की सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(3) नागौर जिले के विभिन्न अस्पतालों, उप स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों, मेलनर्स, ए. एन. एम. के कुल रिक्त पड़े पदों का विवरण तहसीलवार सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(4) चिकित्सकों के पद राजस्थान लोक सेवा आयोग से आरक्षित सूची से नाम प्राप्त होने पर तथा नर्सिंग संवर्ग के रिक्त

(राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य)

पद प्रशिक्षित अभ्यार्थियों के उपलब्ध होने पर भरा जाना सम्भव हो सकेगा।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

राज्य मे मलेरिया से ग्रस्त रोगी

714. श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश में वर्ष 1994–95 एवं 1995–96 में कुल कितने-कितने मलेरिया रोगियों के प्रकरण दर्ज किये गये तथा कितने लोगों की इस रोग से मृत्यु हुई। जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि थार रेगिस्तान क्षेत्र में नहरों से सिंचाई होने वाले क्षेत्रों में पानी रिसने से दलदल पैदा होने के कारण उक्त क्षेत्र मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों की नयी-नयी प्रजातियों को विकसित करने में मददगार साबित हो रहे हैं ?

(3) क्या यह सही है कि थार रेगिस्तान में कीटनाशक दवाइयों के छिड़काव की प्रक्रिया दोषपूर्ण होने से ससाधनों और श्रम की बर्बादी हो रही है वहीं उचित और सही मात्रा में कीटनाशकों का छिड़काव नहीं होने से मलेरिया वाहक मच्छरों का नाश होने की बजाय उनमें इन कीटनाशकों के खिलाफ प्रतिरोध क्षमता विकसित हो रही है ? यदि हां, तो सरकार इस महामारी की रोकथाम के क्या कारगर कदम उठाने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) वर्ष 1994 में मलेरिया से 241255 रोगी रोग ग्रस्त हुए तथा इनमें में 452 रोगियों की मृत्यु हुई। वर्ष 1995 में 250780 रोगी मलेरिया से ग्रसित हुए तथा 74 की मृत्यु हुई। वर्ष 1996 में जनवरी से 22 जून, 96 तक 32404 रोगी मलेरिया से ग्रसित हुए तथा 3 रोगियों की मृत्यु हुई। जिलेवार वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) यह सही नहीं है कि दलदल में मलेरिया फैलाने वाले मच्छर पैदा होते है। मलेरिया के मच्छर साफ व रुके पानी में अंडे देते हैं। तथा मलेरिया वाहक मच्छरों की प्रजातियां विशेषत: भौगोलिक परिस्थितियों की अनुकूलता के आधार पर ही जिले विशेष में पाई जाती हैं, इसी प्रकार थार रेगिस्तान के इलाकों में एनाफिलिज मच्छर की दो प्रजातियां एनोफिलिज क्यूलिसिफेसिस व एनोफिलिज स्टीफेंसाई पायी जाती है जिसके नियंत्रण हेतु कीटनाशक डी. डी. टी. आदि का छिड़काव किया जाता है।

(3) थार रेगिस्तान ही नहीं अपितु राज्य के समस्त जिलों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों एवं मापदंडों के आधार पर ही कीटनाशकों का छिड़काव कराया जाता है, अत: प्रक्रिया दोषपूर्ण नहीं है। कीटनाशकों के छिड़काव के कारण मलेरिया रोग फैलाने वाले मच्छरों में प्रतिरोधक क्षमता विकसित नहीं होती है, किन्तु यह मच्छरों के जेनेटिक परिवेश में आये परिवर्तन के कारण हो जाती है। राज्य में राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम

(राज्य मन्त्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य)

के अन्तर्गत निहित दिशा निर्देशों के आधार पर ही मलेरिया रोग के नियंत्रण हेतु उपाय किये जा रहे हैं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-8 देखें)

उदयपुर डिवीजन की प्रशिक्षित ए. एन. एम. एवं स्टाफ नर्से

215. श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) उदयपुर डिवीजन में कितनी ट्रेण्ड स्टाफ नर्सें व ए. एन. एम. बेरोजगार हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) इन ट्रेण्ड स्टाफ नर्सों एवं ए. एन. एम. में से कितनी-कितनी अनुसूचित जाति/जनजाति की हैं ? ब्यौरा सदन की मेज पर रखें ।

(3) उक्त ट्रेण्ड बेरोजगार नर्सों को रोजगार देने की क्या योजना हैं तथा इनको कब तक रोजगार दे दिया जाएगा ?

उत्तर

(1) उदयपुर डिवीजन में कुल 39 प्रसाविकाएं तथा 10 नर्स बेरोजगार हैं। विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) बेरोजगार नर्सों में 3 अनुसूचित जनजाति तथा 1 अन्य पिछड़े वर्ग की है तथा प्रसाविकाओं में 2 अनुसूचित जाति, 3 अनुसूचित जनजाति एवं एक अन्य पिछड़े वर्ग की हैं। विवरण प्रश्न के भाग एक के साथ संलग्न तालिका में दर्शाया गया है।

(3) बेरोजगार प्रशिक्षित नर्स द्वारा संयुक्त निदेशक (क्षेत्रीय) को आवेदन पत्र प्रेषित किये जाने पर तथा प्रशिक्षित प्रसाविका द्वारा सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करने पर नियुक्ति दिये जाने पर विचार किया जाना सम्भव होगा।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-9 देखें)

राज्य में मौसमी बीमारियां

216. श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमूं) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1995 से अब तक राज्य में मौसमी बीमारियों से कितने लोगों की जाने गयी ? कितने लोग आहत हुये ? सरकार द्वारा इनको किस प्रकार की सहायता प्रदान की गयी ? जिलेवार सूचना सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य सरकार मौसमी बीमारियों की पूर्व सूचना पर यथासमय चिकित्सा उपलब्ध हो सके, इस हेतु क्या विशेष प्रयास कर रही है ?

उत्तर

(1) वर्ष 1995 से अब तक राज्य में मौसमी बीमारियों, पीलिया, आन्त्रशोथ

(राज्य मन्त्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य)

(उल्टी-दस्त) से कुल 216 लोगों की जाने गयी। वर्ष 1996 से 22 जून, 1996 तक पीलिया से 7836 व्यक्ति रोग ग्रसित हुए तथा आन्त्रशोथ से 38,084 रोग ग्रसित हुए। उक्त रोगियों को निःशुल्क उपचार सहायता प्रदान की गयी।

सभी जिलों में नियन्त्रण कक्ष की स्थापना कर दी गयी है, तथा निदेशालय में भी एक कन्ट्रोल रूम बना दिया गया है। सभी जिलों में औषधि का भण्डारण कर दिया गया है। प्रत्येक पंचायत समिति (प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र) में दो मोबाइल टीमों का गठन कर दिया गया है, जिला मुख्यालय पर भी एक टीम का गठन किया गया है। जल शुद्धिकरण की व्यवस्था कर दी गयी है। हैल्थ एजुकेशन दी जा रही है। सूचना क्षेत्र को भी सजग कर दिया गया है और चिकित्सा कर्मियों की छुट्टियां रद्द करें, उन्हें मुख्यालय पर रहने के लिये पाबन्द कर दिया गया है। सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) राज्य सरकार (विभाग) द्वारा मौसमी बीमारियों की पूर्व सूचना पर यथा समय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु समस्त जिला-अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किये गये हैं। जिला/राज्य स्तर पर नियन्त्रण कक्ष की स्थापना की गयी है। औषधियों का पर्याप्त भण्डारण है। प्रत्येक पंचायत समिति (प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र) पर दो मोबाइल टीमों का गठन कर दिया गया है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

फलासिया जिला उदयपुर के विभिन्न चिकित्सालय

217. श्री कुबेर सिंह (फलासिया) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र फलासिया जिला उदयपुर में किस-किस श्रेणी के चिकित्सालय कहां-कहां हैं तथा प्रत्येक में किस-किस श्रेणी के कितने-कितने पद स्वीकृत हैं तथा कौन-कौन सा पद कब से किस कारण रिक्त है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि यहां अधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति तो कर दी जाती है परन्तु इनकी प्रतिनियुक्ति अन्यत्र शहरों या अन्य स्थानों पर कर उनका वेतन नियुक्ति स्थान से उठाया जाकर पद भरे बताये जाते हैं? क्या सरकार इस प्रकार की प्रवृति को उचित मानती है? यदि नहीं, तो वर्ष 1994-95 एवं 1995-96 में उक्त निर्वाचन क्षेत्र में इस प्रकार के लाभ किस-किस कर्मचारी/अधिकारी को प्रदान किये गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि रेफरेल चिकित्सालय, झाड़ोल का भवन जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी मरम्मत कराने एवं उक्त क्षेत्र में रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) विधान सभा क्षेत्र फलासिया के जिन कर्मचारियों को शहर में लगा रखा है उनकी सूची मय कारणों के सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(3) उक्त भवन में वर्षा के मौसम में छत से पानी टपकता है जिसकी मरम्मत करायी जा रही है। रिक्त पदों को पात्र एवं प्रशिक्षित अभ्यर्थियों के उपलब्ध होने पर भरे जाने की कार्यवाही की जायेगी।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

अजमेर जिले में सड़क निर्माण कार्य

218. श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1994–95 एवं 1995–96 में अजमेर जिले में कितनी–कितनी राशि की कितने–कितने किलोमीटर सड़क का निर्माण एवं मरम्मत (पेच आदि के कार्य सहित) का कार्य करवाया गया है? विधान सभा क्षेत्रानुसार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि अजमेर जिले की अधिकांश सड़कें काफी क्षतिग्रस्त हैं? यदि हां, तो सरकार उनकी मरम्मत का कार्य कब तक करवाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) वर्ष 1994-95 व 95-96 में अजमेर जिले में सड़कों के निर्माण, मरम्मत (पेच) आदि कार्य करवाये गये जिनका विवरण निम्न प्रकार है (विधान सभा क्षेत्रानुसार विवरण पृष्ठ "क" पर अंकित है)

वर्ष	व्यय की गई राशि	कार्य का नाम	
1994–95	634.73 लाख	बीटी	169.20 किमी
		सीडी	73.50 कार्य
		ड्रेन	1.00 कार्य
		वाइडनिंग	9.00 किमी
		स्ट्रेंथनिंग (वन साइड)	16.00 किमी
		क्वारी रबिश	6.50 किमी
		ब्रिज	1 कार्य
		जोब	0.50 कार्य
		डब्ल्यू. बी. एम.	6.00 किमी
		पेच रिपेयर	1022.85 किमी

(सार्वजनिक निर्माण मन्त्री)

वर्ष	व्यय की गई राशि	कार्य का नाम	
1995–96	503.52 लाख	बीटी	103.60 किमी
		डब्ल्यू. बी. एम.	31.46 किमी
		सीडी	21.75 कार्य
		वाइडनिंग (वन साइड)	6.80 किमी
		स्ट्रेथनिंग	12.25 किमी
		सरफेस ड्रेसिंग	15.00 किमी
		प्रोजेक्ट कार्य	200 मीटर
		रिवेनिंग वाल	100 मीटर
		जोब	10.50 कार्य
		पेच रिपेयर	1587.15 किमी

एवं राष्ट्रीय उच्च मार्ग खण्ड, अजमेर के अधीन 183 किलोमीटर लम्बी राष्ट्रीय उच्च मार्ग की सड़क है। एन. एच. 8 में 156 किलोमीटर एवं एन. एच. 14 में 7 किलोमीटर है।

वर्ष 1994-95 व 1995-96 में निर्माण व मरम्मत में निम्न प्रकार से व्यय किया गया है :—

साधारण मरम्मत एवं पेच रिपेयर

	साधारण एवं मरम्मत वर्क	किलोमीटर
1994–95	52.74	83
1995–96	41.00	65 कि.मी.
नवीनीकरण कार्य		
1994–95	115.00	26
1995–96	133.95	29

(2) जी, नहीं। अजमेर जिले की सड़कें ज्यादा क्षतिग्रस्त नहीं हैं सड़कों पर वर्षा पूर्व डामर से पेच रिपेयर करवाया जा रहा है तथा वर्षा के बाद पुनः पेच रिपेयर का कार्य करवाया जावेगा एवं रा. उ. मा. खण्ड, अजमेर के अधीन राष्ट्रीय उच्च मार्ग आता है एवं इस मार्ग पर जब भी क्षति होती है तुरन्त ही मरम्मत करवायी जाती है। रा. उ. मा. में विधान सभा क्षेत्रवार डिमार्केशन नहीं है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

कोटा सम्भाग में अल्पकालीन निविदाओं द्वारा कार्यादेश

219. श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डौली) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कोटा सम्भाग में सार्वजनिक निर्माण विभाग के विभिन्न कार्यों को सम्पन्न किये जाने हेतु कितने डिवीजन कार्यरत हैं ?

(2) उक्त डिवीजनों द्वारा वर्ष 1993-94 से मई, 1996 तक अल्पकालीन निविदाओं के जरिये 50,000 रुपये से कम राशि के कितने–कितने कार्य आदेश (वर्क्स आर्डर्स) जारी किये गये ? डिवीजन अनुसार ऐसे कार्य आदेशों की संख्या सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) कोटा सम्भाग में सार्वजनिक निर्माण विभाग के कार्यों को सम्पन्न कराये जाने हेतु 18 खण्ड कार्यरत हैं ।

(2) उक्त डिवीजनों द्वारा वर्ष 1993-94 से 5/96 तक अल्पकालीन निविदाओं के जरिये 50,000/– से कम राशि के तहत कोई आदेश जारी नहीं किये गये हैं ।

भीलवाड़ा बाइपास रोड का निर्माण

220. श्री रामपाल उपाध्याय (सहाड़ा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि भीलवाड़ा बाइपास रोड की स्वीकृति हो गई है ? यदि हां, तो कितनी राशि का, किस तिथि तथा किस कम्पनी को किस दर से ठेका दिया गया ? इसका कार्य कब प्रारम्भ होगा तथा कब तक समाप्त होगा ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त बाइपास रोड की कितनी लम्बाई होगी तथा रोड में आने वाली जमीनों का मुआवजा कितना होगा ? इसमें से कितने का भुगतान किया जा चुका है ? सूचना सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या बाइपास रोड निर्माण के आसपास बस्ती बसने, होटल, कुओं आदि के लिये कोई विशेष दिशा-निर्देश होते हैं ? यदि हां, तो क्या ?

(4) क्या भीलवाड़ा जिले के अन्य महत्वपूर्ण नगरों— शाहपुरा, गंगापुर, गुलाबपुरा, माण्डल, जहाजपुर आदि के लिए बाइपास रोड निकालने की योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उनका कब तक क्रियान्वयन सम्भव हो सकेगा ।

उत्तर

(1) जी, हां । राज्य सरकार ने मैसर्स सुदर्शन सीमेन्ट एण्ड मल्टी प्रोजेक्ट, जयपुर से रुपये 22.00 करोड़ का कार्य बी. ओ. टी. के अन्तर्गत 36 माह में करवाने की स्वीकृति प्रदान की है । कार्य आदेश अभी तक जारी नहीं किया गया है । अतः प्रारम्भ और पूर्ण होने की तिथि तय नहीं हुई है ।

(सार्वजनिक निर्माण मन्त्री)

इसके अतिरिक्त रुपये 1.00 करोड़ भूमि अवाप्ति के लिये स्वीकृत किये गये हैं।

(2) उक्त बाइपास की कुल लम्बाई 23.00 किलोमीटर है तथा सड़क निर्माण हेतु आने वाली जमीनों का कुल मुआवजा रुपये 1,32,21,783/- आंका गया है। जिसमें से राशि रुपये 59.06 लाख का भुगतान किया जा चुका है।

(3) जी, हां। राज्य मार्गों के आस-पास कोई भी बस्ती बसने होटल व अन्य निर्माण हेतु भारतीय सड़क कांग्रेस द्वारा निर्देश दिये हुए हैं जो कि सड़क की मध्य रेखा से बिल्डिंग कन्ट्रोल लाइन 65 मीटर की दूरी तक दोनों तरफ होते हैं।

(4) जी, नहीं। भीलवाड़ा जिले के केवल शाहपुरा कस्बे में बाइपास रोड निकालने का कार्य अकाल राहत के अन्तर्गत प्रगति पर है।

अतारांकित प्रश्न संख्या 221

(स्थगित)

विधान सभा क्षेत्र जालौर में विधायक योजना के तहत कार्य

222. श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में विधायक योजना कब से प्रारंभ की गयी ?

(2) विधान सभा क्षेत्र जालौर में उक्त योजनान्तर्गत अब तक कौन-कौन से कार्य सम्पन्न करवाये गये ? प्रत्येक कार्य के लिए कितनी धनराशि व्यय की गई तथा कौनसा कार्य किस संस्था/अधिकरण के माध्यम से सम्पन्न करवाया गया ?

(3) क्या उपरोक्त सारे कार्य सम्पूर्ण हो गये हैं ? यदि नहीं, तो कौनसा कार्य किस कारण अधूरा है तथा कब तक पूरा हो जाएगा ?

(4) प्रत्येक कार्य को प्रारम्भ करने की तिथि एवं कार्य सम्पादन होने की तिथि सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में निर्बन्ध राशि योजना वर्ष 1988–89 व तीस जिला तीस काम योजनाएं वर्ष 1991–92 से प्रारम्भ की गयी थीं, परन्तु इन योजनान्तर्गत विधायकों के लिए उनके प्रस्तावानुसार विकास कार्यों की स्वीकृति करने हेतु क्रमशः रुपये 5.00 लाख/रुपये 5.00 लाख राशि का प्रावधान वर्ष 1992–93 से किया गया था।

(2) विधान सभा क्षेत्र जालौर में वर्ष 1992–93 से 95–96 की अवधि में उक्त योजनान्तर्गत सम्पन्न कराये गये कार्य व व्यय की गयी राशि का विवरण परिशिष्ट–"अ" पर संलग्न है।

(3) जी, नहीं। 1995–96 में स्वीकृत 6 कार्य अभी अधूरे हैं। इन कार्यों के अधूरे रहने का कारण संलग्न परिशिष्ट–"ब" पर संलग्न है। इन अपूर्ण कार्यों को इसी वित्तीय

(राज्य मन्त्री, विशिष्ट योजना संगठन)

वर्ष में पूर्ण करने हेतु प्रयास किये जा रहें हैं।

(4) प्रत्येक कार्य को प्रारम्भ करने एवं सम्पादन की तिथि संलग्न परिशिष्ट–"ब" पर अंकित है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

जिला विकास अभिकरण पाली द्वारा विधायकों की अभिशंसा पर किये गये कार्य

223. **श्री सुखलाल सेणचा** (रायपुर) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला विकास अभिकरण पाली को किस-किस विधायक ने जनहित में कौन-कौन से निर्माण कार्यों के प्रस्ताव भेजें ? उक्त में से कौन-कौन से प्रस्ताव स्वीकृत हुए ? विवरण सदन की मेज पर रखें। शेष प्रस्ताव स्वीकृत न होने के क्या कारण थे ?

(2) अन्य एजेन्सियों द्वारा कौन-कौन से प्रस्ताव स्वीकृति हेतु प्राप्त हुए ? उनमें से कौन-कौन से प्रस्ताव स्वीकृत हुए ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि विधायकों द्वारा भेजे गये जनहित के प्रस्तावों को प्रशासन ने जानबूझकर रोका और उन पर कोई कार्यवाही नहीं की ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) पाली जिले के विधायकों से तीस जिला तीस काम एवं निर्बन्ध राशि योजना के तहत विधायक कोटे में वर्ष 1995–96 में प्राप्त प्रस्ताव तथा उनमें से स्वीकृत कार्यों का विवरण परिशिष्ट–"अ" पर संलग्न है।

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ/56/आयो/जियो/92/दिनांक 22-4-92 के द्वारा निर्देशानुसार 30 सितम्बर के बाद क्षेत्रीय विधायक से विधायक कोटे में प्राप्त प्रस्ताव को स्वीकृति हेतु विचार नहीं करने का प्रावधान है, यद्यपि इस अवधि के बाद भी विधायक मदों से प्राप्त प्रस्तावों पर जनहित में विचार कर स्वीकृत करने के प्रयास किये गये। कुछ प्रस्ताव लोक सभा चुनाव 1996 की आचार संहिता की अनुपालना में स्वीकृत नहीं किये जा सके।

(2) अभिकरण द्वारा वर्ष 1995–96 में निर्बन्ध राशि योजना एवं तीस जिला तीस काम योजनान्तर्गत अन्य एजेन्सीयों से प्राप्त प्रस्ताव एवं स्वीकृत कार्यों की सूची परिशिष्ट–"ब" पर संलग्न है।

(3) जी, नहीं। जिला प्रशासन द्वारा विधायकों के प्रस्तावों को नहीं रोका गया अपितु संबंधित योजनाओं की मार्गदर्शिका अन्तर्गत आने वाले एवं उपलब्ध वित्तीय संसाधनों को ध्यान में रखते हुए विधायकों से प्राप्त प्रस्तावों को स्वीकृत करने की कार्यवाही की गई।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्ताकलय में रखा गया)

दौसा जिले में सुनिश्चित रोजगार योजना कार्यक्रम

224. श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1995-96 में दौसा जिले को सुनिश्चित रोजगार योजना कार्यक्रम के अन्तर्गत कितनी धनराशि पंचायत समिति-वार आबंटित की गयी ?

(2) भारत सरकार द्वारा निर्धारित उक्त योजना में कौन-कौन से कार्य करवाने के दिशा-निर्देश दिये गये हैं ?

(3) क्या यह सही है कि सुनिश्चित रोजगार कार्यक्रम में वाटर शैड कार्यक्रम को सर्वोच्च प्राथमिकता के बाद भी एक भी कार्य वाटर-शैड का दौसा जिले में नहीं लिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) वर्ष 1995-96 में सुनिश्चित रोजगार कार्यक्रम की आबंटित राशि से कितने कार्य स्वीकृत किये गये हैं। स्वीकृत कार्यों की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सुनिश्चित रोजगार योजनान्तर्गत वर्ष 1995-96 में दौसा जिले में निम्न पंचायत समितियों को निम्नलिखित राशि आबंटित की गयी थी :—

पंचायत समिति का नाम	आबंटित राशि (लाखों में)
1. महुआ	105·00
2. लालसोट	105·00
3. सिकराय	105·00
4. बांदीकुई	105·00
5. दौसा	140·00
योग :	560·00

इस प्रकार कुल राशि रु० 560·00 लाख आबंटित की गई थी।

(2) भारत सरकार द्वारा सुनिश्चित रोजगार योजनान्तर्गत निम्न कार्य करवाये जाने के आदेश दिये गये थे :—

1. जलग्रहण क्षेत्रों में विकास कार्य; निजी भूमि पर बागवानी कार्यक्रम।
2. लघु सिंचाई कार्य
3. सड़क निर्माण कार्य
4. प्राथमिक विद्यालय एवं आंगनबाड़ी केन्द्र, भवन निर्माण।

(3) जलग्रहण क्षेत्र के कार्य सर्वोच्च, प्राथमिकता पर करवाने का प्रावधान इस योजना में नहीं है। योजना की मार्गदर्शिका के अनुसार उपलब्ध राशि का उपयोग कार्यवार निर्धारित, प्रतिशत के अनुसार कराने का ही प्रावधान है।

वर्ष 1995-96 में भारत सरकार द्वारा योजनान्तर्गत निर्धारित कार्यवार प्रतिशत में शिथिलता दी गयी थी। अतः योजनान्तर्गत उपलब्ध राशि का व्यय अन्य स्वीकृत कार्यों जैसे: सम्पर्क सड़क, स्कूल भवन, आंगनबाड़ी भवन आदि कार्यों पर किया गया था।

(4) वर्ष 1995-96 में सुनिश्चित रोजगार योजना कार्यक्रम की आबंटित राशि में से 548 कार्य स्वीकृत किये गये हैं। स्वीकृत कार्यों की सूची परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

विधान सभा क्षेत्र फलासिया में संचालित छात्रावास

225. श्री कुबेर सिंह (फलासिया) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) निर्वाचन क्षेत्र फलासिया, जिला उदयपुर में विभाग द्वारा कहां-कहां छात्रावास चलाये जा रहे हैं ? प्रत्येक में कितनी-कितनी छात्र संख्या स्वीकृत है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त छात्रावास सरकारी भवन में चल रहे हैं ? यदि हां, तो कौन-कौन सा छात्रावास कहां-कहां निजी भवन में चल रहा है तथा इनका मकान मालिक कौन है तथा प्रत्येक का मासिक किराया क्या है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार निजी भवन में चल रहे छात्रावासों के लिये भवन निर्माण करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं तो क्यों ?

(4) क्या सरकार उक्त आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में और छात्रावास खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तथा कहां-कहां ? यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) निर्वाचन क्षेत्र फलासिया जिला उदयपुर में विभाग द्वारा 11 छात्रावास संचालित किये जा रहे हैं जिनकी स्वीकृत छात्र संख्या व स्थानों की सूची परिशिष्ट "अ" के अनुसार है।

(2) इस क्षेत्र में 9 छात्रावास राजकीय भवन में तथा 2 छात्रावास किराये के भवन में संचालित हैं। विवरण परिशिष्ट "अ" में उपलब्ध है।

(3) जी, हां। संसाधनों की उपलब्धता की आय पर जैड छात्रावास भवन बनाये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर शेष एक छात्रावास ओगणा के लिये भी भवन का निर्माण कराया जा सकेगा।

(4) नवीन छात्रावास खोले जाने का निर्णय वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं स्थान की उपयुक्तता पर निर्भर करता है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-10 देखें)

उरमूल डेयरी द्वारा प्रदाय दूध

226. श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर): क्या दुग्ध विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या उरमूल डेयरी द्वारा दूध टैंकर्स से दिल्ली भेजा जाता है ? यदि हां, तो क्या मार्ग में दूध एवं फैट की चोरी होती है ? यदि हां, तो डेयरी प्रशासन ने इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की ?

(2) वर्ष 1993 से 1996 के दौरान कितना दूध टैंकर्स द्वारा दिल्ली ले जाया गया तथा उक्त दूध में कितनी कमी हुई ?

उत्तर

(.) जी, हां। मार्ग में दूध चोरी, फैट व एस.एन.एफ. की घटोती होने की दशा में

(राज्य मंत्री, दुग्ध विकास)

अनुबन्ध अनुसार ठेकेदार के बिल से कटौती की जाती है जिससे डेयरी को कोई हानि नहीं होती है ।

(2) वर्ष 1993–96 के दौरान उरमूल डेयरी द्वारा कुल 5,57 98,105 किलो दूध दिल्ली डेयरी को भेजा गया व इसमें 3,50,890 किलो दूध की घटौती हुई, जो 0·63 प्रतिशत है ।

विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में स्थित दूध की डेयरी

227. **श्री रामचन्द्र रावत**(कोटपूतली): क्या दुग्ध विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में दूध डेयरी स्वीकृत है और इस हेतु भवन भी निर्मित है ? यदि हां, तो कब से ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त क्षेत्र की दूध डेयरी योजना लगभग 10 वर्षों से बन्द पड़ी है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार इस दूध डेयरी को पुन: चालू करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां । वर्ष 1980 में अवशीतन केन्द्र की स्थापना हुई ।

(2) जी, हां । क्योंकि उस क्षेत्र में जयपुर दुग्ध संघ ने तीन बार दुग्ध संग्रहण के प्रयास किये परन्तु वांछित मात्रा में दुग्ध संग्रह नहीं कर पाने के कारण उपरोक्त अवशीतन केन्द्र को आर्थिक कारणों से बन्द करना पड़ा ।

(3) जी, हां । जयपुर दुग्ध संघ ने वर्ष, 1995–96 में उपरोक्त क्षेत्र का पुन: सर्वेक्षण करवाया था जिसके आधार पर कोटपूतली क्षेत्र में दुग्ध संग्रह कार्य पुन: प्रारम्भ करने की योजना है ।

कोटा इंजीनियरिंग कॉलेज में विभिन्न संवर्गों में नियुक्तियां

228. **श्री शांतिकुमार धारीवाल** (हिण्डौली) : क्या उच्च शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कोटा इंजीनियरिंग कॉलेज में वर्ष 1994-95 एवं 1995-96 में किस-किस संवर्ग में कितने-कितने व्यक्तियों को कितनी-कितनी अवधि के लिये अस्थायी/तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया और उनमें से कितने व्यक्ति अभी कार्यरत हैं ? नाम, पद, योग्यता आदि का विवरण सहित सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि रिक्त पदों को भरे जाने के लिये समाचार-पत्रों में विज्ञापन दिये गये थे ? यदि हां, तो किस-किस समाचार पत्र में किस-किस तारीख को ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या उक्त नियुक्तियां किये जाने के लिये अभ्यर्थियों का कोई साक्षात्कार भी

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

लिया गया था ? यदि हां, तो किस तारीख को और उक्त साक्षात्कार में कितने अभ्यर्थियों ने भाग लिया ?

उत्तर

(1) कोटा इंजीनियरिंग कॉलेज में वर्ष 1994-95 एवं 1995-96 में संवर्ग वाइज जिन व्यक्तियों को अस्थायी/तदर्थ नियुक्ति दी गयी हैं, का विवरण अवधि सहित संलग्न परिशिष्ट–1 व 2 में संलग्न है।

(2) हां। उक्त नियुक्तियों से सम्बन्धित जिन पदों को भरे जाने हेतु समाचार-पत्रों में विज्ञापन दिये गये थे, विवरण संलग्न है। (परिशिष्ट–3)

(3) हां। सभी नियुक्तियों के लिए नियुक्त व्यक्तियों का साक्षात्कार लिया गया था। साक्षात्कार की तिथि का साक्षात्कार में उपस्थित अभ्यर्थियों की संख्या सहित विवरण परिशिष्ट–3 में संलग्न है। तदर्थ/त्वरित नियुक्तियां पूर्व में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी व्यक्तियों को उनकी दक्षता/योग्यता व विभागों में तत्कालीन आवश्यकताओं के आधार पर की गयी।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

विश्वविद्यालयों पर प्रतिवर्ष व्यय

229. श्री जुबेर खान (रामगढ़) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य के विश्वविद्यालयों में राज्य सरकार/केन्द्र सरकार/यू.जी.सी./अन्य संस्थाएं प्रति वर्ष कितनी-कितनी राशि व्यय करती हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों में छात्र एवं शिक्षकों का अनुपात क्या है? विवरण विश्वविद्यालयवार सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विश्वविद्यालयवार सूचना सदन के पटल पर रख दी गयी है। (परिशिष्ट "अ")

(2) विश्वविद्यालयवार सूचना सदन के पटल पर रख दी गयी है। (परिशिष्ट "ब")

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट–11 देखें)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) श्री शांतिकुमार धारीवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से बूंदी तहसील के 31 गांव और केशवरायपाटन तहसील के 46 गांवों की....

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, पाइंट ऑफ ऑर्डर।

श्री अध्यक्ष : No point of order at this time. Please, sit down.

(श्री अध्यक्ष)

करीब 10 हजार एकड़ भूमि, जो कमाण्ड एरिया से सिंचित होती है, उसे राज्य सरकार द्वारा डी-कमाण्ड करने की कथित कार्यवाही से जनता में व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में।

(2) श्री हीरालाल बिश्नोई एवं श्री भीमराज भाटी, सदस्य, विधान सभा की ओर से जालौर थाना क्षेत्रान्तर्गत दो वर्ष पूर्व एक अध्यापक किशनाराम हत्या काण्ड प्रकरण की निष्पक्ष जांच करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(3) श्री अमराराम, सदस्य, विधान सभा की ओर से उदयपुर में 15 वर्षों से बसी आवरी माता कच्ची बस्ती को नगर विकास न्यास द्वारा उजाड़े जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाएगा।

मुझे माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करना है कि निम्न स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हुई है :—

श्री शैलेन्द्र जोशी एवं श्री मोहनलाल बारूपाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से कृषि उपज मण्डी समिति, बूंदी के टैक्स चोरी सम्बन्धी प्रकरण में सचिव द्वारा मात्र चार फर्जी बिलों को जब्त किये जाने एवं शेष बिल बुकों को जब्त नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है अतः इस पर अनुमति देने में असमर्थ हूं। प्रस्तावक माननीय सदस्य को दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं

(1) श्री रामस्वरूप मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला सवाई-माधोपुर एवं उसकी तहसील नादोती के कस्बा गुढ़ाचन्द्रजी में आये दिन विद्युत तारों की चोरी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री कन्हैयालाल मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला जयपुर में 31 जुलाई, 1996 तक अकाल राहत कार्य जारी रखने के सम्बन्ध में।

(3) श्री हरिनारायण, सदस्य, विधान सभा की ओर से ग्राम दोलाड़ा थाना खाजना डूंगर, सवाईमाधोपुर में दिनांक 22-5-96 की रात्रि 2 बजे मोहिनी नाम की एक युवती के कथित अपहरण से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(4) श्री मोतीलाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र रूपवास के कस्बा उच्चैन की पेयजल टंकी 4 वर्ष से बन्द पड़ी होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(5) श्री हरिशचन्द्र पल्लीवाल, सदस्य विधान सभा की ओर से गंगापुर के राजकीय चिकित्सालय में मेडिकल एवं सर्जरी के कनिष्ठ विशेषज्ञों के पद समाप्त कर दिये जाने से जनता में व्याप्त आक्रोश के सम्बन्ध में।

(6) श्री रामगोपाल बैरवा, सदस्य, विधान सभा की ओर से इटावा में डिग्री कालेज खोलने के सम्बन्ध में।

(7) श्री नन्दलाल व्यास, सदस्य, विधान सभा की ओर से बीकानेर के सेटेलाइट अस्पताल की बैड क्षमता 100 करने व उसकी दशा सुधारने के सम्बन्ध में।

(8) श्री परसादीलाल मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से आर. ए. एस./आर. टी. एस. प्रारम्भिक प्रतियोगी परीक्षा में अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए विज्ञापित पदों के छह गुणा अभ्यर्थी ही मुख्य परीक्षा हेतु उत्तीर्ण किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(9) श्री शिवनाथ सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से झुन्झुनूं जिले के ग्राम चवरा, किशोरपुरा, नेवरी-पोख गुड़ा आदि की जमीन सड़क निर्माण हेतु अवाप्त किये जाने के 10–12 वर्ष पश्चात् भी उसका मुआवजा काश्तकारों को नहीं दिये जाने से उनमें व्याप्त आक्रोश के सम्बन्ध में।

(10) श्री अमराराम, सदस्य, विधान सभा की ओर से प्रान्त के हजारों किसानों से एक पोल, दो पोल स्कीम के अन्तर्गत डिमाण्ड नोटिस की राशि लगभग डेढ़ वर्ष पूर्व जमा करवाने के उपरान्त भी कनेक्शन नहीं दिये जाने के सम्बन्ध में।

(11) श्री श्रवण कुमार, सदस्य, विधान सभा की ओर से निर्वाचन क्षेत्र पिलानी की सारी सड़कों के टूटे होने तथा इनकी मरम्मत करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(12) श्रीमती उजला अरोड़ा, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र में अवैध कसाई खानों से जनता को हो रही असुविधा के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

श्री बनवारीलाल बैरवा : माननीय अध्यक्षजी, मेरा एक स्थगन प्रस्ताव था.... (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : रामगंज के अन्दर जो फोगिंग हुआ था। आपने कहा था उस फोगिंग काण्ड की चर्चा के लिए बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में डेट तय की जाएगी लेकिन कुछ नहीं हुआ। फोगिंग काण्ड की तारीख तय की जाए। इसके बारे में बताइये।

श्री जुबेर खान : एडवाइजरी कमेटी में इसके लिये समय तय कराने के लिये कहा था।

श्री अध्यक्ष : मैं खड़ा हुआ हूं आप विराज जाएं। मैं आपकी पूरी इज्जत कर रहा हूं तो आप भी आसन की इज्जत करना सीखें, विराज जाएं आप।

श्री बनवारीलाल बैरवा : अध्यक्षजी, उतरणा गांव में अनुसूचित जाति की एक महिला के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ, उसके साथ बहुत बुरे तरीके से कुकृत्य किया गया और वह आज भी गम्भीर हालत में पड़ी हुई है। (व्यवधान) माननीय अध्यक्षजी, सरकार के पास जानकारी आ गयी है, उसका जवाब दिलवायें।

अनुपस्थिति—अनुमति

श्री चुन्नीलाल धाकड़ (बेगूं) सदस्य, विधान सभा को 1 जुलाई से सत्रान्त तक सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने बाबत अनुमति

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि श्री चुन्नीलाल धाकड़, सदस्य, विधान सभा ने शारीरिक अस्वस्थता के कारण 01 जुलाई, 1996 से सत्रान्त तक सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है। क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान कर दी जाए ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गयी।

श्री अमराराम : किसको ?

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री अध्यक्ष : पूरा सुनना चाहिये। श्री चुन्नीलालजी धाकड़ बीमार हैं। आज यदि शून्यकाल नहीं रखें तो अच्छा है। कम से कम चालीस स्लिपें आ गयी हैं, चालीस स्लिपें आ जाती हैं ...(व्यवधान).

श्री बनवारीलाल बैरवा : माननीय अध्यक्षजी, मेरा बड़ा महत्वपूर्ण स्थगन प्रस्ताव था कि उतरणा गांव के अन्दर एक महिला के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ है (व्यवधान) आपने आज के लिये कहा था।

श्री रामनारायण मीणा : बलात्कार हुआ है। उसके गुप्तांग में 27 टांके आये हैं। (व्यवधान) बलात्कार किये जा रहे हैं (व्यवधान) 27–27 टांके आ रहे हैं और उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है....

श्री रतनलाल ताम्बी : माननीय अध्यक्ष महोदय, उतरणा काण्ड के स्थगन के सम्बन्ध में आपने आज की तारीख तय की थी।

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये। आप बहुत सीनियर हैं। (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा : वह मंत्रीजी के रिश्तेदार बन रहे हैं (व्यवधान) बलात्कार किया है, 27–27 टांके आये हैं, उसके गुप्तांग में और राजस्थान की सरकार मूकदर्शक बनी हुई बैठी है, पुलिस के हाथ बंधे हुए हैं आप गृह मंत्रीजी.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं करें। पहले मैं अनुमति दूंगा।

श्री रतनलाल ताम्बी : × × ×

श्री रामनारायण मीणा : × × ×

श्री रतनलाल ताम्बी : × × ×

श्री अध्यक्ष : आप विराज जाएं, आप मेरी सुनेंगे नहीं। It was not expected from you like this. (व्यवधान) पहले मेरी बात सुन लें आप विराजें, आप क्या चाहते हो इस पर डिस्कशन हो रोज बुलवाते हैं और आज....

श्री रामनारायण मीणा : × × ×

श्री अध्यक्ष : मैंने अपनी बात कही है, उसको भी आप सुनना नहीं चाहते हो। श्री रामनारायणजी, विराजें आप। यह क्या कर रहे हैं आप? इसका दुरुपयोग कर रहे हैं आप, विराजें।

श्री रामनारायण मीणा : × × ×

श्री बनवारीलाल बैरवा : × × ×

श्री अध्यक्ष : पहले आप विराजिये। एक मिनट पहले आप मेरी बात सुन लें। मैं यह कह रहा हूं कि कल भी हमारे कई माननीय सदस्यों ने कहा कि रात को देर हो जाती है, हम दूसरे दिन की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं हमको बाहर भी जाना है। आज आपने दो-तीन कोई इम्पोर्टेंट मैटर हो, पौने बारह बजे आप यहां स्लिप दे रहे हैं जबकि मैं कह चुका हूं कि आप मुझे वहां लाकर दें... (व्यवधान)

श्री बनवारीलाल बैरवा : × × ×

श्रीमती बीना काक (सुमेरपुर) : × × ×

श्री अध्यक्ष : अभी श्री जुबेर जी कहेंगे मेरे राइट को आप क्रैश कर रहे हैं.... (व्यवधान).... मैं तो कल भी ऐसे ही कर रहा था। मेरी बात भी आप सुनना नहीं चाहते हैं....(व्यवधान)....

श्री जुबेर खान : × × ×

श्री रामनारायण मीणा : × × ×

श्रीमती बीना काक : × × ×

श्री अध्यक्ष : आप विराजें। (व्यवधान) मैं कोई बात कह रहा हूं आप सुनिये तो सही। आप सुनेंगे ही नहीं, तो ऐसा तो नहीं है कि आपसे कोई दस गुना मेरी आवाज हो (व्यवधान)....

श्री रामनारायण मीणा : × × ×

श्री बनवारीलाल बैरवा : × × ×

श्री रामनारायण मीणा : × × ×

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये। मेरी बात सुनें आप पहले। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : × × ×

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत (श्रीमाधोपुर) : × × ×

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री रामनारायण मीणा : × × ×

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये। मैं श्री रामनारायणजी की सुनूं, आपकी सुनूं या उनकी सुनूं या किस की सुनूं यह समझ में नहीं आ रहा मुझे तो। (व्यवधान).....

श्री शैलेन्द्र जोशी : × × ×

श्री रामनारायण मीणा : × × ×

श्री अध्यक्ष : आप विराजें।

श्री राजेन्द्र चौधरी : × × ×

श्री अध्यक्ष : आप इनको सुनाओ पाइंट आफ आर्डर। मुझे क्यों सुना रहे हो?

श्री शैलेन्द्र जोशी : × × ×

श्री अध्यक्ष : आप मेरी बात सुनें। विराजें। कल भी यह बात हुई थी कि फोर्गिंग पर चर्चा करायी जाए। यह मामला चूंकि हाई कोर्ट जज को रेफर किया जा चुका है, इंक्वायरी हो रही है (व्यवधान) आप पहले बात तो सुन लें। आप विद्वान हैं, तो आप बोल लें, हम तो कुछ समझते ही नहीं हैं और आप ही ज्यादा समझते हो इसमें (व्यवधान) यह तो बोल ही रहे हैं कौन रोकता है इनको। मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि यह मामला ...

श्री जुबेर खान : × × ×

श्री अध्यक्ष : हां, हां यही कह रहा हूं। पूरी बात सुन लें, यहां (व्यवधान)....मैं निवेदन जो कर रहा हूं वह यह है कि ...

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदया, सबको टाफी खिलाती हैं मुझे नहीं देती। आप थोड़ा निर्देश दें कि मुझे भी टाफी खिलाया करें।

श्री अध्यक्ष : विराजें आप। फोर्गिंग के लिये कल बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में जो इश्यूज तय किये गये उसमें यह इश्यू भी है कि इस डिमाण्ड के बाद इस पर चर्चा कराई जाए।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : आप तारीख दे दीजिये।

श्री अध्यक्ष : तारीख मैं अभी दे दूंगा। (व्यवधान) .. अभी दे दूंगा। आ जाना, दो बजे बाद।

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : तीन बजे के लिये कहा था आपने।

श्री अध्यक्ष : दो-तीन बजे बाद आ जाना। कर लेंगे। तीन बजे अपन तय कर लेंगे। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। विराजें आप। आप फरमायें।

श्री राजेन्द्र चौधरी : पाइंट आफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष : जीरो आवर में ही कर रहे हैं?

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री राजेन्द्र चौधरी : हां, जीरो आवर में ही करना इसलिये जरूरी है कि मेरे काल अटेंशन का मन्त्री जी ने सदन के अन्दर जो जवाब दिया था उसके द्वारा उन्होंने सदन को मिसलीड किया था और गलत जानकारी सदन को दी थी। इस सम्बन्ध में मैंने प्रिविलेज का नोटिस भी आपको दिया था उस पर आज तक व्यवस्था नहीं हुई है। तो मैं आपसे व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : आज ही व्यवस्था दे देंगे।

श्री राजेन्द्र चौधरी : आज ही दे देंगे ?

श्री अध्यक्ष : बिलकुल, बिराजिये आप।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : अध्यक्ष महोदय, एक परम्परा रही है, माननीय सदस्य का नाम बहुत लास्ट में पुकारा जाता है जब उसको ताड़ना देनी होती है। मान्यवर, आसन की तरफ से हर मामले में माननीय सदस्य का सीधा ही नाम पुकारा जाता है। यह सदन के माननीय सदस्यों और आसन, दोनों के लिये ही अच्छी बात नहीं है। जिस किसी को ताड़ना देनी है....

श्री अध्यक्ष : ताड़ना तो मैं किसी को दे ही नहीं रहा हूं।

श्री रामनारायण चौधरी : आसन सीधा ही रामनारायण, रामनारायण....

श्री अध्यक्ष : मैं तो रामनारायण जी कहता हूं। रामनारायण तो कभी कहा ही नहीं है, आपको मैंने कभी कहा है क्या ?

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को उनके निर्वाचन क्षेत्र के नाम से मेहरबानी करके पुकारने की व्यवस्था करवाइये, जो पहले थी और लास्ट में अगर आप हमारे से नाराज हो जाएं तब हमारा नाम लें।

श्री अध्यक्ष : मैं कोई नाराज नहीं होता हूं।

श्री रामनारायण मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जनजाति की धापू नामक महिला को उतरणा से दो जीपों में भरकर माफिया के लोग जबर्दस्ती उठा कर ले गये। जिसमें गावड़ी का सरपंच राजेन्द्र सिंह, महेन्द्र सिंह, पता नहीं कौन-कौनसे सिंह शामिल हैं। उन सिंहों ने उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। उसके सत्ताइस टांके योनि द्वार में आये हैं।

श्री अध्यक्ष : एक मिनट आप बात सुनें।

श्री रामनारायण मीणा : वह जीवन और मौत से जूझ रही है। पन्द्रह दिन हो गये लेकिन उन सिंहों को आज दिन तक गिरफ्तार नहीं किया गया। क्या बात है ? सारे गीदड़, सिंह बन रहे हैं इस राजस्थान में इससे ज्यादा बुरा शासन क्या होगा किसी बात में, क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा रहा है ? 27 टांके आये। उस अनुसूचित जनजाति की महिला के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया।

श्री अध्यक्ष : विराजें आप। (व्यवधान)

श्री बनवारीलाल बैरवा : वह महिला आज तक अस्पताल में पड़ी है (व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : अध्यक्ष महोदय, घटना को बीस दिन हो गये ।

श्री जगदीश प्रसाद मीणा (उनियारा) : अध्यक्ष महोदय, यह मामला मेरे विधान सभा क्षेत्र का है । (व्यवधान)

श्री बनवारीलाल बैरवा : यह जो अपराधी हैं वह खुले आम पुलिस के सामने घूम रहे हैं (व्यवधान) पुलिस उनको पकड़ नहीं रही है । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो ।

श्री रामनारायण मीणा : × × ×

श्री रतनलाल ताम्बी : × × ×

श्री अध्यक्ष : आप बोलें तो सही । एक माननीय सदस्य ने कहा (व्यवधान) क्या कहना चाहते हैं आप ?

श्रीमती बीना काक : × × ×

श्री रामनारायण मीणा : × × ×

श्री बनवारीलाल बैरवा : × × ×

श्री अध्यक्ष : आप कहना क्या चाह रहे हैं यह तो पता ही नहीं लग रहा है ।

श्री रामनारायण मीणा : × × ×

श्री परसादीलाल मीणा : × × ×

श्री अध्यक्ष : किस के लिये कह रहे हैं आप ?

श्री रामनारायण मीणा : × × ×

श्री अध्यक्ष : क्या कहना चाह रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा ।

श्री परसादीलाल मीणा : × × ×

श्रीमती बीना काक : × × ×

श्री अध्यक्ष : (व्यवधान)....आप कहना क्या चाहते हैं ?

श्री बनवारीलाल बैरवा : × × ×

श्रीमती बीना काक : × × ×

श्री रामनारायण मीणा : × × ×

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : अध्यक्ष महोदय, किस्सा यह है कि एक अनुसूचित जनजाति की महिला के साथ....

श्री हरिशंकर भाभड़ा (उप मुख्य मंत्री) : सिंह को बोलने का अधिकार नहीं है सिंहों पर ही तो चार्ज लगा रहे हैं ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मुझे बोलने का अधिकार है । मैं तो एक्सप्लेन कर रहा हूं । (व्यवधान)....

श्रीमती बीना काक : आप मंत्री हैं इसलिये आप आवाज नहीं उठाते । आप सरकार में हैं, किसी ने आपसे नहीं कहा कि आप आवाज न उठायें महिलाओं के साथ बलात्कार हो तो । सिर्फ इसलिये,

---

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

(श्रीमती बीना काक)

इंसान तो हैं आप, आप अपनी इंसानियत को क्यों छोड़ते हैं ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री परसराम जी विराजिये आप ।

श्री परसराम मोरदिया : इतना बड़ा अत्याचार उस महिला के साथ हो गया और श्री मामड़ा जी .. (व्यवधान)....

श्रीमती बीना काक : सरकार में बैठे हैं ईसलिये आप आवाज ही नहीं उठा सकते हैं, अधिकार की बात कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष : आप बोल रहे हैं, दो मिनट कहने तो दें । पता तो लगे कि क्या कहना चाह रहे हैं, मुझे तो अभी तक समझ में ही नहीं आया ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, केस वाकई बहुत सीरियस है और गृह मंत्री जी ने सारी बात सुन भी ली है । मामला यह है कि अनुसूचित जनजाति की कोई महिला थी, मीणा जाति की, कोटा डिवीजन की, उसको उठाकर ठेकेदार ले गये, शराब के ठेकेदार थे ।

श्री जगदीश प्रसाद मीणा : अध्यक्ष महोदय, यह मेरे विधान सभा क्षेत्र उनियारा का मामला है । यह महिला बिलकुल निर्दोष है । इसके साथ बलात्कार हुआ ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : सामूहिक बलात्कार किया जिसकी वजह से उसके 27 टांके आये । उसके बारे में आप कुछ भी नहीं बोल रहे हैं । मेहरबानी करके आप कुछ न कुछ बोलिये ।

श्री अध्यक्ष : तो आप यह कहें ना । कुछ पता तो लगे । सब जने एक साथ कह रहे हो । पता ही नहीं लगा कि क्या कहा आपने ।

श्री कैलाश मेघवाल (गृह मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकरण की चर्चा अभी माननीय श्री खेतसिंह जी, कांग्रेस के माननीय सदस्यगण, और उनियारा से आने वाले माननीय विधायक ने उठायी है, जहाजपुर से आने वाले माननीय विधायक ने, निवाई से आने वाले विधायक ने, टोडाभीम से आने वाले माननीय विधायक, माननीय श्री परसादी लाल जी विधायक माननीय श्री रामनारायण जी विधायक, श्री परसराम जी माननीय विधायक हैं....

श्री अध्यक्ष : उनियारा वाले भी आ गये ।

श्री कैलाश मेघवाल : सुमेरपुर की माननीय बीना जी काक और कौन-कौन बाकी रह गया सबके नाम गिनाऊं, सबके नाम ले लेता हूं ।

श्रीमती बीना काक : पूरा सदन इस बात से पीड़ित है ।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : कौक नहीं, शटल कोक नहीं है, काक कहिये ।

श्रीमती बीना काक : आप अपनी सीमाएं जानना नहीं चाहते । हम सब बंधे हुए हैं इसलिए आवाज उठा रहे हैं ।

श्री कैलाश मेघवाल : जिस प्रकरण की ओर मेरा ध्यान यहां पर आकृष्ट किया गया है यह बहुत वीभत्स और अमानुषिक अपराध हुआ है और मैं, अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि 15 और 16 जून की रात को ढाई बजे कुछ शराब के ठेकेदारों की दो जीपें उतरणा ग्राम में गयीं और वहां जाकर एक भंवरलाल पुत्र छोटू मीणा है, उससे जानकारी की कि भाई शराब कौन बेचता है और शराब बेचने वाले को पकड़वाओ। उसने कहा कि मैं यह धन्धा नहीं करता। उसके ही भाई जगदीश मीणा, जगदीश की पत्नी धापू और उसके लड़के धर्मराज, इन तीनों को जीप में उठाकर ले गये। ले जाने के बाद उनके साथ बहुत ही अमानुषिक कृत्य किया गया और एफ. आई. आर इसमें दी गयी है वह एफ. आई. आर. भंवरलाल मीणा की तरफ से दी गयी है। एफ. आई. आर. के आधार पर 12 मुलजिमान के नाम तो एफ. आई. आर. में आये हैं और 12 मुलजिमान के नाम यहां पर कहे जा रहे हैं। मैं निवेदन करूं, यह एक प्रतिद्वन्दता है। मेरिट्स के आधार पर मैं अभी इसमें कुछ नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि उसमें एस. सी. और एस. टी. एक्ट लगा हुआ है। लेकिन अपराधियों के नाम 12 तो हैं एफ. आई. आर. में और 8 तफतीश के दौरान सामने आये। कुल 20 अपराधी इसमें अभी तक नामजद हुये हैं और इन 20 अपराधियों में आधे लोग हैं तो शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के भी हैं जिसमें मीणा है, जिसमें डोली भी हैं, जिसमें बलाई भी हैं। इसलिये मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि यह शराब की प्रतिद्वन्दता का एक प्रकरण है. और रिश्तेदार, जैसा यह कह रहे हैं। ठेकेदार इस आधार पर, आज कल ठेकेदारों का जो माफिया डवलप हुआ है, अवैध शराब मेरे क्षेत्र में बेची जाती है। इसलिये अवैध शराब का जिन पर शक था, इस परिवार पर शक होने से उनको उठा कर ले गये और धापू के साथ जो किया गया, अध्यक्ष महोदय. यहां तक है जो प्राथमिक दृष्टि से मैं नहीं चाहता कि इसमें मेरिट्स पर कुछ ऐसी स्थिति आये कि मेरे कहने का असर तफतीश पर पड़े लेकिन योनि में हाथ तक डालने की स्थिति आयी है। (व्यवधान) आये हैं ना, मैं कहां मना कर रहा हूं। तथ्यों को मैं कहीं मना नहीं कर रहा। मैं फैक्ट्स के आधार पर, सदन में कोई गलत फैक्ट्स रखना नहीं चाहता लेकिन तफतीश के अन्तर्गत है। अभी जैसा कहा जा रहा है कि शराब के कुछ लोग पकड़े नहीं गये उनमें से, 20 में से 12 लोग गिरफ्तार कर लिये गये और आज नहीं, 16 तारीख को भी गिरफ्तारियां हुई हैं और 1, 2, 3, 4 और 5, 5 व्यक्ति तो 16 तारीख को ही गिरफ्तार कर लिये गये हैं। उसके बाद 17 तारीख को भी गिरफ्तार हुये हैं, 18 को भी गिरफ्तार हुये हैं; 19 को भी गिरफ्तार हुये हैं, 27 को भी गिरफ्तार हुये हैं इस तरह कुल मिला कर 12 अभियुक्त गिरफ्तार किये जा चुके हैं।

मैं माननीय सदस्यों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि आपका आक्रोश वाजिब है और मैं आपके आक्रोश के साथ अपने आपको भी जोड़ता हूं जिस तरह का अमानुषिक और वीभत्स काण्ड हुआ और जब माननीय मुख्य मन्त्रीजी को मालूम पड़ा उन्होंने विशेष तौर से यह निर्देश दिये कि तीन दिन के अन्दर-अन्दर सबको गिरफ्तार

(श्री कैलाश मेघवाल)

किया जाए। मेरे पास माननीय विधायक (उनियारा) आये थे। उनके सामने मैंने टौंक के एस. पी. को और यहां के डी. आई. जी. को इस प्रकरण में बहुत निष्पक्षता से और पूरी मुस्तैदी से कार्य करने के निर्देश दिये हैं। सरकार पूरी तरह से लगी हुई है कि इसमें कोई अपराधी बच नहीं पाये और इसकी तफतीश हो।

अब एक बात यह भी कही गयी कि शराब के ठेकेदार हैं, तेज हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर इसमें कोई फरार हो जाता है, गायब हो जाता है, तलाश करने पर नहीं मिलता है तो मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह अपराधी जो होते हैं बड़े तेज होते हैं, प्रभावशाली भी हैं, शराब के ठेकेदार भी हैं और जितना हमने प्रयत्न किया है कई तरह के, इसमें सांडला, भंवरथला, रामथला, महुआ, भासू, कालेड़ा, मण्डालिया, जिला जयपुर, कोटा आदि स्थानों पर हमने पार्टियां भेजी हैं और आज सवेरे ही मैंने डी.आई.जी. से विशेष तौर से इसके बारे में चर्चा करके उनसे कहा कि तफतीश से जो मुलजिमान सामने आ रहे हैं, 12 आ चुके हैं, 8 अभी नामजद और हुये हैं। इन 8 में से जो-जो भी मुलजिम हैं, चाहे किसी स्तर पर हो, किसी जाति का हो लेकिन सरकार मुस्तैदी से उनको गिरफ्तार करने के प्रयत्न में लग रही है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इसमें किसी तरह से किसी भी अपराधी को, इस तरह के घृणित काम को, सरकार के स्तर पर, मुख्य मन्त्री या गृह मन्त्री का और कोई भी अधिकारी, मेरी पूरी नजर है, क्योंकि लगातार मैं इसकी मोनीटरिंग कर रहा हूं। मैं सदन को आश्वस्त करना चाह रहा हूं कि इसमें बिलकुल निष्पक्ष कार्यवाही होगी और जो भागे हुये लोग हैं उनके सूत्र भी हम तलाश कर रहे हैं और किसी तरह का कोई प्रभाव इसमें काम नहीं देगा। राजस्थान सरकार पूरी मुस्तैदी से इसमें कार्यवाही करेगी और अपराधियों को सख्त से सख्त सजा दिलाएगी। यह मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री रामनारायण मीणा : जो मुलजिमान हैं वह शराब के ठेकेदार हैं। मेरा बहुत साधारण सा प्रश्न है। नेशनल हाई-वेज और स्टेट हाई-वेज पर उनको स्पेशल (व्यवधान)

श्री जगदीशप्रसाद मीणा (उनियारा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें जो मेन मुलजिम हैं वह शराब के ठेकेदार हैं उन्हें पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही है। इसमें दो पुलिस के हैड कांस्टेबल भी थे उनको बचाने का प्रयास चल रहा है। जिनको मन्त्रीजी यह आश्वासन दें कि इन आदमियों को नहीं बचाया जाएगा। उनको गिरफ्तार किया जाए।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं इसमें एक जानकारी और दूंगा.... (व्यवधान)....

श्री रामनारायण मीणा : मेरा एक ही निवेदन है वह यह है कि चूंकि स्टेट हाई-वेज पर ठेके चल रहे हैं आप उन ठेकों पर कब्जा कर लीजिये मुलजिम तो अपने आप आपके सामने सरेंडर हो जाएंगे।

(श्री रामनारायण मीणा)

लाखों करोड़ों रुपयों की नाजायज शराब बेच रहे हैं। नेशनल हाई-वेज पर बेच रहे हैं। (व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : मुझे अफसोस है इस बात का कि पुलिस विभाग के भी दो व्यक्ति, एक हैड कांस्टेबल और एक कांस्टेबल है। उनकी गिरफ्तारी 18 तारीख को हो चुकी है। उनको किसी तरह बचाया नहीं जा रहा है और दूसरे सारे प्रयत्न भी इसमें किये जा रहे हैं और शराब के ठेकेदार जैसा मैंने निवेदन किया ...(व्यवधान)....

श्री रामनारायण मीणा : मेरी बात तो सुनिये।

श्री कैलाश मेघवाल : बात तो मैंने सुन ली।

श्री रामनारायण मीणा : मैं यह कह रहा हूं कि डाक्टर ने गलत मेडिकल किया है (व्यवधान) उस डाक्टर के खिलाफ क्या कार्यवाही की आपने ?

श्री कैलाश मेघवाल : मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप यहां उठायें, मुझे एतराज नहीं है। इस सदन में सारी चीजें सामने आनी चाहिये, इससे भी मुझे एतराज नहीं है लेकिन मैं इस मामले में, क्योंकि मुझे बहुत ही सतर्कता और सावधानी से यहां बोलना पड़ता है, आपके सामने सारे फैक्ट्स रख दिये। सारी कार्यवाही की जा रही है। जिस तरह से यहां जितनी अधिक चर्चा होगी उतना ही अपराधी बचने की कोशिश करेगा, मैं आपको बताऊं। जितना तेजी से हम अपने सूत्र ढूंढ़ रहे हैं। सारे फैक्ट्स, सरकार की नीयत पर, आप व्यक्तिगत भी चर्चा कर सकते हैं, मेरे प्रयत्नों के बारे में चर्चा कर सकते हैं। पुलिस अधिकारियों से, एस. पी. और डी. आई. जी. से चर्चा कर सकते हैं। सब स्तर पर हम इस मामले में सतर्क हैं। किसी अपराधी को नहीं बचाया जाएगा।

श्री रतनलाल ताम्बी : अध्यक्ष महोदय, एक सवाल मेरा भी थोड़ा सा....

श्री अध्यक्ष : किस बारे में कह रहे हैं आप ? (व्यवधान)

श्री कन्हैयालाल मीणा : जिस प्रकार से जबरदस्ती करके उसको उठा कर ले गये, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसकी जांच किसी उच्च अधिकारी से करवायी जाए। जो इन्चार्ज जांच कर रहा है उससे तफतीश लेकर किसी डीवाई. एस. पी. से या किसी और से जांच करवायी जाए। (व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : एस. पी. की सीधी निगरानी में हो रही है। (व्यवधान)

श्री कन्हैयालाल मीणा : जांच करने वाला मेन मुलजिम है जो ठेकेदार है, जो उठाकर ले गया उनका क्या किया ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप श्री कन्हैयालालजी क्यों खड़े हो रहे हैं। कम से कम अनुमति तो लें, हमको पता तो लगे आप कहना क्या चाहते हैं ? पांच माननीय सदस्य खड़े हो गये, 10 मिनट, 20 मिनट और खराब कर दिये। पांच मिनट की बात थी। बहुत अच्छी बात रखी आपने।

श्री रतनलाल ताम्बी : अध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत एक सवाल पूछना चाहता हूं कि 12 व्यक्ति जो गिरफ्तार हुये हैं और 8 नहीं हुये तो 12 व्यक्ति जो पहले नामजद रिपोर्ट में थे वही हुये हैं या बाद वाली कार्यवाही के गिरफ्तार हुये हैं, जो बाद में जोड़े गये हैं। मेरा मानना है कि 12 व्यक्ति जो पहले नामजद थे वास्तव में उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, वे प्रभावशाली व्यक्ति गायब हो रहे हैं।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्षजी, जो पहले 12 व्यक्ति नामजद हुये उनमें से 10 गिरफ्तार किये जा चुके हैं और बाद में तफतीश में जो सामने आये उन 8 में से 2 व्यक्ति गिरफ्तार किये जा चुके हैं....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : सुनी सुनायी बातों पर क्या एक्सप्रेशन कर रहे हैं आप। विराजें आप। श्री शैलेन्द्र जोशी, आपका बूंदी की टैक्स के बारे में था।

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : अध्यक्ष महोदय, कृषि उपज मण्डी समिति बूंदी के अन्तर्गत टैक्स की चोरी की जा रही है। उसमें एक फर्जी बिल बुक जब्त की गयी जिसमें 100 फर्जी बिल थे। एफ. आई. आर. की रिपोर्ट नम्बर 176/94 बनी थी। किन्तु यह बहुत ही दुःख की बात है कि उस रिपोर्ट जिसमें 100 फर्जी बिल थे केवल 4 पर मुकदमे बनाये गये पर 96 लोगों पर मुकदमे नहीं बनाये गये। इस तरह से जो बिल जब्त किये गये जिसमें फर्जी फर्मों के नाम थे और जिस नाम की फर्म कोई रजिस्टर फर्म नहीं थी और न ही मण्डी समिति का टैक्स फर्म ने दिया था ऐसी अनरजिस्टर्ड फर्जी फर्मों के खिलाफ पुलिस ने जानबूझकर जो डायरी जब्त की थी उसमें से केवल 4 व्यक्तियों के खिलाफ चालान पेश किया और 96 लोगों को बचा लिया। 96 लोगों से रिश्वत ली जिसके कारण सबूत होते हुये भी उनको नष्ट कर दिया गया और जानबूझकर व्यापारियों को लाभ पहुंचाया गया। जिससे शेष व्यापारी जो ईमानदारी से काम करते हैं उनमें असन्तोष है, जन-आक्रोश है। क्योंकि यह पब्लिक टैक्स है, मण्डी का टैक्स इसकी जानबूझकर चोरी की जा रही है अन-रजिस्टर्ड और फर्जी नामों से संस्थाएं चलती हैं। इस प्रकार मेरा निवेदन यह है कि इस मुकदमे के अन्तर्गत बिल बुक में उन सब बिलों को, जो फर्जी हैं उनके खिलाफ मुकदमे बनाये जाएं और 96 लोगों को भी दोषी करार दिया जाए। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : आज आपने मुझे जो पर्चियां दी हैं अब उनको मैं जल्दी-जल्दी निपटाना चाहता हूं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपने आपको रेस्ट्रेन रखें। आप अपनी बात फरमावें मैं उसको रोकता नहीं हूं। लेकिन दो-दो बजे तक यही काम चलता रहेगा तो दूसरा बिज़नेस आ नहीं पाएगा। श्री रामस्वरूप जी मीणा।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे समाज के चौथे स्तम्भ जो पत्रकार हैं, उनकी सुरक्षा के बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं। परसों की ही बात है कि हमारे जिला सवाईमाधोपुर की जिला पत्रकार विकास समिति के प्रतिनिधियों का एक शिष्टमण्डल

(श्री रामस्वरूप मीणा)

पुलिस अधीक्षक से मिला। उन्होंने पत्रकार जानकी लाल शर्मा एवं शैलेन्द्र शर्मा के निवास पर जो कातिलाना हमला किया उन लोगों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की। लेकिन आज तक भी पत्रकारों पर कातिलाना हमला जिन्होंने किया है, उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं हुई है। एक भी मुलजिम को गिरफ्तार नहीं किया गया है। इस प्रकार की घटनाएं राजस्थान में पत्रकारों के साथ घट रही हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य में वर्ष 1996 में पत्रकारों के साथ 61 अभियोग मारपीट के दर्ज हुए, वर्ष 1990 से 1996 तक इसी प्रकार की घटनाएं और 61 हुई, 45 अभियोगों में अभियुक्तों के खिलाफ चालान पेश किये गये और 8 अभियोगों में वाद अनुसंधान विचाराधीन हैं। शेष 8 अनुसंधान हैं। माननीय गृह मन्त्री जी ने लिखा है कि ऐसी घटना की सूचना प्राप्त होते ही तत्काल प्रभावी ढंग से कार्यवाही की जाती है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि पत्रकार बन्धु आये दिन देश हित में बात लिखते रहते हैं, जब कोई सच बात लिखते हैं तो उनके साथ मारपीट होती है, उनकी बेइज्जती की जाती है और उनके ऊपर जान लेवा हमले किये जाते हैं। मेरे जिले सवाईमाधोपुर में अभी हाल में दो पत्रकारों पर कातिलाना हमला किया गया। मारने के विचार से आये थे। वे घायल हुए हैं। चोटें आई हैं। लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुयी है।

मेरा विनम्र निवेदन है आपके माध्यम से कि आप भी इस मीडिया के बारे में आश्वासन देकर आये थे, अभी एक मीटिंग में आप पधारे थे तो उसमें आपने भी विश्वास दिलाया था कि मीडिया की रक्षा की जाएगी। आप देश के हित में लिखें। वे क्या लिखें देश हित में? देश हित में लिखने पर उनके साथ यह होता है। एक पत्रकार होने के नाते मेरा भी यह दुःख है। मेरा दिल रोता है इस बात पर। अध्यक्ष महोदय, हमारी रक्षा आप करें। यह पत्रकारों के ऊपर जो हमला हुआ है उसके बारे में आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं?

श्री अध्यक्ष : विराजिये आप। श्री शांतिकुमार जी धारीवाल।

श्री रामस्वरूप मीणा : इस बारे में मेरा निवेदन यह था कि गृह मन्त्री जी क्या कर रहे हैं? आपने कहा था कि रक्षा करूंगा उनकी। गृह मन्त्री जी, क्या रक्षा करोगे? हमको बताइये आप। माननीय अध्यक्ष महोदय, दो पत्रकारों पर हमला हुआ है, जान लेवा हमला हुआ है। गृह मन्त्रीजी इस बारे में कहिये।

श्री अध्यक्ष : विराजें आप। हो गयी आपकी बात। मैं इसलिये आपको कह रहा हूं कि I can not allow like this. विराजें आप। बात हो गयी आपकी।

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डोली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, 19-1-95 को दैनिक नवज्योति में कोटा के बारे में एक समाचार छपा था। वह समाचार इस बाबत था कि एक सप्लाई करने की फर्म ने नगर निगम कोटा में फर्जी पेमेंट उठा लिया। किसी प्रकार की सप्लाई नहीं हुयी। इस

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

पर एक जांच कमेटी नगर निगम ने बना दी। जो मोटे-मोटे तथ्य कमेटी के सामने आये, तत्कालीन ग्रायुक्त जो उस वक्त नगर निगम में थे उन्होंने एक हजार रुपये की 77 स्वीकृतियां टुकड़ों-टुकड़ों में जारी कीं। सारी स्वीकृतियां जो 77 थीं वे सिर्फ एक-एक हजार रुपये की थीं। निर्माण सामग्री क्रय करने की अभिशंषा एवं समस्त स्वीकृतियों पर निर्माण अनुभाग के किसी भी सक्षम ग्रधिकारी ए. ईएन. या जे ईएन. के हस्ताक्षर नहीं करवाये गये, किसी भी स्वीकृति में ग्रायुक्त के हस्ताक्षरों पर दिनांक ग्रंकित नहीं की गयी ग्रौर जिससे सन्देह होता था कि यह स्वीकृतियां सारी की सारी एक ही दिन में जारी की गयी हैं। किसी भी स्वीकृति पर सेक्टर कार्यालय से आयुक्त कार्यालय तक टिप्पणियों पर ग्रावक ग्रौर जावक क्रमांक ग्रंकित ही नहीं थे। समस्त स्वीकृतियां दस्ती रूप में दी गयी थीं। सामग्री जिसमें....

श्री ग्रध्यक्ष : आप कहना क्या चाह रहे हैं वह फरमावें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : एक मिनट का मामला है। मैं ज्यादा लम्बा नहीं लूंगा। रेत, चूना, ईंट, कातला वगैरह की स्वीकृतियां थी और जिन पर वसूली के तौर पर मिस्त्री के दस्तखत करवा लिये गये। जे. ईएन. ग्रौर ए. ईएन. के दस्तखत ही नहीं करवाये गये। जांच हुई, जांच में उन मिस्त्रियों ने भी मना कर दिया कि यह हस्ताक्षर हमारे नहीं है। ग्रब जिस फर्म को यह पेमेंट किया गया उस फर्म का नाम कपिल एण्टरप्राइजेज है। इसकी मालिक कोई सोनिया जी हैं ग्रौर इनके पति श्री घनश्याम नाम के व्यक्ति हैं, जो उसी नगर निगम में कार्यरत हैं। वहां के कर्मचारी हैं। श्री घनश्याम ने भी मन्जूर किया है कि कपिल एन्टरप्राइजेज ने 86,266 रुपये की रकम उठा ली है। यह फर्म मेरी पत्नि की है। इसके पश्चात् ताज्जुब की बात तो यह है कि सरकार की जानकारी में यह बात ग्रा गयी कि ग्रायुक्त ने प्रशासक को भी कोई चीज प्रेषित नहीं की। उनकी स्वीकृतियां भी नहीं लीं ग्रौर राशि कपिल एण्टरप्राइजेज को दे दी। यह जांच रिपोर्ट ग्राने के बाद भी उस कपिल एण्टरप्राइजेज के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गयी। बल्कि उसको 15 लाख रुपये का ग्रोर पेमेंट कर दिया।

स्वायत्त मन्त्री तो यहां विराजमान नहीं हैं लेकिन निर्माण मन्त्री कोटा से विराज रहे हैं। मैं उनकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि जब जांच हो गयी ग्रौर जांच होने के बाद भी उसको 15 लाख रुपये का ग्रौर काम दे दिया। कोई सामग्री स्टोर पर जमा नहीं हुई। कोई ग्रावक नहीं, किसी के दस्तखत नहीं और जिनके दस्तखत करवाये गये उन्होंने मना कर दिया लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुयी। सरकार से कोई कार्यवाही करवाने की कृपा करें।

श्री ग्रध्यक्ष : विराजें। श्री भंवर सिंह जी।

श्री भंवरसिंह डांगावास (मेड़ता) : माननीय अध्यक्ष महोदय, गत रात्रि को

(श्री भंवरसिंह डांगावास)

मेड़ता सिटी में ऐसा जघन्य और शर्मनाक अपराध एक मेघवंशी बालिका के साथ घटित हुआ। बालिका वर्तमान में पंचायत समिति की महिला प्रधान श्रीमती सुक्खी देवी की पुत्री है।

श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) : यह राजस्थान में क्या हो रहा है ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप कृपया शांति रखें।

श्री भंवरसिंह डांगावास : कृपया ऐसे गम्भीर मामलों में तो बीच में न बोलें।

श्री रामगोपाल बैरवा : गम्भीर मामला है। इसलिये ही तो सारा सदन साथ है।

श्री अध्यक्ष : कृपया डिस्टर्बेंस न करें।

श्री भंवरसिंह डांगावास : माननीय अध्यक्ष महोदय, अपराधीगण कार लेकर आये। घर से बच्ची को उठाया। पिता जगा और उसने मौहल्ला इकट्ठा किया। कार वहां से गायब हो गयी। उस बच्ची के साथ जहां तक सम्भावना है, बलात्कार किया गया है और अन्त में उसको मार दिया गया। बेटी सबकी है, हमारी भी बेटी है। पूरे सदन की बेटी है। अध्यक्ष महोदय, नामजद एफ. आई. आर. है। मैंने पुलिस उप अधीक्षक से सम्पर्क करने की चेष्टा की। वह घटनास्थल पर या अन्य कहीं गये हुए थे, वे मिले नहीं। गृह मंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरे द्वारा प्रार्थना करने पर पुलिस अधीक्षक को टेलीफोन किया। जैसा कि बताया गया। लेकिन ऐसे अपराध में नामजद एफ. आई. आर., जघन्य अपराध, अनुसूचित जाति की बालिका के साथ, बिना विवाह हुई बालिका के साथ हो और गिरफ्तारियां एक घण्टे में एफ. आई. आर. के साथ न हो ...

श्री अध्यक्ष : विराजें आप।

श्री भंवरसिंह डांगावास : ऐसे मामले में विराजने की मत कहिये।

श्री अध्यक्ष : यहां तो सब गम्भीर ही आते हैं।

श्री भंवरसिंह डांगावास : कुछ तथ्य आपको देता हूं। रात्रि को जिस वक्त बच्ची उठायी गयी थी उसके पिता ने मुझे टेलीफोन किया कि मैंने रात को ही पुलिस को सूचना दी थी। मेडिकल विभाग के लिये एक दु:खद घटना है। एक दु:खद इत्तला है कि वहां महिला चिकित्सक नहीं है। आज उसने अवकाश ले लिया है। यह भी सूचना मिली कि इस कारण से बच्ची का समय पर पोस्टमार्टम नहीं हो रहा है। सी. एम. एच. ओ. से सम्पर्क किया तो उन्होंने कहा कि मैं कहीं न कहीं से महिला चिकित्सक भेजने की व्यवस्था करूंगा। मैं यह प्रार्थना करता हूं। कोई प्रश्न नहीं। मुझे मालूम है कि गृह मंत्री जी और पुलिस यथेष्ट चेष्टा करेंगे। परन्तु आज शाम तक नामजद

(श्री भंवरसिंह डांगावास)

मुलजिम अगर गिरफ्तार नहीं होंगे यह तो काला धब्बा राजस्थान पुलिस पर होगा। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : विराजें। दिस इज नोट ए डिबेट। उनको बात ध्यान में लानी थी। वह आ गयी। श्री मोहन जी मेघवाल।

श्री मोहन मेघवाल (सूरसागर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जलदाय विभाग के मन्त्री जी का ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं कि जोधपुर लिफ्ट कैनाल जो भारी वर्षा के कारण टूट गयी है। नहर टूटने का कारण अधिकारियों द्वारा निर्माण करते समय पानी की निकासी का कोई ध्यान नहीं रखना है। और इस कारण से चार किलोमीटर नहर टूट गयी। मैं राज्य सरकार से मांग करता हूं कि इस मामले की जांच कर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करें तथा नहर टूटने से जोधपुर शहर को 110 लाख गैलन पानी प्रतिदिन मिलने वाला बन्द हो गया तथा जवाई बांध में पानी की कमी है इसलिये राज्य सरकार इस नहर का पुनः निर्माण करायें ताकि जोधपुर शहर को पानी मिल सके।

श्री अध्यक्ष : श्री अमराराम (धोद)।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वह तो हैं नहीं लेकिन उच्च शिक्षा मंत्रीजी ध्यान कर लें कि ताम्बी सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय, पलसाना के मिडल सैक्सन को सरकार के आदेश दिनांक 14-5-96 से प्राइमरी सैक्शन में स्थापित करने का एक आदेश जारी कर दिया। जबकि प्राइमरी स्कूल में आलरेडी 456 विद्यार्थी हैं और बैठने लायक केवल पांच कमरे हैं। पांच कमरे टीन शैड के बने हुए हैं, उनकी दीवारें फटी हुई हैं वह कभी भी गिर सकती हैं और घटना घट सकती है। उस प्राइमरी स्कूल के 456 विद्यार्थियों में से आधे विद्यार्थियों को कमरों के बाहर पेड़ के नीचे पढ़ना पड़ रहा है। जबकि शिक्षा विभाग ने बताया कि 1100 के ऊपर जिस सीनियर माध्यमिक विद्यालय में विद्यार्थी हैं उनकी मिडल क्लास को अलग कर दिया जाए। इसको भी अलग कर दिया जाए हमें कोई एतराज नहीं है अगर बैठने की सुविधा वहां उपलब्ध हो तो। पूरी स्कूल में मात्र 842 विद्यार्थी हैं और उस मिडल सैक्शन में 366 विद्यार्थी हैं। उनको इसलिये उस प्राइमरी सैक्शन में भेजा जा रहा है क्योंकि पलसाना में एक मिडल स्कूल आदर्श विद्या मन्दिर के नाम से चलाया जा रहा है। उस आदर्श विद्या मन्दिर को चलाने वाले लोगों ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों से मिल करके यह प्रस्ताव बना दिया कि इस मिडल सैक्शन को प्राइमरी सैक्शन में जिसमें मात्र पांच कमरे हैं उसमें स्थापित कर दिया जाए ताकि विद्यार्थियों को बैठने की जगह नहीं होगी और वह तकलीफ पाकर आदर्श विद्या मन्दिर में आएंगे। इसलिये मेरा अनुरोध है प्राइमरी में स्थापित कर दिया जाए हमें कोई एतराज नहीं है लेकिन जब तक मकान नहीं हो, जगह होनी चाहिये। जबकि

(श्री ग्रमराराम)

सीकर जिले के सभी ग्रामीण स्कूलों में चल रहे हैं तब तक इनको नहीं रखा जाए।

श्री ग्रध्यक्ष : विराजें। माननीय श्री हीरालालजी विश्नोई।

श्री हीरालाल विश्नोई (सांचौर) : ग्रध्यक्ष महोदय, गृह मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। एक ग्रबला महिला अपने पति के ग्रारोपियों को पकड़वाने के लिये 17 तारीख से भूख हड़ताल पर बैठी है जिला मुख्यालय पर। महोदय, निवेदन है कि दो वर्ष पूर्व एक ग्रध्यापक किशनाराम की मुल्जिमानों ने ग्रपने घर पर बुलाकर उसकी हत्या करके लाश जंगल में फैंक दी। 12 दिन पश्चात उन्हीं लोगों ने पुलिस से मिलीभगत करके लाश का पोस्ट-मार्टम करा कर मृतक के परिवारजनों को सौंप दी तथा पुलिस द्वारा एक मुकदमा रिपोर्ट/संख्या 56/94 दर्ज कर दी गयी। पोस्ट-मार्टम रिपोर्ट से साफ जाहिर होता है कि मृतक की धारदार हथियार द्वारा हत्या की गयी है।

उपरोक्त मामले की तफतीश जिस किसी ग्रधिकारी को सौंपी जाती है उन मुल्जिमानों की ग्रापके शासन में ऊंची पहुंच होने से फाइल को ट्रांसफर कर दी जाती है। पुलिस ग्रधीक्षक, जालौर द्वारा हत्या जैसे मामले में दिलचस्पी न लेना इस बात का द्योतक है कि आपके शासन में पहुंच रखने वाला कुछ भी करे तो भी उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। छह माह पूर्व इस फाइल को तफतीश हेतु श्री दुर्गसिंह, पुलिस ग्रधीक्षक को सौंपी गयी थी। उन्होंने इस पूरे केस की बारीकी से छानबीन कर मुल्जिम को गिरफ्तार करने में सफलता पायी परन्तु दुर्भाग्य से दूसरे मुल्जिमानों को गिरफ्तारी करते उससे पूर्व ही फाइल ट्रांसफर कर दी, दूसरे ग्रधिकारी, अतिरिक्त पुलिस ग्रधीक्षक, जालौर को सौंप दी गयी तथा उपरोक्त केस को ग्राधा ग्रधूरा तोड़ मरोड़ कर चालान पेश किया तथा ऐसा प्रतीत होता है कि मृतक के भाइयों को ही मुलिजम बनाने की कोशिश की जा रही है। ग्रापके शासन में पुलिस प्रशासन का यह रवैया तो बाड़ ही खेत खा रही है।

उपरोक्त मामले में सिरोही पुलिस ग्रधीक्षक, जालौर उप निरीक्षक पुलिस से सम्पर्क कर हत्या जैसे मामले की निष्पक्ष जांच करने का अनुरोध बार-बार कर चुका हूं। न्याय न मिलने के कारण मृतक की विधवा पत्नी, उसके परिवार के लोगों के साथ पुलिस ग्रधीक्षक, जालौर के कार्यालय पर न्याय हेतु शांतिपूर्वक धरना दे रही हैं, तो भी पुलिस विभाग उसको बार-बार धमका रहा था और ग्रतिरिक्त पुलिस ग्रधीक्षक तो यहां तक कह रहे थे कि भाग जाग्रो नहीं तो ग्रापको ग्रन्दर कर देंगे।

मेरा आपसे ग्रनुरोध है कि उपरोक्त मामलों की ग्राप अपने स्तर पर निष्पक्ष जांच करायें तथा फाइल ग्रतिरिक्त पुलिस ग्रधीक्षक, जालौर से लेकर किसी ईमानदार ग्रधिकारी द्वारा इसकी जांच करवायें तथा धरने पर बैठी मृतक की विधवा पत्नी एवं परिवारजन को सुरक्षा तथा निष्पक्ष इसकी जांच करवायें। ग्रध्यक्ष महोदय, गृह मंत्रीजी से इसका वक्तव्य दिलायें। 17 तारीख से वह भूख हड़ताल पर बैठी है ग्रौर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है।

श्री अध्यक्ष : आपने अपनी बात कह दी। आप उनसे जाकर मिल लेना।

श्री हीरालाल बिश्नोई : आप कह रहे हैं मैं बता दूंगा। आपने कल भी यही कहा था कि मैं बता दूंगा।

श्री अध्यक्ष : अभी आप मिललेना उनसे। विराजें आप। (व्यवधान) आपने अपनी बात कह दी, आप उनसे जाकर मिले। मैं उनसे कह रहा हूं।

श्री रामस्वरूप मीणा : पत्रकारों के साथ मारपीट हुई है और मंत्रीजी जवाब नहीं दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती बीनाजी। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, पत्रकारों को पीटा जाता है। और फिर आप कहते हो कि बैठ जाओ।

श्री रामस्वरूप मीणा : कोई कार्यवाही नहीं हो रही है।

श्री अध्यक्ष : आप बैठें तो सही।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, टोडामीम से आने वाले माननीय सदस्य ने जो पत्रकारों का सवाल उठाया है। पत्रकार हमारे स्वतन्त्र विचार के वाहक हैं और चतुर्थ स्तम्भ हैं उनके साथ किसी तरह का कोई अपराध घटित होता है तो राज्य सरकार उसके बारे में पूरी तरह से चिन्तित है। आज उन्होंने मेरा जो ध्यान आकर्षित किया है, मैं आपके माध्यम से उनको विश्वास दिलाता हूं कि यथोचित कार्यवाही इसमें की जाएगी।

सांचौर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह जो मामला उठाया है वह कल मेरे से मिले भी थे। जो मृतक है, उसकी पत्नी आपके कहने के हिसाब से वहां भी बैठी है। मैं उसके बारे में आपको एक ही विश्वास दिला सकता हूं कि इसमें तीन बार तफ्तीश हो चुकी है। एक बार एक डीवाई.एस.पी. ने की, दूसरी बार दूसरे डीवाई एस पी. ने की। एफ. आर. की स्थिति भी आयी, हाई कोर्ट में भी जमानत हो चुकी है। यह सारा प्रकरण आपके ध्यान में है।

श्री हीरालाल बिश्नोई : उनको गिरफ्तार कीजिये।

श्री अध्यक्ष : आप पूरा सुन लें पहले।

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको एक ही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यह पत्रावली अभी एडीशनल एस.पी., जालौर के पास तफ्तीश के लिये है लेकिन आपने उसमें शंका जाहिर की है, तो मैं इस पत्रावली को सतर्कता में परीक्षण हेतु मंगवा लेता हूं और परीक्षण के बाद इसमें बिलकुल निष्पक्ष तफ्तीश के निर्देश दूंगा। पत्रावली सतर्कता में मंगवा लेंगे और आपने घरने पर बैठाये रखा है उन सबको आप उठवा दें कृपया। आपको न्याय मिलेगा।

श्री हीरालाल बिश्नोई: कलक्टर साहब को कहें वह उठवाएंगे।

श्री अध्यक्ष: विराजें। श्रीमती बीनाजी।

श्रीमती बीना काक (सुमेरपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन में रोज महिलाओं के प्रति अत्याचार, बलात्कार और किसी न किसी प्रकार के शोषण के मामले उठाये जा रहे हैं। आज पहले जो मामला उठाया गया है उसमें माननीय मंत्री जी ने काफी संतुष्ट कर दिया था हमारे माननीय सदस्यों को। इस मामले में मैं चाहूंगी कि गृह मंत्री जी उतनी ही संवेदनशीलता से अपना न्याय दिलवायें। उनके साथ ही स्वास्थ्य मंत्रीजी भी विराजमान हैं, दोनों साथ ही बैठे हैं। यह एक व्यभिचारी, दुराचारी डाक्टर की हरकतों की हवस की शिकार एक महिला का गंभीर मामला है। एक डाक्टर के पास एक व्यक्ति इंसान जो पीड़ा में होता है तभी जाता है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में पांच वर्ष से यह डाक्टर कार्यरत है। इनकी पहले काफी शिकायतें आयी, काफी दुराचारी हैं, इनका आचरण काफी खराब हैं। सी.एम.एच.ओ. ने दो साल पहले एन्क्वायरी भी की थी, उसके अन्दर रिपोर्ट भी यहां आयी थी, सरकार को रिपोर्ट भेजी गई थी कि यह दुराचारी है। उसके बावजूद उन्हें वहां से नहीं हटाया गया। डा जगदीश सिंह के पास 13-5-96 को भवरीदेवी सुथार जो कि गर्भवती थी, पेट में दर्द की शिकायत लेकर उनके पास पहुंची और इस व्यभिचारी, चरित्रहीन डाक्टर ने उस पीड़ा से कराह रही महिला की मजबूरी का फायदा उठा कर उसे अपनी हवस का शिकार बनाना चाहा। जब उसके साथ हरकत हुई तो वह महिला किसी तरह से उसके पंजे से छूट कर अपने घर गयी और रात भर रोती रही। अपने पति को बताया, बात फैली। गांव वालों ने ढाढस बंधाया कि तुम यह मामला उठाओ हम सब तुम्हारे साथ हैं। ऐसे मामलों में महिला को हमेशा यह द्वन्द रहता है कि वह घटना के बारे में बताये या न बताये। लेकिन इस महिला ने हिम्मत करके अगले दिन पुलिस में एफ.आई.आर. दर्ज करवायी। दिनांक 14-5-96 को दर्ज एफ.आई.आर. में उस महिला के साथ किस तरह से क्या-क्या हुआ उसका मैं यहां बयान नहीं करना चाहती। यह एफ.आई.आर. नम्बर 61/96, धारा 354, आई.पी.सी. के तहत लज्जा भंग करने के बारे में दर्ज करायी गयी।

अगले दिन पूरा गांव डाक्टर के घर इकट्ठा हुआ। लोग क्रोध और आक्रोश में पागल हो गये थे उन्होंने उस डाक्टर को घर से निकाल कर पिटाई की और उसके कपड़े उतार कर जलील किया। यह डाक्टर जगदीश सिंह वहां से भागकर दूसरे डाक्टर एस.पी. पुरोहित के घर गया और वहां संरक्षण चाहा लेकिन लोगों ने उसे वहां से भी निकाला। उस डाक्टर ने भी उसे कहा कि तुम अब आत्मसमर्पण कर दो, अपने आपको पुलिस के हवाले कर दो लेकिन यह डाक्टर वहां से किसी तरह से भाग छूटा।

इस डा. जगदीश सिंह ने पांच-सात दिन बाद अपने ऊपर अटैक करने वालों को पिटवाया और एक अन्य डा. अवस्थी की कार को जला दिया, उसके टुकड़े-टुकड़े कर दिये। इस मामले में पुलिस ने दो लोगों को अरेस्ट किया लेकिन तीन लोग वहां से अब्स्कोंड कर गये। पहले तो अटैम्प्ट टू रेप इसके बाद यह डाक्टर खुद तो एब्स्कोंड हो गया पर अपने सालों और भाइयों को डा. एस.पी. पुरोहित जो वहां पर अभी पोस्टेड हैं, के घर पर रात को गये। डा. जगदीश सिंह

(श्रीमती बीना काक)

की पत्नी ने जो लोग अटैक करने वाले आये थे उनको डा. पुरोहित का घर बताया। रात को इनके भाई और साले ने चादर ओढ़ करके, पेशेंट बन कर डाक्टर के घर गये और कहा कि हमको देख लीजिये। जब डाक्टर ने चादर उठाकर एक्जामिन करना शुरू किया तो उसी वक्त इन्होंने उसको छुरा घोंपा और लहु-लुहान कर दिया। बहुत बुरे ढंग से उसके पूरे शरीर पर छुरे घोंपे। यह तो शुक्र था कि उस डाक्टर की पत्नी जो जोधपुर रहती थी उस रात आयी हुई थी, उसने किसी तरह से डाक्टर को जोधपुर पहुंचाया। बिल्कुल मरणासन्न अवस्था में, आई. सी. यू. में यह डाक्टर आज तक भर्ती है।

इस घटना से पहले डा पुरोहित ने डा. जगदीश सिंह को टेलीफोन पर यह धमकी दी थी कि तुझे देख लूंगा क्योंकि उन्हें अंदेशा था कि गांव वालों ने जो मारपीट की थी वह इनकी बिना पर की थी। इन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं देख लूंगा। उसके बाद वाइफ ने आक्रमणकारियों को घर बताया। ऐसे कुकृत्य करने वाले डाक्टर ने जो अमानवीय और वहशी कृत्य किया है उसकी मैं निन्दा करती हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, धारा 307 में अटेम्प्ट टू मर्डर का मुकदमा दर्ज हुआ लेकिन एक महीना हो गया है, जिस दिन प्रधान मंत्रीजी यहां पर पुष्कर जाने के लिये तशरीफ लाये थे उस दिन मैं मुख्य मंत्रीजी से मिली थी। उन्होंने भोपाल जाने से पहले मुझे आश्वासन दिया था कि मैं देख लूंगा। एक-दो गिरफ्तारियां हुई हैं लेकिन जो मेन मुलजिम डाक्टर जगदीशसिंह है उसकी आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसके बाद डा. जगदीशसिंह को रिवार्ड मिलता है, रिवार्ड क्या मिलता है कि उसको ए पी ओ. कर दिया, जो डाक्टर जोधपुर का रहने वाला है उसको जैसलमेर पोस्ट कर दिया। जैसलमेर से दो-ढाई घंटे में पहुंच जाता है, तख्तगढ़ जाने में पांच घंटे लगते हैं। मैंने माननीय मंत्रीजी जो यहां विराजमान हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट की कि आप इसे सस्पेंड कीजिये। ऐसे अमानवीय और जघन्य कृत्य के लिये, अटेम्प्ट टू रेप और अटेम्प्ट टू मर्डर के लिये आज अगर यह जवाब देते वक्त कहती है कि हमने रिपोर्ट मांगी है जवाब आ जाएगा तब एक्शन लेंगे। + + + है ऐसे जवाब पर।

श्री अध्यक्ष : विराजिये। श्रीमती ताराजी।

श्रीमती बीना काक : मैं चाहूंगी कि तुरंत प्रभाव से इस डाक्टर को सस्पेंड किया जाये। इस सरकार में महिलाओं पर रोज अत्याचार हो रहे हैं। यह कोई पार्टी का मामला नहीं है कि मैं कांग्रेस में हूं और आप बी.जे.पी. में हैं। इस डाक्टर ने, जिसने यह जघन्य अपराध किया है उसको वहां के भूतपूर्व एम. एल. ए. + + + का संरक्षण प्राप्त है और उनको प्रांत के महामंत्री का संरक्षण प्राप्त है जिनकी मैं निंदा करती हूं। इसमें हम सब महिलाएं साथ हैं।

+ + + शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री अध्यक्ष : विराजिये। श्रीमती तारा भण्डारी जी।

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या अति कर रही हैं। जो लोग विधान सभा के सदस्य भी नहीं हैं उनके नाम नहीं लेना चाहिये। मुझे इस बात के लिये बहुत खेद है कि तख्तगढ़ के डा. एस.पी. पुरोहित पर गम्भीर प्राणघातक हमला हुआ। मैं भी उनकी पड़ौसी हूं। गांव की महिलाओं के साथ राजपुरोहित ने गन्दी हरकतें कीं, उन महिलाओं ने मुझे पत्र दिये हैं, उन्होंने सबको कापियां भेजी हैं। (व्यवधान) मैं बोल दूंगी आपकी जरूरत नहीं है। अध्यक्ष महोदय, डा. जगदीशसिंह राजपुरोहित के पिछले कई कारनामे ऐसे हैं जिन्हें महिलाएं शर्म के मारे बता नहीं सकीं।

अध्यक्ष महोदय, घरेलू महिलाएं जब हास्पिटल दिखाने जाती हैं तो एकांत में देखने के बहाने उनके साथ अश्लील हरकतें की गयीं। उन महिलाओं ने शिकायत करने की भी कोशिश की पर नतीजा कुछ नहीं निकला। महिला हो या पुरुष, डाक्टर को लोग भगवान मानते हैं लेकिन ऐसे डाक्टर जो बदला निकालने की भावना से इस प्रकार का हमला करे, बलात्कार करे, महिलाओं से छेड़छाड़ करे, उसे डाक्टर रहने का अधिकार नहीं है।

श्री अध्यक्ष : सूर्यकान्ताजी।

श्रीमती तारा भण्डारी : अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात पूरी कर रही हूं। आये दिन महिलाओं के उत्पीड़न और शोषण के मामले आ रहे हैं उनको सदन गम्भीरता से ले, उसको मजाक न बनाये, मखौल न बनाये, राजनीतिक स्वरूप न दे। ऐसे मामलों पर सीरियसनेस से काम हो और इस प्रकार के घिनौने कांड करने वाले, हत्या का प्रयास करने वाले डाक्टर को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। धन्यवाद!

श्रीमती सूर्यकांता व्यास (जोधपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय मैं बात को दोहराना नहीं चाहूंगी। लेकिन दो बातें जरूर कहना चाहूंगी। पुलिस और चिकित्सा, ये दोनों ही विभाग ऐसे हैं जिनमें लोग जाते हैं और वहां काम करने वाले लोगों को लोग भगवान मानते हैं, अगर वहां पर भी यदि ऐसा अन्याय होता है, तो न्याय कहां मिलेगा ? आज दोनों ही विभागों के मंत्रीजी भी पास बैठे हैं, यह बहुत सौभाग्य की बात है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से चाहूंगी कि डा.जगदीशसिंह राजपुरोहित जो इस तरह से महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करता है, अत्याचार करता है फिर भी वह डाक्टर वहां रहता है, यह बहुत शर्म की बात है।

दूसरी बात, एस.पी.पुरोहित के साथ इतना घातक हमला किया गया था कि वह मर जाऐ मगर कुदरतवश वह जिंदा रह गये। आज वह महात्मा गांधी अस्पताल में एडमिट हैं, कम से कम पांच बोतल खून चढ़ाने के बाद आपरेशन हुआ है और आपरेशन में भी 5–7 घंटे लगे। उनकी जिंदगी और मौत का सवाल है. आज भी उनको 105 डिग्री बुखार है। लेकिन आज की तारीख तक इस मामले मे कोई कार्यवाही नहीं हो रही है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगी कि इसकी जल्दी से जल्दी इंक्वायरी हो

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

और घातक हमला करने वालों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए।

श्रीमती उजला अरोड़ा(जयपुर ग्रामीण): ऐसे डाक्टरों को सेवा में क्यों रखा जाए, ऐसे डाक्टरों और अधिकारियों को क्यों न सेवा मुक्त कर दिया जाए ? यही मैं निवेदन करना चाहती हूं।

श्री अध्यक्ष : कृपया विराजें।

श्रीमती सूर्यकांता व्यास : गृह मंत्रीजी कार्यवाही क्यों नहीं करते, यह काम गृह मंत्रीजी का है : (व्यवधान)

श्रीमती मीना अग्रवाल (अलवर) : आप विश्वास दिलाइये कि कब तक हो जाएगा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उनको सेवा से हटाइये, सामान्य कानून के तहत उनको गिरफ्तार करवाइये।

श्रीमती सूर्यकांता व्यास : दोनों मंत्री बैठे हैं। पार्टी का मामला नहीं है, सब महिलाएं शामिल हैं (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपने बात कह दी, मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं इसीलिये I will not all these things now. 20-40 तो स्लिपें दे दीं।
Debete is going on and here and there, you are waking up.

श्री गुलाब सिंह (जैसलमेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन जरना चाहूंगा कि ऐसे शांतिप्रिय इलाके से ऐसे डाक्टर को तुरन्त हटाइये।

श्री अध्यक्ष : विराजिये, मंत्रीजी की बात सुनिये, मंत्रीजी कुछ कह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसे दुराचारी को तो +++ बना दिया जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : आप कृपया विराजिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : वह तो राक्षस है, डाक्टर नहीं है।

(13.00)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, सदन के अन्दर जिन डा. श्री जगदीशसिंह राजपुरोहित की चर्चा हुयी और जो घटना हुयी इस घटना से 15 दिन पहले मैं सिरोही गया था। माननीय सदस्या भी मेरे साथ थीं। वहां कुछ लोगों ने मुझे ज्ञापन भी दिया था। अध्यक्ष महोदय, उस वक्त तक तक डा. राजपुरोहित और डा. एस. पी. पुरोहित का जो कातिलाना हमला हुआ नहीं था उसके पहले ही मेरे पास ज्योंहि शिकायत आई मैंने उस डाक्टर को ए पी.ओ. किया और उसी वक्त ज्वोइंट डायरेक्टर को कहा कि आप 15 दिन के अन्दर-अन्दर मुझे पूरी जांच करके जांच रिपोर्ट भेजें। अध्यक्ष महोदय, जांच रिपोर्ट एक-दो दिन में आ जाएगी और मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहूंगा कि जांच रिपोर्ट में अगर उस डाक्टर के खिलाफ कोई दोष पाया गया तो निश्चित

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

तौर पर निलम्बित भी होगा और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही भी होगी।

श्री खेतसिंह राठौड़ : चार–चार एम. एल. ए. आपके सामने यह कह रहे हैं फिर जांच किस बात की ? (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : क्या जांच रिपोर्ट की इन्तजार करेंगे ? अध्यक्ष महोदय, अटेम्प्ट टू रेप एण्ड अटेम्प्ट टू मर्डर। और यह मर्डर कर ही देगा तब ही रिपोर्ट का इन्तजार करेंगे....

श्री खेतसिंह राठौड़ : ....यह क्यों नहीं कहते कि मैं उसको सस्पेंड करता हूं (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : सस्पेंड की घोषणा करो। अभी तो अटेम्प्ट टू मर्डर है। मर्डर कर देगा तब सस्पेंड करेंगे। सस्पेंड करिये उसको। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विराजिये। एक मिनट सुनें। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : अध्यक्ष महोदय, डाक्टर को सस्पेंड करो (व्यवधान) डाक्टर को सस्पेंड करो।.... (व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : (व्यवधान) मन्त्रीजी कोई बात कह रहे हैं, कृपया पूरी बात तो सुनें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहता हूं कि जांच रिपोर्ट ज्योंहि आयेगी तो इस डाक्टर को सस्पेंड भी किया जाएगा।

कई माननीय सदस्य : नहीं-नहीं (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : जांच रिपोर्ट सही नहीं पायी जाए, तो उसको बहाल कर देना। अभी तो सस्पेंड कर दिया जाए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री परसराम जी बैठें। (व्यवधान) पहले मन्त्री जी की बात सुन लें . (व्यवधान) ...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उसके पहले ए. पी. ओ किया फिर उसको रिमोट जगह जैसलमेर में लगाया है। अगर माननीय सदस्य यह कहते हैं कि जैसलमेर उसके घर के नजदीक है (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्रीजी यह बता रहे हैं तो यह कोई पनिशमेंट नहीं है (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया विराज जावें।

श्री रामस्वरूप मीणा : अध्यक्ष महोदय, डाक्टर को सस्पेंड करो... (व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : आप विराजें। (व्यवधान) पूरी बात ही नहीं सुन रहे हैं।

श्रीमती बीना काक : इसे मुद्दा नहीं बनायें। ये जघन्य अपराध हुआ है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहूंगा कि मैं तीन दिन के अन्दर-अन्दर और पूरी जांच रिपोर्ट मंगवाकर अगर निलम्बन की कार्यवाही अपेक्षित होगी, अगर निलम्बन करना जरूरी होगा तो निलम्बन भी किया जाएगा (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : निर्दोष साबित हो जाए तो बहाल कर देना (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप पूरी बात सुन लें। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : जिस आदमी ने मर्डर तक की कोशिश की, जिस आदमी ने रेप किया। उसकी आप क्या इन्क्वायरी करेंगे ? किस बात की इन्क्वायरी है ? जब आपको इतने लोग कह रहे हैं (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : पहले पूरी बात सुनें आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, इस प्रकरण में जांच करीब-करीब पूरी हो गयी है। मैंने जानकारी प्राप्त की। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : तो करिये उसको सस्पैंड (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप पूरी बात सुन लीजिये। आई टेल यू सिट डाउन, (व्यवधान) सिट डाउन (व्यवधान) बात ही नहीं सुनना चाहते हैं आप। (व्यवधान) मैं माननीय सचेतक महोदय से फिर निवेदन कर रहा हूं कि इनको बैठा दें। बात पूरी सुनने देते नहीं हैं। (व्यवधान) यह कोई हाउस चलाना हुआ ? (व्यवधान) 'आई टेल यू सिट डाउन' (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : हमको बोलने का पूरा हक है (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपको पूरा हक है। पहले मिनिस्टर साहब कोई बात कह रहे हैं पूरी बात सुनिये आप (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : यह व्यवस्था नहीं है। नहीं सुनूंगा मैं (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विराजिये आप। (व्यवधान) यह क्या मजाक है ? (व्यवधान) अपनी बात नहीं कह सकते (व्यवधान) आपको पूरा हक है। मिनिस्टर साहब अपनी बात कह रहे हैं उनको सुनिये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : सिट डाउन, सिट डाउन। किस बात का सिट डाउन ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं आपको कह रहा हूं कि आप विराज जायें। ऐसे मुक्का चलाने की जरूरत नहीं है। बैठ जाएं आप....

श्री राजेन्द्र पारीक : नहीं बैठूंगा। आप मुझे बाहर निकलवा दीजिए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जो हीरो नहीं है उसको हीरो नहीं बनाऊंगा बाहर निकाल कर (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : मैं उसके सस्पेंशन की मांग कर रहा हूं (व्यवधान) ...

श्री अध्यक्ष : आपको सब हक है लेकिन पहले पूरी बात सुनिये। यह कोई तरीका नहीं है। इस तरह से खड़े हो जाएं मर्जी आये तब।

श्री राजेन्द्र पारीक : एक माननीय सदस्य को 'सिट डाउन', 'सिट डाउन'। सिट डाउन क्या होता है ? मैं तो यहां (वैल आफ दी हाउस) बैठूंगा।

श्री अध्यक्ष : बिल्कुल कहूंगा मैं। आप मर्जी आये जहां बैठें मना कौन करता है (व्यवधान) मैं इनको बाहर निकलवाकर इनकी बहुत ज्यादा इज्जत नहीं बढ़ाना चाहता हूं। He is not capable of doing all these things now. चलिये यह खतम हुआ। 295 पढ़ें आप। यह कोई सुनना ही नहीं चाहते हैं। Everybody is indulging in + + + activities now. This is not the way. एक घण्टा हो गया। 40 ने पर्ची दे दी। मैंने कहा कि नहीं रखें हम ...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं यह महसूस करता हूं कि (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बैठिये आप। (व्यवधान) विराजिये आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों की भावनाओं को समझता हूं (व्यवधान) ...

श्री अध्यक्ष : बैठ जाएं। बात नहीं सुनना चाहते हैं (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : + + + (व्यवधान) अनुशासन आप भंग करते हैं (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों की भावनाओं को समझता हूं जिस तरह के तथ्य सदन के सामने आये हैं वास्तव में चिन्ताजनक तथ्य हैं। मैंने सिर्फ तीन दिन का समय मांगा है। तीन दिन के अन्दर-अन्दर जांच रिपोर्ट आ गयी है, मेरे पास आने वाली है (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अभी सदन में आपको घोषणा करनी पड़ेगी (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : और जांच रिपोर्ट आ जाएगी (व्यवधान) मेरी बात तो सुन लें (व्यवधान) मैं तीन दिन के अन्दर-अन्दर सदन को अवगत करा दूंगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया पूरी बात सुनें। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : अध्यक्ष महोदय, महिला उत्पीड़न का मामला है और ऐसे अपराधी को बचाना अपराध करना है। जो अपराध करता है वह अपराधी है और जो उसे बचाता है वह भी अपराधी है।

+ + + शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं स्वयं तीन दिन के अन्दर-अन्दर सदन को अवगत करवा दूंगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सुनिये आप। मैं श्री राजेन्द्र जी आपको फिर निवेदन कर रहा हूं कि आप पूरी बात सुनिये। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : मन्त्री महोदय, लीपा-पोती नहीं करें। (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट बोलने का मौका दें। (व्यवधान) स्वाभिमान का मामला न बनायें, यह बहुत जघन्य अपराध है (व्यवधान) यह बहुत जघन्य अपराध हुआ है इसे इगो का पाइन्ट न बनायें। यह बहुत जघन्य अपराध है।

श्री अध्यक्ष : मन्त्रीजी की बात पूरी सुनें। (व्यवधान) कृपा करके विराजें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, पूरे प्रकरण की जांच जोइंट डायरेक्टर कर रहे हैं, मैंने पूरी जानकारी की है।

श्री अध्यक्ष : पूरी बात सुन लें फिर बोलें आप। I will not allow this type of these things now.

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, जांच करीब-करीब पूरी हो गयी है। मैं प्रयास करूंगा माननीय सदस्यों की भावनाओं को देखते हुए कि आज दूरभाष पर पूरी जांच के तथ्यों की जानकारी प्राप्त करके सदन में कुछ कह सकूं। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आठ तारीख को, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि दूरभाष पर सम्पर्क करके जांच के कंटेट्स मेरे पास आ जाएं....

श्रीमती बीना काक : मेरे पास हैं सारे कंटेंट्स। मेरे पास हैं। (व्यवधान) यह सब कंटेंट्स मेरे पास हैं।

श्री अध्यक्ष : क्या बात कर रही हैं, बीना जी आप मिनिस्टर रही हुई हैं, पूरी बात सुन लें। (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : सारे रिकार्डस मेरे पास हैं इगो का पाइंट ना बनायें। माननीय अध्यक्ष महोदय, सिर्फ इसलिए कि हम यह मांग रहे हैं .. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : I will never allow like this. पूरी बात सुन लें। (व्यवधान)

श्री रामनारायण डूडी (भोपालगढ़) : 15 दिन तक पूरा शहर बन्द रहा। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : पूरी बात तो सुन लें। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : बार-बार एक ही सवाल आता है कि जांच करवा ली जाएगी। (व्यवधान)

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत सीरियस मैटर है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जैसे वह ही खैरख्वाह हो गये हो सब के सब। पूरी बात ही नहीं सुनेंगे मिनिस्टर की। (व्यवधान) वी. पी. सिंह जी बात तो पूरी सुनें। (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : Attempt to rape and attempt to murder, suspend the doctor. We want the suspension of the doctor.

श्री अध्यक्ष : पूरी बात सुन लें। (व्यवधान)

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : वह कोई नौकरी से थोड़े ही जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, सस्पेंड होना चाहिये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब आप बात ही सुनना नहीं चाहते। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : We want immediately the suspension of the doctor.

श्री श्रवण कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, मामला महिला उत्पीड़न का है उसके बावजूद भी... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप विराजने की कृपा करें। (व्यवधान) मैं निवेदन कर रहा हूं (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह कोई राजनीति नहीं है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इस तरीके से जीरो आवर फिर आइंदा मैं नहीं चलाऊंगा। (व्यवधान) आप पहले बात सुन लें। मिनिस्टर कोई बात कह रहे हैं और आप उनकी बात भी नहीं सुनना चाहते। (व्यवधान) बात तो पूरी सुनें पहले, बात ही नहीं सुन रहे हैं। (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि मुझे भी इस हाउस में मिनिस्टर रहने का, गवर्नमेंट में मिनिस्टर रहने का मौका मिला है और मैं कांग्रेस की पार्टी की तरफ से जब हैल्थ मिनिस्टर था, ऐसा वाकया तो नहीं हुआ लेकिन इन्क्वायरी जरूरी है, यह मैं मानता हूं। इन्क्वायरी अभी भी आप करा सकते हैं, इन्क्वायरी कराने में कोई ज्यादा समय नहीं लगता है। आप चार बजे तक हैं तो आप यह कह दीजिये कि इन्क्वायरी कम्पलीट हो गयी है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : वही तो कह रहे हैं कि मैं टेलीफोन से पूछूंगा। (व्यवधान) पहले पूरी बात सुनें। (व्यवधान) मुझे समझ में नहीं आ रहा है, श्री दीपेन्द्र सिंह जी आप विराजें। (व्यवधान) माननीय सदस्य विराजें। श्री मगराज साहब विराजें। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, पेंडिंग इन्क्वायरी को सस्पेंड किया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष : मैं बोलने के लिये ही हुआ हूं। एक मिनट मेरी बात सुन लें। यह वाकया मामला एक महीने पहले का है। (व्यवधान) प्लीज सिट डाउन।

श्री श्रवण कुमार : प्रार्थी पेंडिग इन्क्वायरी सस्पेंड हो सकता है। (व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : एक महीने में कुछ नहीं हुआ तभी आक्रोश है।

श्री अध्यक्ष : मैं आपको जो कह रहा हूं वह सुनें पहले। एक महीने पहले का वाकया है और ऐसा नहीं है कि जिन-जिन सदस्यों ने यह आज उठाया उनको पता नहीं हो। पहले भी पता लग गया था। आज मैंने आपको अलाऊ किया और अभी का अभी आप रिजल्ट लेना चाह रहे हैं। पूरी बात भी नहीं सुनना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : मुख्य मन्त्रीजी से कह चुकी हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : Smt. Binaji I have not allowed you to speak. (व्यवधान) यह कोई तरीका नहीं है। मैं खड़ा हूं, मैं अपनी बात कह रहा हूं, आपको जितना अधिकार है उतना ही अधिकार मुझे भी है। (व्यवधान) आप पहले सुन लें। ये कह रहे हैं कि मैं अभी इन्क्वायरी करके टेलीफोन से पता लगाकर के कानूनी जो प्रक्रिया है वह पूरी करना चाहते हैं। उनकी बात भी आप सुनना नहीं चाहते। उन्होंने पूरी बात कही नहीं उसके पहले आप खड़े हो गये। (व्यवधान) एक महीने में तो आकाश नहीं गिरा और आधा घंटे में आकाश गिर जाएगा। (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : विधान सभा में आज गिरा है। उसके पहले रोज गिरता रहा है। रोज सरकारी मुलाजिमों.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इस बात का पहले से पता था पर आज आपने उठाया है एक महीने बाद। माननीय मंत्रीजी आपको कुछ कहना है ?

श्रीमती बीना काक : मैं इन्तजार कर रही थी सरकार के एक्शन का इसलिये मैं आज बोली हूं। (व्यवधान)

श्री शिवनाथ सिंह : अध्यक्ष जी, मैं एक मिनट चाहता हूं। सदन की भावना को देखते हुए माननीय मंत्री महोदय ने अपने विचार व्यक्त किये हैं। यह भी इस बात से बहुत पीड़ित हैं और हमको मंत्रीजी के बोनाफाइड पर डाउट भी नहीं करना चाहिये। जब आपने यह कह दिया कि आज मैं चेष्टा करूंगा दूरभाष पर सम्पर्क करके और शाम तक इस मामले में कोई अपना निर्णय करूंगा। यदि जांच पूरी नहीं आयी तो वह फिर देखने की बात है लेकिन जब मन्त्रीजी यह कह रहे हैं, तो इनके बोनाफाइड पर विश्वास करके और शाम तक इन्तजार करना चाहिये और शाम के बाद अगर (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : अब बोलिये।

श्री अध्यक्ष : यह बोलने वाले थे पर आपने तो बोलने ही नहीं दिया किसी को। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी निवेदन किया कि किसी भी दोषी को बचाने की मन्शा सरकार की नहीं है। अध्यक्ष महोदय, जांच के तथ्य मेरे सामने आ जाएं, कुछ कानूनी प्रक्रिया पूरी कर लूं, मैं आप सब की भावनाओं को देखते हुए पूरा प्रयास करूंगा, दूरभाष से अभी वार्ता करूंगा। मेरे पास दूरभाष से भी सारे तथ्य आ जाएंगे तो भी मैं इसके बारे में जो मेरा अभिमत है वह मैं

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

आपको आज ही अवगत करा दूंगा । (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : ठीक है ।

श्री अध्यक्ष : वह यह की यह ही बात पहले भी कह रहे थे, थपथप लगाने की क्या जरूरत पड़ी ?

श्रीमती बीना काक : पहले कहां कह रहे थे ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इतने इम्पेसियेंट भी मत हो दुनिया में बम्बार्डमेंट होता है तो नेपोलियन जैसा भी बनना सीखो पहले । विराजिये । (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : चार बजे आप कहोगे विराजिये, विराजिये, विराजिये । आप उठाने नहीं देंगे । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं तो कुछ कह नहीं सकता इसका मतलब यह हुआ । आप विराज जाएं । (व्यवधान) 295.

श्री शैलेन्द्र जोशी : अध्यक्ष महोदय, पाइन्ट आफ इन्फार्मेशन ।

श्री अध्यक्ष : रामस्वरूप जी । (व्यवधान) अब मेरे पास समय नहीं है ।

श्री हरिसिंह (महुआ) : एक मिनट । अध्यक्ष महोदय, अभी भरतपुर में जो बाढ़ आयी और उस बाढ़ का पानी मण्डी में भर गया और पानी के कारण मण्डी में हजारों की सरसों सड़ गयी । वह सरसों अब महुआ....

श्री शैलेन्द्र जोशी : पाइन्ट आफ इन्फार्मेशन ।

श्री अध्यक्ष : आप दोनों का एक ही है ।

श्री हरिसिंह (महुआ) : बांदीकुई और लालसोट की मण्डियों में बिकने आ रही है । उसका तेल बनेगा, विषाक्त तेल होगा । आपके माध्यम से मैं खाद्य मन्त्रीजी से निवेदन करना चाह रहा हूं कि उस सरसों की जांच करवा लीजिए । अगर सरसों विषाक्त नहीं है तो उसको बिकने के लिए अलाऊ किया जाए नहीं तो अलाऊ नहीं किया जाए । इसलिए आप इस पर तुरन्त कार्यवाही करें ।

श्री अध्यक्ष : बिलकुल ठीक । आप विराजें ।

श्री शैलेन्द्र जोशी : अध्यक्ष महोदय, बांदीकुई की मण्डी में कल 20 ट्रक सड़ी हुई सरसों के भरतपुर से आये हैं जो व्यापारियों की पानी से फूल गयी थी । उसका विषाक्त तेल बांदीकुई की तेल मण्डी से निकाला जा रहा है । वह विषाक्त तेल बिकेगा तो उससे महामारी फैलेगी, पेचिश होगी, रोग होगा और एस. एम. एस. में शैयाएं बिछ जाएंगी । आदमी मर जाएंगे । इसलिये तत्काल सरसों को जब्त किया जाए और तेल नहीं बनाया जाए और राजस्थान की जनता को मरने से बचाया जाए । माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का अविलम्ब ध्यान आकर्षित करता हूं ।

श्री अध्यक्ष : श्री रामस्वरूप जी । 295.

श्री शैलेन्द्र जोशी : अध्यक्ष महोदय, माननीय स्वास्थ्य मन्त्रीजी बोलिये नहीं तो लोग मर जाएंगे। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहूंगा कि इस तरह के विषाक्त तेल के बारे में इन्होंने सदन में चर्चा की है, वास्तव में गम्भीर बात है। मैं आज ही निर्देश दूंगा, स्वास्थ्य निरीक्षक वहां जाएंगे और सैम्पल लेंगे और इस तरह का तेल नहीं बिके इसका प्रबन्ध करने की कोशिश करूंगा।

श्री रामनारायण मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैंने आपको एक चिट दी थी, बहुत गम्भीर मामला है, एक हत्या हो गयी है रामविलास जैन की 11 मार्च, 1996 को। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब क्या हो गया इसमें ?

श्री रामनारायण मीणा : कम्पाउण्डर ने उसकी हत्या कर दी। (व्यवधान) मान्यवर, मामला बहुत साधारण है। माननीय गृह मन्त्रीजी.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विराजिये। एक-एक माननीय सदस्य बोलें। दो-दो बार नहीं। आप परसों कह देना। (व्यवधान) आप परसों कह देना, आप पहले बोल चुके हैं। (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा : मेरे को शेल्टर दीजिये मैंने जीरो आवर में आपको चिट दी है। 3/96 उसका.... (व्यवधान) संख्या है...

श्री अध्यक्ष : मैं आज नहीं दूंगा। आई एम सोरी। (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस डाक्टर ने उसका पोस्टमार्टम किया है उसने रात भर पोस्टमार्टम किया था। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये। (व्यवधान) यह पुरानी घटना की बात कर रहे हैं। 295. (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा : बोलने नहीं दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री रामस्वरूप जी। अब मैं आज नहीं कर सकता, मेरे पास लिमिटेड टाइम है।

श्री रामनारायण मीणा : बहुत कम बोलते हैं साहब हम तो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नहीं, आज नहीं। आज टाइम नहीं है। कतई नहीं।

श्री रामनारायण मीणा : अध्यक्ष महोदय, मेरा तो निवेदन यह है। (व्यवधान)

श्री प्रतापसिंह सिंघवी : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से अकाल राहत मन्त्रीजी को कहना चाहूंगा कि बारां जिले में। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : हमने जो पर्ची दी थी, आप उस पर अमल नहीं कर रहे हैं और निर्दलीय आपकी सरकार चला रहे हैं। उसके बावजूद भी आप निर्दलीयों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये।

श्री श्रवण कुमार : अध्यक्ष महोदय, निर्दलीय आपकी सरकार चला रहे हैं और निर्दलीय की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो। पुराने वाले, कांग्रेस वालों की तरफ देते रहते हो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह जीरो आवर आधा घण्टे के लिये मैंने अलाऊ किया था और अब डेढ घण्टा हो गया। आप विराजिये। प्लीज सिट डाउन। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : तो इनका ही नम्बर आता है, मेरा नम्बर तो कभी भी नहीं आता है। आप निर्दलीयों की तरफ ध्यान दो जो आपकी सरकार चला रहे हैं (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये। परसों उठा लेना बात। आप विराजिये।

श्री श्रवण कुमार : आप हमको बोलते रहते हैं। आप निर्दलीयों की तरफ ध्यान दो।

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये।

श्री श्रवण कुमार : अध्यक्ष महोदय, निर्दलीय आपकी सरकार में भागीदार हैं + + +

श्री अध्यक्ष : विराजिये विराजिये। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : और हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो। कभी श्री रामनारायण जी, कभी कोई बोलता रहता है।

श्री अध्यक्ष : मर्जी आये जो एलीगेशन नहीं लगाना सीखें तो अच्छा है। आप विराजिये।

श्री श्रवण कुमार : हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो आप।

श्री अध्यक्ष : रामस्वरूप जी (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (सरकारी मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय, बार–बार आसन की तरफ आक्षेप लगाना ठीक नहीं है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ये फ्री हैं, फ्री–लांसर हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : नहीं, कोई फ्री नहीं है।

श्री अध्यक्ष : मैं इनको उसी टोन में जवाब भी देना जानता हूं। मैं आसन और मर्यादा से बंधा हुआ। ऐसा नहीं है कि किसी माननीय सदस्य को जवाब देने में असमर्थ हूं।

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री महावीर प्रसाद जैन : नहीं, यह आप पर चार्ज नहीं है, आसन पर चार्ज होता है, यह ठीक नहीं है। (व्यवधान) मैं माननीय श्री खेतसिंह जी से निवेदन करूंगा कि यह आसन पर इस प्रकार के बार-बार चार्ज लगाये जाएं, मैं समझता हूं, यह अच्छी परम्परा नहीं है (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आजकल श्री खेतसिंह जी ने मना कर दिया है किसी को कंट्रोल करने के लिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आसन पर, आसन के बारे में कोई कुछ नहीं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : डेढ़ घण्टे तक जीरो आवर चलायें, आपकी सारी बातें रखें। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : आप इनको बोलें, हमको क्यों बोल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आप बैठ जाओ। श्री श्रवण लाल जी।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अभी माननीय सदस्य द्वारा यह कहा गया कि आप भारतीय जनता पार्टी, +++

श्री रतनलाल ताम्बी : आप अध्यक्ष महोदय के अधिकारों का दुरूपयोग मत कीजिये। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : ये सरकार के लिये बोल रहे हैं, आसन के लिये नहीं बोल रहे हैं। आसन पर कोई आक्षेप नहीं है। आसन के लिये कौन बोल रहा है। (व्यवधान) सरकार निर्दलीयों पर टिकी हुयी है (व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : आप अध्यक्ष महोदय, के अधिकारों पर अतिक्रमण मत कीजिये ...

श्री श्रवण कुमार : आप हमारे लिये कुछ भी कहें (व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : आप बीच-बीच में खड़े होकर मामले को बढ़ा देते हैं।

श्री अध्यक्ष : रामस्वरूप जी।

श्री रतनलाल ताम्बी : अध्यक्ष महोदय, के अधिकारों पर अतिक्रमण मत कीजिये आप।

श्री अमराराम (धोद) : माननीय सदस्य का कोई भी आरोप नहीं है। यह कोई आक्षेप नहीं है, यह तो स्वयंसिद्ध है।

श्री अध्यक्ष : अब आगे आने दें आप, कोई बात नहीं, मैं डिसाइड कर लूंगा। आप विराजिये।

श्री रतनलाल ताम्बी : अध्यक्ष महोदय, निर्देश दे देंगे। उनके अधिकारों का अतिक्रमण कीजिये मत आप। (व्यवधान)

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोलित की गयी।

श्री श्रवण कुमार : आपको सबको अच्छा इसलिये लगता है कि (व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : हां, इससे ज्यादा बढ़ता है आपके कारण से और बढ़ जाता है कुछ (व्यवधान)

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय सदस्य ने इतना ही कहा है कि हमको बोलने का अवसर दीजिये, उसमें कौनसा आक्षेप है। यह सरकार निर्दलीयों के सहारे पर टिकी हुयी है, यह तो सत्य है। सरकार निर्दलीयों के सहारे चल रही है, क्या यह आक्षेप है। (व्यवधान) आप माननीय सदस्य को बोलने दें।

श्री रामनारायण मीणा : माननीय गृह मन्त्रीजी इतना तो कह दें कि हत्या में (व्यवधान) क्यों नहीं करते हैं। रामविलास जैन की हत्या की गयी है 11 मार्च को। डाक्टर ने रात को पोस्टमार्टम किया है कानून के खिलाफ और सारे तथ्य यह बात बताते हैं कि रामविलास जैन की हत्या की गयी है। (व्यवधान) तीन तारीख को पुलिस थाना लाखेरी में (व्यवधान) आप क्यों नहीं यह जांच करायें....

श्री अध्यक्ष : हां, आपने अपनी बात रख दी है। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : मैंने तो यह कहा था कि राजस्थान की सरकार में निर्दलीयों की भागीदारी है। निर्दलयों को बोलने का मौका दिया जाए और इसके बाद में आप इसको आउट आफ वे ले रहे हैं तो आपकी गलती होगी।

श्री अध्यक्ष : आप बात कर लेना उनसे।

श्री श्रवण कुमार : हम यह कह रहे हैं कि राजस्थान की सरकार में निर्दलीयों की भागीदारी है इसलिये इनको बोलने का मौका दिया जाये।

श्री अध्यक्ष : विराजिये माननीय सदस्य।

श्री महावीर प्रसाद जैन : इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि सरकार में भागीदारी है.....

श्री श्रवण कुमार : नहीं—नहीं, आप सुनने की कोशिश करें।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपकी भागीदारी है।

श्री रामनारायण मीणा : मैं सरकार से प्रोटेक्शन चाहता हूं।

श्री श्रवण कुमार : कृपया कानों की सफाई करावें, उसके बाद सदन को अवगत करावें।

श्री अध्यक्ष : 295. श्री रामस्वरूप जी। (व्यवधान)

श्री शिवनाथ सिंह : बात को समझने के बाद बोलें, बिना समझकर नहीं बोलें। हम आसन को बहुत सम्मान करते हैं और आपसे ज्यादा सम्मान करते हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपकी भागीदारी नहीं है (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण मसले की ओर सारे सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में ...

श्री अध्यक्ष : आप पढ़ना चालू करें।

प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

नादौती तहसील (सवाईमाधोपुर) में विद्युत तारों की चोरी

श्री रामस्वरूप मीणा : मैं वही पढ़ रहा हूं। प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विद्युत विभाग में ढाई लाख रुपये के तारों की चोरी के बारे में विद्युत मन्त्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

जिला सवाईमाधोपुर में एवं उनकी तहसील नादौती के कस्बा गुढ़ाचन्द्रजी एवं मेरे विधान सभा क्षेत्र टोडभीम में तो आये दिन बिजली के तारों की चोरियां हो रही हैं। नादौती तहसील के कस्बा गुढ़ाचन्द्रजी में एक 33 के वी. का सब स्टेशन बनाया जा रहा है। उसके निर्माण के लिये तार विद्युत विभाग द्वारा लाया गया था और लाकर गुढ़ाचन्द्रजी में डाल दिया गया था और डालने के बाद वहां पर चौकीदार बैठा दिया था और चौकीदार की उपस्थिति में ढाई लाख का तार ट्रक में डालकर चोर ले गये और आज तक उनका पता नहीं चला। इस प्रकार की घटना घटित हो और विभाग कोई कार्यवाही न करे। उसके बावजूद एक एफ. आई. आर. दर्ज नहीं करायी है। स्टेशन का काम रुक गया है जिससे किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी प्रकार मोहनपुरा, गावदी, सुजानपुरा आदि ग्रामों में भी तारों की चोरी हो गयी और विभाग में उनकी रिपोर्ट भी दर्ज करा दी गयी है। विभाग ने कोई कार्यवाही नहीं की और विभाग यह जवाब देता है कि हम क्या करें और तारों का पता नहीं लगने से नये कनेक्शन बन्द पड़े हैं। इस चोरी से जनता में असन्तोष व्याप्त हो रहा है। काश्तकारों के साथ अन्याय और लगातार होने वाली चोरी से विभाग को हो रहे घाटे के बारे में इस प्रक्रिया से सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : श्री कन्हैयालाल जी। 295.

श्री भंवर सिंह (नवलगढ़) : अध्यक्ष महोदय, एक अध्यापक है नथमल मीणा, तीन दिन से आमरण अनशन पर बैठा है। वह सीकर जिले के संघ का अध्यक्ष है और संयुक्त महासंघ का पूरे राजस्थान का अध्यक्ष है और उसके साथ अन्याय हो रहा है। सात माह से उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है। उसके साथ बराबर प्रतिशोध की भावना से काम कर रहे हैं। सात माह से वेतन नहीं और वह तीन दिन से आमरण अनशन पर बैठा हुआ है। यह मैंने आपको सूचना दी है। कृपया शिक्षा मन्त्रीजी, इस ओर ध्यान दें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विराजिये। कन्हैयालाल जी मीणा।

श्री हरिशचन्द्र पल्लीवाल (गंगापुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, टोडाभीम से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, वास्तव में सही बात है कि सवाईमाधोपुर तारों के चोर बहुत सक्रिय हैं। सुन लें बात।

श्री अध्यक्ष : विराजिये। पल्लीवाल साहब, आपका खुद का अलग है।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : मैं आगे क्या कहना चाहता हूं, पुलिस के अन्दर एफ.आई. आर. दर्ज हो जाती है और पुलिस जब तक उसकी जांच नहीं करती है, जांच की रिपोर्ट जब तक कन्सर्निंग ए. ईएन. एक्स. ईएन. के पास नहीं पहुंचती है, तब तक वे तारों को लेकर नहीं जाते हैं इसलिये मेरा यह निवेदन है कि पुलिस तुरन्त जांच करें और जांच की रिपोर्ट भेजें।

श्री अध्यक्ष : विराजिये। कन्हैया-लाल जी।

जयपुर जिले में अकाल राहत कार्य

श्री कन्हैयालाल मीणा (बस्सी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के तहत अकाल राहत की तिथि 31 जुलाई, 1996 तक बढ़ाये जाने के बारे में अकाल राहत मन्त्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जिला जयपुर अकाल की भयंकर चपेट में होते हुए भी जयपुर शहर की चकाचौंध रोशनी, भीड़-भाड़ भरे वातावरण में आ जाने के बाद जिला जयपूर देहात जो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है तथा यदि सर्वे करवाया जाए तो आज देहात में ग्रामीणों की स्थिति गरीबी की है, राजस्थान के तीन जिलों को छोड़कर जिला जयपुर देहात आर्थिक दृष्टि से कमजोर, बेरोजगारी एवं विकास की दृष्टि से भयंकर पिछड़ेपन की श्रेणी में आता है जिले में अकाल को आने के बाद माह जून-जुलाई में कार्य प्रारम्भ किये गये जिनमें भी मजदूरों की संख्या के हिसाब से बहुत कम मजदूरों को कार्य मिला, इससे जिनको कार्य नहीं मिला, आपस में जगह-जगह झगड़े हुए, सम्बन्धित अधिकारियों ने पुलिस में मुकदमे भी दर्ज करवाये। मौके पर लोगों को आपस में समझौता करवाकर एक परिवार-पांच सदस्य कार्य करने आना चाहते थे, मजदूरों की सीमा की पाबंदी होने के कारण मात्र एक परिवार एक सदस्य को कार्य पर लगाया गया। लाखों रुपये का मैटेरियल पहाड़ों पर ही पड़ा रह गया, वह बेकार हो जाएगा। मिट्टी का जो कच्चा काम सड़कों पर हुआ वह यदि उस पर जो मैटेरियल पहाड़ों पर पड़ा है, उसे सड़कों पर नहीं डाला गया तो मिट्टी या तो हवा में या पानी में साफ हो जाएगी तथा सैकड़ों पुल्ता निर्माण कार्य जो अपूर्ण हैं, साइडों पर उनका भी लाखों का मैटेरियल पड़ा है, यदि समय पर उसे नहीं लगाया गया तो उस सामान के खुर्द-बुर्द होने की भी काफी सम्भावनाएं हैं।

अतः माननीय मुख्य मन्त्रीजी और अकाल राहत मन्त्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप जिला जयपुर, जहां 15 दिन से वर्षा बन्द हो रही है, ज्वार-बाजरा आदि की फसलें भी आधे हिस्से में भी नहीं बोयी गयी है। कई स्थानों पर तो बोयी गयी फसल वर्षा के अभाव में बेकार भी होने के कगार पर है, ऐसे हालात में

(श्री कन्हैयालाल मीणा)

जिला जयपुर में 31 जुलाई, 1996 तक अकाल राहत कार्यों को जारी रखने की घोषणा करने की कृपा करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिनारायणजी।

दौलाड़ा (सवाईमाधोपुर) में युवती का अपहरण

श्री हरिनारायण (खण्डार) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के अन्तर्गत सदन में माननीय गृह मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

ग्राम दौलाड़ा थाना रवाजना डूंगर (सवाईमाधोपुर) में दिनांक 22-5-96 की रात्रि में 2 बजे के करीब फूलजी मीणा निवासी वेजपुर (कोटा), बंसरा, रामस्वरूप, शम्भू व शंकर माली निवासी थाना खातोली (कोटा) आदि ने भैरूंलाल पुत्र रामरस माली उम्र 16 वर्ष के घर का किवाड़ उखाड़ कर उसकी बहिन मोहिनी उम्र 14 वर्ष को जबरन उठाकर ले गये। जिसकी मां मर चुकी है एवं पिता पागल है। जिसकी लिखित रिपोर्ट भैरूंलाल करने के लिए 24-5-96 को थाना रवाजना डूंगर (सवाईमाधोपुर) में गया, किन्तु थानेदार ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की और प्रार्थी को डरा-धमका कर भगा दिया, थाने में बंद करने की धमकी दी गयी। इसके बाद प्रार्थी भैरूंलाल ने रिपोर्ट की प्रतियां माननीय गृह मंत्रीजी, राजस्थान सरकार, पुलिस महानिदेशक (अपराध) राजस्थान, पुलिस अधीक्षक, सवाईमाधोपुर को रजिस्टर्ड डाक द्वारा उसी दिन भेज दी, जिसकी पावती भी मिल गयी है, फिर भी रिपोर्ट दर्ज नहीं होने पर प्रार्थी भैरूंलाल ने थानेदार रवाजना डूंगर को 4,500 रुपये दिये, तब दिनांक 6-6-96 को रिपोर्ट दर्ज हुई जिसका क्रमांक 61/96 है जिसमें धारा 457, 380, 363 तथा 147 का अपराध बनता है।

मासूम 14 वर्षीय मोहिनी का 22-5-96 की रात्रि को 2 बजे के करीब अपहरण हुआ है जिसके साथ जबरन अत्याचार करते हुए बलात्कार किये जाने की दिन प्रति दिन सूचना मिलती रही है और उच्च पुलिस अधिकारियों से लगातार सम्पर्क बनाकर मोहिनी की बरामदगी के लिए आग्रह करते रहे हैं, किन्तु आज दिन तक मासूम बालिका को बरामद नहीं किया गया है। सवाईमाधोपुर का पुलिस प्रशासन सोया हुआ है।

अत: अध्यक्ष महोदय, मैं सदन में आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी से निवेदन करता हूं कि मोहिनी को बरामद कर डाक्टरी परीक्षण कराया जावे व प्रार्थी के 4,500 रुपये वापिस लौटाये जावें तथा निष्क्रिय पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जावे, दोषी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जाकर दण्डित कराया जावे। (धन्यवाद)।

श्री अध्यक्ष : श्री मोती लालजी (अनुपस्थित) श्री हरिश्चन्द्रजी

राजकीय चिकित्सालय गंगापुर में चिकित्सकों के पदों की समाप्ति

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल (गंगापुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा

(श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल)

की प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत राजस्थान सरकार के स्वास्थ्य मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। स्वास्थ्य मंत्रीजी तो हैं नहीं, उप मुख्य-मंत्रीजी, आप ही सुन लें। उद्योग मंत्रीजी, आप ही सुन लें।

श्री अध्यक्ष : आप फरमायें। वह आपको जवाब आएगा।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : गत सत्र में प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत ही मैंने ध्यान आकर्षित किया था कि राजकीय चिकित्सालय, गंगापुर में यू.एन.एफ.पी.ए. के 18 पद, जिनमें डाक्टर्स, मेल नर्स व अन्य कर्मचारीगण हैं, सभी समाप्त कर दिये हैं इससे गंगापुर अस्पताल का ढांचा ही खराब हो गया है। माननीय मंत्रीजी ने सदन में मुझे आश्वासन दिया था कि उपरोक्त योजना में पद समाप्त किये हैं, लेकिन गंगापुर अस्पताल से किसी भी कर्मचारी को नहीं हटाया जाएगा, किसी न किसी मद में रख दिया जाएगा।

माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी, आपके आश्वासन के बावजूद गंगापुर अस्पताल से सभी कर्मचारियों को पद मुक्त कर अन्य स्थानों पर स्थानांतरण कर दिया। गंगापुर अस्पताल, जो कि रेफरल अस्पताल था, उसे पुनः एक डिसपेन्सरी का रूप दे दिया है। क्यों ?

श्रीमानजी, आश्चर्य तो यह है कि दिनांक 24-4-1987 को मेडिकल एण्ड हेल्थ विभाग ने अपने आदेश संख्या एस.3(74) एम.पी.एस./जीका/TT/185 पीसी TT के अन्तर्गत गंगापुर रेफरल अस्पताल में एक पद कनिष्ठ विशेषज्ञ मेडिसन एवं एक पद कनिष्ठ विशेषज्ञ, सर्जरी का सृजित कर नियुक्ति दी थी। विभाग ने अपने आदेशों में स्पष्ट निर्देश दिये थे कि उपरोक्त दोनों पदों को मद संख्या 2210 मेडिकल एण्ड हेल्थ के बजट में स्वीकृति दी है। उपरोक्त दोनों पदों को समाप्त करने का कोई औचित्य ही नहीं था। श्रीमानजी, यह सही है कि विभाग ने एक भूल की है। उपरोक्त दोनों पदों का बजट मद संख्या 2211 परिवार नियोजन से ले रहे थे। यह भूल किसने की है, यह तो विभाग ही जाने। इसी प्रकार की गलती हिण्डौन रेफरल अस्पताल में भी की थी, उन्होंने तो अपनी भूल में सुधार कर लिया, इस कारण उनके पद ज्यों के त्यों रह गये। गंगापुर रेफरल अस्पताल ने भूल सुधारने की कोशिश की थी लेकिन न जाने क्यों विभाग ने दोनों मेडिसन व सर्जरी के पदों को समाप्त करते हुए कनिष्ठ विशेषज्ञों (डाक्टर्स) का स्थानांतरण हिण्डौन व सीकर कर दिया। आज दोनों विशेषज्ञों के नहीं होने से गंगापुर की जनता में भारी आक्रोस है क्योंकि आज ज्यादातर दोनों ही विशेषज्ञों की विशेष आवश्यकता रहती है।

श्रीमानजी, गंगापुर सिटी, जिसकी जनसंख्या आज एक लाख के आस-पास है, वह और ग्रामीण क्षेत्र गंगापुर, नादौती, बामनवास, टोडाभीम व सपोटरा क्षेत्र की जनता गंगापुर अस्पताल से ही लाभान्वित होती है ऐसी

श्री अध्यक्ष : इसी का पढ़ें माननीय हरिशजी। रामगोपालजी।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : स्थिति में गंगापुर अस्पताल को 100 शैयाओं में क्रमोन्नत करना चाहिए था जैसा कि आपने अपने गंगापुर आगमन पर जनता को विश्वास दिलाया था। माननीय मुख्यमंत्रीजी ने भी वर्ष का बजट भी स्वास्थ्य को आबंटित किया था।

श्रीमानजी, प्रथम तो मेरा अनुरोध है कि 7 दिन पूर्व किये गये कनिष्ठ विशेषज्ञ मेडिसन व सर्जरी के डाक्टरों का स्थानांतरण निरस्त करते हुए स्टे लगावें क्योंकि जब गंगापुर में ही पद हैं, उसे रिक्त क्यों रखा जावे जबकि पूर्व में आज भी कई कनिष्ठ विशेषज्ञों के पद रिक्त हैं। मुझे आशा है कि गंगापुर की जनता की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए शीघ्र कार्यवाही करेंगे, साथ में इसी वर्ष गंगापुर अस्पताल को क्रमोन्नत करते हुए 100 शैयाओं का करने की घोषणा करेंगे, यही मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : श्री रामगोपालजी।

इटावा में डिग्री कालेज की स्थापना

श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया के लिए 295 के अन्तर्गत इटावा में डिग्री कालेज के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा कि विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा का कस्बा इटावा इस क्षेत्र का प्रमुख कस्बा है। यहां पर सबसे पुराना सीनियर हायर सैकण्डरी विद्यालय है जिसमें वर्तमान में लगभग 1500 छात्र, छात्राएं अध्ययनरत हैं। इस विद्यालय में आस-पास के क्षेत्र के कुल 13,14 माध्यमिक विद्यालयों के छात्र-छात्राएं यहां पर अध्ययन के लिए आते हैं। इस क्षेत्र के सभी छात्रों को कालेज स्तर तक की शिक्षा प्राप्त करने के लिए 100 किलोमीटर की दूरी पर जिला मुख्यालय कोटा पर जाना पड़ता है।....

सूचना

विधान सभा भवन के बाहर अलवर यौन शोषण प्रकरण के विरोध में प्रदर्शन कर रही महिलाओं पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत (श्रीमाधोपुर) : अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ इन्फोर्मेशन। अभी-अभी अलवर वाले यौन शोषण प्रकरण को लेकर राजस्थान महिला कांग्रेस के नेतृत्व में बाहर प्रदर्शन था। उस प्रदर्शन पर, शांत और निहत्थी महिलाओं के प्रदर्शन पर लाठीचार्ज हुआ है। महिलाओं को पीटा गया है पन्द्रह मिनट पहले सदन में, मैं आपसे निवेदन करूंगा, तत्काल इस प्रकरण में न्यायिक जांच की आप सरकार से घोषणा करावें अन्यथा इससे बड़ा अपराध कुछ नहीं हो सकता। निहत्थी महिलाओं के ऊपर लाठीचार्ज किया गया है, अभी पन्द्रह मिनट पहले, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : विराजिये। विराजिये। श्री रामगोपालजी।

श्री रामनारायण मीणा : सदन में स्टेटमेंट दिलाया जाए सरकार से कि क्यों किया गया है, किन परिस्थितियों में किया गया है।

श्री अध्यक्ष : इनको पढ़ने तो दें 295। आपकी इन्फोर्मेशन ली है। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, इन्फोर्मेशन की क्या बात है, बाहर लाठी-चार्ज हो गया और इन्फोर्मेशन हो गयी ?

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : पांच सदस्य जो आये हैं हम नीचे।

श्री अध्यक्ष : तो और क्या करेंगे ?

श्री जुबेर खान : गृह मंत्री को बुलवाइये, वक्तव्य दिलवाइये।

श्री अध्यक्ष : 295 आ रहा है अभी। (व्यवधान)

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, 295 महत्वपूर्ण है या महिलाओं पर लाठीचार्ज जैसी घटना होने के ऊपर यहां स्टेटमेंट दिया जाय, यह महत्वपूर्ण बात है ?

श्री जुबेर खान : अत्याचार हो महिलाओं के खिलाफ, और अपनी आवाज उठा रहे हैं तो लाठीचार्ज किया जाय।

श्री रामनारायण मीणा : एक तरफ को महिलाओं के साथ अत्याचार किया जा रहा है और राजस्थान सरकार के बड़े-बड़े अधिकारी ·· (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप अभी 295 खत्म होने दें।

श्री रतनलाल ताम्बी : अध्यक्ष महोदय, यह गम्भीर मसला है।

श्री अध्यक्ष : गृह मंत्रीजी से अभी बात (व्यवधान) अभी गृह मंत्रीजी आते हैं, कहीं गये हैं, आप बैठें अब।

श्री रामनारायण मीणा : भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो काण्ड हो रहे हैं (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : जितनी तादाद में महिला प्रदर्शनकारी नहीं हैं उससे ज्यादा तादाद में महिला पुलिस लगी हुई है···· (व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : इतना बड़ा जघन्य अपराध सरकार कर रही है···· (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपकी इन्फोर्मेशन ली है। विराजिये आप।

श्रीमती बीना काक : लाठीचार्ज हो रहा है औरतों के साथ।

श्री रतनलाल ताम्बी : एक तरफ तो यौन शोषण के मामले पर कार्यवाही नहीं हो पा रही है, दूसरी तरफ विरोध करने आयी तो उन पर लाठियां बरसा दी गयीं।

श्रीमती बीना काक : छोटे-छोटे बच्चों के साथ में, जो महिलाओं के साथ आये हुए हैं, उनके खिलाफ लाठीचार्ज हो रहा है।

श्री रतनलाल ताम्बी : तो सरकार नारियों के साथ क्या करना चाहती है ?

श्रीमती बीना काक : जितनी प्रदर्शन-कारी हैं उससे तीन गुना वहां पर महिला पुलिस लगी हुई है··· (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : 295 पढ़ रहे हैं, कृपया श्री रामगोपालजी को पढ़ने दें।

श्री रतनलाल ताम्बी : महिलाओं पर लाठीचार्ज और बेइज्जत करते हैं, इस शर्मनाक कृत्य के लिए आप तत्काल गृह मन्त्रीजी को बुलवाइये, यहां स्टेटमेंट दें।

श्री अध्यक्ष : आप कृपा करके विराजें।

श्री रामनारायण मीणा : सरकार माफी मांगे।

श्रीमती बीना काक : लाठीचार्ज हो रहा है. छोटे-छोटे बच्चे जो उनकी गोद के अन्दर हैं, तड़पती धूप के अन्दर प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप विराजें। आपने अपनी बात कही है अभी गृह मन्त्रीजी नहीं हैं यहां. अभी कहीं गये हैं।

श्री रतनलाल ताम्बी : अध्यक्ष महोदय, आप बुलाइये गृह मन्त्रीजी को।

श्री रामनारायण मीणा : उप मुख्य मन्त्रीजी बैठे हैं।

श्री परसादीलाल मीणा : श्री मामड़ा साहब कह दें।

श्री अध्यक्ष : हां, अभी मैं सब.... (व्यवधान) .. आप विराजें अभी।

श्रीमती बीना काक : उप मुख्य मंत्रीजी यहां बैठे हुए हैं। उप मुख्य मंत्रीजी, हाथी के पैर में सबके पैर।

श्री अध्यक्ष : आपने एक जानकारी दी है, हमने सुना उस बात को। आप विराजें अब।

श्रीमती बीना काक : उप मुख्य मंत्रीजी विराजमान हैं, हाथी के पैर में सबके पैर। उप मुख्य मंत्रीजी विराजे हुए हैं सदन में, उनसे जानकारी दिलवाइये।

श्री हरिसिंह (महुआ) : प्रजातन्त्र में एजीटेशन संवैधानिक अधिकार है और हमारा मौलिक अधिकार है. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विराजिये। विराजिये आप।

श्री अमराराम (धोद) : जब पूरे राजस्थान में महिलाओं पर इस तरह के अत्याचार हो रहे हैं और उनका प्रतिकार करें तो लाठीचार्ज।

श्रीमती बीना काक : उप मुख्य मंत्रीजी हैं, हाथी के पैर में सबके पैर।

श्री अध्यक्ष : श्री नन्दलालजी व्यास। (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : छोटे-छोटे बच्चे जो महिलाओं के साथ आये हुए हैं उनके साथ लाठीचार्ज हो रहा है। महिलाओं पर अत्याचार की बात अन्दर करते हैं, महिलाओं पर अत्याचार बाहर। + + + है ऐसी सरकार को।

+ + + शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री हरिसिंह (महुग्रा) : महिला उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाने वाली महिलाओं, एजीटेशन करने वाली महिलाओं पर लाठी-चार्ज हो रहा है... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री नन्दलालजी, पढ़ें आप। (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : महिलाओं पर अत्याचार की बात अन्दर उठा रहे हैं और बाहर महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, + + + है ऐसी सरकार को (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा : मैं चार्ज लगाता हूं राजस्थान सरकार + + + है। उप मुख्य मंत्रीजी, आप माहौल क्यों खराब करना चाहते हो राजस्थान का....

श्री परसादीलाल मीणा : खून बह रहा है अध्यक्ष महोदय।

श्री रामनारायण मीणा : आपकी महिलाओं से क्या नाराजगी है ? उप मुख्य मंत्रीजी, आप यह बताइये, आपकी सरकार की महिलाओं से क्या नाराजगी है। हर महिला से यौन शोषण किया जाता है.... (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : उप मुख्य मंत्रीजी यहां विराजमान हैं। पूरा राजस्थान महिलाओं पर अत्याचारों की आवाज से गूंज रहा है अध्यक्ष महोदय। रोज विधान सभा के अन्दर महिलाओं के अत्याचार की बात हो रही है, कभी बच्चों से ज्यादती, कभी महिलाओं के प्रति अत्याचार हो रहे हैं। (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : + + + क्यों बैठे हो आप।

श्री अध्यक्ष : विराजिये, विराजिये आप।

श्री नन्दलाल व्यास (बीकानेर) : अध्यक्ष महोदय, विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के अन्तर्गत....

श्री अध्यक्ष : नन्दलालजी, एक मिनट रुकें आप।

श्री हरिशंकर भाभड़ा (उप मुख्य मंत्री) : एक मिनट, व्यासजी। आपने सूचना दी है, मैंने भेज दी है जानकारी के लिये, जानकारी करने के बाद जो भी स्थिति होगी, आपके सामने रख दूंगा।

श्री अध्यक्ष : रामगोपालजी।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

श्री रामगोपाल बैरवा : माननीय अध्यक्ष महोदय, 100 किलोमीटर दूर जाना बालिकाओं के लिये व गरीब परिवार के छात्र व छात्राओं का वहां जाकर रहना व खर्चा वहन करना कठिन होता है। जिससे वह उच्च स्तर तक की शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ रहते हैं जिससे उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं। अतः क्षेत्र की समस्या व छात्रों की संख्या को मध्य नजर रखते हुए इटावा में डिग्री कॉलेज खोलने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष : श्री नन्दलाल जी।

+ + + शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

बीकानेर के सेटेलाइट अस्पताल में बैड क्षमता बढ़ाने तथा आवश्यक सुधार

श्री नन्दलाल व्यास (बीकानेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत चिकित्सा मन्त्री का ध्यान बीकानेर के सेटेलाइट हॉस्पिटल की ओर आकर्षित करना चाहूंगा जहां रोगियों की भर्ती हेतु 50 बैड स्वीकृत हैं, जो कि रोगियों की संख्या को देखते हुए अपर्याप्त हैं, अतः उसकी क्षमता 100 बैड की की जावे। साथ ही हॉस्पिटल में प्राथमिक आवश्यक सुविधाओं का भी अत्यन्त अभाव है, सबसे पहले तो स्वीकृत पदों पर आज दिनांक तक पदस्थापन नहीं किये गये हैं जिससे हॉस्पिटल सुचारू रूप से चलाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, हॉस्पिटल में टेलीफोन, एम्बुलैंस उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण आपात स्थिति में मरीजों को भारी असुविधा होती है विशेष तौर पर रात्रि के समय रोगियों को भारी परेशानी होती है। अतः तत्काल टेलीफोन, एम्बुलैंस की व्यवस्था हेतु आदेश प्रदान करावें, हॉस्पिटल के अन्दर एक्स-रे मशीन उपलब्ध नहीं है, इस स्थिति में मरीजों को बाहर से एक्स-रे करवाना पड़ता है, आपात स्थिति में मरीजों के लिये कई बार एक्स-रे हेतु आवागमन असम्भव सा हो जाता है। इसलिये एक्स-रे मशीन उपलब्ध करवाई जावे एवं बिजली आपूर्ति बाधित होने की स्थिति में हॉस्पिटल में बिजली सप्लाई नियमित बनी रहे इसके लिये जेनरेटर की व्यवस्था भी सरकारी स्तर पर करवाई जावे। समस्याओं के निराकरण हेतु स्वीकृत पदों के विरुद्ध पदस्थापन के आदेश प्रदान करते हुए उपरोक्त सुविधाएं भी तत्काल उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश देवें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री परसादी लाल जी।

आर.ए.एस./आर.टी.एस. की प्रारम्भिक परीक्षा में अनुसूचित जाति/जनजाति के लिये विज्ञापित पदों के छह गुणा अभ्यर्थी ही मुख्य परीक्षा हेतु उत्तीर्ण किये जाने से उत्पन्न स्थिति

श्री परसादी लाल मीणा (लालसोट) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 295 अन्तर्गत सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं कि राजस्थान राज्य अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा (आर.ए.एस./आर.टी.एस.), 1994 प्रारम्भिक के परीक्षा परिणाम 10-4-96 के अनुसार मुख्य परीक्षा हेतु कुल रिक्त पदों 294 के विरुद्ध 3758 अभ्यर्थी ही उत्तीर्ण किये हैं जबकि 15 गुणा अभ्यर्थियों के हिसाब से करीब 4410 अभ्यर्थी उत्तीर्ण किये जाने थे। इस परीक्षा परिणाम में सामान्य उम्मीदवारों के उत्तीर्ण होने का अनुपात 15 गुणा है जबकि अनुसूचित जाति/जनजाति एवं ओ.बी.सी. के उनके रिक्त पदों के अनुपात में लगभग 6 गुणा उम्मीदवार ही उत्तीर्ण किये हैं। हाल ही में राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.सं. एफ. 5 (1) कार्मिक/क–2/92 दिनांक 2-4-96 के अनुसार पूर्व स्थापित नियम 13 में संशोधन कर अनुसूचित जाति/जनजाति के 15 गुणा उम्मीदवार उत्तीर्ण करने का

(श्री परसादी लाल मीणा)

आदेश जारी किया। इस आदेश की 10-4-96 को घोषित प्रारम्भिक परीक्षा परिणाम में पूर्णतः अवहेलना हुई है व अनुसूचित जाति/जनजाति अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ है जिससे इस वर्ग के परीक्षार्थियों में भारी असन्तोष व आक्रोश है।

अखिल राजस्थान अनुसूचित जाति/जनजाति एवं ओ.बी.सी. छात्र संघ प्रतिनिधि मण्डल राज्य के मुख्य मंत्री माननीय श्री भैरोंसिंह शेखावत, गृह मंत्री श्री कैलाश मेघवाल, मुख्य सचिव श्री एम. एल. मेहता से विगत जुलाई, 1995 से मिलता रहा है और बार-बार यही आश्वासन दिया गया कि शीघ्र ही इस वर्ग की रिक्तियों के विरुद्ध सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की तरह 15 गुणा अभ्यर्थी उत्तीर्ण करने का निर्णय केबिनेट द्वारा लिया जाएगा। अन्ततः फरवरी, 1996 की मन्त्रिमण्डल की बैठक में विचार-विमर्श कर 2 अप्रेल, 1996 को मन्त्रिमण्डल ने उपरोक्त निर्णय लिया और मुख्य सचिव महोदय से सम्पर्क करने पर प्रतिनिधि मण्डल को उन्होंने भी यही कहा कि प्रारम्भिक परीक्षा में 15 गुणा अभ्यर्थी उत्तीर्ण करने वाला निर्णय ले लिया गया है और इसे इसी परीक्षा परिणाम से लागू कर दिया जायेगा लेकिन जब 10 अप्रेल, 1996 को आर. ए. एस/आर. टी. एस. प्रारम्भिक परीक्षा, 1994 का परिणाम आया तो इस वर्ग के मात्र 6 गुणा अभ्यर्थी ही उत्तीर्ण किये गये।

इस प्रकार जुलाई, 1995 से लगातार इस विषय को लेकर संघर्ष करने के बावजूद राज्य सरकार ने उक्त निर्णय को इसी परीक्षा परिणाम में लागू न कर इस वर्ग के हितों की पूर्ण उपेक्षा की है और इस वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ घोर अन्याय है क्योंकि यह संशोधन लागू न होने से इस वर्ग के सैकड़ों ऐसे बेरोजगार उम्मीदवारों का जीवन भी अंधेरे में चला जाएगा जो उक्त परीक्षा परिणाम के बाद ऊपरी आयु सीमा को पार कर जाएंगे।

अतः सरकार द्वारा 15 गुणा परीक्षार्थी उत्तीर्ण किये जाने का निर्णय लिये जाने के बाद भी लागू नहीं किया है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के 15 गुणा परीक्षार्थी उत्तीर्ण करने के लिये सरकार को अविलम्ब कार्यवाही करनी चाहिये।

श्री जोगेश्वर गर्ग : अध्यक्ष महोदय, निर्णय को लागू किया जाये मेरा भी निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : श्री शिवनाथ सिंह जी। .. नहीं ये निवेदन नहीं।

श्री परसादी लाल मीणा : केबिनेट का डिसीजन है अध्यक्ष महोदय। सरकार बैठी है बहुत महत्वपूर्ण मामला है यह।

श्री अध्यक्ष : हां, तो 295 में पढ़ा है न आपने।

श्री परसादी लाल मीणा : नहीं लागू नहीं किया। केबिनेट का निर्णय होने के बाद लागू नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : अभी ये डिस्कसन का विषय तो है नहीं यह आप भी जान रहे हैं।

श्री परसादी लाल मीणा : निवेदन कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय। हम तो सरकार को कहना चाह रहे हैं सरकार का कोई जिम्मेदार मन्त्री एस.सी. और एस टी. एवं ओ.बी.सी. की बात सुनने को तैयार नहीं।

एक माननीय सदस्य : केबिनेट का डिसीजन 2 तारीख को आ गया। रिजल्ट 10 तारीख को आया है, लागू होना ही चाहिये था।

एक माननीय सदस्य : केबिनेट का डिसीजन है केबिनेट का निर्णय है।

श्री अध्यक्ष : 295 है ये विराजें। श्रीमान् शिवनाथ सिंह जी।

श्री अमराराम (धोद) : परसादी लाल जी ये गैर जिम्मेदार हैं दोनों।

श्री परसादी लाल मीणा : .. ये एस. सी./एस.टी. और ओ.बी.सी. के सारे मन्त्री इस बात को सुनना नहीं चाहते हैं सारे जिम्मेदार मन्त्री हाउस से वाक-आउट कर गये। क्या बात हुई ये ?

श्री परसराम मोरदिया : केबिनेट के डिसीजन को लागू कराने की बात थी।

श्री अध्यक्ष : विराजिये। कृपया विराजिये।

झुन्झुनूं जिले में सड़क निर्माण हेतु अवाप्त भूमि का मुआवजा

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : अध्यक्ष जी, मैं प्रक्रिया नियम 295 के अन्तर्गत सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि झुन्झुनूं जिले के ग्राम चवरा किशोरपुरा नेवरी–पौख गुढ़ा आदि ग्रामों की जमीन में होकर सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सड़कों का निर्माण करीब दस–बारह साल पहले किया गया था साठ फुट चौड़ी जमीन इन सड़कों के लिये ली गयी थी सड़क निर्माण में किसानों की काश्त की जमीनें ली गयी थीं, जिनका मुआवजा अभी तक काश्तकारों को नहीं दिया गया है, जिससे लोगों में आक्रोश है अब स्थिति यह बन गयी है कि अवाप्त की गयी भूमि पर अतिक्रमण होते–होते सड़क हेतु ली गयी जमीन सिकुड़ते–सिकुड़ते करीब बीस फुट की चौड़ाई रह गयी है जिससे आये दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं यदि काश्तकारों को मुआवजा राशि अविलम्ब दे दी जाती है तथा अतिक्रमण हटा दिये जाते हैं तो स्थिति और बिगड़ने से बच सकती है।

श्री अध्यक्ष : श्री अमराराम जी।

कृषकों को विभिन्न स्कीमों में विद्युत कनेक्शन

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया नियम 295 के अन्तर्गत ऊर्जा मन्त्री का ध्यान उन हजारों किसानों की ओर दिलाना चाहता हूं जिन्होंने डेढ़ वर्ष पहले सिक्योरिटी जमा करवा दी लेकिन आज तक बिजली का कनेक्शन नहीं दिया गया है तथा जिसको कनेक्शन दे दिया उनको भी नर्सरी में लेने के लिये दबाव डाला जा रहा है जबकि ऊर्जा मन्त्री ने बिजली की समस्या पर गोष्ठी में सभी सदन के माननीय सदस्यों को आश्वासन दिया

(श्री अमराराम)

था कि जिस भी किसान द्वारा डिमाण्ड राशि जमा करवा दी गयी है उनको इसी केटेगरी में कनेक्शन मिलेगा, लेकिन आज तक कनेक्शन नहीं दिया गया है तथा जिन किसानों को कनेक्शन दिया गया है और 11 के. वी. ए. लाइन के. वी. आर. सही नहीं है उन किसानों से भी 650 रुपये प्रति हार्स पावर लेकर किया गया है।

अतः ऊर्जा मन्त्री महोदय से निवेदन है कि आप अपने आश्वासन को पूरा करके किसानों को लाभान्वित करेंगे तथा जिन अनुसूचित जाति के किसान 1994 के आवेदन एवं सामान्य किसान 1983 के कनेक्शन में जिन गांवों के 11 के. वी. ए. फीडर का वी. आर. सही नहीं है उनको भी आदेश दिया गया है कि जो भी 1500 रुपये प्रति हार्स पावर सामान्य एवं 750 रुपये प्रति हार्स पावर जमा करायें उनको कनेक्शन दिया जाएगा अन्यथा फाइल पेंडिंग कर दी जाएगी। जिन किसानों का 13 वर्ष के बाद कनेक्शन का नम्बर आने पर भी सरकार 1500 रुपये प्रति हार्स पावर ले रही है, अनुचित है। ऐसे आदेशों को तुरन्त वापस लिया जाए। यदि रुपये जमा कराने के बाद उसी लाइन में कनेक्शन दे दिया जायेगा तो वी. आर. कैसे सही होगा।

उपरोक्त समस्याओं का तुरन्त निराकरण किया जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री श्रवण कुमार जी।

पिलानी विधान सभा क्षेत्र की सड़कों की मरम्मत

श्री श्रवण कुमार (पिलानी) : महोदय, तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 295 के तहत निम्नांकित विशेष उल्लेख का प्रस्ताव करना चाहता हूं।

महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र पिलानी की सारी सड़कों की भयंकर दुर्दशा हो रही है। मान्यवर, पिलानी में समस्त भारत के छात्र शिक्षा ग्रहण करने आते हैं एवं उनके अभिभावकगण पधारते हैं। सड़कों की दुर्दशा के कारण राजस्थान की सरकार की छवि धूमिल होती है।

अतः इन सड़कों की तत्काल मरम्मत करवायी जाए। यह कार्य कब तक हो जायेगा इसकी भी जानकारी देने का कष्ट करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती उजला अरोड़ा।

जयपुर ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र में अवैध कसाईखाना

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 में विशेष उल्लेख के अन्तर्गत ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं।

महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र जयपुर ग्रामीण में अवैध रूप से कसाई खाना चल रहा है। यह स्थान दिल्ली बाइपास सड़क पर आता है। मान्यवर, यह स्थान लाल पोश श्मशान के नाम से जाना जाता है। उक्त

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

श्मशान मार्ग में पहले भी कुछ लोग पाडे काटते थे जिन्हें नगर निगम और प्रशासन के द्वारा बन्द करा दिया गया था लेकिन पिछले कुछ दिनों से यहां पुनः यह कार्य चालू हो गया है। श्मशान मार्ग में खून, आंतें, खोपड़ियां, एवं अन्य गन्दगी आदि पड़ी रहती है। लोगों को शव ले जाने में भी कठिनाई होती है। ये लोग मार्ग में वाहन खड़े करके ट्रकों में काटे हुए पाडे भरते हैं और छोटे वाहनों में लादकर ले जाते हैं - बुरी स्थिति कर रखी है - यहां के संभ्रांत नागरिक प्रशासन व सरकार से भी मिले हैं, परन्तु यह कार्य बन्द नहीं हुआ। इनके पास कोई ऐसा लाइसेंस नहीं है फिर भी यह लोग अवैध रूप से सरेआम कटहा घर चला रहे हैं। जनता में बेहद असन्तोष व आक्रोष व्याप्त है।

अतः आपसे आग्रह है कि आज की कार्यवाही को रोककर मुझे इस महत्व के विषय पर चर्चा की अनुमति प्रदान की जाए।

समिति का प्रतिवेदन

अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति, 1995-96 का चतुर्थ प्रतिवेदन

श्री अध्यक्ष : समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन। श्री चुन्नीलाल जी गरासिया सभापति, अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति, 1995–96 का प्रतिवेदन उपस्थापित करेंगे।

श्री चुन्नीलाल गरासिया (सभापति, अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति) : अध्यक्ष महोदय, मैं अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति, 1995–96 राज्य सरकार के जन–स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं भू-जल विभाग की सेवाओं में अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के आरक्षण सम्बन्धी समिति का चतुर्थ प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

याचिकाओं का उपस्थापन

श्री अध्यक्ष : श्री महावीर भगोरा, सदस्य, विधान सभा पांच याचिकाएं उपस्थापित करेंगे।

श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पांच याचिकाएं उपस्थापित करता हूं :—

उदयपुर जिले के ग्राम पंचायत मुख्यालय पड़ावली कलां में नागरिकों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने बाबत

(1) उदयपुर जिले के ग्राम पंचायत मुख्यालय पड़ावली कलां में नागरिकों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की व्यवस्था बाबत पांच व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित;

गोगुन्दा से छीपाला होकर नाथद्वारा सड़क पक्की बनाकर यातायात की सुविधा उपलब्ध कराने बाबत

(2) गोगुन्दा से छीपाला होकर नाथद्वारा सड़क पक्की बनाकर यातायात की सुविधा उपलब्ध कराने बाबत पांच व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित;

(श्री महावीर मगोरा)

गोगुन्दा से झाड़ोल वाया वास, पड़ावली कलां, ओगणा मार्ग पर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसें चलाने व मार्ग को राष्ट्रीयकृत घोषित करने बाबत

(3) गोगुन्दा से झाड़ोल वाया वास, पड़ावली कलां, ओगणा मार्ग पर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसें चलाने व मार्ग को राष्ट्रीयकृत घोषित करने बाबत 6 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित; एवं

उदयपुर जिले में गोगुन्दा से ओगणा होकर झाड़ोल एस डी एम. मुख्यालय की सड़क पर पुलिया निर्माण एवं सड़क को पक्की कराने बाबत

(4) उदयपुर जिले में गोगुन्दा से ओगणा होकर झाड़ोल एस. डी. एम. मुख्यालय की सड़क पर पुलिया निर्माण एवं सड़क को पक्की कराने बाबत 6 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित; एवं

उदयपुर जिले की ग्राम पंचायत समीजा, भादड़ा, पड़ावली कलां एवं पड़ावली खुर्द के मध्य ग्राम पंचायत मुख्यालय वास में नवीन पशु चिकित्सालय खोलने बाबत

(5) उदयपुर जिले की ग्राम पंचायत समीजा, भादड़ा, पड़ावली कलां एवं पड़ावली खुर्द के मध्य ग्राम पंचायत मुख्यालय वास में नवीन पशु चिकित्सालय खोलने बाबत 6 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित। धन्यवाद।

आय–व्ययक (1996–97) पर सामान्य वाद–विवाद

श्री अध्यक्ष : आय–व्ययक (बजट) 1996–97 पर वाद–विवाद हो रहा है। मैं थोड़ा-सा नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि काफी समय इसमें लग चुका है। अब विभिन्न पार्टियों का जो समय बचा है, भारतीय जनता पार्टी 4 घंटे 55 मिनट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1 घंटे 36 मिनट बचा है, जो समय आबंटित किया गया है उसमें से, जनता दल 15 मिनट, सी.पी.एम. 5 मिनट और अब निर्दलीय माननीय सदस्यों के लिये 1 घण्टे 15 मिनट बचा है। उसी के हिसाब से मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा माननीय सदस्य इसमें भाग ले सकें उतनी आप कोशिश करें। श्री कालीचरण जी सराफ।

श्री कालीचरण सराफ (जौहरी बाजार): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के मुख्य मंत्री जी ने वित्त मंत्री के रूप में जो बजट पेश किया है वह मात्र आय-व्यय का लेखा-जोखा ही नहीं बल्कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति को नयी दिशा देने का प्रयास है। गत 6 वर्षों में हमने आम आदमी को केन्द्र बिन्दु मानकर, गरीब को गणेश मानकर जिन नीतियों को लागू किया उसी का यह परिणाम है कि आज हमारा राज्य देश के अग्रणी राज्यों में जाना जाने लगा है। प्रतिव्यक्ति विनियोजन अप्रत्याशित रूप से बढ़ा है, प्रदेश का त्वरित गति से आर्थिक विकास हुआ है। राजस्थान राज्य के आज यदि प्रतिव्यक्ति योजनागत विनियोजन का विश्लेषण किया जाए तो

(श्री कालीचरण सराफ)

हम यह देखेंगे कि महाराष्ट्र के अलावा राजस्थान का प्रतिव्यक्ति विनियोजन अन्य राज्यों में सबसे ज्यादा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र में जहां 748.32 रुपये पर केपिटा प्लान आउट-ले है आन्ध्र प्रदेश में 474.98 रुपये, असम में 632.78 रुपये, गुजरात में 631.81 रुपये, केरल में 532.66 रुपये, मध्य प्रदेश में 438.19 रुपये, उड़ीसा में 521.16 रुपये, तमिलनाडु में 572.87 रुपये, उत्तर प्रदेश में 393.75 रुपये, वेस्ट बंगाल में 303.33 रुपये और राजस्थान का प्रतिव्यक्ति विनियोजन है 727.17 रुपये और इतना ही नहीं जो हमारे देश का एवरेज है वह 523.84 रुपये है, तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने जो नीतियां इस प्रदेश में लागू कीं उन्हीं का यह परिणाम है कि आज हमारा प्रदेश देश के अन्य राज्यों से अधिक प्रति व्यक्ति विनियोजन में अग्रणी है। इतना ही नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, औद्योगिक विकास हमारे प्रदेश में कैसे हो, इस सरकार ने इस बात को प्राथमिकता दी है। किसी भी प्रदेश का, किसी भी राज्य का औद्योगिकरण होने के लिये आवश्यक है कि वहां का इन्फ्रास्ट्रेक्चर बेहतर हो, दूसरी सरकार ने इन्फ्रास्ट्रेक्चर बेहतर हो, इस बात का भी प्राथमिकता के आधार पर प्रयास किया है। जहां पर सड़कों की आवश्यकता है वहां सड़कें बनाई गयी, जहां पानी की आवश्यकता है वहां पानी की व्यवस्था की गयी और जहां उद्योगों के लिये उचित जमीन की आवश्यकता है वहां जमीन उनको उपलब्ध करवायी गयी और उसी का यह परिणाम है कि 1989-90 तक हमारे प्रदेश में

(14.01)

(श्री समर्थलाल मीणा, उपाध्यक्ष, पदासीन)

वृहद और मध्यम उद्योगों में जहां 225 औद्योगिक इकाइयां थीं पांच साल के दौरान हमने 244 इकाइयां स्थापित की हैं, नयी इकाइयां स्थापित की हैं और स्थायी पूंजी का विनियोजन जो 1989-90 तक यानि 40 साल में केवल 2223.37 करोड़ रुपये था, हमने पांच साल में 10274.64 करोड़ रुपये का स्थाई विनियोजन वृहद और मध्यम उद्योगों में किया। इतना ही नहीं, लघु उद्योगों में जहां 1989-90 में 1,48,353 लघु उद्योगों की इकाइयां स्थापित हुई, यानि 40 साल में, हमने पांच साल में 29,254 लघु औद्योगिक इकाइयां यहां पर स्थापित कीं और जहां 1989-90 तक 5,49,487 लोगों को एम्प्लायमेंट मिला 40 साल में, हमने पांच साल में 1,37,099 लोगों को लघु औद्योगिक इकाइयों के माध्यम से रोजगार प्रदान किया और जहां तक विनियोजन का सवाल है 76152.59 लाख रुपये 40 साल का विनियोजन कांग्रेस के राज्य में हुआ और हमारे पांच साल के शासन के दौरान 99674.27 लाख रुपये का विनियोजन हमने लघु औद्योगिक इकाइयों में किया। ये आंकड़े इस बात को दर्शाते हैं कि हमारे प्रदेश में औद्योगिक वातावरण बना है। औद्योगिक इकाइयां तीव्र गति से लग रही हैं। देश के अन्य राज्यों में जो निवेशक हैं वो हमारे प्रदेश की औद्योगिक नीति को देख कर प्रदेश में उद्योग लगाने के लिये आकर्षित हो रहे हैं और मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं, विश्वास के साथ कह सकता हूं, मुझे विश्वास ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास भी

(श्री कालीचरण सराफ)

है कि दो-तीन वर्षों में हमारे प्रदेश में इतनी औद्योगिक इकाइयां लगेंगी, इतने लोगों को एम्प्लायमेंट मिलेगा, इतना विनियोजन उद्योगों के माध्यम से होगा कि हमारा प्रदेश देश के अग्रणी राज्य जो महाराष्ट्र, कर्नाटक, वेस्ट बंगाल, गुजरात, जो औद्योगिक क्षेत्र में अग्रणी राज्य हैं, उनमें हमारे राज्य का नाम लिया जाने लगेगा।

बजट प्रस्ताव में हमने ग्रामीण विकास, शिक्षा का विस्तार, बिक्री कर की दरों में व्यावहारिक परिवर्तन, गरीबों के काम में आने वाली वस्तुओं पर से कर मुक्ति, वे ऐसे कदम उठाये हैं जिनसे निश्चित रूप से हमारे प्रदेश के आर्थिक विकास को गति मिली है और उसी का यह परिणाम है कि आर्थिक विकास की प्रक्रिया में हमारे प्रदेश की गिनती देश के प्रगतिशील राज्यों में होने लगी है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश की योजना का आकार भी बढ़ा है। बताने की आवश्यकता नहीं कि जहां प्रथम पंच वर्षीय योजना हमारे प्रदेश की 54.14 करोड की थी, द्वितीय पंच वर्षीय योजना 182.74 करोड़ की थी, तृतीय पंच वर्षीय योजना 212.70 करोड़ की थी, चतुर्थ पंच वर्षीय योजना 388.79 करोड़ की थी और पंचम पंच वर्षीय योजना 857.62 करोड़ की थी, छठी पंच वर्षीय योजना 2130 करोड़ की थी और सातवीं पंचवर्षीय योजना 3106 करोड़ की थी, आठवीं पंच वर्षीय योजना 11500 करोड़ की हमने बनायी। निश्चित रूप से 11500 करोड़ की योजना यहां के ग्रामीण सेवाओं में सिचाई पर, कृषि पर, उद्योगों पर पेयजल की समस्या के समाधान के लिये, स्कूलों को खोलने के लिये जो हमने विनियोजन किया है यह निश्चित ही प्रदेश को आगे ले जाने वाला है। और अब जो नवीं पंच वर्षीय योजना बनने वाली है, हमारा प्रयास है कि नवीं पंच वर्षीय योजना राजस्थान की 25 हजार करोड़ रुपये की बनें। निश्चित ही यदि 25 हजार करोड़ की योजना बनाने में हम सफल होंगे तो हमारा राज्य देश के प्रगतिशील राज्यों में गिना जाएगा। यह कहना अतिश्योक्ति नहीं होगी कि हमारे शासन काल में राज्य का चहुंमुखी विकास हुआ है। जहां कांग्रेस के शासनकाल में, कल रामनारायण जी कह रहे थे कि गांवों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गांवों का कोई विकास नहीं हुआ। मैं कहना चाहूंगा कि वार्षिक योजनाओं के जो योजनागत व्यय हैं कांग्रेस के शासन काल में आप उठाकर देख लीजिए कि 40-50 प्रतिशत से ज्यादा ग्रामीण विकास में योजनागत व्यय नहीं हुआ था। पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में बनी, 90 से लेकर आज तक कभी 60 प्रतिशत, कभी 61 प्रतिशत, कभी 62 प्रतिशत और इस बार तो 63 प्रतिशत ग्रामीण विकास में खर्च होने वाला है, हमारी वार्षिक योजना का। यह इस बात को इंगित करता है कि भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि गांव का विकास तो प्रदेश का विकास, गरीब की उन्नति तो प्रदेश की उन्नति और इसी मापदण्ड को लेकर हम प्रदेश का विकास कर रहे हैं। 345 करोड़ रुपये का किसानों का कर्जा हमने माफ किया।

(श्री कालीचरण सराफ)

18 लाख किसान परिवार जिससे लाभान्वित होंगे। बारानी भूमि का लगान हमने माफ किया। 13-14 साल तक कांग्रेस के राज में जो पंचायत राज अस्त-व्यस्त हो गया था, पंचायतों के चुनाव नहीं हुए थे, भारतीय जनता पार्टी में सरकार ने चुनाव के समय वादा किया कि यदि हमारी सरकार आई तो हम पंचायतों के चुनाव करवाएंगे और आज उसी का परिणाम है कि पंचायती राज की छोटी से छोटी इकाई से लेकर बड़ी से बड़ी इकाई पर जन प्रतिनिधि बैठे हैं। जिला प्रमुखों के चुनाव हो गये, जिला परिषदों के चुनाव हो गये, पंचायत समितियों के चुनाव हो गये, प्रधानों के चुनाव हो गये. पंचायतों के चुनाव हो गये, और आज ऐसी एक भी जगह खाली नहीं है कि जहां इलेक्टेड प्रतिनिधि गांवों के विकास में अपनी भागीदारी नहीं निभाता हो। कल श्री रामनारायण जी यह भी कह रहे थे कि अनुसूचित जाति के बारे में यह राज्य सरकार नहीं सोचती। मैं पूछना चाहूंगा कांग्रेस के राज में कितने अनुसूचित जाति के लोग जिला प्रमुख के पद पर आसीन थे, कितने लोग प्रधानों के पद पर आसीन थे, कितने लोग अनुसूचित जाति के सरपंच और प्रधान बने थे ?

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : यह तो भारत सरकार ने रिजर्वेशन दिया था इसलिये आ गये।

श्री कालीचरण सराफ :... श्रीमान् तो आप करते, इसमें तकलीफ क्या थी ? क्यों नहीं किया और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अनुसूचित जनजाति के लोग जो कभी कल्पना भी नहीं करते थे जिला प्रमुख बनने की, अनुसूचित जनजाति के लोग जो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हम जिला प्रमुख बन जाएंगे, ओ.बी.सी. के लोग जो कभी दिमाग में भी नहीं ला सकते थे कि हम जिला प्रमुख बन जाएंगे, महिलाए जिनका कोई प्रश्न ही नहीं पैदा होता था, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है कि 30 प्रतिशत महिलाएं आज जिला प्रमुखों के पद पर बैठी हैं, 30 प्रतिशत महिलाएं आज प्रधानों के पद पर बैठी हैं और 30 प्रतिशत महिलाएं आज सरपंच हैं। ओ बी.सी. की 15 पर्सेंट जिला प्रमुख, प्रधानों, सरपंचों, हर जगह आज ओ. बी. सी. का प्रतिनिधित्व है, अनुसूचित जाति का प्रतिनिधित्व है, जनजाति का प्रतिनिधित्व है और इतना ही नहीं. नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद, जहां कभी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था, वहां पर भी आज महिलाएं ओ.बी सी के लोग, अनुसूचित जाति के लोग, अनुसूचित जनजाति के लोग चेयरमैन और महापौर जैसे पदों पर बैठे हैं।

आज राजस्थान में तीन नगर निगम हैं। जोधपुर में आज ओ. बी. सी. का व्यक्ति नगर निगम का महापौर है। कोटा में आज महिला नगर निगम की महापौर है। कांग्रेस के राज्य में कभी भी महिलाएं, ओ. बी. सी. के लोग, अनुसूचित जाति, जनजाति के लोग महापौर, जिला प्रमुख और चेयरमैन नहीं बने।

श्री जुबेर खान : यह केवल राजस्थान में ही है या देश में और कहीं पर भी हैं। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे राजस्थान की उपलब्धि हो। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ : बैठिये, बैठिये। आपका भी तो राज था। श्रीमानजी, ऐसा है कि आज कई राज्यों में जहां कांग्रेस का राज है, वहां पर पंचायत के चुनाव या तो हुए ही नहीं और हुए हैं तो वे मखौल हुए हैं। पर हमारे प्रदेश में....

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : प्रधान और नगर पालिकाओं के चेयरमैन किस तरह से बने हैं ?

श्री कालीचरण सराफ : श्रीमानजी, मध्य प्रदेश में एक लाख से ज्यादा पद पंचों के पद, सरपंचों के पद आज भी खाली पड़े हैं।

श्री जुबेर खान : लेकिन वहां डी.आर.डी.ए. के चेयरमैन भी हैं।.

श्री कालीचरण सराफ : यहां भी बनेगा। निश्चिंत रहिये आप। वित्त आयोग की रिपोर्ट आ गयी है। डी.आर.डी.ए. के बारे में सोचा जाएगा, किस प्रकार से वित्तीय अधिकार दिए जाएं। उसके बारे में भी सोचा जाएगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सामान्य शिक्षा के अन्तर्गत योजनागत व्यय में आगामी वर्ष में 375 करोड़ 31 लाख रुपये खर्च करने का प्रावधान रखा गया है, जो चालू वर्ष से 63 करोड़ 38 लाख रुपये अधिक है।

श्री मोहनलाल मोदी : हम तो पहले श्री घनश्यामजी की सिफारिश करेंगे कि उन्हें मंत्री बनाया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यों से मैं निवेदन करूंगा कि वे बार-बार टोकाटाकी न करें।

श्री मोहनलाल मोदी : हम तो श्री घनश्यामजी को मंत्री बनाने के लिये कह रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये, आप विराजिये। फिर आप टोकाटोकी कर रहे हैं।

श्री कालीचरण सराफ : भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 6 वर्षों में शिक्षा को प्राथमिकता दी है और यह लक्ष्य निर्धारित किया है कि 2001 तक निरक्षरता का जो कलंक हमारे प्रदेश पर जो लगा हुआ है, उसको जड़-मूल से समाप्त कर दें। आज उसी का यह परिणाम है कि 19 जिलों में सम्पूर्ण साक्षरता अभियान चल रहा है। पांच जिलों में हम इस वर्ष सम्पूर्ण साक्षरता अभियान चलाने जा रहे हैं और अगले वर्ष सात जिलों में हम सम्पूर्ण साक्षरता अभियान चलायेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में, हमारे राज्य में शिक्षा के प्रति ...

श्री मोहनलाल मोदी : इस शिक्षा का पैसा कौन दे रहा है, कम से कम यह भी आ जाए। भारत सरकार दे रही है, यह भी कह दीजिए।

श्रीमती तारा भण्डारी : भारत सरकार में आपका कुछ नहीं है।

श्री मोहनलाल मोदी : हमारा कुछ नहीं है तो आपका भी नहीं है।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : हम तो भागीदार हैं।

श्री कालीचरण सराफ : इतना ही नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार का शिक्षा के प्रति कितना कमिटमेंट है, यह इस बात से परिलक्षित होता है कि हमने "निःशुल्क पुस्तक वितरण योजना" इस प्रदेश में लागू की। कक्षा एक से आठ तक की जितनी भी बालिकाएं हैं उनको निःशुल्क पुस्तक वितरण और कक्षा एक से पांच तक के जितने भी छात्र हैं उनको निःशुल्क पुस्तक वितरण।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कक्षा एक से आठ तक बालिकाए।

श्री कालीचरण सराफ : हां, बालिकाएं। यही मैं कह रहा हूं और बालक कक्षा एक से पांच तक।

आज जो यह योजना हमने चालू की, उसका यह परिणाम है कि आज उन विद्यालयों में, विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन बढ़ा है, बालक और बालिकाओं का। आज तमिलनाडु, कर्नाटक, आन्ध्र-प्रदेश से भी अधिकारी राजस्थान आ रहे हैं कि आपने यह योजना कैसे लागू की, क्या इसमें आपको कोई कठिनाई तो नहीं आयी। पूरे देश में आज इस योजना की भूरि-भूरि प्रशंसा हो रही है। परन्तु हमारे कांग्रेस के मित्रों ने शिक्षा में भी राजनीति लाने की कोशिश की। जितने भी वक्ता यहां पर बोले, उन्होंने एक शब्द भी निःशुल्क पुस्तक वितरण योजना के बारे में नहीं कहा।

श्री परसादीलाल मीणा : भारत सरकार का यह पैसा है।

श्री कालीचरण सराफ : काहे का यह पैसा है। नहीं, नहीं केन्द्र सरकार राजस्थान को पैसा देती है, मध्य प्रदेश को नहीं देती है। मध्य प्रदेश में आपने क्यों नहीं लागू की ? पंजाब में आपने क्यों लागू नहीं की ? उड़ीसा में आपकी सरकार है, वहां क्यों नहीं लागू की ?

श्रीमती तारा भण्डारी : भारत सरकार इनसे नाराज थी, इसलिये कभी पैसा मिला ही नहीं। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ : ऐसा है, श्री परसादीलालजी, जब कांग्रेस की सरकार थी तो राजस्थान के मुख्य मंत्रियों की स्थिति दिल्ली में + + + से ज्यादा नहीं थी।

श्री परसादीलाल मीणा : किताबों की व्यवस्था भारत सरकार ने सारे हिन्दुस्तान में लागू की है।

श्री कालीचरण सराफ : नहीं है, (व्यवधान) यह आन्ध्र प्रदेश में लागू नहीं है।

श्री परसादीलाल मीणा : आपने कोई नयी नहीं की है। आप पंचायत राज में आरक्षण की बात कर रहे हैं। कांग्रेस की जो केन्द्रीय सरकार थी, उसने 72 वां और 73 वां संविधान संशोधन किया। आपने तो बहुत विरोध किया था, परन्तु आपकी चली नहीं। अन्दर से आप बहुत दुखी हैं। महिलाओं के आरक्षण से बहुत तकलीफ है। लोक सभा और विधान सभाओं में भी,

---

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री परसादीलाल मीणा)

आपकी जगह भी अगली बार महिलाएं आएंगी। ध्यान रखना, यह भी केन्द्र सरकार कर रही है। आप कह दें कि आपके होने से हो रहा है, आपकी विधान सभा में भी एक तिहाई महिलाएं आएंगी अगली बार। देख लेना, आपको कहां से चुनाव लड़ना है। (व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : आनी चाहिये।

श्री परसादीलाल मीणा : श्री चतुर्वेदीजी, आप कहां से चुनाव लड़ेंगे। बताइये कहां से लड़ेंगे, आप चुनाव। आपकी लाटरी निकल गयी।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : विराजिये। (व्यवधान) विराजिये तो सही, बोलना शुरू हो गये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने सबसे पहले....

श्रीमती उजला अरोड़ा : मातृ-सतात्मक राज आ गया तो आपके सब ऐब खतम हो जाएंगे।

श्री परसादीलाल मीणा : आपके बस का रोग नहीं है, आप बैठिये।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : विधान सभा में और लोक सभा में एक तिहाई महिलाओं का आरक्षण हो, केन्द्रीय सरकार को सबसे पहले यह प्रस्ताव राजस्थान के मुख्य मंत्री श्रीमान भैरोंसिंह शेखावत ने ही दिया है। दूसरा, आपने कहा, कहां से लड़ेंगे, आप चिन्ता मत करिये। आप जहां से लड़ेंगे वहां से लड़ लूंगा। (व्यवधान) आप कहेंगे और जगह से लड़ लूंगा, क्या तकलीफ है, उसमें क्या घबराहट हो रही है (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : आप जिस सीट से लड़ेंगे, वह अभी से देखना शुरू कर दें। कोटा शहर की सीट महिला सीट हो चुकी। आप अपनी सुरक्षित सीट देख लो।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : आप चिन्ता मत करो, होने तो दो।

श्रीमती मीना अग्रवाल : महिलाओं को तैंतीस प्रतिशत का आरक्षण दिया गया है। ये अगर रखते तो, पहले ही रख देते। प्रधान मंत्री राव ही रख देते। यह तो श्री अटलजी की देन है, जो उन्होंने किया प्रधान मन्त्री, श्री देवेगौड़ा उसको चालू कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ : श्री परसादीलालजी, आपके ज्ञानवर्धन के लिये बता दूं कि लोक सभा के चुनाव के पहले सभी राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव घोषणा पत्र जारी किये थे। उसमें केवल भारतीय जनता पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र में यह लिखा है।

श्री परसादीलाल मीणा : हमारे में भी है। (व्यवधान) पढ़िये आप। हमारे घोषणा पत्र में भी लोक सभा और विधान सभाओं में महिलाओं के एक तिहाई आरक्षण का प्रावधान है।

श्री कालीचरण सराफ : आप दुबारा पढ़ लेना, नहीं है।

श्री परसादीलाल मीणा : हमारा घोषणा पत्र पहले प्रकाशित हुआ है, आपका बाद में हुआ है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आपने चुनाव घोषणा पत्र के अनुसार कभी काम ही नहीं किया। जो घोषणा पत्र में लिखा, केवल घोषणा ही रह गयी और कोई कार्य नहीं किया। नीति नहीं बनायी, कार्यक्रम नहीं किये, अब जाकर देख लो, आपके पैदा होने से पहले, आपके पैदा होने के बाद, जो घोषणाएं हैं, वे घोषणाएं ही रह गयीं।

श्री कालीचरण सराफ : महिलाओं के बारे में आप कितने जागरूक हैं, कितने उदासीन हैं। यह तो इस बात से ही परिलक्षित होता है कि हमारी तरफ 6 महिलाएं विधायक हैं और आपकी तरफ केवल तीन हैं। बता दो, यह भी नहीं है।

श्री परसादीलाल मीणा : आपकी तरफ चार हैं। भारतीय जनता पार्टी में चार हैं।

श्री कालीचरण सराफ : ये 4, ये 5 और श्रीमती दत्ताजी 6....

श्री परसादीलाल मीणा : ये तो निर्दलीय हैं... (व्यवधान) निर्दलीय हैं भाई।

श्री कालीचरण सराफ : इससे क्या मतलब है, आज हमारे साथ हैं।

श्री परसादीलाल मीणा : नहीं, नहीं। आपकी पार्टी ने तो इनको टिकट देकर वापस छीन लिया। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह तो हमारे माधोपुर जिले ने कृपा कर दी। (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : इनका भारी अपमान किया गया और वहां की जनता ने इनको जिता कर भेजा है। आपकी पार्टी का इनके ऊपर कोई अहसान नहीं है और जिस दिन आपकी पार्टी के सिम्बल से रानी साहिबा लड़ेंगी, उस दिन चुनाव हार जाएंगी। इसलिये निर्दलीय लड़ेंगी।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजें।

श्रीमती तारा भण्डारी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बुरी बात है। हमारे माननीय सदस्य को बोलने ही नहीं दे रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप भी विराजें।

एक माननीय सदस्य : आपकी पार्टी की तो जमानत जब्त करवा दी।

श्री रतनलाल ताम्बी : ये कह दें, बी. जे पी. की हैं क्या, तो कल हालत खराब हो जाए इलाकों में।

श्री कालीचरण सराफ : ये अभी कह देंगी।

श्री रतनलाल ताम्बी : आपको जनता ने निर्दलीय चुनकर भेजा है, निर्दलीय आपकी स्थिति है। यह तो आप बैसाखियों पर सरकार चला रहे हो। (व्यवधान) क्यों बन्द करूं। आपको चिन्ता क्यों होती है। आप सत्य को स्वीकार क्यों नहीं करते ?

श्री कालूलाल गूजर : ताम्बीजी साहब, आपके दल ने तो आपको पहले ही तीन-तीन बार टिकट नहीं दिया, फिर भी आप उन्हीं के गुण गा रहे हो ?

श्री रतनलाल ताम्बी : उसके बावजूद भी तीनों बार भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त कराकर के जीतकर आया हूं यह तो आपको मालूम है।

श्री कालूलाल गूजर : जिस पार्टी ने आपको रद्दी समझकर फेंक दिया, आपको टिकट नहीं दिया और आप कह रहे हैं.... (व्यवधान) .. ..

श्री रतनलाल ताम्बी : ऐसा है, मेरी सहयोगी जनता ने तीन बार भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त कराकर उसको बुरी तरह से हरा कर मुझे भेजा है। ऐसी पार्टी को जनता ने हमेशा रिजेक्ट किया है।

श्री कालूलाल गूजर : आप तो खुद ही निर्दलीय हैं।

श्री परसादीलाल मीणा : आपकी पार्टी ने (व्यवधान) आप कैसे जीतकर आये हो ? (व्यवधान)

श्री कालूलाल गूजर : आप तो बी.जे.पी. के नाम से वोट मांग कर आये हो। आपने लोगों को कहा है मैं बी.जे.पी. में मिलूगा... (व्यवधान).....

श्री परसादीलाल मीणा : इनके अहसान को मत भूलों (व्यवधान)

श्री बद्रीप्रसाद गुरूजी : ताम्बीजी, आप जो जीत कर आये हों, हमारी मेहरबानी से जीत कर आये हों।

श्री रतनलाल ताम्बी : नहीं, बिलकुल प्रश्न ही नहीं।

श्री बद्रीप्रसाद गुरूजी : ताम्बीजी, आप जीतकर आये हैं, हमारी मेहरबानी से जीत कर आये हैं।

श्री रतनलाल ताम्बी : भारतीय जनता पार्टी का.... (व्यवधान)....

श्री कालूलाल गूजर : बी. जे. पी. की मेहरबानी से जीतकर आये हो। बी. जे. पी के नाम से (व्यवधान) ...

श्री रतनलाल ताम्बी : मेरे खिलाफ उम्मीदवार था, जिसकी जमानत जब्त हुयी है। आप रिकार्ड देख लें। भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त हुई है। और आप निर्दलीयों का अहसान भूल रहे हों।

श्री परसादीलाल मीणा : सवाईमाधोपुर में भी भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त हुई है।

श्री रतनलाल ताम्बी : आप निर्दलीयों का अहसान मत भूलों।

श्री परसादीलाल मीणा : सवाईमाधोपुर में भी जहां से श्रीमती कंवर साहब आयी हैं, वहां भी बी. जे. पी. की जमानत जब्त हुई है।

श्री रतनलाल ताम्बी : यह निर्दलीयों के हालात हो रहे हैं। उनका क्या कर रखा है आपने ? इनको ऐसे तो महकमें दे रखें हैं, इनकी कोई कीमत करते नहीं। इनके सैक्रेटरी ऐसे लगा रखे हैं, इनकी कोई सुनते नहीं। इनकी हालत आप लोगों ने खराब कर रखी है। आप इनको बनाओ गृह मंत्री, आप इनको बनाओ सिचाई मंत्री, बनाओ वित्त मंत्री, बनाओ उद्योग मंत्री, बनाओ सार्वजनिक निर्माण मंत्री। अच्छे-अच्छे तो आपने ले लिये, फल-फल तो आप खा रहे हैं और इनको कह दिया कि आप निर्दलीय... (व्यवधान)....

श्रीमती तारा भण्डारी : आपको पूछकर थोड़े ही बनाएंगे।

श्री रतनलाल ताम्बी : यह तो पर्यटन राज्य मन्त्री भली हैं। इनको आपने (व्यवधान)

श्रीमती तारा भण्डारी : आपसे पूछकर नहीं बनाएंगे।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अहसानमंद होना चाहिये।

श्री रतनलाल ताम्बी : आप तो जिन्दगी भर अहसान मानों।

एक माननीय सदस्य : श्री ताम्बीजी, अब तो आप बैठें।

श्री रतनलाल ताम्बी : और यह श्री भैरोंसिहजी शेखावत की कृपा से आपकी गाड़ी चल रही है, बाकी है क्या ये ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, देखिये बार-बार व्यवधान न करें। मुझे विवश होकर यह कहना पड़ेगा कि जो टोकाटोकी करें उनको अंकित न किया जाए।

श्रीमती तारा भण्डारी : ठीक बात है।

श्री जुबेर खान : उपाध्यक्ष महोदय, कहना पड़ेगा कि ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मेरी बात का आप पर असर ही नहीं पड़ा।

श्री कालीचरण सराफ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्री रतनलालजी ताम्बी के प्रति तो मैं सहानुभूति प्रकट कर सकता हूं। यह एक घण्टा चूक गये, नहीं तो आज यह भी मन्त्री होते और तीन–तीन बार कांग्रेस ने इनको टिकट नहीं दिया।

श्री उपाध्यक्ष : आप टोकाटोकी को फिर इनवाइट कर रहे हैं माननीय सदस्य, मेहरबानी करके आप विषय पर आइये।

श्री कालीचरण सराफ : भारतीय जनता पार्टी ने इनको टिकट दिया नहीं तो वे क्या करते। कांग्रेस के गुणगान कर रहे हैं।

श्री परसादीलाल मीणा : और अगर अबके नहीं बने कालीचरणजी, तो कभी आपकी जिन्दगी में आपका नम्बर नहीं आएगा।

श्री रतनलाल ताम्बी : आप गलत कह रहे हैं। 1985 में कांग्रेस के टिकट पर राजस्थान से 30710 वोट से जीता था।

(श्री रतनलाल ताम्बी)

तीन बार की बात भी गलत कह रहे हैं आप। रिकार्ड देख लें, सारी बात है। हां, यह मन्त्रीजी सही कह रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये।

श्री कालीचरण सराफ : खैर, इनकी यह जाने।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह बता रहा था कि राजस्थान की सरकार औद्योगिकीकरण के लिये गम्भीर, राजस्थान में शिक्षा का विस्तार हो इसके लिये गम्भीर और विद्युतीकरण हमारे प्रदेश का हो इसके बारे में भी राज्य सरकार गम्भीर है। इस बार हमने यह प्रावधान रखा है कि 750 ग्रामों को इस वर्ष विद्युतीकृत किया जाएगा। 25 हजार कुओं पर नये कनेक्शन दिये जाएंगे। यह इस बात का द्योतक है कि हमारी राज्य सरकार बिजली के प्रति भी कितनी गम्भीर है। सड़कों और पुल के बारे में भी हमारी सरकार कम गम्भीर नहीं है।

इस बार हमने यह तय किया है कि 3500 किलोमीटर की ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों की लम्बाई को बढ़ाया जाएगा। 3500 किलोमीटर। 900 गांवों को 1996–97 में सड़कों से जोड़ा जाएगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सड़क और पुल राजस्थान में निर्मित हों, इसको प्राथमिकता के आधार पर राज्य सरकार देख रही है और यह जो 900 गांवों में सड़कें और बन जाएंगी तो 1971 तक की जनगणना के अनुसार 1500 या इससे अधिक जो आबादी जिन गांवों की है, उनको तो हमने 1995 तक सड़कों से जोड़ दिया, अब हमारा लक्ष्य यह है कि 1991 की जनगणना के आधार पर जो गांव 1500 की जनसंख्या के हैं, इनको किसी प्रकार से सड़कों से जोड़ा जाए। हम पूरे प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाना चाहते हैं। हमारी इच्छा यह है कि राजस्थान का छोटे से छोटा गांव और बड़े से बड़ा गांव सड़कों से जुड़ जाए। राजस्थान के चालीस साल के कांग्रेस शासन काल में इन्होंने इस बात को प्राथमिकता कभी नहीं दी, परन्तु हमने इस बात को प्राथमिकता के आधार पर लिया और आज इसी का परिणाम है कि 1971 में 1500 की जनसख्या के आधार पर जितने भी गांव हैं इस प्रदेश में, उनको हमने सड़कों से जोड़ दिया है। अब हमारा लक्ष्य 1991 की जनसंख्या के आधार पर यहां 1500 और 1500 से अधिक जनसंख्या के जो गांव हैं, उनको सड़कों से जोड़ने का है।

इतना ही नहीं पेयजल के मामले में भी हमारी राज्य सरकार बड़ी गम्भीर है। 400 गांव पाइप लाइन से जुड़े, इस बात का लक्ष्य इस साल रखा गया है। पांच हजार गांव और बस्तियों में पेयजल सुविधाएं उपलब्ध करायी जाएं, इस बात का भी हमने ध्यान रखा है। शिक्षा में इतनी स्कूलें, 3500 किलोमीटर की सड़कें, 750 गांवों का विद्युतीकरण, 25 हजार कुओं में विद्युत के कनेक्शन, 1971 में 1500 की जनसंख्या के आधार पर सड़कों से जोड़ना, 400 गांवों में पाइप लाइन, पांच हजार गांवों में पेयजल की व्यवस्था इन सब बातों को करने के बाद भी सबसे बड़ा कमाल यह है कि हमारे छह साल के शासनकाल में हमने एक भी

(श्री कालीचरण सराफ)

नये पैसे का टैक्स नहीं लगाया। एक नये पैसे का टैक्स नहीं लगाया। तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य श्री चन्दनमलजी वैद बोल रहे थे कि यह सरकार व्यापारियों की समर्थक सरकार है। टैक्स नहीं लगाकर इन्होंने व्यापारियों को राहत दी है। मैं श्री चन्दनमलजी से यह पूछना चाहूंगा कि आज टैक्स नहीं होगा तो उसका फायदा क्या व्यापारियों को मिलता है? व्यापारी तो केवल एक एजेन्सी के रूप में काम करता है। आपने दस पर्सेंट टैक्स लगाया तो वह ग्राहक से दस पर्सेंट टैक्स ले लेगा। आपने 15 पर्सेंट टैक्स लगाया तो वह 15 पर्सेंट टैक्स ले लेगा। आज यदि टैक्स में राहत मिलती है और यदि नये कर नहीं लगते हैं तो उसका फायदा राजस्थान की गरीब जनता को मिलता है। राजस्थान के किसान को मिलता है। राजस्थान के मजदूर को मिलता है। राजस्थान के ग्रामीण व्यक्ति को मिलता है। अब बड़े तैश में बोल गये कि गेहूं पर टैक्स, चने पर टैक्स है, दाल पर टैक्स है पर हीरे-जवाहरात पर टैक्स नहीं है।

श्री चन्दनमलजी जैसे वरिष्ठ माननीय सदस्य जब यह बात करते हैं तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि जब आप प्रदेश के वित्त मंत्री थे और आपने हीरे-जवाहरात पर जो मल्टी पाइंट की व्यवस्था कर रखी थी, उस समय हमारे प्रदेश में जो हीरे-जवाहरात का निर्यात होता था, वह 1987-88 में में हुआ 84.99 करोड़ और 1988-89 में हुआ 110.43 करोड़ और 1989-90 में हुआ 150 करोड़। और हमने बिक्री कर हटाया हीरे–जवाहरात पर तो उसका आज यह परिणाम है कि 1990–91 में 155.64 करोड़ का निर्यात हुआ, 1991–92 में 206.1 करोड़ का निर्यात हुआ, 1992–93 में 202.19 का निर्यात हुआ, 1993–94 में 205 करोड़ का और 1994–95 में 984.46 करोड़ का निर्यात केवल हीरे–जवाहरात का राजस्थान से हुआ। क्या इससे विदेशी मुद्रा नहीं बढ़ेगी? और मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि यह जो इम्प्रेशन दिया जाता है कि हीरे–जवाहरात पैसे वालों का खेल है, पैसे वाले ही इसका उपयोग करते हैं, जयपुर शहर में दो लाख गरीब मजदूर आज इस उद्योग में रोजगार में लगे हुए हैं। कोई घाट का काम करता है, कोई पटसान का काम करता है और कोई पॉलिशिंग का काम करता है। आज जयपुर शहर में कम से कम दो लाख इसमें लगे हुए हैं। केवल यह कहना कि हीरे–जवाहरात पर टैक्स नहीं है, आज गेहूं पर भी टैक्स कम होना चाहिये, चने पर कम होना चाहिये, दाल पर भी होना चाहिये, इसमें मेरा आपसे कोई मत–भेद नहीं है पर इन पर टैक्स है और हीरे–जवाहरात पर टैक्स हटा दिया, आज कितनी फोरेनकरेंसी हमारे देश में इससे प्राप्त हो रही है? उन जैसे बुजुर्ग नेता से मैं यह अपेक्षा करता था कि निश्चित रूप से इसका उनको ध्यान रखना चाहिये था।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसके साथ–साथ एक बात और कहना चाहूंगा। आज इस बात के लिये तो प्रशंसा करनी पड़ेगी हमारे मुख्य मंत्रीजी की कि उन्होंने कई चीजों पर टैक्स कम किया है। कई

118

(श्री कालीचरण सराफ)

चीजों को कर मुक्त किया है, परन्तु आज भी कई वस्तुएं हमारे प्रदेश में इस प्रकार की हैं जिनका उपयोग गरीब लोग करते हैं। जैसे साइकिल पर आज चार पर्सेण्ट टैक्स है। साइकिल की ट्यूब पर 12 पर्सेंट टैक्स है और साइकिल के पम्प पर दस पर्सेंट टैक्स है। साइकिल एक इस प्रकार का साधन है, जो केवल गरीबों के काम आता है। आज स्कूटर हो, कार हो, लूना हो, मोपेड हो, यह तो जिसके पास थोड़ा-बहुत पैसा हो, वह ही खरीद सकता है पर साइकिल एक ऐसी चीज है, जो गांव का आदमी, गरीब आदमी, मजदूर किसान, जिसकी यह सवारी है और इससे प्रदूषण भी नहीं फैलता तो मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि साइकिल पर जो टैक्स लगा रखा है, उसके बारे में वे सोचें और साइकिल के टैक्स को भी कर मुक्त करें। इसी प्रकार से बिस्कुट और कन्फेक्शनरी पर, जो केवल बच्चों के काम आती हैं, आज टाफी कौन खायेगा, बच्चा। 40 लघु उद्योग हमारे प्रदेश में लगे हुए हैं और केवल इससे 25–30 लाख रुपये की रेवेन्यू हमें प्राप्त होती है और पड़ौसी राज्य, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में यह कर मुक्त है। मैं यह भी कहना चाहूंगा, मैं मुख्य मंत्रीजी से अनुरोध करना चाहूंगा कि वह इसके बारे में भी सोचें और बिस्कुट और कन्फेक्शनरी पर जो 10 पर्सेंट टैक्स इन्होंने लगा रखा है, जिसके कारण यहां की लघु औद्योगिक इकाइयां बन्द होने की स्थिति में आ गयी हैं. इसके बारे में भी गम्भीरता से सोचें और इन पर भी टैक्स कम हो या बिलकुल समाप्त हो जाए। इसके बारे में राज्य सरकार विचार करे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं जयपुर शहर से आया हूं तो कुछ जयपुर शहर की कुछ समस्याओं पर भी मेरे विचार प्रकट करना चाहूंगा। जयपुर शहर में, यह बात सही है और इस बात की सरकार की भूरी-भूरी प्रशंसा भी करनी पड़ेगी कि आज कोई स्थायी स्रोत पेयजल का जयपुर शहर में उपलब्ध नहीं होने के बावजूद भी पिछले पांच-छह साल से जयपुर में पेयजल की जो मुकम्मल व्यवस्था राज्य सरकार ने कर रखी है उसके बारे में तो निश्चित रूप से मैं बधाई देना चाहूंगा। आज रामगढ़ का बांध, जो जयपुर शहर के पेयजल का प्रमुख स्रोत था उससे आज केवल दो–ढाई लाख की पापुलेशन को पानी की सप्लाई हो रही है, ज्यादा सप्लाई नहीं हो रही है और यदि, भगवान न करे, बरसात नहीं आयी तो आज केवल 49 फीट पानी है, आज ट्यूबवेल के माध्यम से हम जयपुर शहर को पानी की सप्लाई कर रहे हैं। परन्तु यह कोई स्थायी व्यवस्था नहीं है। आज जयपुर शहर की जनसंख्या जिस गति से बढ़ रही है, हमें प्राथमिकता के आधार पर इस बात को सोचना पड़ेगा कि जयपुर में पेयजल की समस्या के स्थायी समाधान के लिये हम कहां से पानी लायें। आज बीसलपुर से जयपुर में पानी लाया जाए, चम्बल से जयपुर में पानी लाया जाए, ईसरदा में बांध बना कर जयपुर में पानी लाया जाए, कहीं से भी पानी की स्थायी व्यवस्था निश्चित रूप से जयपुर शहर के लिये करनी होगी। नहीं तो जिस प्रकार से अण्डर ग्राउण्ड वाटर का लेबल नीचे जाता जा रहा है, आज हमने

(श्री कालीचरण सराफ)

जो व्यवस्था कर रखी है यह कोई स्थायी व्यवस्था नहीं है। तीन-चार साल बाद जयपुर शहर की यह स्थिति हो जाएगी कि पानी के लिये यहां युद्ध प्रारम्भ हो जाएगा। आज जिस प्रकार का क्राइसिस पानी का है, मैं राज्य सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा और विनम्र शब्दों में कहना चाहूंगा कि इस बात के बारे में वो प्राथमिकता के आधार पर सोचे और जयपुर शहर में जिस प्रकार से पेयजल की समस्या का समाधान स्थायी रूप से हो, इसको प्राथमिकता के आधार पर सोच कर निर्णय ले और कोई व्यवस्था लागू करे।

एक बात मै और कहना चाहूंगा कि जयपुर शहर में कच्ची बस्तियों की बड़ी जबरदस्त समस्या है। आज जयपुर शहर के चार लाख निवासी कच्ची बस्तियों में निवास करते हैं। लोक सभा के चुनाव के पहले हमारी सरकार ने यह तो घोषणा कर दी कि 1991 की वोटर लिस्ट के आधार पर हम सर्वे करेंगे और जयपुर शहर की कच्ची बस्तियों का नियमन करने में पहल करेंगे। परन्तु चार-पांच महीने गुजरने के बाद भी उस घोषणा पर अभी तक अमल नहीं हुआ है। 1991 की वोटर लिस्ट के आधार पर सर्वे कब होगा, इसके बारे में सरकार को निर्णय लेकर बताना चाहिये। कितनी जमीन 1991 के सर्वे के आधार पर दी जाएगी, इसके बारे में सरकार को घोषणा करनी चाहिये, क्या रेट राज्य सरकार इसकी लगाएगी, इसके बारे में सरकार को जानकारी देनी चाहिये।

इसी प्रकार से कृषि भूमि पर बने मकानों की भी जयपुर शहर में एक बड़ी जबरदस्त समस्या है। जयपुर शहर में लगभग पांच-छह लाख लोग आज कृषि भूमि पर बनी कालोनियों में मकान बना कर रह रहे हैं और हमारी राज्य सरकार ने बड़ी प्राथमिकता के आधार पर नियमन करने की घोषणा की थी, कुछ नियम बनाये थे, परन्तु यह दुर्भाग्य है जयपुर शहर की जनता का कि नियमन के नियम बनाने के तीन साल बाद भी आज 1100 कालोनीज में से केवल 160 कालोनीज का नियमन हुआ है। नियमों में यदि कोई परिवर्तन की आवश्यकता हो तो परिवर्तन करना चाहिये। यह जयपुर शहर की एक गम्भीर समस्या है इसके बारे में भी यदि राज्य सरकार चिन्ता करेगी तो निश्चित रूप से उसका गरीब लोगों को फायदा मिलेगा।

अन्त में मैं यही कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने वित्त मंत्री के रूप में जो बजट इस वर्ष प्रस्तुत किया है वह गरीबों को राहत देने वाला, औद्योगिकीकरण बढ़ाने वाला, शिक्षा का विस्तार करने वाला, रोजगार उपलब्ध कराने वाला, ग्रामीण विकास की गंगा बहाने वाला बजट है इसलिये हम को सब को सर्वसम्मति से इस बजट का समर्थन करना चाहिये। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्र चौधरी।

श्री राजेन्द्रजी चौधरी, एक मिनट विराजें। मैं आप से निवेदन करना चाहूंगा कि कल आपने एक नोटिस दिया है

(श्री उपाध्यक्ष)

चित्तौड़गढ़ के माननीय सांसद के बारे में कुछ आप कहना चाहते हैं।

श्री राजेन्द्र चौधरी : हां।

श्री उपाध्यक्ष : स्पीकर साहब ने अलाऊ नहीं किया है। तो मैं आप से यह निवेदन करूंगा, 10 जुलाई से शायद लोक सभा आ रही है, प्रोपर स्थान वहां है, वहां आप अपना सन्देश भिजवा दें। यहां इसके बारे में चर्चा न करें।

श्री राजेन्द्र चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, आपने यह व्यवस्था दे दी, मैं व्यवस्था को चैलेंज नहीं करता पर हमारा जो अधिकार है और जो नियम हैं उनके अन्तर्गत मैंने नोटिस दिया है और मेरा बिलकुल रेलेवैंट है इसलिये मैंने पहले नियमों में, यहां पर बिना नियमों के भी लोग आरोप लगा देते हैं। आरोप लगा देते हैं और आरोप यहां एक्सपंज भी नहीं करते हैं और यहां पर दर्ज हो जाते हैं। +++ के बारे में चर्चा हुई वहां दर्ज हो गयी आपने एक्सपंज नहीं किया। वो लोक सभा के मैम्बर नहीं हैं क्या? जबकि कोई बात ही नहीं थी। जिस तरह से श्री घनश्यामजी के ऊपर आरोप, मतलब आरोप नहीं था, शांतिकुमारजी ने कहा कि वो +++ उन्होंने इसको रेलेवैंट मान लिया उन्होंने इसका एतराज किया, यहां से आसन से व्यवस्था हो गयी कि उसको एक्सपंज कर दिया गया। मेरा, उपाध्यक्ष महोदय, आप से मतलब यह था, मैं बजट की बहस पर बोल रहा हूं और उसमें रेलेवैंट बात....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि जो यहां का, इस हाउस का कोई मेम्बर नहीं है उस पर, यह परम्परा रही है कि यहां उसके बारे में कोई आरोप नहीं लगाये जा सकते।

श्री राजेन्द्र चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आप यह बतायें कि जो कोई बाहर अव्यवस्था हो रही हो, जिसका धन से सम्बन्ध हो, जिसमें राज्य का अहित हो रहा है, जिसमें राज्य को पैसे की हानि हो रही हो, तो हमारा पहला दायित्व बनता है, उपाध्यक्ष महोदय, हम उस बात की यहां जानकारी करें और हम वह जानकारी सदन को दें। हमारी इसमें कोई दुर्भावना नहीं है। इसलिये मैंने आपको नोटिस दिया है, सम्बन्धित मंत्री महोदय को भी मैंने नोटिस दिया। मेरा मतलब यह है, उसकी आप जांच करवा लें यदि मैं कोई गलत बात कहता हूं तो मेरी बात मैं वापस ले लूंगा पर मैं आप से जो बात कहना चाहता हूं, यहां पर सदन में इसलिये दर्ज करवाना चाहता हूं कि हम इस सदन के माननीय सदस्य हैं और हमारे क्षेत्र के अन्दर इर्रेगुलरिटिज होती हैं और सरकार अपने आपको संवेदनशील सरकार कहती है और कहती है कि हम गड़बड़ियों को दूर करना चाहते हैं। चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य, क्या आप लोगों का यह फर्ज नहीं है और क्या आप जनता को यह नहीं कहते हैं कि हम

+++ शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

भ्रष्टाचार को मिटाना चाहते हैं? हम घोटालों को सामने लाना चाहते हैं, तो मैं यहां पर सिर्फ इस बात का ही उल्लेख करूंगा और इसकी आप जांच करवा लेना। मेरी इससे ज्यादा और कोई बात नहीं है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य के मिटाने से यह मिटेगा क्या?

श्री उपाध्यक्ष : मैंने जो व्यवस्था दी है, कृपया उसके अन्तर्गत ही आप बोलें, अदरवाइज न बोलें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मेरे मिटाने से मिटता है तो अभी मिटा दूं।

श्री राजेन्द्र चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर आय-व्ययक के बारे में पर बहस हो रही है और अभी जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा कि यह ऐसा बजट है जिससे औद्योगिक विकास हो रहा है, शिक्षा का बहुत प्रसार हो रहा है और राजस्थान के अन्दर गंगा बह रही है। भरतपुर में गंगा आयी थी वह इन्द्र देवता की कृपा से आयी थी कि आपकी कृपा से आयी थी? बरबाद हो गये वह।

श्रीमती उजला अरोड़ा : वह बाणगंगा थी गंगा नहीं थी।

श्री राजेन्द्र चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने उद्योगों की बात कही, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जोधपुर के अन्दर उद्योग लगे, ग्वारगम की बहुत बड़ी इण्डस्ट्रीज आयी, आज उनकी क्या स्थिति है? वह बन्द हो गयी। आज स्टेनलैस स्टील की री-रोलिंग की मिल की इण्डस्ट्री आयी हिन्दुस्तान के अन्दर, जोधपुर में इसका असर सबसे बड़ा हुआ, आज उनकी क्या हालत हुई?

श्री राजेन्द्र गहलोत : स्टील में तो सेल टैक्स माफ कर दिया न।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बीच में नहीं बोलें।

श्री राजेन्द्र चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, आहोर से आने वाले माननीय सदस्य ने यहां प्रश्न उठाया था और उप मुख्य मंत्री महोदय से पूछा था, ग्रेनाइट की सारी इण्डस्ट्रीज इनकी बन्द हो गयी वहां पर, जो हमारा नया उद्योग था। क्या यही हमारी औद्योगिक गति को बढ़ाने वाला बजट है?

दूसरा, उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर बजट बताया, बजट का आकार बहुत बड़ा है। योजना का आकार बहुत बड़ा है। अब आकार तो बड़ा है पर आप इसको देखिये, इसके अन्दर जो आपको रेवेन्यू का ब्याज प्राप्त होता है वह कितना देना पड़ता है आपको, 46 पर्सेंट। यह भी आपके सरकार के ही आंकड़े हैं मेरे तो हैं नहीं। आप देखिये कि बार-बार जो विकास के नाम पर कृषि की बात कर रहे थे और ग्रामीण विकास की बात कर रहे थे एक तो भारत सरकार से पैसा आता है उसको स्पोंसर्ड करके आप नीचे चला रहे हैं। इसमें क्रेडिट आपकी नहीं है, स्टेट की नहीं है और आप यह देखिये कि 1992-93

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

एवं 1993-94 में आपकी क्या स्थिति थी ? 29 पर्सेंट के करीब आप खर्च कर रहे थे और बाद में अब आपकी क्या हो गयी, घट गयी। उससे 25 पर्सेंट हो गयी। 1994-95 में फिर उसके बाद घट गयी और इस बजट के बाद में और घटेगी।

दूसरी तरफ आप आई.ए.एस. की फौज खड़ी कर रहे हैं। पहले कितने डी.जी होते थे ?पहले आई.जी. होता था। एक आई.जी. होता था। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कितने डी. जी. है। आप इतने बड़े-बड़े पदों को बढ़ा रहे हैं। चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य, बढ़ा रहे हैं और आप राजस्थान का छोटा आदमी, जो आठवीं पास है उसके लिये रोजगार की आपकी व्यवस्था नहीं। आप बड़े-बड़े पदों को तो सब जगह बढ़ा रहे हैं। इससे आपका खर्चा बढ़ता जा रहा है। 1992-93 में 34 पर्सेंट के करीब था और अब आपका खर्चा बढ़ गया इकतालीस पाइंट समथिंग हो गया है। अब आप क्या करना चाहते हैं। पचास पर्सेंट से ज्यादा बढ़ा देंगे उसको ? आप कौनसे गरीब के हित की बात कर रहे हैं ? आपका यह बजट रोजगारोन्मुख नहीं है।

मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा आपकी पेयजल योजनाएं हैं, स्टेट की इतनी अकर्मण्यता है, मैं अकर्मण्यता की बात कहना चाहूंगा। भारत सरकार से जो पैसा मिल रहा है राजीव गांधी मिशन के अन्तर्गत, मैं यह पूछना चाहता हूं सरकार ने उस पैसे का उपयोग भी किया क्या, उनकी क्षमता है क्या ? यदि मेरी बात में असत्यता हो तो जलदाय मंत्री खड़े होकर घोषणा कर दें कि मैंने असत्य बयान किया। आपकी मशीनरी की ताकत नहीं है।

आज मुख्य मंत्रीजी का बयान पढ़ा, जो मुख्य मंत्रियों की बैठक के उन्होंने दिया है, जैसा "राजस्थान पत्रिका" में छपा, मैंने पढ़ा। मुख्य मंत्रीजी ने सुझाव दिया कि पेयजल को प्राथमिकता दी जाए। मैं यह पूछना चाहता हूं राजस्थान की सरकार को कि जो पैसा आपको मिल रहा है क्या उसको खर्च किया आपने, उसका हिसाब दें। जो पैसा भारत सरकार ने आपको पहले दिया है उसको खर्च किया आपने ? आपने नहीं किया क्योंकि आप संवेदनशील नहीं हैं। गरीब आदमी के लिये पेयजल योजना आपकी अधूरी पड़ी है।

आपने गांवों का तो नाम ले लिया। यहां पर 750 गांवों को जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि हम इलेक्ट्रिफाइड करना चाहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं ऐसे गांव जहां पर ट्रांसफार्मर लगा दिया और इन्होंने कह दिया इलेक्ट्रिफाइड हो गया। कौशल साहब बहुत संवेदनशील हैं और इस बात को स्वीकार कर लेते हैं। लाडनूं से आने वाले माननीय श्री बुरडक साहब कह रहे थे बिना ट्रांसफार्मर के उनको इलेक्ट्रिफाइड घोषित कर देते हैं।

मैं यह कहना चाहता हूं 25 हजार कुओं का आपने आंकड़ा दिया है। चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य आपके कुएं भी बहुत हैं, किसान भी बहुत हैं और वहां पर

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

जो कनेक्शन दिये जा रहे हैं क्या वह सामान्य श्रेणी के 25 हजार कनेक्शन देंगे आप ? आप दे रहे हैं नर्सरी के नाम पर, आप किसानों को लूटने वाला कनेक्शन दे रहे हैं। सामान्य श्रेणी के कनेक्शन अनुसूचित जाति के कितने कनेक्शन हैं, 25 हजार में एक्स सर्विस मैन के कितने हैं, स्वतन्त्रता सेनानियों के कितने हैं, विकलांगों के कितने हैं, इनके लिये कुछ रखा आपने ? कुछ नहीं रखा। एस. सी. और एस टी का कोई हिसाब नहीं। यह स्थिति है आपकी। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह तैयार होकर आये हैं आप असिस्ट न करें। मैं यह निवेदन कर रहा हूं आप पूर्ण तैयारी के साथ बोल रहे हैं बीच में आप असिस्ट नहीं करें। (व्यवधान) इनको याद है। पूरी तैयारी है इनकी।

श्री राजेन्द्र चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरह की बात पंचायती राज की यहां पर कही गयी, दोनों हाथ ऊंचे करके जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि महिलाओं को, अनुसूचित जाति को सबको हमने रिजर्वेशन दिया। मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूं क्या चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य बताएंगे कि जो बिल राजीव जी गांधी ने पार्लियामेंट में पेश किया था, राज्य सभा में किस दल ने उसका विरोध किया भारतीय जनता पार्टी ने उसका विरोध किया और दो मतों से वह बिल पास नहीं हो सका। यह विरोध भारतीय जनता पार्टी ने किया था उसको बाद में पार्लियामेंट के अन्दर श्री नरसिंहराव जी की सरकार ने पारित किया सभी दलों के सहयोग से और यहां विधान सभा में हमने सबने मिलकर पास किया। यह कहना कि भारतीय जनता पार्टी की भावना थी, यह इस बात को परिलक्षित करता है। भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी विरोध किया था।

मैं आपको कहना चाहता हूं आप यह कहते हैं कि हमने पंचायतों को अधिकार दिये। बड़ी मुश्किल से आपने चुनाव करवाये। चुनाव करवाने की मंशा नहीं थी। भारत सरकार का दबाव था आपके ऊपर। यहां पर सदन के अन्दर चर्चा हुई थी तो पंचायती राज मन्त्री ने कहा था कि मैं सितम्बर के पहले चुनाव करवा दूंगा। सितम्बर से पहले चुनाव हुए क्या ? नहीं हुए। भारत सरकार का दबाव आया और कांग्रेस पार्टी की तरफ से हाई कोर्ट के अन्दर रिट हुई उसके बाद में चुनाव हुए। आपने अपनी इच्छा से चुनाव नहीं करवाये और चुनाव भी उल्टी रीति से करवाये हैं। पहले जिला परिषद के सदस्यों के चुनाव करवाये फिर पंचायत समितियों के सदस्यों के चुनाव करवाये और उसके बाद में सरपंच के चुनाव करवाये। मैं आपसे पूछना चाहता हूं आज बहुत भागीदारी, बहुत अधिकार पंचायतों को देने की बात आप कर रहे हैं, जिला परिषद के सदस्य और पंचायत समिति के सदस्य अगली बार आपको ढूंढ़ने पड़ेंगे, कौन खड़े होंगे, बहुत खराब हालत है। आप जानते हैं इस बात को। जो 10 पंचायतों का प्रतिनिधि है, उनकी श्री देवड़ा जी, हालत बहुत खराब है। आपसे आकर बात करके खुश हो जाते हैं, उनका कहीं पर कुछ बस चलता नहीं है (व्यवधान) श्री देवड़ाजी

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

की बात कर रहा हूं, पशु पालन मंत्रीजी की। आज हालत यह है आज पंचायतों के अन्दर आप जो काम चला रहे हैं, यहां कहा गया कि हम बहुत विकास कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं जो पैसा आप पंचायतों को दे रहे हैं उसका सुपरवीजन आपने किया कि पैसा कैसे खर्च हो रहा है ? जो आश्वासित रोजगार योजना है, जो जी. आर. वाई. के कार्यक्रम हैं उसके अन्दर पैसा किस तरह से खर्च हो रहा है। पंचायत समिति के अन्दर आपका एक जे. ईएन. लगता है और अधिकांश पंचायतों समितियों के अन्दर जे.ईएन. नहीं है। पंचायती राज मन्त्री जी यहां नहीं हैं पर यह बात सभी माननीय सदस्य जानते हैं।

आप मुझे बता दें जब करोड़ों रुपये का बजट आप पंचायतों को दे रहे हैं और ग्रामीण विकास को मजबूत करने की बात कर रहे हैं, ग्राम सेवक हैं नहीं। पहले तो खूब भीड़ पांच-पांच, छह-छह पंचायतों को एक कर रखा था अब व्यवस्था कुछ ठीक की है तो उसके अन्दर स्थिति यह है कि आपके जे. ईएन. नहीं हैं वह कैसे चैक करेंगे। पी. डब्ल्यू. डी. का जो डिविजन है श्री चतुर्वेदी जी यहां नहीं बैठे हैं, वहां पर बजट आता है। बजट के साथ पोस्ट क्रिएट कर देते हैं। इतना पैसा है तो एक्स. ईएन. होगा, डिविजन खुल जाएगा। इतना पैसा होगा तो एस. ई. खुल जायेगा। पंचायत समिति के साथ यह सरकार अन्याय क्यों कर रही है, यह कौनसे ग्रामीण विकास की बात को ध्यान देने की बात करती है ? इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि पंचायत समितियों के अन्दर जिन अभियन्ताओं के पद हैं, ए.ईन. रखा जाए। इतना काम है एक व्यक्ति सुपरवीजन नहीं कर सकता। इसके बाद में हालत क्या है, उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं इस बात को कि किस तरह से काम होता है। गरीब आदमी के आधार पर काम नहीं होता है और उसके अन्दर स्थिति यह बनेगी कि ठेके पर काम दिया जाता है कि दो लाख का यह हाल मंजूर कर दिया था और दो लाख का हॉल मंजूर हुआ तो वह आगे ठेके पर दे दिया। चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य यह स्थिति है। (व्यवधान) यह मैं बोल रहा हूं आप थोड़े ही बोल रहे हैं। कृपया मुझे डिस्टर्ब नहीं करें। अब स्थिति यह है आगे ठेके पर दे देते हैं और ठेके पर देने के बाद गांवों में भी सब जानते हैं, विरोध करने की कोई स्थिति नहीं है, आएगा तो सुपरवीजन जे. ईएन. करेगा और उसके अन्दर पैसे में सीधा पर्सेंटेज बनता है। वह पंचायत समिति में अकाउंटेंट को पैसे देते हैं, जे.ईन. को पैसे देते हैं, एम. बी. भरी जाती है, मस्टररोल फर्जी भरे जाते हैं। आप चैक करवा लीजिये। आप मेरे साथ चलिये। राजस्थान में किसी भी पंचायत में हम चलें, किसी भी ग्राम पंचायत में जाकर देखें स्थिति यह है। यह सरकार का क्या सुपरवीजन है ? यह ग्रामों के विकास की बात करती है। यह संवेदनशीलता की बात करती है।

मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा भ्रष्टाचार को मिटाने की बात सरकार करती है। आय को बढ़ाने की बात करती है। मैंने आज ही एक प्रश्न पूछा था उसका उत्तर मंत्रीजी ने दिया है। राजस्व मंत्रीजी

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

यहां बैठे हुए हैं जोधपुर के अन्दर जमीनों के बहुत भारी घोटाले हो रहे हैं। 808 नम्बर खसरा भूमि, जो जोधपुर में है, जिसके बारे में गवर्नमेंट अपील में गयी, स्वायत्त शासन मंत्रीजी यहां नहीं बैठे हैं, यू. डी. एच. डिपार्टमेंट के जो डिप्टी सैक्रेटरी थे उन्होंने लैटर लिखा यू आई. टी., नगर सुधार न्यास को, जो बी. जे. पी. की है। दामोदर दंग जिसके अध्यक्ष हैं और सारे ट्रस्टी बी. जे पी. के हैं वहां पर। उपाध्यक्ष महोदय: उन्होंने फैसला किया गवर्नमेंट के डायरेक्शन को नहीं माना उन्होंने और वह अपील में नहीं गये। उन्होंने उनसे समझौता कर लिया जो उसके हकदार ही नहीं थे। 10 पर्सेंट जमीन उन्होंने दे दी। आज मुझे गवर्नमेंट ने जवाब दिया है कि हम कार्यवाही करेंगे। इसमें लाखों-करोड़ों रुपयों का लेनदेन किया गया है। हितों की बलि दी गयी है जोधपुर की जमीन की। न्यास के हितों की वह ट्रस्टी है! आज ट्रस्टी किसी को खा जाय। ट्रस्टी का मतलब क्या होता है, ट्रस्ट यह काम करता है? आज जोधपुर के अन्दर ऐसी योजना बनायी गयी, पश्चिमी पाल नगर और पूर्वी पाल नगर योजना उसके अन्दर क्या किया? उपाध्यक्ष महोदय, उसके अन्दर किस बदनीयती से भारतीय किसान संघ का लैटर पैड उसके अन्दर कुछ अपने चहेते आदमियों के नाम दिये थे। उसका ट्रस्ट ने प्रस्ताव बनाया और कह दिया कि इन कुओं की भूमि सिंचित है और इनसे फल-फ्रूट होते हैं और उनको मुक्त कर दिया जाए, ऐसा प्रस्ताव बनाकर भेज दिया गया और बाद में फिर कुछ लोग और पहुंचे। सिफारिश होती है, नीचे भी सिफारिश और ऊपर भी सिफारिश तथा दस प्रस्ताव कुओं के और दे दिये। जब मेरे सामने यह बात आयी, मैंने गवर्नमेंट को लिखा, मैं सैक्रेटरी, लोकल सैल्फ से मिला, मैंने चिट्ठी दी, मैंने कहा आप यह क्या कर रहे हो। यदि उस खसरे के अन्दर ऐसे कुएं दूसरे नहीं हैं जो यू. आई. टी. ने प्रस्ताव लिया है, जो सिंचित हैं और जिनमें बोर होते हैं, टमाटर होते हैं, सब्जियां होती हैं, जीरा होता है, क्या आप उनको मुतल्ली नहीं करेंगे? आप दोहरा तरीका अपनाना चाहते हैं? यह आपकी सरकार की, आपकी पार्टी की और ट्रस्ट की नीति है। इसके अन्दर मैं बताना चाहता हूं कि आप इसको चैक कर लीजिये, जांच कर लीजिये मेरा आरोप यदि गलत हो तो। मैंने बाद में जब नोटिस दिया, उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इस सदन में साफ कहा और एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के द्वारा सरकार से पूछा इसके बारे में रिपोर्ट पूछी कि जोधपुर के अन्दर एक खसरा है, 632। 632 खसरे के अन्दर लगभग 2600 बीघा के करीब जमीन है और जमीन के अन्दर हक किसका है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, उसमें गैर कानूनी तरीके से जोधपुर के भूतपूर्व महाराजा ने कुछ लोगों को जमीन दे दी, जमीन दी सरकार की। इसलिये मैं कहना चाहता हूं, सरकार के इन्ट्रेस्ट की बात है, जनता के हित की बात है, सरकार के हित की बात है। और इसकी आय की बात है। करोड़ों रुपयों की जमीन है और मुझे गवर्नमेंट ने जो रिप्लाई दिया है और अपंजीकृत बख्शीस आप पढ़ लो पुरानी तारीख में क्या फर्क पड़ता है। मैं आज कोई अपंजीकृत बख्शीश कर लूं और तारीख में 62 की लगा दूं.... (व्यवधान) सीलिंग से बचने के लिये यह

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

मेरे पास है। मैं ऐसे ही नहीं बोलता हूं। आप जानते हैं, सरकार में मैंने इस सदन में सरकार पर आरोप लगाया था कि जोधपुर के पूर्व महाराजा को लाभ पहुंचाने के लिये जोधपुर से 33 के. वी. का बिजलीघर का सब स्टेशन हटाया जा रहा है। आप यहां मौजूद हैं आसन के ऊपर और मुख्य मंत्रीजी ने आश्वासन दिया था मुझे कि मैं इसकी जांच करवाऊंगा और मंत्रीजी ने आश्वासन दिया था कि इसकी एफ. आई. आर. दर्ज हो गयी, इसका चालान पेश कर दिया गया जबकि उपाध्यक्ष महोदय, इतनी बदनीयती से, जान–बूझकर यहां तथ्यों को छिपाया गया उस केस में एफ आर. हो गयी थी पहले से। और यहां पर यह कहा गया सदन के अन्दर कि उसका चालाना पेश कर दिया गया। मैंने यह घोषणा की थी कि यदि मेरे आरोप असत्य हों तो मैं इस्तीफे की घोषणा करता हूं नहीं तो आप इसकी जांच करवा लीजिये। मुख्य मंत्रीजी ने क्या जांच करवायी थी ? मैं आरोप लगाता हूं मुख्य मंत्रीजी के ऊपर कि उन्होंने जोधपुर जाकर नगर निगम की जमीन को यू आई.टी. को हैण्ड ओवर कर दिया। श्री पी. एन. भण्डारी, जो अपने आपको बहुत ईमानदार अफसर कहते हैं उन्होंने एक मामले में बेहद बेईमानी की और बदनीयती से काम किया है।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया, अधिकारी का नाम नहीं लें।

श्री राजेन्द्र चौधरी : मैं असभ्य नहीं बोल रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : विभाग का नाम ले लें।

श्री परसादीलाल मीणा : अधिकारी का नाम ले सकते हैं (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : विभाग का नाम ले सकते हैं, अधिकारी का नाम नहीं लें, कृपया विराजें। नियमों का मुझे भी ध्यान है।

श्री हरिसिंह (महुआ) : उपाध्यक्ष महोदय, ब्यूरोक्रेसी...... (व्यवधान) चेलेंज नहीं करें।

श्री राजेन्द्र चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह बात इसलिये कह रहा हूं कि आप उस समय भी आसन पर थे। आप मेरे अधिकारों की रक्षा करेंगे, आप मेरे विटनैस हैं, राजस्थान की जनता इस आसन पर विश्वास करती है और आप यहां विराजे हैं, अतः यह एक्सचेंज यदि नहीं हुआ। मुझे बोलने का अधिकार नहीं है तो मैं सदन से चला जाता हूं। आप मेरे अधिकारों की रक्षा करेंगे, मैं सरकार के हित में बोल रहा हूं। आपने भूतपूर्व महाराजा श्री गजसिंहजी को लाभ पहुंचाने के लिये जमीन दे दी यहां पर मना करने के बावजूद। मुख्य मंत्रीजी ने आश्वासन दिया। श्री चतुर्वेदीजी, आप इस बारे में क्या कहेंगे ? मुख्य मंत्रीजी ने आश्वासन दिया था और उसके बाद वहां जाकर कार्यवाही की आप नहीं बोलेंगे इस बारे में, नहीं बोल सकते। आप प्रोसीडिंग उठाकर देख लीजिये और श्री अनंग कुमारजी ने यहां पर कहा। मैंने ब्रीच आफ प्रिविलेज दिया। मैंने कहा, फिर हमारे माननीय

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

सदस्यों के बोलने का मतलब क्या है, हमको गलत जानकारी दी जाती है।

श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य से जानना चाहूंगा कि जिस जमीन का जिक्र कर रहे हैं वहां तो रोड निकली हुई है फिर कौनसी जमीन दे दी, तथ्य बिलकुल गलत हैं, वहां रोड निकली हुई हैं, जमीन देने का सवाल ही नहीं है।

श्री राजेन्द्र चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत ही सहानुभूति है सरदारपुरा से आने वाले माननीय सदस्य से। सरकार की तरफ से बोलना चाहते हैं लेकिन श्री भैरोंसिंहजी मौका नहीं देते हैं, मेरी शुभकामना है आपके साथ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री राजेन्द्रजी, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। यह 1996-97 का जो बजट है उसकी प्रथम अवस्था पर बहस है यह। कृपया आप दायरे से बाहर न जाएं।

श्री राजेन्द्र चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उसी बजट पर बहस कर रहा हूं जिसमें राज को पैसों का हित हो रहा है, मैं राजस्व में घाटे की बात कर रहा हूं और मैं उसको बढ़ाने की बात कह रहा हूं कि जो गड़बड़ हुई है, कैसे घाटा बढ़ रहा है, घाटा ऐसे बढ़ रहा है। मैंने यह जो बात कही है कि इतने लोगों को अपंजीकृत बख्शीश दे दी। + + + उनको जमीन दी गयी मैंने चिट्ठी लिखी सरकार को, चुनाव के दौरान मैंने गवर्नमेंट को फैक्स किया और इस तरह का....

श्रीमती तारा भण्डारी : उपाध्यक्ष महोदय, फिर इन्होंने नाम से लिया।

श्री राजेन्द्र चौधरी : सिरोही से आने वाली माननीय सदस्या, आप मुझे बोलने दें। आप उनका इतना हित चिन्तन नहीं करें आप यह रिकार्ड्स देख लीजिये अगर मैं गलत बात कर रहा हूं तो।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह करोड़ों रुपयों की जमीन का मामला है, बहुत बड़े नेता हैं, भारत के बारह-तेरह दिन तक मंत्री रहे हैं। मुझे बहुत दुःख के साथ कहना पड़ता है और इस तरह से वह जमीन के घपले में शामिल हो जाएं और करोड़ों रुपयों का घाटा सरकार को हो तो मैं भारतीय जनता पार्टी के आनरेबल मेम्बर्स से कहना चाहता हूं कि आप भ्रष्टाचार को मिटाना चाहते हैं तो आप कह दीजिये कि हम इसकी जांच करवाएंगे। हिम्मत है तो कह दीजिये कि इस बात की हम जांच करवाएंगे कि यह जमीन सरकार की थी या नहीं। मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं, मैं सरकार और जनता के हित में बोल रहा हूं यहां पर। इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि इसमें बहुत भारी ...

श्री उपाध्यक्ष : मैंने जो व्यवस्था दी है उसका भी ध्यान रखें।

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री राजेन्द्र चौधरी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं उस लाइन से हटकर नहीं बोल रहा हूं, मैंने जांच की मांग की है और मैंने कहा कि इस मामले में वह शामिल हैं इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि इस सारे मामले की, राजस्व मंत्रीजी यहां विराजे हुए हैं। मैं आपसे मिला और मैंने आपको भी पत्र दिया है मैंने जो पी. आर. ओ. (प्रिंसीपल रेवेन्यू सैक्रेटरी) हैं उनसे दो बार मिला हूं मैंने उनको लिखकर भी दिया है और जिस तरह से भारत सरकार के रक्षा मन्त्रालय का पैसा है जिसके अधिकारी नहीं थे उन दिनों, उठा लिया। सुगन कंवर नाम का पैसा, कभी तो उसको पावर आफ एटार्नी दे दी और कभी उससे पावर आफ एटार्नी वापस ले ली। छोटा पेमेंट तो ले लिया यह सारा रिकार्ड के ऊपर है अट्ठावन लाख के करीब उन्होंने पेमेंट ले लिया मैंने लिखकर दिया। मैंने फैक्स किया चुनाव के दौरान कि पेमेंट को रुकवाया जाए, इस बात की जांच की जाए इतना भारी पैसा + + + मैं इसलिये आपको निवेदन करना चाहता हूं कि यह सरकार के हित का मामला है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिन शब्दों को आप बोल रहे हैं अगर मैं उनको एक्सपंज करूं तो आपको तकलीफ होगी, आप मेरी व्यवस्था के खिलाफ चल रहे हैं।

श्री राजेन्द्र चौधरी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा उद्देश्य यह है कि किसी को... (व्यवधान) मैंने जांच की मांग की है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि ..

श्री उपाध्यक्ष : सरकार जवाब देगी तब अपने आप कहेगी, क्या कहेगी।

श्री राजेन्द्र चौधरी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप सरकार के आश्वासन की बात करते हैं। सरकार में मुख्य मंत्री सबसे बड़े होते हैं, सदन के नेता हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आप विराजे हुए थे। मुख्य मंत्रीजी ने सदन के नेता ने आश्वासान दिया था, क्या हुआ उस आश्वासन का ? मैं आपसे मेरे अधिकारों की रक्षा चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : दुबारा याद दिला दीजिये।

श्री राजेन्द्र चौधरी : आप विराजे हुए थे आसन पर। आप राजस्थान का हित चाहते हैं, आप किसान का हित चाहते हैं इसलिये मैं यह चाहता हूं कि मैंने जो बातें कहीं हैं इस मामले की जांच अगर करवाने की हिम्मत सरकार में नहीं है। मैं यह चेलेंज करता हूं कि आप इस बात की जांच करवा लें और सरकार को कह रहा हूं, आपसे कह रहा हूं उपाध्यक्ष महोदय.... (व्यवधान) कि जोधपुर में आज जिस तरह से जमीनों के भाव बढ़े हैं उन भावों के बारे में इस तरह का सारा मामला आया हुआ है....

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : हमारा अवसर आएगा जब हम जवाब देंगे।

श्री राजेन्द्र चौधरी : श्री चतुर्वेदीजी आप बोलेंगे नहीं, कोई बात सुन लें।

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

(15.00)

मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जिस तरह से पेयजल योजना है, पेयजल योजनाओं के बारे में पैसा जैसे मैंने बताया भारत सरकार दे रही है। उसका भी हम काम नहीं कर रहे हैं।

मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा कि पेयजल योजना कोई बनती है तो उसकी प्रशासनिक स्वीकृति डिपार्टमेंट जारी करता है श्री चतुर्वेदी जी और उस प्रशासनिक स्वीकृति के बाद में उसकी तकनीकी स्वीकृति में कितना अन्तर होना चाहिये। आप मानेंगे नहीं, सरकार की अकर्मण्यता से यह कहते हैं हम पेयजल की व्यवस्था करना चाहते हैं लेकिन आठ-आठ साल लग जाते हैं। चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य तकनीकी स्वीकृति जारी होने में आठ-आठ साल लग जाते हैं। प्रशासनिक स्वीकृति के बाद में।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं क्या करूं (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र चौधरी : आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं।

श्री हरजीराम बुरडक : आप तो हां भरें हां ... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र चौधरी : मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आज स्थिति यह है। सरकार की मंशा मैं आपको बताना चाहता हूं कि अच्छे अधिकारियों के ऊपर उसका अंकुश नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय योजना की कीमत बढ़ जाती है। आप जानते हैं जिस समय प्रशासनिक स्वीकृति जारी होती है उस समय क्या रेट्स होते हैं, मजदूरों की क्या रेट्स होती है, सीमेंट की क्या, पाइप की क्या और जो पांच लाख की योजना आती है जब आप उसको आठ साल में मंजूर करेंगे तब उसकी क्या दुर्गति होगी, क्या हालत होगी ? यह स्थिति है आपके पेयजल डिपार्टमेंट की।

जोधपुर लिफ्ट कैनाल योजना के बारे में सरदारपुरा से आने वाले माननीय सदस्य बड़े चिन्तित हैं। क्या हुआ उस योजना का ? रोज बात होती है। सभी चिन्तित हैं, वह भी चिन्तित हैं पर स्थिति यह है कि उसका परिणाम सामने नहीं आ रहा है। चार सौ लाख गैलन की योजना थी। यह चार सौ लाख गैलन की योजना पूरी नहीं हो रही। यह बात जरूर कहना चाहूंगा कि अबके हमारे पेयजल मंत्री जी, जो हमारे जोधपुर लिफ्ट कैनाल के मिनिस्टर भी हैं और उनको स्वदेशी से बहुत प्रेम है। रात को दाढ़ी बनाने की उनको याद आयी, क्योंकि बहुत ज्यादा बिजी थे। तो उन्होंने किसी को कहा कि शेविंग क्रीम लेकर आओ मैं भूल गया। शेविंग क्रीम लाकर दे दी। उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने कहा कि यह शेविंग क्रीम विदेशी है मेरे लिये तो स्वदेशी शेविंग क्रीम लाओ। अब पी एच ई डी. के सारे अधिकारी पूरे जोधपुर में घूमते रहे उनको समझ में नहीं आया कि स्वदेशी शेविंग क्रीम कहां से लायें। बड़े चिन्तित थे। जलदाय मंत्रीजी स्वदेशी के बारे में बहुत चिन्तित हैं और फिर वह हमारे घंटा-घर के अन्दर जो बाल काटते हैं, सरदारपुरा से आने वाले माननीय सदस्य, वह साबुन जो होता ना घुमाकर करते हैं।

श्री राजेन्द्र गहलोत : यह दाढ़ी बनाने की बात कब हुई थी ? मैं तो रात को एक बजे तक वहीं था ।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : आपके जाने के बाद ।

श्री राजेन्द्र गहलोत : दो बजे के बाद बात हुई क्या ?

श्रीमती तारा भण्डारी : उपाध्यक्ष महोदय, यह बजट का हिस्सा है क्या ?

श्री चन्दनमल बैद : इसकी चर्चा सारे जोधपुर में है (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र चौधरी : आज स्थिति यह है कि जोधपुर की पेयजल योजना के बारे में उन्होंने चिन्ता व्यक्त की और सरदारपुरा से आने वाले माननीय सदस्य भी बहुत चिन्तित हैं । आप इनकी प्रोसीडिंग्स उठाकर देख लीजिये । ये बराबर जोधपुर की लिफ्ट कैनाल के बारे में बोलते रहे हैं, इनको पीड़ा है पर यहां पर बोलना पार्टी के विरोध में उल्लंघन माना जाता है ।

जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य बोल रहे थे । आखिर में जब समाप्त हुआ तब अपना दुख रोया उन्होंने कि मेरी यह तकलीफ है, मेरे यहां रेगुलेराइजेशन नहीं हुआ, मेरे पट्टे नहीं हुए, मेरा विकास नहीं हुआ । यह हवा क्यों निकली बाद में । पहले तो गुब्बारे जैसा बड़ा बजट है, योजना का आकार इतना बड़ा और धीरे-धीरे इसकी हवा निकल गयी ।

श्री उपाध्यक्ष : यह पुरानी परम्परा है ।

श्री राजेन्द्र चौधरी : कोई बात नहीं । उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह अनुरोध करना चाहूंगा कि मैंने जो कुछ यहां सरकार से जवाब मांगा है और आपने कहा है कि ठीक है जवाब दिलवाएंगे । आपने भी जांच करवाने का आश्वासन दिया है कि गम्भीर मामला है जोधपुर की जमीन का 632 का और दूसरा 808 के 46 नम्बर खसरे के और भी बहुत से मामले हैं जो मेरे पास हैं । मैं चाहूंगा कि सरकार वास्तव में संवेदनशील है, भ्रष्टाचार को मिटाना चाहती है, श्री चतुर्वेदी जी यदि आप वास्तव में घोटालों को मिटाना चाहते हैं तो इसकी जांच करवायें । यही कहना चाहता हूं । धन्यवाद ।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती तारा भण्डारी ।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी (ओसियां) : उपाध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी ही बोलेगी क्या ? कल से हमने रिक्वेस्ट कर रखी है । (व्यवधान)

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे वित्त मंत्री जी ने वर्ष 1996-97 का बजट इस सदन में पेश किया है । यह बजट हमारे राजस्थान के सर्वांगीण विकास का द्योतक है ।

उपाध्यक्ष महोदय, बजट में अनेक योजनाएं बनाकर राजस्थान के विकास की बात सोची गयी हैं । पिछले 6 वर्षों से निरन्तर गांव और गरीब को केन्द्र बिन्दु बनाकर बजट का 65 प्रतिशत हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में खर्च करके गांवों में अनेक

(श्रीमती तारा भण्डारी)

सुविधाएं उपलब्ध करायी हैं। उपाध्यक्ष महोदय, गांवों में अपना काम, अपना गांव योजना, तीस जिले तीस काम योजना अनटाइड फण्ड वगैरहा अनेकों योजनाओं से आज गांव-गांव में स्कूल भवन बने हैं, जलाशय बने हैं। गांवों में आंगनबाड़ी भवन बने, उप केन्द्र भवन बने और गांवों में पाइप लाइनों का भी काफी विस्तार हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय, बात की जा रही थी कि विकास कैसे हुआ। बजट में ग्राम पंचायतों को केन्द्र बिंदु बनाया गया है। चाहे गांवों में चिकित्सा सुविधा देनी हो तो भी ग्राम पंचायत को केन्द्र बिन्दु माना है गांवों में मिडिल स्कूल खोलने के लिये भी पंचायतों को केन्द्र बिन्दु माना है और इसी तरह से गांवों में सम्पर्क सड़कें बनाने के लिये भी पंचायतों को केन्द्र बिन्दु माना है। इस प्रकार से एक नीति और योजना बनाकर बिना किसी भेद-भाव के आज गांवों का विकास हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय, वहां भी बड़े जोरों से भेदभाव की बात की जा रही थी और घोषणाओं की बात की जा रही थी। मैं इस सदन को एक घोषणा याद दिलाना चाहती हूं। जब कांग्रेस के पूर्व मुख्य मंत्री जी ने यह कहा था कि 1985 तक राजस्थान की सभी ग्राम पंचायतें सड़कों से जुड़ जाएंगी। उपाध्यक्ष महोदय, उन घोषणा मंत्री जी ने अपनी घोषणाएं पूरी की होती, विकास पूरा किया होता तो आज हमारे सामने पंचायतों में सम्पर्क सड़कें बनाने का सवाल नहीं आता।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से वह कह रहे थे कि भेदभाव से स्कूल खोले गये। हमारी लड़ाई शिक्षा मन्त्री जी से इसी बात की है कि वह बिना भेदभाव के स्कूल खोल देते हैं। आज एक-एक ग्राम पंचायत को, पंचायत मुख्यालय को केन्द्र बिन्दु बनाकर यह माना गया कि जिन पंचायतों में उच्च प्राथमिक शालाएं नहीं हैं चाहे वहां से किसी भी पार्टी का विधायक चुनकर आता हो, किसी भी पार्टी को वोट मिले हों, वहां पर स्कूल क्रमोन्नत होगी। उपाध्यक्ष महोदय, भेदभाव का तो एक छोटा सा नमूना मैं आपको बताती हूं। मैं उन विधायक महोदय का नाम नहीं लूंगी, क्योंकि दिवंगत हो गये। मेरे क्षेत्र की बात है। 1977 में हमारे वे ही मुख्य मंत्रीजी श्रीमान् भैरोसिंह जी शेखावत थे, मेरे क्षेत्र मनादर में सैकण्डरी स्कूल खोला था। उसके बाद 1980 में दूसरे विधायक आये। उस मनादर गांव में वोट नहीं मिले तो मनादर गांव के लोगों को चेलेन्ज देकर, चुनौती देकर वह सैकण्डरी स्कूल मनादर से ले जाकर संवरी में स्थापित किया। उपाध्यक्ष महोदय, यह नमूने हैं इनके भेद-भाव के। इन्होंने भेद-भाव किया हम भुगत रहे हैं और हमारे लोग भेदभाव नहीं करते वह भी हम भुगत रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, दोनों तरफ से हम भुगत रहे हैं। एक तरफ से इन्होंने हमको महरुम रखा है विकास से।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बजट पर बोलें।

श्रीमती तारा भण्डारी : बजट पर बोल रही हूं, उपाध्यक्ष महोदय, बिलकुल बजट है। उपाध्यक्ष महोदय जवाब तो देना ही

(श्रीमती तारा भण्डारी)

पड़ेगा। जो शिक्षा मंत्री, जिनका नाम श्री गुलाबचन्द कटारिया है, गुलाब की तरह हैं, उनके ऊपर भेदभाव के आरोप लगाते हैं और हम भी नाराज होते हैं कि पिछले चार वर्षों में मेरे क्षेत्र में एक भी सीनियर सैकण्डरी स्कूल नहीं खोली। मैं इसीलिये श्री गुलाबजी से नाराज हूं। मैं इसीलिये चिकित्सा मन्त्रीजी से नाराज हूं कि पिछले चार सालों में उन्होंने मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक भी पी.एच.सी. नहीं खोली। लेकिन मैं खुश हूं, उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत खुशी है कि हमारे यह मंत्रीगण राजस्थान के सर्वांगीण विकास पर ध्यान दे रहे हैं। कोई पार्टी-वार्टी नहीं कर रहे हैं। मेरे को बहुत खुशी है। कल रामस्वरूपजी बोल रहे थे। उपाध्यक्ष महोदय, आपने सुना होगा कांग्रेस से आने वाले माननीय सदस्य श्री रामस्वरुप जी कह रहे थे कि मेरे क्षेत्र में 48 जलाशयों का निर्माण किया गया, पी.एच.ई.डी. मंत्री का धन्यवाद करता हूं। इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, जो लोग राजस्थान के सर्वांगीण विकास की सोचते हैं, जो लोग राजस्थान का चरणबद्ध विकास करके एक विकसित प्रान्त की श्रेणी में खड़ा करना चाहते हैं उस पर यह आरोप तो बर्दाश्त नहीं होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहूंगी। पिछला वर्ष 1994 का शिक्षा को समर्पित किया है, 1995 का वर्ष चिकित्सा को समर्पित किया गया और अब 1996 का वर्ष पेयजल को समर्पित किया जा रहा है। मैं राजस्थान सरकार को, हमारे मुख्य मंत्रीजी को बधाई देती हूं कि उन्होंने एक-एक आवश्यक कार्यक्रम हाथ में लेकर राजस्थान का विकास किया। राजस्थान में गांव-गांव में प्राथमिक शालाएं खोलीं, राजस्थान में गांव-गांव में उच्च प्राथमिक शालाएं खोलीं, सैकण्डरी स्कूल बनें, सीनियर सैकण्डरी स्कूल बने और तो और महिलाओं के लिए महिला कालेज तक की स्थापना हुई। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे मुख्य मंत्रीजी ने इसको चुनौतीपूर्वक लिया है कि राजस्थान को अब शिक्षा के मामले में पिछड़ने नहीं दिया जाएगा। हमारे माननीय सदस्य कह रहे थे कि पूरे हिन्दुस्तान में निःशुल्क पुस्तकें बांटी जा रही हैं। एक दो उदाहरण तो दे दें, नहीं तो मैं उदाहरण बताती हूं। उपाध्यक्ष महोदय 1994 में राजस्थान सरकार ने 10 करोड़ की निःशुल्क पुस्तकें वितरित कीं। इसी प्रकार 1995 में 13 करोड़ की निःशुल्क पुस्तकें वितरित कीं और उपाध्यक्ष महोदय, इस वर्ष 15 करोड़ की निःशुल्क पुस्तकें वितरित कीं। इनका नतीजा सामने आया। आप जांच करवा लें। निःशुल्क पुस्तकें देने से स्कूलों में नामान्तरण बढ़ा है, बच्चों का ड्राप आउट घटा है और आज स्थिति यह है कि हम सम्पूर्ण साक्षरता के मामले में धीरे-धीरे आगे बढ़ रहे हैं। जैसा हमारी सरकार ने संकल्प बनाया है कि सन् 2000 तक निश्चित रूप से राजस्थान शिक्षा की श्रेणी में अग्रणी होगा। उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से चिकित्सा का विकास हुआ। बात कर रहे थे गैर योजनामद में खर्चा बढ़ गया, योजनामद में खर्चा घट गया। कोई भी योजना बनती है, उससे खर्चे तय होते हैं। दूसरे वर्ष वह योजना समाप्त हो जाती है लेकिन उसकी लायबिलिटी सारी की सारी गैर योजना में

(श्रीमती तारा भण्डारी)

आ जाती है इसलिये गैर योजनामद बढ़ता है। पूछना चाहती हूं कि गत चालीस सालों में कितने डाक्टर लगाये, कहां से खर्चा बढ़ता। आज इन 6 वर्षों में कितने डाक्टर लगे हैं उसका हिसाब लगा लें।

मैं धन्यवाद देती हूं चिकित्सा मंत्रीजी को जिन्होंने गांवों में खाली पद भरे। रोज लड़ाई लड़ती थी खाली पदों के लिये। लेकिन आज गर्व से इस बात को कह सकती हूं कि आज हमारे गांवों में जहां डॉक्टर देखने को नहीं मिलते थे कम्पाउण्डर हॉस्पिटल चलाते थे, आज गांव में महिला चिकित्सक काम कर रही हैं। और तो और छोटे-छोटे स्थान जहां चिकित्सा की सुविधाएं नहीं थीं, उप केन्द्र खोले। आवश्यकता पड़ी मातृ शिशु कल्याण केन्द्र खोल, महिला और बच्चों के स्वास्थ्य के लिये राजस्थान सरकार ने पूरे-पूरे प्रयत्न किये। उपाध्यक्ष महोदय, पिछले एक वर्ष में आपको ध्यान होगा बहुत सारी बीमारियां राजस्थान में आयीं। कभी तो सूरत से चलकर प्लेग आया, कभी यहां उल्टी-दस्त की बीमारियां हुईं। कभी पल्स पोलियो का अभियान चलाया गया। चिकित्सा सम्बन्धी कोई भी अभियान हो बड़ी कुशलता के साथ उसको सफल किया, उसको पूरा किया गया। किसी भी बीमारी को, चाहे किसी तरह की बीमारी फैली हो उस पर पूर्ण नियन्त्रण पाया गया।

उपाध्यक्ष महोदय, यह काम जिन्होंने किये हैं उनकी सराहना तो करनी ही पड़ेगी। मेरे कांग्रेस के बन्धु सामने नहीं करते, वह पीछे से कहते हैं और कई बार तो मुझे यह पूछते हैं कि आपकी सरकार के पास क्या जादू का चिराग है जो प्रति वर्ष स्कूल खोल देती है, प्रतिवर्ष P. H C. खोल देती है। इतनी-इतनी टंकियां बना दीं, इतनी पाइप लाइन बिछा दीं। यह पीछे से कहते हैं। यह भी कहते हैं कि पांच-पांच वर्ष तक (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : किसने कह दिया आपको ? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : पीछे से या आगे से किसने कहा ?

श्रीमती तारा भण्डारी : माननीय सदस्य विराजें मुझे बोलने दें। मैं आपके बीच में नहीं बोलती। आप मेरे क्षेत्र में पधारें मैं बात कराऊंगी। मेरे क्षेत्र के बन्धु मुझे रोज यह बात कहते हैं कि ताराजी रोज उद्घाटन काहें के करती हो, कभी तो यहां स्कूल का उद्घाटन करवा दिया, तो कभी अस्पताल का उद्घाटन हो रहा है। यह सब प्रयास हमारी सरकार का है। जहां भी दानदाता ने अपनी भागीदारी बतायी उस दानदाता को प्रोत्साहन देने के लिये और उसका मनोबल बढ़ाने के लिये उस गांव में जरूरत पड़ी पी.एच.सी. खोली, जरूरत पड़ी सैकण्डरी स्कूल खोली, सीनियर सैकण्डरी स्कूल खोली और राजस्थान का चहुंमुखी विकास करने की सोची।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र की एक बात मैं कहना चाहती हूं। मेरे क्षेत्र में भीषण अकाल है। पिछले वर्ष बारिश नहीं हुई, सिरोही शिवगंज क्षेत्रों में इस वर्ष भी बारिश नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, जो हमको यहां से तालिका मिली है उसमें बारिश नोट की गयी है। मैं भी मानती हूं कि पड़ी है। लेकिन मेरा क्षेत्र पूर्ण पहाड़ी क्षेत्र है एक बार आबू के पहाड़ों में अगर

(श्रीमती तारा भण्डारी)

बारिश हो जाती है तो सारी बारिश बह कर चली जाती है। आज अकाल के कारण हमारे क्षेत्र के कुओं का जल स्तर बहुत नीचे चला गया और सरकार बहुत सहृदय है। मैं आपके माध्यम से सरकार को और सरकार के मन्त्रीगण से यह बात कहना चाहती हूं, अकाल राहत मन्त्रीजी यहां नहीं हैं। मेरे यहां पर अकाल के काम खोले, अच्छे काम हुए, काम में गड़बड़ी भी नहीं हुई लेकिन मेरे यहां काम बहुत देरी से खुले। प्रशासनिक अधिकारियों की जेब से पैसा जाता हो इस तरह से भेद–भाव करके देर से खोले। जिनकी खोलने की स्वीकृति दी गयी उनको शुरू नहीं किया और 1 जुलाई को मेरे यहां काम बन्द हो गये। मैं आप ही से चाहती हूं कि बरसात होते ही खेती हो गयी कि पैदावार हो गयी। वहां से कुछ अनाज धान कट गया या लोगों को मजदूरी मिल गयी। बरसात हुई और हल चले तो उन्हीं के चलेंगे जिनके पास जमीनें हैं बाकी लोग आज बेरोजगार हैं। मैं सरकार से निवेदन करना चाहती हूं कि बन्द कर दिया तो फिर प्रारम्भ कर दें पर कम से कम जुलाई माह में हमारे क्षेत्र में अकाल राहत कार्य जरूर शुरू रखें।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र फ्लोराइड के कारण भी बहुत परेशान है। यह वर्ष पेयजल को समर्पित है। मैंने इस बजट को देखा है 754 करोड़ 20 लाख रुपया इस बजट में निर्धारित भी किया है। मुझे डर है कि 754 करोड़ में से मेरे जिले के लोगों के कितना काम आएगा? क्योंकि मेरी समस्या गम्भीर है। आज मेरे क्षेत्र में कई गांव ऐसे हैं जहां फ्लोराइड के कारण लोग प्रतिदिन पानी पीकर विकलांग होते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आप भी इस बात पर विचार करेंगे कि अगर भगवान जन्म से विकलांग बना दे तो हम इसको मन्जूर करते हैं, सहन करते हैं। मेरे क्षेत्र में जब मैं जाती हूं आंख से इतना पानी आता है जब पानी के कारण लोगों को चौपाया चलते देखती हूं जानवरों की तरह, मेरी यह पीड़ा है। स्वायत्त शासन मन्त्रीजी जो पी.एच.ई.डी. मंत्री भी हैं, वे इस समय बातों में लगे हुये हैं लेकिन मुझे उन पर भरोसा है कि मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। क्योंकि ये भी मेरे क्षेत्र में गये थे। वहां चालीस साल के नौजवान को जब मंत्रीजी बोले आओ बाबा क्या काम है उसने कहा मैं आपको बाबा दिखता हूं क्या? मैं तो चालीस वर्ष का मात्र हूं। आपके बच्चों के बराबर लेकिन यह पानी पीकर मेरी यह दशा हुई है। मैं धन्यवाद करती हूं पी. एच. ई. डी. मिनिस्टर साहब का इन्होने वहा पर एक्स. ईएन. वगैरह सबको कहा कि आप फ्लोराइड की योजना बनाओ। लेकिन मैं किसको दोष दूं आज दिन तक मेरे क्षेत्र की योजनाएं बनीं परन्तु स्वीकृत नहीं हुईं। योजनाएं वहां से चलती हैं और इनके बैठाये हुए वह कर्मचारी जो सीखे सिखाये हैं पढ़े पढ़ाये हैं, योजना की लौटा–फेरी, कमियां निकालना, लेकिन आज दिन तक मेरे यहां शुद्ध पेयजल के लिये योजना नहीं बनी है। माननीय मंत्रीजी को मैं यह कहना चाहूंगी कि यह पेयजल को को समर्पित वर्ष है और इस पेयजल समर्पित वर्ष में कुछ ऐसा करके दिखाएं कि राजस्थान की जनता एक बार नहीं, सौ–सौ बार आपको अन्तर्मन से आशीर्वाद दे। पेयजल मंत्री जी पानी पिलाना सबसे बड़ा पुण्य है।

(श्रीमती तारा भण्डारी)

उपाध्यक्ष महोदय, बजट में जो स्थानीय निकायों और पंचायतों के लोकतांत्रिक की व्यवस्था की गयी है। इसमें लिखा है कि विकेन्द्रीकरण, जनतांत्रिक व्यवस्था हेतु पंचायती राज संस्थाओं को, नगरीय निकायों का सुदृढ़ीकरण एवं संसाधनों का प्रत्यायोजन करेंगे। धन्यवाद देती हूं मैं इनको कि संसाधनों का तो प्रत्यायोजन करने की व्यवस्था की है लेकिन आज नगरीय निकायों की व्यवस्था अच्छी नहीं है। मैं खुद नगर-पालिका की अध्यक्ष रही हूं। मैंने कांग्रेस के जमाने में बहुत जुल्म सहे हैं, बहुत तकलीफें देखी हैं और बिजली के करेन्ट भी मुझे लगाये गये थे। लेकिन आज मैं चाहती हूं कि हमारी कल्याणकारी सरकार, महिला हितैषी सरकार, जन-प्रतिनिधियों की हितैषी सरकार कम से कम यह व्यवस्था करे कि नगरपालिकाएं अपना काम सुचारु रूप से कर सकें। आज नगर पालिकाओं में कमेटियां नहीं बनीं, समितियां नहीं बनीं और विकेन्द्रीकरण की बात करते हैं। बजट में लिखा है विकेन्द्रीकरण। यह कैसा विकेन्द्रीकरण है। जहां पर स्थानीय कमेटियां नहीं बनीं। उपाध्यक्ष महोदय, साल भर पहले आदेश आये कि तीन कमेटियां बनाओ, नगरपालिकाओं ने तीन कमेटियां बनायीं। यहां से डी. एल. बी. रिजेक्ट करते हैं कि पांच कमेटियां बनाओ। पांच बनाकर भेज दी तो डी. एल. बी. ने रिजेक्ट कर दिया कि आठ कमेटी बनाओ, आठ कमेटियां भी बनाकर भेज दी तो डी. एल. बी. ने उसको भी रिजेक्ट कर दिया। समझ में नहीं आता कि यह नगरपालिकाओं में किस प्रकार का विकेन्द्रीकरण है। आज जयपुर में बैठे हुए अधिकारी वह चाहे डी. एल. बी. हो, चाहे हमारे मंत्री जी हों, चाहे पंचायती राज मंत्री जी हों, चाहे पंचायत राज डायरेक्टर हों और चाहे जोधपुर और उदयपुर में बैठे हुए डिप्टी डायरेक्टर, ज्वाइंट डायरेक्टर हों, क्या यह चाहेंगे कि जन प्रतिनिधि जयपुर और अपने स्थान के चक्कर लगाते रहें। जब इनके पास इतनी व्यवस्थाएं हैं। गाड़ियां इनके पास हैं तो क्यों नहीं यह लोग जिला मुख्यालयों के दौरे करके वहां के सभापति, चेयरमैन, प्रधान और प्रमुख की तकलीफें सुनते। उपाध्यक्ष महोदय, धन्यवाद है कि सरकार ने चुनाव कराये। महिलाओं को आरक्षण भी दिया, एस. सी., एस. टी., को आरक्षण भी दिया। लेकिन जो लोग आज आरक्षण से जीतकर आये चाहे महिलाएं हों, एस. सी., एस. टी. की महिलाएं हों, चाहे कोई भी हों। उपाध्यक्ष महोदय, आखिर हमारे यह लोग इस सोच को क्यों बनाये बैठे हैं कि लोग जयपुर में आएंगे तब उनका काम होगा। मेरा आपके माध्यम से सरकार को सुझाव है कि जो भी लोग नये चुनकर आये हैं और आरक्षण के आधार पर चुनकर आये हैं। वह शुद्ध घरेलू लोग हैं या तो राजनीतिक से परे के लोग हैं। इसलिये उनके संरक्षण, उनके प्रशिक्षण और उनके हितों की रक्षा के लिये कोई न कोई कड़ा कदम उठाना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी बहुत चाहते हैं। रिक्त पदों के बारे में मैं कई बार मिली। मेरे यहां,महिला चेयरमैन है सिरोही की और प्रधान भी महिला है। मैं भी महिला हूं। कोई योग है ऐसा। मैं स्वायत्त शासन मंत्री जी से पिछले पांच महीनों से अनुरोध कर रही हूं कि ई. ओ. लगा दें, जे. ईएन. ही लगा दें। पंचायत राज मंत्री जी से भी

(श्रीमती तारा भण्डारी)

यही बात करते हैं। मन्त्री जी बहुत शुद्ध हृदय है मेरे सामने ही डी.एल.बी. को कहते हैं कि डी.एल.बी. साहब ताराजी के यह ट्रांसफर करा दें। लेकिन समझ में नहीं आता गोलमाल कहां हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अधिकारी कन्ट्रोल में नहीं है।

श्रीमती तारा भण्डारी : यह बात सामने आ गयी। यह राठौड़ों की रीत कुछ गलत चल गयी। हमारे जमाने में हम लोग इस डायरेक्टरेट को कहते थे डी. एल. बी. नहीं डेड लैटर बाक्स। यह इसका नाम दिया था हमने। आज इसकी हालत फिर खराब है। यह नगरीय विकास के लिये कोई निदेशालय बना हुआ है कि कोई तबादलों की फैक्ट्री है। एक नगरपालिका ऐसी है जो बार–बार निवेदन करती है कि हमारे यहां ई. ओ. लगा दीजिये। हमारे यहां भ्रष्ट आदमी है इसको हटा दीजिये। लेकिन न भ्रष्ट को हटायेंगे और न ई ओ. ही लगायेंगे। और एक नगरपालिका ऐसी है जहां महीने में तीन तबादले कर रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आता कि यह गोलमाल क्या है ? मन्त्री जी के निर्देशों को डी. एल. बी. क्यों नहीं मानता ? यह मेरी समझ के परे है। उपाध्यक्ष महोदय, अगर हमने चुनाव कराये हैं तो निश्चित रूप से जन प्रतिनिधियों के हकों की रक्षा करनी पड़ेगी। आज महिला सरपंचों की हालत भी अच्छी नहीं है। प्रतिदिन एक न एक महिला सरपंच मिलती है कि सैक्रेटरी काम नहीं करने देता। वह या तो उनको कह देते हैं कि घर पर बैठकर रोटी बनायें, तुम्हारा काम क्या है। और तो और, उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को अतिशयोक्ति नहीं कहती कि महिलाओं को डरा–धमका कर उन सरपंचों से दस्तखत ले लेते हैं सैक्रेटरी और जो भी उप सरपंच होता है वह ही मिल-जुलकर काम करते हैं। उन्हें पसन्द नहीं कि वह महिला वहां कैसे सरवाइव कर रखा है। इसलिये महिला सरपंचों के पास जो भी सैक्रेटरी हम लगायें कम से कम इस प्रकार के सैक्रेटरी लगायें जो उनके काम में मदद करें।

यह जो बहुत सुन्दर सिस्टम हमने बनाया है उसमें सब वर्गों की भागीदारी है। सब लोगों को हमने राज के कामों से जोड़ा है। लेकिन जो सरपंच और जन–प्रतिनिधि राज के कामों से जुड़ गये हैं उनकी स्थिति भी अच्छी नहीं है। कहीं तो ग्राम सेवक दो-दो, तीन–तीन पंचायतें सम्भाल रहा है, कहीं एग्रीकल्चर विभाग का ग्राम सेवक है जो कानून नहीं जानता, एन. ओ. सी. देना नहीं जानता, पंचायत नहीं खोलता और कहीं पर मास्टरों को चार्ज दे दिया। मास्टर चार्ज लेना नहीं चाहते हैं। मास्टर कहते हैं कि यह जो पंचायत का लफड़ा है यदि हमारे रिटायरमेंट के बाद रिकवरी आ गयी तो कौन भरेगा बाप रे, हम तो यह काम करने को तैयार नहीं हैं। सरकार ने चुनाव कराये, जन–प्रतिनिधि लाये बहुत अच्छी बात है। हम इसकी तारीफ करते हैं। हर आम सभा में हम बोलते हैं कि आज महिलाओं को बोलने का, काम करने का और राज करने का अधिकार दिया हुआ है।

श्री रघुवीरसिंह कौशल (ऊर्जा मन्त्री) : आप तो रिजर्वेशन से नहीं आयीं ?

श्रीमती तारा भण्डारी : मैं तो साहब बिना रिजर्वेशन के आयी हूं। न नगरपालिकाओं में रिजर्वेशन से आयी और न ही एम. एल. ए. में आयी हूं। मेरे 19 विरोधी खड़े थे उनको हराकर आयी हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात और कहकर मैं अपनी बात को पूरी करनी चाहूंगी कि राजस्थान का एक मात्र पर्यटन स्थल आबू है। आबू की दशा अच्छी नहीं है। आबू में गवर्नर महोदय भी जाते हैं, हमारे मुख्य मन्त्री जी जाते हैं, मन्त्री परिषद के लोग जाते हैं. चीफ सैक्रेटरी और अन्य सैक्रेटरी भी जाते हैं। मीटिंगें भी बड़ी-बड़ी करते हैं। जब आबू के लोग वहां की दुर्दशा के बारे में बात करते हैं तो बड़े सीरियस होते हैं। बहुत गम्भीरता से विचार करते हैं कि एकमात्र पर्यटन स्थल दिनों-दिन उजड़ता जा रहा है। इसको विकसित करें। कई बार योजनाएं बनीं। कई बार प्लांटेशन की बात होती है लेकिन आज आबू की दशा अच्छी नहीं है। आबू का मूल निवासी जो बहुत गरीब है उसको आज पट्टा नहीं मिल रहा है। वर्षों से वहां रह रहे हैं। आबू के गरीब को न मरम्मत की इजाजत मिलती है, उसको जरूरत हो तो न कमरा बनाने की इजाजत मिलती है लेकिन होटलों का अम्बार है, होटलों की संख्या दिनों-दिन बढ़ती जा रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं फिर रिपीट करूंगी कि हमारी कल्याणकारी सरकार है। गांव और गरीब की सरकार है। कमजोर की हिमायती सरकार है तो कम से कम आबू के डवलपमेंट के बारे में हमें जरूर-जरूर सोचना चाहिये। आबू में अनेक जन-समस्याएं हैं। और तो और आबू और सिरोही के बीच में एक सड़क बनी थी। सिरोही से आबू केवल 36 किलोमीटर सड़क है। उस पर कांग्रेस के जमाने में लाखों नहीं करोड़ के लगभग खर्चा हुआ। पूर्व मुख्य मन्त्रियों श्री हरिदेव जी जोशी और श्री शिवचरण जी माथुर के बीच में झगड़ा हुआ तो उस सड़क को ऐसे ही झगड़े में डाल दिया। उस पर करोड़ों रुपया खर्च हुआ। वह सड़क दूरी कम करती है। लेकिन आबू सिरोही सड़क को बनाने के बारे में कोई विचार नहीं करता। आबू में सड़क को बनाने में खर्चा आता है तो मेरा यह सुझाव है कि आपको आजकल वह कौन-कौन से हैं मुझे नाम नहीं आते। डी. ओ. टी. और आर. बी. सी. सी.। हां, डी. ओ. टी.। उपाध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा भूल जाती हूं।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप विराजें।

श्रीमती तारा भण्डारी : नहीं-नहीं विराज जाऊंगी उपाध्यक्ष महोदय। एक ही तो समस्या है वह पूरी करके अभी बैठती हूं। उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की जो सड़क का समाधान है ..

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : कोई नया नाम रखो। (व्यवधान)

श्रीमती तारा भण्डारी : उसका भी अभी सोचेंगे कि क्या रखा जाए। उपाध्यक्ष महोदय, बात श्री वी. पी. सिंह जी की भी सही

(श्रीमती तारा भण्डारी)

है। कारण कि आज ब्रह्मा कुमारियों के आबू में एक मकान को छोड़ कर तीसरा मकान उनका है, चौथा मकान छोड़ कर पांचवां मकान उनका है। उनके तो मकान बनते जा रहे हैं लेकिन आबू का मूल निवासी उजड़ता जा रहा है।

मैं सड़क के बारे में कह रही थी। आबू-सिरोही सड़क जो हमारी उत्तरी राजस्थान और यू. पी., दिल्ली से लगा कर सबसे नजदीक पड़ेगी। उधर गुजरात से आने वाले पर्यटक उस सड़क से चढ़ेंगे और हमारी सड़क से उतरेंगे। क्योंकि पर्यटन की दृष्टि से राजस्थान में जो पर्यटक आते हैं वे पहले आबू जाते हैं उसके बाद रणकपुर जाते हैं, नाकोड़ा भी जाते हैं और सुन्दरी माता भी जाते हैं। वे दोनों रास्ते इस सड़क से कवर होते हैं। इसलिये मेरा सरकार को सुझाव है कि आर. बी. सी. सी. के माध्यम से करायें, चाहे अपने बजट से कराये पर आबू-सिरोही सड़क को पूरा करने का प्रावधान बनायें और मन बनायें।

उपाध्यक्ष महोदय, थोड़ी सी आपकी इजाजत हो तो सिंचाई के बारे में बोल लूं। मेरा इलाका पहाड़ी क्षेत्र है और हजारों एम. सी. एफ. टी. पानी रोकने के अभाव में बह कर चला जाता है और कभी जालौर में बाढ़ लाता है तो कभी गुजरात में बाढ़ लाता है लेकिन मेरे क्षेत्र के बारे में किसी ने विचार नहीं किया। उपाध्यक्ष महोदय, कारण कि सिरोही जिला राजस्थान के टेल एण्ड पर है और आप जानते हैं कि टेल एण्ड पर जाते-जाते बिजली की धारा भी पतली हो जाती है, पानी की भी धारा पतली हो जाती है तो विकास की भी धारा मेरे इलाके में पतली हो गयी है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन से कहना चाहती हूं, सरकार से भी कहना चाहती हूं कि सिरोही की जनता का धन्यवाद करना चाहिये जिन्होंने गुजरात में जाते हुए आबू को आन्दोलन करके छुड़वाया और राजस्थान में रखा। यह सिरोही की जनता का धन्यवाद होना चाहिये वरना उस समय के गृह मंत्रीजी सरदार श्री वल्लभभाई पटेल ने तो हमारे आबू को गुजरात में मिला लिया था तब सिरोही वालों ने आन्दोलन किया, धमकियां दीं तब श्री वल्लभभाई पटेल ने यह और कहा कि आप भी आ जाओ, आपका भी विकास करेंगे लेकिन सिरोही के लोग जिनकी राजस्थान में आस्था थी और राजस्थान का पूरा समर्थन किया, आबू को राजस्थान में ही रखा। इसलिये सिरोही की जनता के विकास के बारे में सोचना पड़ेगा। उपाध्यक्ष महोदय, सिरोही की जनता ने कोई गुनाह नहीं किया। कांग्रेस के तीन-तीन एम. एल. ए. चुन कर हमारे जिले से आते थे आज तक और एक दो एम. एल. ए. छोड़ कर हमारे जिले से भारतीय जनता पार्टी या जन संघ के नहीं जीते। पिछले दो टर्म से लगातार शत-प्रतिशत एम. एल. ए. हमारी जनता ने चुन कर दिये हैं। मैं सिरोही की जनता के हवाले से आपको कहना चाहती हूं कि सिरोही का विकास, सिंचाई परियोजनाओं को लाकर, रोडवेज की उचित व्यवस्था कर और अन्य कार्यक्रमों को लागू करके की जावे।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अगस्त में आप मन्त्री बन जाएंगी । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलें । यह आपका समय बरबाद कर रहे हैं ।

श्रीमती तारा भण्डारी : उपाध्यक्ष महोदय, ये बीच में बोलते हैं तो मैं बात भूल जाती हूं । उपाध्यक्ष महोदय, हमारा सिरोही नगर आज भी सुन्दर नगर है, चारों तरफ पर्वतीय बाउण्ड्री है लेकिन केवल सुन्दर ही है, कोई उद्योग धन्धा नहीं है । सिरोही का 16 साल का बच्चा परदेश जाता है कमाने के लिए और हम मांयें 15 साल का बच्चा होते ही विचार करने लग जाते हैं कि इनको कहां भेजना है । उपाध्यक्ष महोदय, उद्योग मन्त्रीजी नहीं हैं लेकिन आपके माध्यम से मैं उन तक यह बात पहुंचाना चाहती हूं, राजस्थान सरकार और हमारे मुख्य मंत्रीजी को यह बात कहना चाहती हूं कि सिरोही जिला आबू के कारण से अति महत्वपूर्ण है । इसको टेल एण्ड पर मत रखिये, इसको सबसे पहले नम्बर पर लाइये । धन्यवाद । जय हिन्द ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नरेन्द्रसिंहजी भाटी ।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी (ओसियां) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया उसके लिये आपका और अध्यक्षजी का धन्यवाद । मैं पहली बार शायद इस 10वीं असेम्बली से पहले तीन दिन एब्सेंट रहा । उपाध्यक्ष महोदय, आदत रही है सबको सुनने की और मुख्य मन्त्रीजी को कभी-कभी टोकने की और वह भी सही बिन्दुओं पर । खेद यह है कि आज वे नहीं हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : बिना टोका टाकी के आपका अभ्यास नहीं है क्या बोलने का ? आप बोलिये ।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : उपाध्यक्षजी, ओसियां में मैंने जो हालत देखी, 21 तारीख को बरसात हुयी, श्री पूनमचन्दजी यहां विराजमान नहीं हैं । उनकी तहसील में और मेरी कांस्टीट्यूएंसी में कम से कम आज की तारीख में 10 गांव ऐसे होंगे जो पानी के नीचे पड़े हैं । 21 तारीख से आज तक कर्मचारी लोग तेल फूंक रहे हैं । अगर यह समाज भला नहीं होता, अपने में असिस्टेंस करने की क्षमता नहीं होती तो 10-15 हजार लोग ढाणियों से हट कर जो धोरों पर बैठे हैं वे सब भूखे पड़े रहते । इस कट-मोशन पर तो मैं फिर आऊंगा । मैं इस बात से खुश हूं, मैं इनका आदर करता हूं ऊर्जा मन्त्रीजी का, क्योंकि जब कभी भी मैंने इनके पिडिसेसर के बारे में बात की तो अध्यक्षजी मुझे टोक देते थे कि भाई भ्रष्टाचार का जो एक्सेंट है उसका नाम मत लेवो लेकिन उस पर भी ऊर्जा मन्त्रीजी और धन मन्त्रीजी मैं आपका ध्यान आकर्षण करूंगा । आज शुरूआत करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, मुझे पिछले साढ़े बारह साल में अनेक बार बजट भाषण को सुनने का मौका मिला । आंकड़े कल श्री रामपाल जी ने, श्री राजपालजी ने और उसके पहले श्री चन्दनमलजी साहब ने बड़े अच्छे दिये थे । लेकिन आंकड़े सुनते-सुनते मेरे जैसा एक विधायक और सिटिजन थक गया । क्योंकि, उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान अगर आज सफर कर रहा है तो एक पालिसी से सफर कर रहा है । मैं पूरे सदन का उस पालिसी पर आज ध्यान आकर्षण करना

(श्री नरेन्द्रसिंह भाटी)

चाहता हूं। 1954 में, उपाध्यक्ष महोदय, श्री सुखाड़िया साहब यहां के मुख्य मंत्री बने और +++ अपोजिशन के एक बहुत ही अच्छे वक्ता श्री भैरोंसिंहजी शेखावत थे, उनको श्री सुखाड़िया साहब का पूरा सहयोग था।

श्री उपाध्यक्ष : आप व्यंग्यात्मक भाषा का प्रयोग नहीं करें। (व्यवधान)

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : क्यों, इसमें क्या है? उपाध्यक्ष महोदय, आप तो मुझे टोक रहे हैं। मैं अल्टीमेटली उस बयान पर भी आऊंगा जो आपके मुख्य मन्त्रीजी ने आब्जर्वर को दिया उसका आज तक भी खण्डन नहीं हुआ है कि मुख्य मन्त्रीजी ने इतना सैंट्रलाइज कर रखा है पावर्स को कि आफिसर्स कोई मन्त्रियों की सुनते नहीं हैं। इसलिये मैं 1954 से शुरू कर रहा हूं क्योंकि यह पालिसी बड़ी मिलीजुली-भगत से कि भई आप भी राज करें और हम आये तो हम राज करें और आप हमारी मदद करो। उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रतीक मैंने 1980 से लेकर आज तक देखा है। यहां पर जब श्री भैरोंसिहजी साहब विराजते थे जो अब मुख्य मंत्री हैं तो क्या-क्या आरोप लगाये श्री हरिदेवजी जोशी पर और श्री माथुर साहब पर और उनका एक्शन क्या हुआ? पावर में आये, तीन-तीन बार मुख्य मन्त्री बने हैं, इन्होंने कोई एक्शन लिया करप्शन पर? करप्शन के बिन्दु पर मैं आज नहीं बोलूंगा, मेरे पास दूसरा प्रिविलेज का अधिकार है। मैं फिर लाऊंगा। लेकिन मैं ढाई साल से बोल रहा हूं। मेरा मुँह बन्द करने के लिये मेरे खिलाफ क्या-क्या इन्होंने नहीं किये। आज क्या सोचे कि औसियां की जनता को वंचित कर देंगे तो क्या नरेन्द्रसिंह भाटी को कोई नुकसान हो जाएगा। उनकी हाय इनको लगेगी। उपाध्यक्ष महोदय, जो सुखाड़िया और शेखावत गठबन्धन हुआ, मुझे 1980 से लेकर आज तक जो अनुभव हुआ है, एक श्री पहाड़ियाजी का नाम मैं उस पूल में नहीं डालता लेकिन मेरे हिसाब से श्री जोशीजी ने श्री शेखावत साहब में, श्री माथुर साहब में और उनके कुछ चुने हुए मंत्रियों में कोई अन्तर नहीं है और उसकी झलक आती है आपके बजट भाषण में। आप भले ही 1980 का बजट उठा लें, उपाध्यक्ष महोदय, वही के वही एडवाइजर हैं इनके। श्री माथुर साहब के सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर आदर्श किशोर सक्सैना। आदर्श किशोर सक्सैना के बारे में मैं पहले भी बोल चुका हूं, मुख्य मन्त्रीजी ने एडमिट भी कर लिया है। मैंने उनके खिलाफ जुडिशियल इन्क्वायरी की मांग की लेकिन सदन के सहयोग से मैंने उनको मुक्त कर दिया, दोषी नहीं रहने दिया इस हिसाब से ये ब्लैकमेल करते हैं। अब आप फरमायेंगे कि इससे बजट का क्या लेना-देना। लेकिन मैं उस पर भी आऊंगा। आप 1980 से लेकर आज की तारीख तक आयें तो आंकड़ों में कोई डिफरेंसेज नहीं है। जब हम उधर बैठते थे। मैं दुर्भाग्य से श्री चन्दनमलजी बैद और श्री रामपालजी शर्मा का भाषण नहीं सुन पाया, श्री चन्दनमलजी को तो मैंने कई बार सुना है। लेकिन श्री

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री नरेन्द्रसिंह भाटी)

राजपालजी और श्री रामपालजी बोलें आंकड़ों के हिसाब से मैं सन्तुष्ट था। मैं राजपालसिंह का बहुत प्रशंसक हूं, उनके पास अभी जीवन में आगे बढ़ने का समय है, उनके दिमाग में न केवल बनीपार्क बल्कि पूरे राजस्थान के लिये चिन्ता है। कल मुझे बड़ा दर्द हुआ, मैं उन्हें टोकता तो वे अदर-वाइज सोचते। उन्होंने अपने भाषण की शुरूआत ही भैरों भजन से की।

मैं जब 1995 की शुरूआत में आया तो एक ही नारा होता था, "राजस्थान का एक ही सिंह, भैरोंसिंह, भैरोंसिंह", जो आज कल बहुत कम हो गया, इतना नहीं सुनाई पड़ता।

श्री हरिसिंह (महुआ) : बीच में हरिसिंह-जी आ गये।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : लेकिन ये शेखावत और सुखाड़िया स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने राजस्थान को बरबाद कर दिया। आप पूछेंगे क्यों ? उपाध्यक्ष महोदय, आर. एस. एस. के भी कुछ प्रिंसीपल्स हैं। मेरे क्षेत्र में आर. एस. एस. की बहुत शाखाएं लगती हैं उसको मैं बहुत बुरा नहीं मानता, क्योंकि मैं मानता हूं कि फण्डामेंटलिज्म के झंडे के नीचे अगर कोई खड़ा हो तो एक आत्मीयता के रूप में एक कमजोरी नजर आती है नहीं तो आदमी में हिम्मत हो तो रिलीजन पर शरण क्यों ले ? (व्यवधान) लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, 1980 से लेकर आज तक जो मिली-जुली सरकार चली, अब कहां तक सच है, कहां तक असत्य है उसमें मैं नहीं जाना चाहता, श्री शेखावत साहब होते तो मैं पूछ लेता।

लोग यहां तक भी कहते हैं कि + + + अगर हमारे नेताओं में आपस में झगड़ा नहीं होता तो आज हम लोग उधर बैठते और आप इधर बैठते क्योंकि 20 में से 19 एम. एल. एज. कांग्रेसी विचारधारा के थे, वे हमें सहयोग देते लेकिन यह उनके ख्याल की बात है। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, जब मुख्य मंत्री और विपक्ष के नेता मिल जाएं और वे मिल-जुलकर सरकार चलायें तो न केवल वे दोषी हैं, राजस्थान की जनता को जिस हिसाब से लूट रहे हैं वह राजस्थान की जनता भुगत रही है। लूट-फरोख्त इतनी मची हुई है कि इनके खुद के उप मुख्य मंत्रीजी कह रहे हैं। इनके मन्त्रियों पर करप्शन के चार्ज लगे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, जवाब तो देना पड़ेगा मालिक के सामने, ये जाने और इनकी आत्मा जाने लेकिन आम चर्चा है।

श्री हरिसिंह (महुआ) : अभी श्री भाटी जी ने जाने-अनजाने में एक बात की है कि + + +।

श्री उपाध्यक्ष : मेरा भी यही ख्याल है कि इन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिये।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : मैंने कह दिया न कि क्या सच है क्या असत्य है जवाब तो देना पड़ेगा। अगर इन्होंने नहीं दिया है तो बहुत अच्छा नहीं दिया।

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री उपाध्यक्ष : मैं निवेदन करूंगा श्री भाटीजी, कि श्री जोशीजी इस समय नहीं हैं, इसलिये आप उनके बारे में न कहें। जो कुछ श्री जोशीजी के बारे में कहा है उसको एक्सपंज करें।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : जोशीजी मेरे पूजनीय हैं, उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला है।

उपाध्यक्ष महोदय, जब मैं नहर मन्त्री था, मैं अनेक डिपार्टमेंट्स का मन्त्री भी रहा हूं। मुझे पता है, मेरे पास भी सोर्सेज हैं। मुझे श्री भैरोंसिंहजी मुख्य मन्त्री की खिलाफत करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आज लोग विश्वास करते हैं, लोग मेरे पास सूचनाएं लेकर आते हैं नहीं तो मुझे कौनसा सपना आ रहा है कि सात नम्बर की कोठी कुलिशजी को दे दी। मैंने जब अतारांकित प्रश्न पूछा तो सरकार ने कह दिया कि बेची नहीं गयी है। मुझे यह भी पता है कि कुलिशजी को....

श्री उपाध्यक्ष : देखिये बजट पर सामान्य वाद–विवाद हो रहा है, अभी तक आपने बजट पर एक शब्द भी नहीं बोला है।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के बजट को सही रूप से इस्तेमाल करने के लिये सबसे पहले करप्शन को हटाना पड़ेगा। मैं उस पर आ रहा हूं, जब तक करप्शन ऊपर से नहीं हटेगा, मैं क्या आंकड़ों पर बोलूं ? मुझे पता है कि आज की आम पुकार राजस्थान में यह है कि कांग्रेसी मिनिस्टर एटलीस्ट यह तो करते थे कि पैसे लेकर काम करते थे लेकिन बी.जे.पी. सरकार के मन्त्री पैसे भी लेते हैं और काम भी नहीं करते हैं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, सुखाड़िया, शेखावत स्कूल का सबसे बड़ा कांस्पिटोरियल स्टेप यह था कि पावर को सेंट्रलाइज करो। पावर को सेंट्रलाइज ऐसे करो कि मन्त्रियों के डिपार्टमेंट में सैक्रेटरी ऐसे बांट दो कि मन्त्री उसकी ए.सी.आर. नहीं लिख पाये। जब अधिकारी यह जानता है कि उसकी ए.सी.आर. उसका बोस नहीं लिख सकता तो वह किस तरफ देखेगा ? सी.एम. आफिस की तरफ देखेगा, क्योंकि वह उसकी ए.सी.आर. लिखेगा, चीफ मिनिस्टर उसको ब्लैकमेल करेगा या कुछ भी करेगा। यह परिपाटी हमारी कांग्रेस सरकार वालों ने शुरू की और मैं उसका भुगतभोगी भी हूं।

जब मैं पंचायतराज मन्त्री था तो आम जनता की एप्लीकेशन आती थी कि इस बी डी ओ. को इधर से उधर कर दो। अनिल गुप्ताजी बहुत अच्छे अफसर थे लेकिन वे डायरेक्ट सी. एम. आफिस से आर्डर लेते थे। दो–तीन बार मैंने लिस्टें देखीं। मैंने कहा कि यह नाम कहां से आ गया, उन्होंने कहा कि सी. एम. आफिस से आया है। मैंने उन्हें कहा कि आप ऐसा करें, मैं भी सी. एम साहब से बात कर लूंगा, आपके पास जब भी डायरेक्ट एप्लीकेशन आये तो आप सैक्रेटरी टू सी. एम. को कह दें कि आप मंत्री को भेज दें। जब तक मैं पंचायती राज मंत्री रहा, सी. एम. आफिस से एक भी रिक्वेस्ट नहीं आयी। मेरे पास एम.एल.एज. आते थे, उनके काम हो जाते थे।

(श्री नरेन्द्रसिंह भाटी)

अब सेंट्रलाइजेशन कैसे हटे ? मालिक करे इनको खूब उम्र दे, मैं पर्सनली इनके खिलाफ नहीं हूं, ये 73 साल के हो गये, यह करीब-करीब इनकी लास्ट इनिंग्स है। हिटलर जैसा आदमी जो एफिसियेंसी में माना जाता था, उसकी भी तो मौत हुई जिसने छह मिलियन ज्यूज को मारा। चाहे आप कितने ही एफिशियेंट हों, जब तक आप डिवोल्यूशन ऑफ पावर नहीं करेंगे, कितनी भी प्रति करें, मैं कहूंगा कि इन्होंने चुन-चुनकर अफसर लगाये हैं। अब जो सेक्रेटरी टू सी. एम हैं, वह हमारे यहां कलक्टर था। श्री खेतसिंह जी और श्री परसराम जी जानते हैं कि वह इतना + + + था और उसके बारे में....।

श्री उपाध्यक्ष : एक्सपंज।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : मतलब नाम एक्सपंज कर रहे हैं। मैंने तो सी. एम. सैक्रेटरी ही कहा है। उपाध्यक्ष महोदय, एक्सपंज भी आप भले ही करें मैं तो चुप रहूंगा नहीं। मुझे तो जनता ने मौका दिया है, मैं तो बोलूंगा। आप जितना इरिटेट करेंगे, इनको बचाने के लिये....।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य आपको नियमों का पूरा ज्ञान है। आपके लिये मुझे बताने की जरूरत नहीं है।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे भी नियमों का ज्ञान है लेकिन मैं उनमें नहीं जाना चाहता। नहीं तो एक्सपंज करने के भी रूल्स होते हैं सिर्फ यह नहीं होता कि चेयर ने तय कर दिया और एक्सपंज हो जाए। मैंने अगर किसी का नाम ..।

श्री उपाध्यक्ष : किसी के खिलाफ आरोप-प्रत्यारोप करने के भी नियम होते हैं।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने तो सी एम. के खिलाफ नोटिस दिया है उनके सेक्रेटेरिएट के खिलाफ नोटिस देकर किया है। मैंने इनको चिट्ठी लिखी है और लिखूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे उलझना नहीं चाहता, आपको करना क्या पड़ेगा।

आपके इस बजट में प्रायोरिटीज रोंग हैं। अफसरों ने खाका बना दिया कि कितना पैसा बनेगा, कितना नहीं बनेगा। जहां करप्शन की मात्रा ज्यादा हो सकती है वहां तो बजट अलोकेशन ज्यादा होगा, भले ही राजस्थान की जनता कहीं जावे। आज इरिगेशन ले लीजिए। इरिगेशन में आज हनुमानगढ़ से आये हुए हैं। मैं भी काश्तकार हूं। आई.जी.एन.पी. का भी मुझे काम करने का कुछ सौभाग्य मिला है। मैं तो अर्ज करूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि आई.जी.एन.पी. जैसी जो आपको गिफ्ट मिली उसका जो दुरुपयोग राजस्थान की सरकार ने किया है वह तो एक मिल्क काऊ है। जो मंत्री बन गया वहीं से दुधारू गाय हैं। अब आप कहेंगे कि नाम मत लो। मैं जब यहां 198 के श्री भंवर जी मंत्री

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री नरेन्द्रसिंह भाटी)

महोदय हैं, जब मैं लिस्ट पेश कर रहा था उसके एक दिन पहले मेरी कांस्टीट्यूएंसी का मेरा एक सहयोगी आता है और लिस्ट मेरे मुताबिक मैंने और मेरे सैक्रेटरी ने बनायी। वह पता नहीं लीक कैसे हुई लेकिन वह आदमी आकर मुझे यह हिम्मत करता है कि आप 45 लाख रुपये ले लीजिए यह लिस्ट 24 घंटे के लिये आप टेबल मत कीजिए। अब आप कहेंगे कि आरोप मत लगाओ। मैंने तो उसको दुत्कार कर भेज दिया। लिस्ट यहां पेश हो गयी। वर्तमान मुख्य मंत्री जब विरोध के नेता थे तो बड़ा प्रवोक करते थे कि रामसिंह रिपोर्ट अगर हिम्मत है तो पेश कर दो तो मैंने कहा कि हां अभी करता हूं। हो गयी। चौथे दिन डिपार्टमेंट मुझ से चला गया। अब उसका क्या मै निष्कर्ष निकालूं। तो मैं अब बोलूंगा तो आप फिर टोकेंगे। लेकिन थे हमारे कांग्रेस के ही मुख्य मंत्री। तो यह करप्शन बराबर सब जगह आ रहा है। कौन रोकेगा इसको ? मैं तो अब सदस्यों से कहता हूं इधर बैठने वाले और उधर बैठने वालों से कि जनहित में काम हो। मैं यह नहीं कह सकता कि सभी दूध के धुले हुए हो सकते हैं। मैं भी किसी न किसी कुछ जगह कहीं टिकट की जरूरत हो जाए तो मैं 2 रुपये देकर कर लूं तो वह भी एक तरह से करप्शन है। मैं यह नहीं कहता कि मैं बिलकुल प्योर आदमी हूं और मेरा जैसा कोई आनेस्ट आदमी नहीं है। (व्यवधान) आपको तो श्री मिढ्ढा साहब ऐसे हैं कि राजस्थान की जनता जो आपको दे रही है न वह किसी को नहीं दे रही है, 24 घंटे पानी और एक धेला आप उसके लिये देओ नहीं।

अब, उपाध्यक्ष महोदय, आता है कि प्रायोरिटीज क्या हो। आपको प्रायोरिटीज चेन्ज करना पड़ेगा। सुझाव मैं आपको बाद में दूंगा। लेकिन प्रायोरिटीज आपने सब गलत दी हैं। जैसा कल श्री राजपाल सिंह जी कह रहे थे कि हम एजुकेशन लोन लेकर भी स्कूलें खोलेंगे। आप एजुकेशन के लिये लोन लेकर स्कूलें खोलो लेकिन ऐसी तो एजुकेशन मत दो टूटी फूटी कि जो पढ़कर और शिक्षित होकर निकल रहा है वह इतना एकचुयली विस्डम में ऐसा ठोंठ हो कि वह दुनिया भी फेस नहीं कर सके। आज श्री पूनमचन्द जी के टाइम के दसवीं पास आई.ए.एस. बनते थे। आज अंक क्या मिलते हैं, उपाध्यक्ष महोदय मैं तो हैरत में पड़ जाता हूं 99 पर्सेंट कट आफ लाइन क्या है कि 93 पर्सेंट साइंस सब्जेक्ट में। हमने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा और वह 93 प्रतिशत वाला दो रोटी नहीं खा सकता अगर किसी की सिफारिश नहीं हो तो। मैं जब खेती सीखने अमेरिका गया तो पैंसिलवेनिया एक स्टेट है वहां पर कुछ काश्तकारों के साथ में रहा था। सबसे बढ़िया काश्तकार है, उपाध्यक्ष महोदय, अमेरिका में। उनकी जो कम्युनिटी है जैसे अपने यहां ओसवाल होते हैं या विश्नोई होते हैं, जमीन की कम्युनिटी है और उनका नाम है आमिश। वह सरकार को अपने यहां शिक्षा के स्कूल नहीं चलाने देते। वह सरकार से एक पैसा नहीं लेते। वह जब सड़क क्रास करते हैं तो ट्रैक्टर के पहिये उनके लोहे के होते हैं। चूंकि सरकार

(श्री नरेन्द्रसिंह भाटी)

अलाऊ नहीं करती है कि आप लोहे का चक्का रोड पर से निकाल दो तो वह उस पर रबर फेंककर और दूसरी ओर जाकर उसको वापस हटा देते हैं। अपना खुद का एजुकेशन देते हैं और इतना इन्टेलीजेन्ट कम्युनिटी है, उपाध्यक्ष महोदय, कि क्या हुआ कि यूरोप में जब राइट्स हुए तो हौलेण्ड से वह माइग्रेट करके अमेरिका में उन्होंने शरण ली। मैं चाहता हूं कि आप एजुकेशन ऐसा दें कि भले ही वह वर्क बेस हो। दोनों मन्त्री चिंतित हैं एजुकेशन के लिये। श्री कटारिया जी के बारे में मेरी अच्छी ओपीनियन है। भले ही लोग इनसे नाराज हों लेकिन अगर इन्होंने कह दिया एक उद्घाटन में कि हर प्राथमिक शाला में संस्कृत का टीचर खड़ा कर दूंगा। बहुत अच्छा है। कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे लेकिन सोचना भी बहुत अच्छा है। सही दिशा है।

अब उदाहरण के रूप में आप एग्रीकल्चर में देखें। मैं यह चन्द बिन्दु इसलिये देना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि यह सरकार और इनके आफिसर्स की सोच कहां गयी। आप ग्रीन रेवोल्यूशन लेकर यहां पधार गये। हमारी कांग्रेस पार्टी लेकर आयी थी और खूब वाहवाही हुई थी। श्री एम. एस. स्वामीनाथन जो कि वर्ल्ड के रिनाउण्ड साइनटिस्ट बनें, उन्होंने खूब ख्याति पायी। बल्डाक थे अमेरिका में उन्होंने मेक्सीकन व्हीट को यहां इन्ट्रोड्यूस किया लेकिन यह हमने नहीं सोचा कि आपने हाईब्रीड बाजरा किसान को तो दे दिया लेकिन आज की हालत यह है कि 1985 में जब यह प्रजेंट चीफ सैक्रेटरी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सैक्रेटरी थे, तो मैंने इनको कहा कि सरकार के पास इतना पैसा है मेहरबानी करके जो आपका ओरीजिनल सीड है उसका एक सीड बैंक तो बना लो। आपको देशी बाजरी खाने को नहीं मिलेगी। हां, बहुत अच्छा आइडिया है। लेबोरेट्री में हम अभी आदेश देते हैं। आज तक राजस्थान में हालत यह है, उपाध्यक्ष महोदय, आपको पता नहीं मुझे तो मन्त्री होते हुए मुझे कम से कम ढाई साल लग गये एक 40 किलो बाजरी, वह भी इम्प्योर थी, उसको प्राप्त करने में। आम काश्तकार क्या करेगा? बाजरे पर इसलिये मैं आया हूं उपाध्यक्ष महोदय कि आपने हाईब्रीड बाजरा इन्ट्रोड्यूस कर दिया लेकिन आम किसान भले ही वह एम. एल. ए. हो और चाहे वह काश्तकार हो, जैसे ही बरसात होती है बिलकुल तूफानी रूप में ट्रैक्टर लगाकर उभरे कर देगा। बाजरी बोइज गयी। बरसात हुयी, उपाध्यक्ष महोदय, तो इन्होंने कुछ किट्स इन्ट्रोड्यूस किये जो कि फार्मर्स को मिलते हैं कि आप यूरिया टाइम पर छांटिये। रूल क्या है, उपाध्यक्ष महोदय, कि फायदेमंद तभी होगा जब 24 घण्टे में माइस्चर जब हो और यूरिया छांट दिया तो वह नाइट्रोजन कार्य करेगा नहीं तो उल्टे फसल को जलाएगा। अब यह किट्स बंटते कब हैं? आज इतने साल हो गये किट्स पहुंचते हैं काश्तकार के पास जब बाजरी अधपक्की हो गयी। बेस्ट आफ मनी। अब आप कहेंगे कि मंत्री क्या करें। जैसा कि श्री खेतसिंह जी ने फरमाया, जब सिरोही वाली माननीय सदस्या बोल रही थीं कि आपका कन्ट्रोल

(श्री नरेन्द्रसिंह भाटी)

नहीं है आफिसरों पर। वास्तव में नहीं है। कैसे हो सकता है उपाध्यक्ष महोदय, आज अगर हम सब मिलकर कह दें कि राजस्थान का पूरा पावर आपके हाथ में है। तो यह ह्यूमनली इम्पासीबल है। भले ही कितनी ही चिन्ता हो आप नहीं कर पाएंगे। कैसे कर पायेंगे ? इसलिये जब इवोल्यूशन नहीं होगा, आपको इसके ऊपर आना पड़ेगा। आज यह वाहवाही लेते हैं कि एरिया बढ़ गया। एरिया तो बढ़ा है चौमासू फसल का ट्रैक्टर के कारण। इसके कारण नहीं या इन मन्त्रियों के कारण नहीं जिसमें मैं भी शरीक हूं। ट्रैक्टर इन्ट्रोड्यूस हुआ, जिसको करीब तीन-तीन दिन लग जाते थे एक खेत को बुवाई के लिये वह करीब एक घण्टा या सवा घण्टे में उसकी बुवाई हो जाती है। सबसे बड़ी जो चीज है जो कि बजट पर मैं अर्ज करना चाह रहा हूं जोर देकर, कोई अंदरवाइज नहीं लें लेकिन राजस्थान में सेठों और बिजनेस कम्युनिटी के कारण राजस्थान की सरकार और राजस्थान के एडमिनिस्ट्रेशन में एक बनिया पालिसी है

(16.00)

राजस्थान का भले ही सेठ बिडला जी हों, भले ही वह बांगड़ जी हों। राजस्थान का जो बिजनेसमैन है उसकी एक सोच है, एक तो घर का जेवर तो राजस्थान की आम जनता बेचती नहीं चाहे स्त्रीधन हो या दूसरा धन। लेकिन बनिया क्वालिटी यह है कि पहले घर को अपन सुरक्षित कर लें कि कहीं अगर बिजनस में दिवाला भी निकल जाए तो यह नहीं हो कि बिलकुल सड़क पर पहुंच जाएं। यह की यह बनिया पालिसी, एटीट्यूड आपके राजस्थान के बजट में 1952 से लेकर आज तक आ रही है। उसमें मैं दोषी न तो मुख्य मन्त्रीजी को कहता हूं लेकिन यह एक ऐसा एटमास्फियर है। आज जापान जैसा देश, कल विपक्ष के नेता ने कोरिया का नाम लिया श्री वी. पी. सिंह जी के सामने। तो यह तो सन् 45 में बिलकुल बरबाद हो गये थे और अगर इनको अमरीका और कुछ अन्य देश, जिनके साथ इसकी घोर दुश्मनी थी, मार्शल प्लान के तहत अगर खड़ा होने का पैसा नहीं देते तो यह खड़े भी नहीं हो सकते थे। उनमें और अपने में क्या अन्तर है ? आज मित्शुबिशी ले लीजिये, सोनी ले लीजिये या कोई भी जापानी आइटम ले लीजिये। इसकी झलक कहां आती है कि जैसे चर्चा होती है लिबरलाइजेशन की इत्यादि। आज सब से ज्यादा बाहर के कम्पीटिटर आने का भय किसी को है तो इण्डियन इण्डस्ट्रियलिस्ट को है। छबड़िया आया तो डी. सी. एम. वाले चमक गये, स्वराजपाल आया, इण्डियंस को टेक ओवर करना चाह रहे थे, मुख्य मन्त्री लिख रहे हैं प्रधान मन्त्री को, फाइनेंस मिनिस्टर को। यह क्यों, भाई ? बढ़े सो पावे। जनता के हित में है। उपाध्यक्ष महोदय, आज जापान क्यों बढ़ा ? क्योंकि उन्होंने कोस्ट आफ प्रोडक्शन, भले ही गाड़ी की हो, कपड़े की हो, किसी की भी हो, इतनी कम कर दी कि अमरीका और दूसरे देश उससे कम्पीट ही नहीं कर सकते। तो आप कोस्ट आफ प्रोडक्शन कम करिये। यहां आम चर्चा रही कि सरकारी खर्चा कम करिये, मैं तो कहता हूं कि अगर आपकी कमाई बढ़ जाएगी तो आप सब खर्च स: सकते हैं, भले ही आपका खर्चा कितना ही हो। लेकिन कमाई तो करो पहले आप

(श्री नरेन्द्रसिंह भाटी)

यह कमाई क्यों नहीं हो रही है ? बिकाज, आप बोरो कर रहे हैं। किसी ने कहा कि 16 हजार रुपये राजस्थान के आम आदमी पर कर्ज है। अब वह कर्ज है, तो माफ करना, उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजीव गांधी का उदाहरण नहीं देना चाहता कि रुपये में से 85 पैसे गायब हो गया लेकिन वास्तव में वह 16 हजार जेबों में गया और वह इसलिये गया कि जब मिलीजुली सरकार चले, जहां प्रिंसिपल्स, पार्टी प्रिंसिपल्स कम्प्रोमाइज हो जाएं, अगर बी. जे. पी. और आर. एस. एस. की विचारधारा है कि स्वदेशी हो, तो स्वदेशी ही होना चाहिये। इसलिये मैंने तो सिर्फ एक बार श्री राजपाल जी को टोका कि आपके और श्री जसवंत सिंह जी के भाषण में मुझे अन्तर दिख रहा है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वह तो एक ही है। बढ़िया है एक है तो। लेकिन आप दो तरह की बात मत करिये। पार्लियामेंट में आप कुछ कहें, यहां कुछ कहें। इसलिये आप जब तक यह कन्सेप्ट चेंज नहीं करेंगे, जब तक आपका यह नॉन प्लान, प्लान, हम तो थक गये, उपाध्यक्ष महोदय, यह आंकड़े सुनकर। मैंने तो हजारों बार इनको पढ़ा और जिस जोश से सब आपस में लड़ते हैं, उधर से आएगा कि श्री भैरोंसिंह जी ने कमाल कर दिया, और एक भी मंत्री हमारे समय, उपाध्यक्ष महोदय, कुछ तो थे, लेकिन अनेक मंत्री कुछ छोटी से छोटी चीज होगी, अभ्यास नहीं करते, झट से एक चिट आयेगी दीर्घा से, बोल देंगे, भले ही उस स्टेटमेंट में 10 बार अपने आपको कंट्राडिक्ट कर दे। क्यों नहीं करते काम ? आज जनता ने जिताकर भेजा, आपको चिन्ता होनी चाहिये। आज मैं अगर बोल रहा हूं, उपाध्यक्ष महोदय, आप ठीक कह रहे हैं, आप अपना पावर यूज कर रहे हैं लेकिन एक्चुअली में मैं यहां आया हूं तो सिर्फ इसलिये तो नहीं आया हूं कि मुझे वह भत्ता मिल जाए। और ये तो मेरे को पिछले सत्र में ही फरमा रहे थे कि आपको मेरे से क्या दुश्मनी है। मैंने कहा कि आपसे मुझे कोई दुश्मनी नहीं है लेकिन अगर आप करप्शन में लिप्त होंगे, कोई भी हो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहूं, अगर कल कोई भी माननीय सदस्य यह कहे कि नरेन्द्र सिंह भाटी ने इतनी रिश्वत ले ली है तो उसको मेरे खिलाफ चार्ज लगाना चाहिये, तब मेरे में अक्ल आयेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, इसलिये यह जो बनिया मेंटेलिटी है उसको वित्त मन्त्रीजी, इनके बस का रोग नहीं है लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी यह चिन्तन करें अपने उप मुख्य मन्त्री जी से और कुछ और सहयोगियों से, यंगर लॉट से। आज क्या हो रहा है ? उपाध्यक्ष महोदय, मैं देखता हूं, सी. एम. आफिस में, मैं टोकने का आपको मौका नहीं दूंगा। कलक्टर इसलिये मन्त्रियों से नहीं डरते हैं कि सी. एम. आफिस से आर्डर जाता है। कलक्टर नोज कि उसका ट्रांसफर सी. एम. साहब के हाथ है। वह भले ही, जब उप मुख्य मन्त्रीजी भरतपुर पधारे थे आज से साल या डेढ़ साल पहले, बने ही थे तब, तो उनको भी नाराजगी हुई कलक्टर के बिहेवियर से। आज एम. एल. ए. की हालत यह है, उपाध्यक्ष महोदय, कि वह उसको कह भी नहीं सकते। वहां बैठे रहते हैं, कोई अर्दली आया कि साहब एम.एल.ए. साहब का फोन है, कह देना है नहीं या

(श्री नरेन्द्र सिंह भाटी)

बाथरूम में है। एक आफिसर, यह एम. एल. ए. जनता से आया है, आप उसको रेस्पेक्ट दीजिये। अगर एम. एल. ए. उसको कलक्टर साहब कहता है तो सिर्फ आप एम. एल. ए साहब कह कर तो अपना काम पूरा नहीं कर पाएंगे। आज मन्त्रियों को अगर मुख्य मन्त्रीजी रेस्पेक्ट देंगे तो काम नहीं हो। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी को, धन्यवाद देता हूं चेन्ना रेड्डी साहब को धुजा दिया था, अच्छे-अच्छे आफिसर, लिटरली रोने लग गये थे। क्यों ? रेजिडेंट कमिश्नर, जब उनका पहली बार अपाइटमेंट हुआ, रेजिडेंट कमिश्नर को एयरपोर्ट जाना चाहिये था, आज वे गवर्नर बनकर आ रहे हैं, रेजिडेंट कमिश्नर किस बात के हैं वे ? वह उनको रिसिव करने राजस्थान हाउस रूके। आप उस आदमी की पावर ऑफ असेसमेंट देखिये। उपाध्यक्ष महोदय, जैसे ही उन्होंने ग्रीट किया उन्होंने कहा— "Mr. Resident Commissioner, why were you not at the Airport ?".... "Sir, I .... "Learn protocol otherwise I will suspend you." आई. ए. एस. आफिसर। उनके टाइम में भले ही दूसरी कितनी भी अफवाहें हों, करप्शन की या कुछ भी हों, मैं तो उसमें नहीं जाना चाहता लेकिन एडमिनि-स्ट्रेशन उस आदमी के हाथ में था। एडमिनिस्ट्रेशन माफ करना, श्री भैरोंसिंह जी तीसरी बार मुख्य मन्त्री बन गये हैं, इनके हाथ में नहीं है। इनकी एज अलाऊ नहीं करती, इनकी बीमारी अलाऊ नहीं करती। मैं तो कहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, अपन सबको एक रिजोल्यूशन ले लेना चाहिये कि 65 साल की उम्र में इलेक्शन पालिटिक्स में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिये। मैं यह कोई व्यंग्य के या मजाक में नहीं कह रहा हूं। आज श्री सुखाड़िया साहब राजस्थान के माने हुए, सबसे बढ़िया मुख्य मन्त्री कहलाते हैं, 17 साल उन्होंने राज किया ...

श्री उपाध्यक्ष : श्री पूनमचन्द जी आपकी तरफ देख रहे हैं।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : विंस्टन चर्चिल 69 ईयर्स की एज में पहली बार प्रधान मंत्री बने थे, केनेडी 37 में ही बना।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : क्लिंटन 45 साल में ही बना। एक्सेप्शन टू द रूल....

श्री हरिसिंह (महुआ) : श्री मोरारजी देसाई 80 से ज्यादा के हो गये तब बने।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : बन गये श्री हरिसिंह जी साहब। मैं यह नहीं कह रहा हूं, मैं तो सुझाव दे रहा हूं।

श्री भंवरसिंह डांगावास : औसियां से आने वाले माननीय सदस्य से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आयु मनुष्य की शक्ति का कोई प्रमाण नहीं है। कई-कई बच्चे 15-20 वर्ष के बुड्ढ़े नजर आते हैं और कई-कई 68 साल के आदमी भी जवान नजर आते हैं।

श्री हरिसिंह (महुआ) : अपन दोनों तो खिजाब लगाते हैं, अब नम्बर नहीं आने वाला।

श्री उपाध्यक्ष : आपको कहीं बाहर भी तो जाना था।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : पांच बजे की फ्लाइट है। श्री लक्ष्मण सिंह जी को भी जाना है। वन मन्त्रीजी विराजमान हैं। वन मन्त्रीजी अपने विभाग में अच्छी रुचि रखते हैं, काम करते हैं। जब इधर बैठते थे, अच्छे सुझाव देते थे। मैं इनका प्रशंसक हूं। इन्होंने अपने एक भाषण में फरमाया था कि जो एरियल सर्वे हुआ था उससे ग्रीनरी बढ़ गयी है। मैं उस पर प्रश्नचिन्ह लगाता भी नहीं हूं। बढ़ गयी होगी तो बहुत अच्छी है। अगर ग्रीनरी सिर्फ बांवलिये से बढ़ी है तो राजस्थान के लिए कोई फायदेमंद नहीं है लेकिन मुझे व्यक्तिगत रूप से जानकारी है कि भले ही माईनिंग डिपार्टमेंट के कारण सरिस्का उद्यान बरबाद हो गया हो भले ही डेजर्ट नेशनल पार्क इन्दिरा गांधी कैनाल के कारण बरबाद हो गया हो लेकिन आपने जो पालिसियां तय की हैं, उनके कारण, माफ करना आपके जो नेचुरल रिसोर्सेज है, वहां न तो आप उनका अच्छी तरह से इस्तेमाल कर रहे हो न उनकी झलक यहां पर है और जो आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं, यह जो पश्चिमी राजस्थान से पधारे नेतागण यहां विराजमान हैं, उनको पता है कि सेवण घास क्या होती है और आपने नहरें तो बना दी, उसकी प्रायोरिटीज आपने फिक्स नहीं की। यह मैं पहले कह चुका हूं लेकिन आपका ध्यान आकर्षित इसलिये करना चाहता हूं, गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य विराजे हुए हैं, इनसे पूछिये कि पंजाब की इरिगेशन चैनल की टेल है और इसका फर्स्ट फेज का अपर पार्ट है, उसमें सेलिनेशन कितना बढ गया है। आप पानी वहां क्यों कूड रहे हो। बहुत मंहगा पानी है। नेहरूजी ने आपको दे दिया, उसका मतलब यह नहीं है कि 180 प्रतिशत इंटेंसिटी इरिगेशन करिये। आपके वहां हार्ड पेन है आप उसको झेल नहीं सकते लेकिन आप मांगोगे कि नहीं, हमको तो 200 प्रतिशत इन्टेंसिटी दीजिये, क्यों दो ? वही पानी आप दूसरे तरीके से यूज करो। मैं तो यहां तक कहता हूं जितने यह डेम्स और ये बने हैं, अब जहां डिफोरेस्टेशन हुआ है। आपने बीसलपुर डेम बना दिया। बीसलपुर डेम की जो डिजाइन या कल्पना हुई थी, आज से 20 साल पहले वह बना था कि इतना घना जंगल है, पानी धीरे-धीरे सरक कर आएगा। सैण्ड तो साथ आएगी नहीं और इतने पानी की क्षमता रहेगी। आज जंगल तो रहा नहीं। आपको उसकी सोइल हर दसवें साल, पांचवें साल निकालनी पड़ेगी। अगर उसमें सिल्टिंग आप नहीं रोक सकते तो कैपेसिटि तो आधी हो गयी और जो बीसलपुर डेम की कल्पना थी तो मैं कहता हूं कि आपको पूरे राजस्थान के पानी की कल्पना वैसी करनी चाहिये। बहुत अच्छा है चंम्बल प्लान, उस समय के लिये बहुत अच्छा था लेकिन सोइल इतना सोलिड था कि पानी वह झेल नहीं सकती तो फिर आपको क्या करना पड़ा कि खाले बनाने पड़े उसको ड्रेन करने के लिये। अब वही पानी अगर आप रिड्यूस क्षमता से वहां के काश्तकार को देते और वही पानी उद्योग के लिये, पीने के लिए, दूसरी प्रायोरिटीज के लिए देते तो आपका एरिया बढ़ता और एरिया आफ यूज बढ़ता लेकिन कहीं झलक नहीं है। अब मैं यह कहता हूं कि यह सोच क्यों नहीं आ रहा है इन लोगों में। इसलिये नहीं आ

(श्री नरेन्द्र सिंह भाटी)

महोदय, कि अभी माननीय सदस्य श्री भंवरसिंह जी फरमा रहे थे कि एज इज नोट फेक्टर, बट एज एक बहुत बड़ा फेक्टर है। जो आज मैंने 25 साल की उम्र में किया, जब मेरा बेटा 25 साल की उम्र का हो जाता है तो मैं कहता हूं कि बेटा, उस समय हमने जो काम किये थे वे तुम्हारे से नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? अगर उसमें क्षमता होगी, अगर उसकी विजन बढ़ी हुई होगी, उसको अगर मैं प्रोपर एजुकेशन दे सकूंगा तो मुझे मानना पड़ेगा कि कुछ चीजों में वह मुझसे बैटर होगा। अपने शास्त्र कहते हैं कि औलाद सवाई होनी चाहिए लेकिन इन लोगों में मेरी बड़ी घोर खिलाफत हुई।

माननीय श्री पूनमचन्द जी साहब अध्यक्ष थे उस समय, यहां आपकी कुर्सी पर विराजमान थे, इनका सहयोग भी रहता था मुझे लेकिन कांग्रेस वाले और ये विपक्ष के नेता महोदय, नहीं इन्दिरा गांधी कैनाल क्यों, अंदरूनी चीज थी, हमने कोई इतने साल राख खायी है क्या। अगर कोई काल्पनिक आइडिया हो, अगर मैं मेरे अनुभव से कुछ कहूं और उसमें कुछ अच्छे सुझाव हों, तो आपको लेने में क्या है। अब यह चक्कर होता है कि आज हमारे यहां से जितने भी सुझाव आते हैं, सुन लेते हैं, मंत्री महोदय लिख लेते हैं। कोई कहते हैं कि हमारे पास लिखित में आ जाएगा ...

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, आज गम्भीरता से सुन रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, सुन इसलिये रहे हैं, मैं आंकड़ों में इनको बांध नहीं रहा हूं। अगर मैं यह पढ़ देता पेज 75 से और 78 से और उसकी जो सब-बुक्स हैं तो ये तो बोर हो जाते। मुझसे कहते कि 15 मिनट में आप तो बैठ जाओ लेकिन मैं कम बोलता हूं। आज मैं पहली बार बजट पर बोल रहा हूं क्योंकि मेरे पास, अब जैसे मुख्य सचेतक जी हैं। अब मैं इनके लिये कहूं उतना कम है क्योंकि अगर मुख्य मन्त्रीजी इनसे खुश रहेंगे तब तो ये इस पद पर रहेंगे नहीं तो, मैं इनकी कांस्टीट्यूएंसी में गया था ...

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह तो जेल है, यहां कौन रहना चाहता है और आप टोंक गये थे क्या रिजल्ट लेकर आये?

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : एक काम करो, आपकी तो मदद की, हमारे कारण से ही जीते हो।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह तो गलत है। अच्छा, आप हमारी मदद करने गये थे।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : नहीं, हम तो दोनों को हराने के लिये गये थे।

श्री महावीर प्रसाद जैन : लोक सभा के चुनाव में 7000 वोट मिले हैं और पूरे 15 दिन रहे वहां। (व्यवधान)

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : एनी वे, इसको तो अपन बाद में बहस करेंगे, कभी आप चाय पर बुलाइये मुझे।

मैं अब 2–3 सुझावों पर आता हूं क्योंकि काफी टाइम हो गया है। इरिगेशन

(श्री नरेन्द्रसिंह भाटी)

और एग्रीकल्चर पालिसी आप चेंज करिये, उसकी प्रायोरिटी बनाइये। मैं तो इसके भी खिलाफ हूं। आप श्रावणी खेती को तो इग्नोर करते हैं। जहां आपको बरसात की मदद मिल रही है और सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव खेती करना चाहते हैं सर्दी वाली। आज राजस्थान में अगर गेहूं कोई भी बो रहा है किसी कैनाल एरिया में तो घोर अपराध है, मेरे हिसाब से रायड़ा बोइये, कम पानी लेता है, नहीं तो उस डेम से जो पानी बचा सके, उपाध्यक्ष महोदय, आम किसान की शिकायत है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि एक बरसात और हो जाती है तो श्रावणी में फसल पूरी मिल जाती। तो आप डेपिंग सिस्टम भी रि-डिजाइन करिये। अगर काश्तकार को एक पानी चाहिए श्रावणी में तो उस पानी को आप उसको उपलब्ध करावें। डजंट मैटर कि आपका पानी रबी की फसल में कम पड़ जाय। एट लीस्ट आपके पास में एक पूरी क्रोप तो आएंगी जो असिस्टिड है नेचर से। अब आप माथा फोड़ रहे हैं, कहीं तो आप इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, मैं रिपीट नहीं करना चाहता, भले ही चम्बल बेसिन हो, भले ही इन्दिरा गांधी कैनाल हो ..

श्री देवीसिंह भाटी : सावण का और इसल बांध का क्या सम्बन्ध है ?

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : मैं यह अर्ज करना चाह रहा हूं कि जो बांध का पानी है उस पानी को आप कैनाल एरिया में भी, बनिस्पत कि इंटेंसिटी ईरिगेशन करें, इसको रिलीज करिये चौमासे में अगर कम पड़ जाए। अगर आपके पास सपोज कम नहीं पड़ता हो तो....

श्री देवीसिंह भाटी : चौमासे में वह खेती नहीं करते हैं ना। नहीं, बांधों में है यह।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : आप तो नहरी एरिया का अर्ज कर रहे हैं।

श्री देवीसिंह भाटी : रबी की क्रोप लेना चाहते हैं हम।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : मैं बांध का एरिया के बारे में अर्ज कर रहा हूं। जब तक आप उस पर अंकुश नहीं लगाओगे तो वह करेगा। उसको तो ढर्रा बैठा हुआ है गेहूं पैदा करने का। अगर आप कह दोगे कि नहीं, हम तीन पाण से ज्यादा नहीं देंगे, आप भले गेहूं करो, रायड़ा करो, कुछ भी करो, तीन पाण पर आप पाबंदी लगा दें। मजाल है कि श्रावण में आपके पास से पानी नहीं मांगेगे। आज जवाई बांध कम ही भरता है पूरा, अगर आप सावन में दो तो आप के पास डबल क्रोप उपलब्ध होगी। तो प्रायोरिटी चेंज करिये और जो भी डेम है राजस्थान में कहीं भी हो, सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिये। एक तो सीमेंट के पाइप्स आदि सब बंद होनी चाहिये, आज बरबाद कर दिया। 1962 में श्री मथुरा-दास जी माथुर थे, इमरजेंसी जोधपुर में बढ़ गयी, पानी उपलब्ध कराना था मथानिया एरिया, जो मेरा कस्बा नेडा एरिया है, 30 फुट पर पानी था 1962 में। उन्होंने शपथ ली थी, श्री खेतसिंह जी साहब भी मन्त्री थे कि तीन साल के अन्दर-अन्दर

(श्री नरेन्द्रसिंह भाटी)

कोई दूसरा आल्टरनेटिव कर लेंगे। आज तारीख तक वहां से पानी जा रहा है और आज का किसान वहां से 400 फुट से 700 फुट ड्रा कर रहा है। वह किसान तो बरबाद हो गया, जोधपुर की जनता भले ही बच गयी हो लेकिन वह पानी उपलब्ध पूरा तो अब भी नहीं करा पा रहे हो तो आप चले गये बिलाड़ा के पास, रणसी गांव में जबकि दरबार के समय में जवाई बांध का पानी वैसा का वैसा आ रहा है। आज मेरे बीच में और कांग्रेसजन के बीच में विरोध सिर्फ यही था कि मैं एक मूण भरकर पानी लाना चाह रहा था जोधपुर में लिफ्ट से। ये ला रहे हैं एक लोटी भरकर। कहां तो 1945 में जवाई डेम बना और कहां आप योजना बना रहे हो 1990 में, 1985 में और आप उसकी क्षमता वही रख रहे हो करीब-करीब जवाई से सवाई या डेढ़ गुणा होगी। आप 2025 का सोचिये, आप 2050 का सोचिये कि पानी की क्षमता क्या होनी चाहिये और रिक्वायरमेंट क्या होगी पोपुलेशन इन्क्रीज के रेशो से। तो इसलिये प्रायोरिटी आप बदलिये। ड्रिंकिंग वाटर फर्स्ट, दूसरा पानी एक-एक बूंद इन्डस्ट्रीज पर जाना चाहिये। आप पावर की बात कर रहे हैं कि हम पावर खूब ला रहे हैं, आपके पास पानी नहीं होगा तो आप पावर का क्या करोगे, बगैर पानी आप कुछ नहीं कर सकते।

तीसरी चीज, उपाध्यक्ष महोदय, कन्ट्रोल्ड इरिगेशन। तीसरी चीज और आखिरी है, टूरिज्म। मन्त्री महोदय यहां नहीं हैं। टूरिज्म में बड़ी यहां पर थपथपियां हुई कि we have doubled, टूरिज्म का बजट 8 करोड़ से 16 करोड़ हो गया। उपाध्यक्ष महोदय, बैठ कर हंसी आती है, इस पर टिप्पणी भी नहीं कर सकता। आज टूरिज्म वर्ल्ड की सबसे ज्यादा इण्डस्ट्री है। 500 मिलियन टूरिस्ट का आंकड़ा, 1995-96 में वर्ल्ड का टूरिस्ट ट्रेवल हुआ है 500 मिलियन, आपके पास कितने आते हैं ? मेरे को याद है कि सिर्फ इनहेरिटेड यह नहीं कि हमने कोई कमाल कर दिया हो। सिर्फ आपकी जो अट्रेक्शन है, पिंक सिटी हो, आपके फेस्टीवल्स हों, आपके विश्नोई कम्युनिटी के हिरणों के प्रोटेक्शन करने की जो क्षमता और दृढ़ निश्चयता हो, उसके कारण टूरिस्ट आते थे। 1980 में मुझे याद है, 1980–85 में, उपाध्यक्ष महोदय, कोई मैंने कमाल नहीं किया लेकिन टूरिस्ट आते थे और हम करीब तीसरे स्थान पर थे पूरे इण्डिया में। आज आप पहले दस में भी नहीं हो। आप भले ही खुश हो जायं इसके आंकड़े देख कर। लेकिन गवर्नमेंट आफ इण्डिया का जो पब्लिकेशन हुआ है उसमें आपका दसवां स्थान भी नहीं है। इसलिये नहीं है कि टूरिस्ट क्यों आये यहां पर। थोड़ी सी बरसात हो जाती है तो सड़कें खराब। तो इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, आप प्रायोरिटी टूरिज्म को दीजिये। आपने मुझे समय दिया उसके लिये तो मैं बहुत आभारी हूं लेकिन आपने जो एक-दो चीजों के लिये मुझे टोका, उनके लिये मैं नोटिस देकर उन्हें वापस उठाऊंगा।

श्री उपाध्यक्ष : बहुत-बहुत धन्यवाद। श्री लक्ष्मणसिंह जी रावत।

श्रीमती बीना काक : उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट। चार बजे का समय दिया था

(श्रीमती बीना काक)

स्टेटमेंट के लिये। (व्यवधान) स्टेटमेंट चाहा था, चार बजे का समय दिया गया था, उपाध्यक्ष महोदय, उस पर व्यवस्था चाहूंगी। शून्य काल में एक डाक्टर के कथित एक महिला के साथ स्वास्थ्य मन्त्रीजी से, सस्पेंशन का उन्होंने ...

श्री खेतसिंह राठौड़ : स्वास्थ्य मन्त्रीजी ने सदन में कहा था कि चार बजे के बाद...

श्री महावीर प्रसाद जैन : वह सूचना ही लेने के लिये गये हुए हैं और पांच बजे के लिये उन्होंने कहा था, वे देंगे।

श्री खेतसिंह राठौड़ : ठीक है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री लक्ष्मण सिंहजी।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत (भीम) : उपाध्यक्ष महोदय, यह सर्वविदित है कि जो पिछला बजट 15 मार्च को प्रस्तुत किया गया मुख्य मन्त्रीजी के द्वारा, वह एक चुनावी बजट था और चुनावी बजट को ध्यान में रख कर मुख्य मन्त्रीजी ने कई पोपुलिस्ट मेजर्स की घोषणा भी की थी। मैं कोई आंकड़ों का एक्सपर्ट नहीं हूं और न ही ज्यादा आंकड़ों में जाऊंगा। लेकिन इस सरकार के कुछ एक्ट्स आफ कमीशंस और एक्ट्स आफ ओमिशंस जो हैं उनकी तरफ कुछ अन्य मुद्दों की तरफ ही मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहूंगा। मैं यह नहीं कहता कि इस बजट को टोटल ही मैं डिनाउन्स करता हूं। इसमें कुछ अच्छे बिन्दु भी थे। उदाहरण के तौर पर सामूहिक विवाह करने के लिये जो एक नया निर्णय लिया गया उसको प्रोत्साहित करने के लिये और एक सोशल रिवोल्यूशन की तरफ जो सरकार का सोच गया वह एक वेलकम चेंज है। इसी प्रकार से एस. सी., एस. टी. की मेधावी छात्राओं के लिये भी एक नयी सोच से छात्रवृत्ति देने का एक अच्छा कदम था। कल बनीपार्क से आने वाले माननीय सदस्य ने मुख्य मन्त्रीजी के लिये दो खास बातें कहीं। उनके जो स्टेटिस्टकल डेटा थे वह तो मैं समझ नहीं पाया लेकिन मुख्य मन्त्रीजी के लिये एक तो उन्होंने कहा कि फाइनेंशल विजार्ड है और दूसरी बात कही कि स्टेटसमेन का उनका बजट था। उनकी एक बात से तो मैं सहमत हूं और एक से असहमत हूं। जहां तक वह स्टेटसमेन के बजट वाली बात कही थी, मैं असहमत हूं। एक स्टेटसमेन का बजट होता है एक दूरदर्शी व्यक्तित्व का बजट, वह आज की या कल की नहीं सोचता है, वह आगे आने वाली पीढ़ियों की सोचता है, वह सिर्फ अपनी कुर्सी या अपनी सरकार के प्रति जनता क्या रिएक्ट करेगी उसकी नहीं सोचता। तो इसलिये उस स्टेटसमेन के बजट वाली बात से तो मैं सहमत नहीं हूं। लेकिन एक विजार्ड, फाइनेंशल विजार्ड की जो बात कही उससे मैं सहमत हूं। विजार्ड कौन होता है? विजार्ड का मतलब एक जादूगर, ए मेजेशियन-some one who is skilled in magic मैंने डिक्सनेरी में देखा है और मेजेशियन क्या करता है, उपाध्यक्ष महोदय, वह खेलता है, वह दिखाता कुछ है, करता कुछ है, वह सोचता कुछ है, बोलता कुछ है और जब वह स्टेज के ऊपर रहता है तो जनता जानती है कि यह हमें बेवकूफ बना रहा है और इसलिये जहां तक वह एक्सप्रेशन था कि मुख्य मन्त्रीजी एक

(श्री लक्ष्मणसिंह रावत)

फाइनेंशल विजार्ड हैं, मैं बनीपार्क से आने वाले माननीय सदस्य से सहमत हूं। मैं इस बात को सब्स्टेंशिएट करूंगा कि माननीय मुख्य मन्त्रीजी जब इधर विराजमान होते थे तो उनका क्या सोच था। उस वक्त बड़ा रिवोल्यूशनरी सोच था। 5 जुलाई, 1985 को यहां बैठकर मुख्य मन्त्रीजी ने जो एक स्पीच दी थी एज लीडर आफ अपोजीशन, उसमें से कुछ एक्स्ट्रेक्ट्स सदन के सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। हम वहां बैठे थे, मैं बड़ा प्रभावित हुआ। मैं तो नया-नया सदस्य था। मैंने कहा कि इतना रिवोल्यूशनरी व्यक्तित्व अगर वास्तव में किसी दिन इधर आ गया तो राजस्थान की वास्तव में काया पलट हो जाएगी। लेकिन पिछले पांच-छह सालों से जो कुछ हो रहा है और जो यह बजट प्रस्तुत किया गया है उससे भारी निराशा हुई है। यह बजट बड़े अच्छे शब्दों में, अच्छी भाषा में प्रस्तुत किया गया है और भाषा का स्तर भी बहुत ऊंचा है लेकिन शेक्सपियर के शब्दों में कहूं सिर्फ एक लाइन में— "it is full of sound and fury, signifying nothing." ऊंचे-ऊंचे शब्द हैं, ऊंची-ऊंची शब्दावलियां हैं लेकिन न कोई दर्शन है, न कोई सोच है, न भविष्य के प्रति कोई इस प्रकार के विचार हैं कि जो कि राजस्थान को एक नयी दिशा प्रदान कर सकें।

उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो 5 जुलाई को मुख्य मन्त्रीजी ने एक बात कही कि मैं इस आधार पर यह कहना चाहता हूं कि "उस राज्य का कभी भी विकास नहीं हो सकता जिस राज्य के राजस्व खाते में निरन्तर घाटा होता रहे। एक सर्वमान्य सिद्धांत है कि वही राज्य विकास करता है जो राजस्व खाते में पैसा बचाकर विकास कार्यों पर खर्च करे।"

उपाध्यक्ष महोदय, अब 85 के बाद में, 11 साल के बाद में मुख्य मन्त्रीजी जब बजट पेश कर रहे हैं तो निरन्तर राजस्व घाटे की आलोचना करने वाले मुख्य मन्त्रीजी निरन्तर राजस्व घाटा प्रस्तुत किये जा रहे हैं। 1994-95 में 425 और कुछ का घाटा, 1995-96 में 546 और कुछ का घाटा और 1996-97 में आपका अनुमान है कि 362 करोड के आस-पास का घाटा होगा। तो जो यह कथनी और करनी का अन्तर माननीय मुख्य मन्त्रीजी में उधर से इधर आने में हुआ, यह एक देखने योग्य बात है।

इसी दिन की स्पीच में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने तीन बहुमूल्य सुझाव दिये थे और अगर वह तीनों सुझाव मुख्य मंत्रीजी अपने बजट के अन्दर इनकारपोरेट कर लेते या पिछले सालों में फालो कर लेते तो वास्तव में एक रिवोल्यूशनरी आइडियाज होते। उनके तीन सुझावों में से पहला तो था—जो लीकेजेज हैं उनको कैसे रोका जाये। दूसरा उनका था कि पब्लिक अन्डरटेकिंग्स के जो लोसेज हैं उनका क्या किया जाये और पब्लिक अन्डरटेकिंग्स के लिए क्या निर्णय लिये जाएं। उनका तीसरा सुझाव था कि जो इण्डस्ट्रियलिस्ट और सेठों के बकाया हैं, उस वक्त करीब 22 करोड़ थे, उस बकाया को किस प्रकार वसूल किया जाए।

(श्री लक्ष्मणसिंह रावत)

उपाध्यक्ष महोदय, उस वक्त मुख्य मंत्रीजी ने कहा था, यह ट्रांसपोर्ट आपरेटर्स के बारे में है, राजस्थान में 33-34 प्रतिशत तो पब्लिक सेक्टर में है और 66-67 प्रतिशत प्राइवेट सेक्टर में है। मुख्य मंत्री श्री भैरोंसिंहजी ने सुझाव दिया था, मैं कोट करता हूं—"राजस्थान में ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन की 33 प्रतिशत बसें चलती हैं और सारे राजस्थान में 22 करोड़ राशि रोड टैक्स, पैसेंजर टैक्स के रूप में जमा कराते हैं। और 67 प्रतिशत जो प्राइवेट आपरेटर्स के वे केवल 8 करोड़ जमा कराती हैं। यह भारी लीकेज है। यदि ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन के आधार पर 33 प्रतिशत बसेज पर यदि 22 करोड़ देते हैं तो 67 प्रतिशत गाड़ियों के आधार पर उनको 44 करोड़ जमा कराने होंगे और 44 करोड़ को पांच साल के गुणा करें तो इस प्रकार से आपके पास 220 करोड़ हो जाएंगे। इसलिये इन्होंने लीकेज के लिये आगे कहा कि "जो सरकार इस तरह के लीकेज नहीं रोक सकती उस सरकार को राज करने का अधिकार नहीं है और मैं यह कहना चाहता हूं, शेखावत साहब कह रहे हैं, आप किसानों को आज बिजली का टैक्स लगाकर मारना चाहते हैं और जो टैक्स चोर हैं उनके ऊपर कृपा करके अम्ब्रेला लगाना चाहते हैं।" उस वक्त मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि ट्रांसपोर्ट आपरेटर्स की जो लीकेज हो रही है 22 करोड़ की उस लीकेज को रोकें और 5 साल के अन्दर उन्होंने इस प्रकार से 110 करोड़ के आपने क्या किया साहब? आप राज में पिछले 6 साल से हैं, क्या आपने ट्रांसपोर्ट आपरेटर्स के लीकेज को रोका? क्या आपने कोई विशेष प्रयास किये? इस प्रकार के लीकेज को आप नहीं रोक सके तो इसका मतलब है कि आपने बजट के अन्दर इस विचार को प्रतिपादित नहीं कर सके।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा इन्होंने पब्लिक अण्डरटेकिंग्स के लिये कहा कि हमारी पब्लिक अण्डरटेकिंग्स घाटे में चल रहे हैं। मैं कोट करता हूं—8 प्रतिशत हर निगम से जिसमें पूंजी का विनियोजन हुआ है इन्कम होनी चाहिये और 8 प्रतिशत के नीचे यदि कोई निगम जाता है तो उसको रेड सिग्नल दिखा दीजिये। एक परमानेंट हाई पावर कमेटी राजस्थान में बननी चाहिये। वह कारपोरेशन की पूरी स्टडी करे और डिसीजन लेने के लिए सरकार के पास नहीं भेजे। सारे कारपोरेशन के सम्बन्ध में कमीशन नियुक्त कर दे कि रेड सिग्नल के आते ही उस कारपोरेशन को बन्द कर देंगे।"

उपाध्यक्ष महोदय, क्या हुआ? क्या आपने कोई ऐसा कारपोरेशन नियुक्त किया? क्या आपने पब्लिक अण्डरटेकिंग्स जो घाटे में चल रहे हैं उनके लिये कोई ठोस निर्णय लिये? क्या उनको उबारने का आपने प्रयास किया और अगर नहीं प्रयास किया तो आपने पिछले 6 वर्षों में किस लोस में जाने वाले पब्लिक अण्डरटेकिंग को बन्द किया?

श्री खेतसिंह राठौड़ : सभी घाटे में हैं दिन प्रतिदिन घाटा बढ़ता जा रहा है उनमें।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी ने एक

(श्री लक्ष्मण सिंह रावत)

तीसरा सोर्स बताया है। यह तीसरा सोर्स एक बड़ा इम्पोर्टेंट सोर्स है कि आउटस्टेण्डिग जो हैं इण्डस्ट्रिज के अन्दर आउटस्टेण्डिग है जो सेठों के अन्दर उस आउटस्टेण्डिग को वसूल किया जाए और इन्होंने यह कहा कि 122 करोड़ के आउटस्टेण्डिग हैं मैं कोट करता हूं— "मैं चाहूंगा कि मुख्य मन्त्रीजी विधान सभा में इस प्रकार का बिल पास करें कि सोशल सर्विसेज के जिस प्रकार के पैसे, जो भी बकाया हैं वो पहले भुगतान करें और भुगतान के बाद में अण्डर प्रोटेस्ट उनको कोर्ट में जाना है तो कोर्ट में चले जाएं। आज डी. सी. एम. का पैसा है वह करोड़ों की तादाद में पड़ा हुआ है, बड़े-बड़े कारखानें और सेठों का पैसा है वे देते नहीं हैं" क्या हुआ पिछले 6 साल में ? आप कोई ऐसा बिल लेकर के आये कि जिन सेठों के जिन बड़े-बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स के पैसे बकाया हैं करोड़ों रुपये राजस्थान की सरकार के राजस्थान की जनता के उस पैसे को वसूल करने के लिये आपने कोई इच्छा-शक्ति दिखायी ? आपने कोई इच्छाशक्ति नहीं दिखायी है। कहने का मतलब है कि मुख्य मन्त्रीजी जब इधर बैठते हैं तो उस वक्त उनका दर्शन और सोच कुछ और होता है उधर बैठते हैं तो वे सोचते हैं कि अब तो सब ठीक हो गया है अब तो सब राम राज हो गया है, अब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, उसी स्पीच में मुख्य मन्त्रीजी ने जे. डी. ए. के लिये भी कहा था कि "इस जे. डी. ए. से जयपुर का भला नहीं होने वाला है। एक झटके में इस जे. डी. ए. को बन्द कर देना चाहिये।" क्या हुआ ? आपके आते ही उस जे. डी. ए. में अच्छा काम होने लग गया ? वो झटका आप दिखा नहीं सके। मेरे कहने का तात्पर्य यह है, उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक आउट-स्टेण्डिग की बात है मैं इस सरकार की जो इच्छाशक्ति है उसके ऊपर भी कुछ कहना चाहूंगा। भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन लास्ट प्रतिवेदन जो हमें प्राप्त हुआ है कि आर. एफ. सी. के कितने बकाया थे 1989 में और अब कितने बकाया हैं जो कि यह सरकार वसूल करने में सक्षम नहीं है। उस वक्त 1989 में 97 करोड़ आर. एफ. सी. के बकाया थे जो बढ़कर 1994 के अन्दर 158 करोड़ हो गये और 20062 केसेज थे जो अब 30016 केसेज हो गये हैं यानी कि सेठों का बकाया जो पिछले 40 वर्षों के अन्दर भी नहीं था उससे भी करीब-करीब दुगुना इन पिछले 3–4 सालों में हो गया है और वो सेठों का बकाया यह सरकार वसूल नहीं कर पायी है।

इसी प्रकार, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रीको के जो वार्षिक प्रतिवेदन है उसके अनुसार मैं आपको बताना चाहूंगा....

श्री किशन गोपाल कोगटा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहूंगा कि विनियोजन भी बढ़ा होगा उसको भी जरा पढ़ दें।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजें।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : आंकड़े बताऊंगा कोगटा जी आपकी समझ में नहीं आयेंगे।

श्री महावीर प्रसाद जैन : इनको नहीं समझ में आएगा तो आपको क्या समझ में आएगा ?

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : उन्होंने बताया कि रीको के अन्दर जो उनकी बकाया थी वो भी यह सरकार वसूल करने में असफल रही है। उपाध्यक्ष महोदय, इसमें टिप्पणी की गयी है और टिप्पणी में यह कहा है कि निम्न ऋणियों के विरुद्ध बकाया राशि के सम्बन्ध में किये गये प्रावधान हमारी राय में अपर्याप्त है। इन्होंने कुछ सेठों को, बड़े–बड़े उद्योगपतियों को जो उनका मूलधन था उस मूलधन में से भी बहुत भारी छूट दी। मूलधन वसूल करने की भी क्षमता इनके अन्दर नहीं है और मूलधन के अन्दर भी उन्होंने छूट दी और इस छूट के क्या कारण हो सकते हैं आप समझ सकते हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : इलेक्शन फंड।

श्री लक्ष्मण सिंहरावत : खेड़ा इण्डस्ट्री का मूलधन 59 लाख रुपये का 29 लाख रुपये इन्होंने उनसे लेना तय किया। कृष्णा फोर्ज्ड एण्ड स्टेम्पिंग का 56 लाख था 28 लाख उनसे लेना तय किया। संजीवनी फोडर का 315 लाख था 39 लाख के ऊपर इन्होंने सेटलमेंट कर लिया। जोरावर वनस्पति का 20 लाख था और उसके लिये 5 लाख सेटल कर दिये और इसमें टिप्पणी कर दी गयी है, एडवर्स टिप्पणी कि ऋण एवं ब्याज के भुगतान की अवधि के पुनर्निधारण के अधिग्रहण के लिये निगम रीको ने एक समान दिशा-निर्देश तैयार नहीं किये हैं। यह इनके रीको के कारनामें हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अब मुख्य मंत्रीजी की इस बजट स्पीच के कुछ पाइंटस की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मुख्य मंत्री जी ने पहले पेज पर कहा कि अब सपने पूरे होने के दिन आ गये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इस लाइन को कई बार पढ़ा। क्या वास्तव में हम उस स्टेज पर पहुंच गये हैं ? आप एक तरफ तो कहते हैं कि बिजली की कमी है, पानी की कमी है, सड़कें बनानी हैं, स्कूलें बनानी हैं, अशिक्षित राजस्थान को आगे बढ़ाना है और दूसरी तरफ कहते हैं कि सपने पूरे करने के दिन आ गये हैं। मेरे ख्याल से यह कम्प्लासेंसी है। अगर हम सोच लें कि हमने कर लिया है सफिशिएंट है हमें आगे कुछ नहीं करना तो इससे बढ़कर के धोखा हम राजस्थान की जनता को नहीं दे सकते। सपने कभी पूरे नहीं होते और इसलिये उनको पूरा करने के लिये तो बहुत अथक प्रयास करने होंगे। अभी दिन नहीं, अभी महीने नहीं अभी साल नहीं अभी शायद 10-10, 20-20, 50-50 साल और लगाने होंगे तब हमारे राजस्थान के सपने पूरे होंगे।

श्री कालीचरण सराफ : सपने देखने पर प्रतिबंध थोड़े ही है ये सपने पूरे हो जाएंगे तो और बड़े सपने देखेंगे।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : उपाध्यक्ष महोदय, पेज नम्बर 14 पर माननीय मुख्य मंत्री जी ने पिछड़े वर्गों के लिये और छोटे किसानों के लिये कहा कि हमने उनके हितों के संरक्षण पर विशेष रूप से ध्यान दिया है। जहां तक छोटे किसानों की बात है मैं विशेष रूप से छोटे किसान की बात कर रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, क्योंकि हमारे

(श्री लक्ष्मणसिंह रावत)

मेवाड़ में और पहाड़ी क्षेत्र में विशेष रूप से ज्यादा छोटे ही किसान हैं। आज अगर सबसे अधिक कोई पीड़ित है तो छोटा किसान है। उसके पास एक बीघा की दो बीघा की लैंड होल्डिंग है। कोई नहर का पानी नहीं, मानसून का पता नहीं, खाद महंगा, कुएं में बिजली है या नहीं है वह छोटा किसान आज खेती को सबसे अनप्रोडक्टिव वेंचर मानकर के या तो कहीं पर मजदूरी के लिये जाता है या अपनी जमीन बेच देता है। उस छोटे किसान के लिये इस बजट के अन्दर कोई भी सोच नहीं है कोई भी दर्शन नहीं है और कोई भी भविष्य के लिये योजना नहीं है सिर्फ आपके कहने से कि हम छोटे किसानों को संरक्षण देंगे काम चलने वाला नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, आपकी जो आर्थिक समीक्षा मिली है, उसके पेज 14 से यह सिद्ध होता है कि आपने राजस्थान के किसान या छोटे किसान के लिये क्या किया है। इसमें कृषि और उससे सम्बद्ध सेवाओं के लिये आपने अपने प्लान बजट का 9.94 प्रतिशत 1994–95 में किया और 1995-96 में वो घटकर 9.81 प्रतिशत हो गया है। सिंचाई से सम्बन्धित जो आपके प्राविजन्स थे, जो वास्तविक एक्सपेंडिचर था, वह आपके कुल प्लान एक्सपेंडिचर का 16.54 प्रतिशत तो 1993–94 में था वह घटकर 1994–95 के अन्दर टोटल प्लान बजट का 15.78 प्रतिशत हो गया। 1995–96 में घटकर के सिंचाई पर 14.37 प्रतिशत हो गया। आप किसानों की बात करते हैं, चाहे छोटे हों या बड़े हों, लेकिन उनके लिये आप पिछले तीन वर्षों से इस सिंचाई के हैड में आपका पर्सेण्टेज आफ टोटल प्लान एक्सपेंडिचर का अलोकेशन कम होता जा रहा है। इसी प्रकार से ऊर्जा के लिये 1993–94 में 28.66 प्रतिशत था आपके प्लान एक्सपेंडिचर का 1994–95 में वो घटकर के 26.97 प्रतिशत हो गया और 1995–96 में घटकर के वो 25.50 प्रतिशत हो गया। अब आप बात करते हैं कि राजस्थान के अन्दर हम दो साल में बिजली में यह कर लेंगे वो तो अगर केन्द्र सरकार की यह नयी नीति नहीं होती तो मेरे ख्याल से अभी तक तो राजस्थान का कुडा हो गया होता।

उपाध्यक्ष महोदय, इसलिये इस सरकार की सोच कहीं किसान के लिए नहीं है, छोटे किसान की तो बात छोड़िये, किसान के लिये बिलकुल नहीं है और इसी कारण से जो इसी आर्थिक समीक्षा के अन्दर आपने दिया है कि जो हमारा एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन हुआ उसमें भी गिरावट आयी है। उपाध्यक्ष महोदय, अनाज का प्रोडक्शन 1994–95 में जो 97.34 लाख टन था वह घटकर 87.61 लाख टन हुआ, दलहन का प्रोडक्शन 19.66 लाख टन था वह घट कर 18.75 लाख टन हुआ, खाद्यान्न का प्रोडक्शन 117 लाख टन था वह घटकर 106 लाख टन हो गया और इसी प्रकार से गन्ने का प्रोडक्शन 9.87 लाख टन हुआ वह घटकर 9.18 लाख टन हो गया, तो जब आप किसान को सुविधाएं ही नहीं दे रहे हैं, आप उसको खाद नहीं उपलब्ध करा रहे हैं, आप उसको पानी नहीं उपलब्ध करा रहे हैं, आप उसको बिजली नहीं उपलब्ध करा रहे हैं तो उसका प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा।

(श्री लक्ष्मणसिंह रावत)

बढ़ने का प्रश्न ही नहीं है। आपकी सोच के अन्दर आपकी कल्पना के अन्दर बढ़ सकता है लेकिन वास्तव में वह बढ़ने वाला नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, किसान के साथ-साथ यह सरकार ढिंढोरा पीट रही है समाज के पिछड़े वर्ग का। मैं कंसंट्रेट करना चाहूंगा अदर बैकवर्ड क्लास पर ओ बी. सी. के ऊपर। केन्द्र सरकार ने 27 प्रतिशत रिजर्वेशन दिया कांग्रेस के समय में, श्री नरसिंह रावजी के समय में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अनुपालना में। गवर्नर शासन में यहां पर 21 प्रतिशत रिजर्वेशन हुआ। गनीमत थी कि गवर्नर साहब की सोच थी, 21 प्रतिशत रिजर्वेशन हुआ वरना यह सरकार होती तो इस रिजर्वेशन के लिये भी अभी तक हम तरस रहे होते। इस सरकार ने अन्य पिछड़ी जाति के लिये क्या किया ? इस बजट में तो अलग से एक शब्द भी नहीं है। मैं + + + चाहूंगा इस बात के लिये कि 40 प्रतिशत जनता अन्य पिछड़ी जातियों की है जिनके लिये इस बजट के अन्दर एक शब्द भी अलग से नहीं कहा गया है। उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में इसी सरकार ने 1994 में कहलवाया था। मैं कोट करता हूं" पिछड़ी जातियों के लिये आर्थिक विकास के लिये वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने पर विचार किया जाएगा।" करीबन सवा दो साल निकल गये हैं। आप पिछड़ी जातियों के लिये पिछले सवा दो साल में विचार नहीं कर पाये। यह बड़े शर्म की बात है। इससे बढ़कर शर्म की बात कुछ हो नहीं सकती है। 1989 के अन्दर. उपाध्यक्ष महोदय, एक अन्य पिछड़ी जाति मण्डल यहां बना हुआ था और उस मण्डल का कार्य क्षेत्र भी कुछ व्यापक था। उस मण्डल का कार्य क्षेत्र था कि अन्य पिछड़ी जातियों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिये कार्य करना और जो भी ओन गोइंग स्कीम्स हैं उनसे उनको बेनिफिट दिलवाना। इस सरकार ने उसको दो साल बाद में समाप्त कर दिया और एक दूसरा आयोग बनाया पिछड़ा वर्ग आयोग और इस पिछड़े वर्ग आयोग का सिर्फ एक ही काम है, क्लासिफिकेशन करना कि कौन सी जातियां पिछड़े वर्ग में आती हैं और कौन सी इसमें नहीं आती हैं और यह आयोग यह कार्य कर रहा है। बाकी कोई ठोस सार्थक कार्य या शक्तियां इस आयोग के पास में, नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने ओ. बी. सी. के छात्रों के लिये सिर्फ सीमान्त क्षेत्र के 3,4,5 जिलों में छात्रवृति देने का प्रावधान किया हुआ है। राजस्थान के 26 जिलों में क्या गरीब ओ. बी. सी. के छात्र नहीं रहते ? क्या सरकार इतना भी नहीं सोच सकती थी, अपने बजट में प्रावधान करती कि पूरे राजस्थान के अन्दर ओ. बी. सी. के छात्रों के लिये छात्रवृति का प्रावधान किया जाना चाहिये था ? आज अन्य कई राज्यों के अन्दर ओ. बी. सी. के छात्रों को बुक–बैंक योजना का लाभ दिया जाता है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : सीमान्त क्षेत्र की इन्होंने जो लिस्ट निकाली है उस लिस्ट

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

वाले सीमान्त क्षेत्रों में नगण्य हैं इसलिये वह निकाली है। असली अन्य पिछड़ा वर्ग तो इधर रहता है, उधर सीमान्त तो मैं जानता हूं, वहां कहां है ?

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : उपाध्यक्ष महोदय, कई राज्यों के अन्दर परीक्षा पूर्व का प्रशिक्षण दिया जाता है ओ.बी.सी. के छात्रों को, कई राज्यों के अन्दर निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें दी जाती हैं, कई राज्यों के अन्दर कम ब्याज पर उनको व्यापार करने के लिये ऋण दिया जाता है लेकिन यहां की सरकार ने अन्य पिछड़ी जाति के लिये अपने बजट के अन्दर कोई भी प्रावधान नहीं किया है।

उपाध्यक्ष महोदय, गवर्नमेंट आफ इण्डिया का एक प्रयास था कि एक बैकवर्ड क्लास डवलपमेंट कारपोरेशन बनाया जाए और उसके अन्दर फंडिंग 80 प्रतिशत गवर्नमेंट आफ इण्डिया दे और 20 प्रतिशत राजस्थान सरकार दे और उसके माध्यम से दो लाख तक के ऋण देने का प्रावधान गवर्नमेंट आफ इण्डिया ने प्रपोज किया था और वह सिर्फ 6 प्रतिशत के ऊपर कोई व्यापार करने के लिये ऋण देने का प्रावधान था। पिछले दो वर्ष से वह प्रपोजल यहीं ठण्डे बस्ते के अन्दर पड़ा हुआ है लेकिन सरकार को इस दिशा के अन्दर कोई चिन्ता ही नहीं है। इसलिये मैं यह कहना चाहूंगा कि यह सरकार ढिंढोरा बहुत पीटती है छोटे किसानों का, ढिंढोरा बहुत पीटती है पिछड़े वर्ग का, लेकिन उनके लिये कोई सार्थक प्रयास नहीं करती है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ शिक्षा की बात भी करना चाहता हूं। राजस्थान का शिक्षा में क्या स्तर है ? यह जाना हुआ है। नीचे से हम दूसरे नम्बर पर हैं या तीसरे नम्बर पर होंगे। सम्वत् 2001 तक मुख्य मंत्रीजी राजस्थान में सम्पूर्ण साक्षरता करना चाहते हैं और यह इनका सपना है। मुझे समझ में नहीं आता है, उपाध्यक्ष महोदय, आंकड़ों का इतना मायाजाल तो फैला दिया। राजस्थान की आबादी कितनी है, आबादी कितनी बढ़ रही है, प्रति वर्ष 10 लाख 80 हजार की आबादी बढ़ रही है और उसके लिये प्रति वर्ष 6 हजार 8 सौ स्कूलें चाहिएं। लेकिन कितनी खोली जा रही हैं ? प्राइमरी स्कूलें 500 स्कूलें, 600 स्कूलें, मिडल स्कूलें 500 या 600 स्कूलें और आप कह रहे हैं कि हम 2001 तक पूरे राजस्थान को साक्षर कर देंगे। राजस्थान को शिक्षा के अन्दर पता नहीं किस स्तर पर लेकर चले जाएगे। मेरी समझ में नहीं आता कि यह कैसे करने जा रहे हैं। सिर्फ किताबों पर या कागजों पर करने जा रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, सिर्फ स्कूलों का खोलना ही सफिशिएंट नहीं है, क्वालिटेटिव चेंज लाने की जरूरत है, गुणवत्ता में परिवर्तन लाने की जरूरत है। हमारे शिक्षा मंत्री जी ने एक प्रयास किया। मैं उन रेयर व्यक्तियों में से था जिन्होंने जाकर इनको बधाई भी दी। इन्होंने स्कूल में और स्कूल के अन्दर शिक्षकों के समय परिवर्तन करने का प्रयास किया, समय बढ़ाने की कोशिश की, उनकी छुट्टियां कम करने की कोशिश की। बहुत दबाव आया, विरोध हुआ, आर्गेनाइज्ड हैं इनको उसको पीछे लेना पड़ा और उससे इस पोलिटिकल अथोरिटी का इरोजन हुआ। आपने एक अच्छा निर्णय

(श्री लक्ष्मणसिंह रावत)

लिया था। उस निर्णय को आपने दबाव में आकर वापस बदल दिया। या तो आप अपने आपको पहचानते, अपनी कार्य क्षमता को पहचानते कि आप दबाव में आकर वापस ले लेंगे तो आपको वह लाना ही नहीं चाहिये था लेकिन अगर आप लेकर आये तो एक अच्छा निर्णय था। आपको उस पर स्टिक करना चाहिये था, शिक्षा मन्त्रीजी मैं आपको यह कहना चाहता हूं ट्यूशन की एक बीमारी बहुत बढ़ती जा रही है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (शिक्षा मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं सोचता हूं कि समय की अवधि जो रोजाना हमने एक घण्टे बढ़ायी उसमें हम बैंक हुए बाकी सब छुट्टियों के हिसाब से बढ़ाकर वर्किंग डेज हमने बढ़ाये हैं और समय को भी बढ़ाया है। मैं सोचता हूं कि इस बार के बोर्ड के परीक्षा परिणाम इस बात के सबूत हैं। कि हमने गुणात्मक सुधार के जो प्रयास किये उसके परिणाम दिखे हैं।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत: बोर्ड के परीक्षा परिणाम तो इसलिये हैं कि आपके 10 प्रतिशत मार्क्स अब स्कूल से आते हैं और 10 प्रतिशत मार्क्स जोड़ने के बाद में जो निकम्मे स्टूडेण्ट्स होते हैं वे भी सिफारिश करवाकर 10 में से 8–8 नम्बर लेकर पास हो जाते हैं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया: उपाध्यक्ष महोदय, अभी तो मेरे पास पूरे आंकड़े नहीं हैं। मैं सोचता हूं 10 प्रतिशत अंक बढ़ाने से कुछ बच्चे पास तो हो सकते हैं लेकिन मैरिट में 16 में से राजकीय विद्यालयों के 13 बच्चे नहीं आ सकते, कोई 10 नम्बर से नहीं आ सकते। यही नहीं, आप चाहे साइंस को ले लें, चाहे आर्ट्स को ले लें, चाहे कामर्स को ले लें। जितने बच्चे पिछले साल फर्स्ट डिवीजन पास हुए इस साल जस्ट उससे डबल, प्रतिशत की दृष्टि से और संख्या की दृष्टि से भी, जहां 2800 लड़के कामर्स में फर्स्ट डिवीजन थे इस बार 6000 बच्चे प्रथम श्रेणी में आये। ऐसा ही साइंस में भी हुआ, ऐसा ही आर्ट्स में भी हुआ, तो इस प्रतिशत से कुछ बच्चे थर्ड डिवीजन तो पास हो सकते हैं लेकिन डिवीजन और मैरिट में नहीं आ सकते। यह निश्चित थोड़ा बहुत हुआ होगा मैं नहीं कह रहा हूं पूरा हो गया है लेकिन थोड़ा बहुत हुआ जरूर है।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत: उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा के वक्त डिबेट पर ज्यादा बोलूंगा।

श्री पूनमचन्द विश्नोई: एक साइक्लोजिकल कारण है, हम आपको बाद में समझाएंगे।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत: उपाध्यक्ष महोदय, बजट स्पीच के पेज 14 पर शिक्षा से सम्बन्धित एक बिन्दु था कि स्कूल भवन की मरम्मत सहभागिता से करायी जाएगी। आज जो गांवों की हालत है, गरीब लोगों की जो स्थिति है, क्या आप सोचते होंगे कि वह गरीब लोग सहभागिता में कुछ अपना अंश दान दें पाएंगे ? स्कूल्स रिपेयर के लिए कांग्रेस के जमाने में तो भव्य अट्टालिकाएं, बहुत बिल्डिंग्स बनीं और आज उनकी

(श्री लक्ष्मणसिंह रावत)

रिपेयर तक के लिये भी आपको जनता से पैसे की जरूरत पड़ रही है। शिक्षा मन्त्री जी, कम से कम इस बात को तो आप वापस ले लीजिये।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : क्षमा चाहता हूं। मैं आपके बीच में बोलना नहीं चाहता था लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि भामाशाह योजना के तहत इन दो वर्षों में हमको 15 करोड़ रुपये मिले हैं, केवल भामाशाहों से और विभिन्न राजकीय योजनाओं के तहत और अकाल राहत कार्य और इसमें मिलाकर ढाई साल में लगभग सौ करोड़ रुपये हमको चारदीवारी के लेकर कमरे बनाने तक में मिला है। तो ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : मैं इस वक्त डिबेट में नहीं आना चाहूंगा, समय कम है इसलिये शिक्षा के वक्त बात करूंगा। वह पैसा आपको नयी बिल्डिंग्स बनाने के लिये मिला था और कहीं पर भी रिपेयर के लिये आप दूरदराज ट्राइबल एरिया के अन्दर कोई प्राइमरी स्कूल बना हुआ है। कोई सेठ साहूकार को, किसी को मतलब नहीं है कि वह वहां पर उस दूरदराज के एरिया के अन्दर, मेरे भीम क्षेत्र में कितनी स्कूलें आपके सेठ साहूकार आकर रिपेयर करा देंगे, चाहे जयपुर के सेठ हों, चाहे बीकानेर के सेठ हों ? कोई नहीं आने वाला है। इस रिपेयर के मामले में कम से कम आपको पुनर्विचार करना चाहिये। रिपेयर तो गवर्नमेंट के माध्यम से ही होनी चाहिये। आपकी भामाशाह योजना का हम स्वागत करते हैं। वह आपने अच्छा कार्य किया है, वह प्रशंसनीय कार्य है और इनको हमें प्रोत्साहित करना चाहिये। इसमें कोई दो राय नहीं है लेकिन पुरानी प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग्स की रिपेयर के लिये कोई इस प्रकार से सेठ नहीं आयेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट में एक चीज और जो कि माननीय श्री भैरोंसिंह साहब की सबसे मनपसन्द चीज हुआ करती थी। हरेक की कुछ न कुछ मनपसन्द चीज होती है।

(16.50)

[(श्री शांतिलाल चपलोत, अध्यक्ष, पदासीन)

किसी की लड्डू होती है, किसी की जलेबी होती है लेकिन माननीय श्री शेखावत साहब की एक मनपसन्द चीज थी भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार पर, जब इधर बैठे थे, बहुत ऊंची-ऊंची बातें करते थे, बहुत डींग मारते थे ...

श्री अध्यक्ष : आपके यहां कोई भामाशाह नहीं है। आप रिपेयरिंग वगैरह कुछ नहीं करा सकते ?

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : मेरे भामाशाह तो आप हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब हमारे विपक्ष के नेताजी मुख्य मन्त्री बने तो इस भ्रष्टाचार नाम की चीज को भूल गये। कुम्भकरणी नींद में सोये हुए हैं as if everything is fine under the sky.

श्री चन्दनमल बैद : अब तो कहते हैं भ्रष्टाचार की बात मत करो, यह कहते हैं।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : अब तो कहते हैं भ्रष्टाचार की बात तो पुरानी हो गयी है। अब तो कोई नयी बात करो। इसका मतलब उन्होंने आत्मसात कर लिया है।

श्री श्रवण कुमार : भ्रष्टाचार तो प्रोफेशनल हो गया है।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : इसलिये, अध्यक्ष महोदय, 1993 के अन्दर लोकायुक्त महोदय ने एक रिपोर्ट दी थी। तीन वर्षों से वह रिपोर्ट ठण्डे बस्ते में पड़ी है और इस रिपोर्ट के ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। भ्रष्टाचार को मिटाने का संकल्प लेने वाले तत्कालीन विपक्ष के नेता और आज के मुख्य मंत्री जी को मेरे ख्याल से समय ही नहीं है इस रिपोर्ट को पढ़ने का या उसके ऊपर कोई कार्यवाही करने का। लोकायुक्त महोदय ने तीन-चार सजेशंस दिये थे। पहला उनका सजेशन था कि भ्रष्टाचार को दूर करने के लिये मैं कोट करूंगा— "Under Rajasthan Lokayukta Act, 1973 a great difficulty is felt to investigate and make recommendations against the ex-public servants including the ex-members of council of ministers because of the absence of specific provisions in the Act." लोकायुक्त महोदय ने सिफारिश की कि जुरिस्डिक्शन सीमित है इस एक्ट का और इसको बढ़ाइए और एक्स मिनिस्टर्स को भी इसमें शामिल कीजिए। लेकिन मुख्य मंत्री जी की हिम्मत नहीं हुई है कि इस प्रोविजन को इस एक्ट में शामिल करने के लिये कोई बिल लेकर आये। एक सिफारिश लोकायुक्त महोदय ने यह भी की थी और इस प्रकार का प्रोविजन कर्नाटक के और मध्य प्रदेश के लोकायुक्त एक्ट में है।

अध्यक्ष महोदय, दूसरी सिफारिश की थी कि कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी उनके अन्दर में नहीं है। आप भ्रष्टाचार मिटाना चाहते हैं। किन के माध्यम से ? उनके पास कोई एजेन्सी नहीं थी। लोकायुक्त ने सिफारिश की थी कि जो स्टेट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है उसको लोकायुक्त के अण्डर में कर दिया जाए, जिससे वो डायरेक्ट ही भ्रष्टाचार मिटाने के लिये एक्शन ले सके। लेकिन मुख्य मंत्री जी ने इस दिशा में भी कुछ नहीं किया है। एक सिफारिश लोकायुक्त ने यह की थी कि ...

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटे बढ़ाया जाए।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है ?

(स्वीकृत)

सदन का समय एक घंटा और बढ़ाया गया।

आय-व्ययक (1996–97) पर सामान्य वाद-विवाद

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : ... आज करप्शन की कई शिकायतें आ रही हैं विशेष

(श्री लक्ष्मणसिंह रावत)

रूप से आई. ए. एस. आफिसर्स, आई. पी. एस. आफिसर्स और उच्च अधिकारियों के अगेंस्ट। लेकिन लोकायुक्त की सीमाएं हैं। वो उनकी डिटेल्स नहीं मंगवा सकते तो लोकायुक्त ने यह भी सिफारिश की थी कि–"The complaints of corruption and amassing of wealth beyond their means and no resources of income against class-I public servants and Head of Department for pouring everyday, the Hon'ble Chief Minister was requested to confer powers on the Lokayukta to call for the written statement of their movable and immovable properties." यानि कुछ नहीं चाहते, सिर्फ इसमें यह प्रावधान चाहते हैं कि जो आई. ए. एस, आई. पी. एस और सीनियर आफिसर्स हैं उनकी जो मूवेबल और इम्मूवेबल प्रोपर्टी है, उनके स्टेटमेंट मंगवाने का अधिकार लोकायुक्त महोदय चाहते हैं, जिससे राजस्थान के अन्दर भ्रष्टाचार समाप्त किया जा सके। लेकिन इस दिशा के अन्दर भी मुख्य मंत्री जी ने कोई कार्यवाही नहीं की। यह इस बात को दर्शाता है कि मुख्य मंत्री जी सिर्फ थोथी घोषणाएं करते हैं, जहां तक भ्रष्टाचार को दूर करने का प्रश्न है लेकिन उसके लिये कोई सार्थक प्रयास नहीं करते।

अध्यक्ष महोदय, यह सरकार बजट में भी बात करती है और वैसे भी कहती है कि हमने रोजगार बहुत बढ़ाया। लेकिन अगर वास्तविकता को देखें तो रोजगार बढ़ाने के लिये कोई विशेष प्रयास न तो पहले के सालों में हुए और न ही इस बजट से ऐसा लगता है कि राजस्थान के बेरोजगारों को रोजगार मिल पाएगा। अभी एक तारांकित प्रश्न के उत्तर में जो मुझे कल प्राप्त हुआ है। उसमें बताया गया था कि राजस्थान में 31 मई, 1996 को 2003 डाक्टर बेरोजगार हैं, 4276 इंजीनियर बेरोजगार हैं, 4932 डिप्लोमाधारी इंजीनियर बेरोजगार हैं और करीबन 23 हजार पोस्ट ग्रेजुएट बेरोजगार हैं। इन बेरोजगारों को रोजगार देने के लिये कोई विजन नहीं है, कोई कंसेप्ट नहीं है, कोई सोच नहीं है।

इसी प्रकार से अध्यक्ष महोदय, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना जो प्रधान मंत्री जी ने लागू की थी कांग्रेस के शासन में दिल्ली में और उसके लिये काफी अच्छा प्रावधान भी किया था। राजस्थान का 1994-95 में लक्ष्य निर्धारित था 8300 बेरोजगारों को लोन देकर के रोजगार दिलाने का। लेकिन बैंकों के माध्यम से सिर्फ 4882 लोगों को ऋण दिया गया और उनको रोजगार उपलब्ध कराया गया। करीबन 55 प्रतिशत आपकी उपलब्धि रही है और 1995-96 में 10400 बेरोजगारों को ऋण दिलवा कर रोजगार दिलवाने का आपका लक्ष्य था। उसके विपरीत आपने जनवरी, 1996 तक सिर्फ 877 लेस देन टेन पर्सेंट लोगों को आपने 10 महीने के अन्दर रोजगार दिलवाया। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि यह जो सरकार है वह प्रदेश की बेरोजगारी की समस्या को दूर करने में भी सफल नहीं हो पायी है।

अध्यक्ष महोदय, इस बजट के अन्दर भूतपूर्व सैनिकों के लिये भी एक पैराग्राफ है

(श्री लक्ष्मणसिंह रावत)

और मैं चूंकि एक भूतपूर्व सैनिक हूं इसलिये सैनिक कल्याण के विषय में विशेष रूप से बात करना मेरा कर्त्तव्य समझता हूं। अध्यक्ष महोदय, दो बिन्दू का इसमें सैनिक कल्याण के लिये समावेश किया गया है। पहला तो यह कि द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेने वाले पूर्व सैनिकों के लिये जिनकी संख्या 6472 है, 77 लाख का प्रावधान किया गया है। पहले तो मुझे भी यह बड़ा इम्प्रेसिव लगा। मैंने कहा कि कुछ अच्छा प्रावधान हुआ है। लेकिन एक साल के लिये 6472 में, मैंने जब 77 लाख का डिविजन किया, अध्यक्ष महोदय, तो मुझे बड़ी शर्म आयी। शर्म आयी कि इस प्रोविजन को इसमें इन्क्लूड क्यों किया गया। अध्यक्ष महोदय, पूरे साल का औसत 1205 रुपया आता है यानि, एक सैनिक को, आप एक महीने में सौ रुपया भी नहीं देंगे, जो आफिसर हैं उनको तो शायद सवा सौ–डेढ़ सौ मिल जाएगा और जो नोन कमीशन्ड आफिसर या सोलजर है, उसको 60 रुपया, 70 रुपया महीने का, मिलेगा। इससे बढ़ करके सैनिकों का अपमान क्या हो सकता है। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के कई वीर सैनिक सीमा के ऊपर देश की और प्रदेश की रक्षा करने के लिये जूझ रहे हैं और जूझते आये हैं। लेकिन हरियाणा सरकार का जो सोच रहा है, पंजाब का जो सोच रहा है या हिमाचल का जो सोच रहा है उस प्रकार का सोच यहां राजस्थान की सरकार का नहीं है। यह सरकार कभी भी भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के लिये गम्भीरता से नहीं सोचती है। इन्होंने एक प्रोवीजन और किया कि—"हमें गर्व है कि सेना के और अर्द्धबल के सैनिक जम्मू–काश्मरी में विघटनकारी तत्वों से सामना कर रहे हैं। मैं शहीद हुए प्रत्येक परिवार के लिये 10 हजार रुपये की घोषणा करता हूं।" अध्यक्ष महोदय, 10 हजार रुपये, जो देश के लिये अपना बलिदान दे रहा है, और आज सड़क पर कोई एक्सीडेंट में कुचल कर कोई मर जाता है तो उसको एक लाख रुपये मिल जाते हैं, 25 हजार तो पहली पेशी के ऊपर डिस्ट्रिक्ट जज दे देता है। अध्यक्ष महोदय, 10 हजार रुपये अपने देश के लिये बलिदान होने वाले व्यक्ति के लिये रखना, मेरे ख्याल से इस सरकार को और मुख्य मन्त्री जी को शोभा नहीं देता। इससे बढ़ कर इनसल्ट इस देश के वीर सैनिकों की, राजस्थान के भूतपूर्व सैनिकों की यह सरकार नहीं कर सकती है।

श्री भंवरसिंह डांगावास : (व्यवधान) हम तो एडिशनल दे रहे हैं।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, मैं तो एक ही बात कहूंगा...

श्री भंवरसिंह डांगावास : मिलता है वो बोलो आप दस हजार की बात मत करो।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : आप एडिशनल क्या दे रहे हो, बात यह है। सैंट्रल गवर्नमेंट तो दे ही रही है, इसमें कोई नयी चीज नहीं है। भूतपूर्व सैनिक आपकी मर्सी के ऊपर जिन्दा नहीं हैं और यह सोचने की बात है। आप 58 साल में रिटायरमेंट लेकर आते हो, मालूम है भूतपूर्व सैनिक कितनी उम्र में आता है? आपको नहीं मालूम होगा....

(श्री लक्ष्मणसिंह रावत)

Little learning is dangerous thing. आप कृपया विराजें।

श्री भंवरसिंह डांगावास : सारी मालूम है कि वो वापस री–एम्प्लायमेंट के लिये तैयार रहता है। उनको बाकायदा साधन दिये जाते हैं। सोल्जर बोर्ड बने हुए हैं (व्यवधान) उनको सारी सुविधाएं दी जा रही हैं।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : वह री–एम्प्लायमेंट के लिये स्ट्रगल करते हैं। सरकार उनको री–एम्प्लायमेंट नहीं दे पाती है।

श्री भंवरसिंह डांगावास : उनको सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। एक्स सर्विस मेन के हिसाब से आप ऐसा नहीं कहेंगे, हम डी.ओ.पी. से नहीं करते उनका (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : This is not the question of debate.

श्री श्रवण कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री भंवरलाल जी पुलिस में रहे हुए हैं। पुलिस वाले को तो डेली 10 हजार रुपये की पैदावार होती है।

श्री अध्यक्ष : विराजें आप श्री श्रवण कुमार जी।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : सैनिकों को, भूतपूर्व सैनिकों को कुछ पेंशन तो लेने दो, आपने तो बहुत मलाई खा ली।

श्री अध्यक्ष : कृपया आप संक्षिप्त करें।

(17.00)

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : देश के कई राज्यों के अन्दर क्लास वन और क्लास टू के अन्दर भी भूतपूर्व सैनिकों के लिये रिजर्वेशन है। यह सरकार भूतपूर्व सैनिकों के लिये ज्यादा सुविधाएं प्रदान करे। उनको क्लास टू के अन्दर भी रिजर्वेशन दे, ऐसा मैं विशेष रूप से आग्रह करना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय, एक बिन्दु और है। हमारे पड़ोसी राज्य हरियाणा में शराबबन्दी हुयी है। आन्ध्र प्रदेश में भी शराबबन्दी है और गुजरात में भी शराबबन्दी है। मैं इसकी स्ट्रांगली एडवोकेसी करना चाहूंगा। सिर्फ इच्छा शक्ति की बात है। 1977–78 में भी मुख्य मन्त्रीजी ने शराबबन्दी की थी। मैं यह मानता हूं कि 8 सौ करोड़ रुपये का राज्य के एक्सचेकर के ऊपर असर पड़ता है। लेकिन आप दूसरी तरफ कटौती कीजिए। अगर आवश्यक हो तो कर लगाइये लेकिन इस नासूर को समाप्त कीजिये और विशेष रूप से मेवाड़ के आदिवासी क्षेत्र के अन्दर शराब के कारण परिवार के परिवार बर्बाद हो रहे हैं। इसलिये सरकार इच्छा–शक्ति दिखाए और प्रदेश के अन्दर शराब बन्दी लागू करे।

मैं, अन्त में, एक बात और कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। अध्यक्ष महोदय, ऐसा प्रतीत होता है कि राजस्थान के अन्दर पिछले कुछ वर्षों के अन्दर पोलिटिकल सिस्टम का इरोजन हो रहा है। मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि उसके अन्दर

(श्री लक्ष्मणसिंह रावत)

हमारी विधान सभा की संस्था भी शामिल है। आज पोलिटिकल रिप्रजेंटेटिव का जो महत्व है, वह दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। शायद हम भी उसके लिये कुछ जिम्मेदार होंगे लेकिन उसके लिये ज्यादा जिम्मेदार यह सरकार है। सारा कंसट्रेशन ऑफ पावर अगर मुख्य मन्त्रीजी के हाथ में होगा, तो स्वाभाविक है कि चाहे उनकी पार्टी के एम. एल. एज. हों, चाहे हमारी पार्टी के एम. एल. एज. हों। एम. एल. एज की, पब्लिक रिप्रजेंटेटिव्ज की ऑथोरिटी का इरोजन होना लाजिमी है। यह एक अच्छा निर्णय लिया था कि कलक्टर्स को निर्देश दिये थे कि वे समारोहों के अन्दर अध्यक्षता नहीं करेंगे या फीते नहीं काटेंगे। मैंने मुख्य मन्त्रीजी को बधाई दी थी। वह अच्छा काम था। लेकिन इसके साथ-साथ कई और कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है। पोलिटिकल रिप्रजेंटेटिव्ज को ज्यादा महत्व दीजिये, ज्यादा महत्व दिलवाइये। हमसे ज्यादा चाहे अपनी रूलिंग पार्टी के लोगों को महत्व दीजिये लेकिन जब तक पोलिटिकल रिप्रजेंटेटिव्ज को यह सरकार ज्यादा महत्व देना शुरू नहीं करेगी तब तक हमारा पोलिटिकल सिस्टम सुदृढ़ नहीं रह सकता। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : विराजिये। माननीय स्वास्थ्य मन्त्रीजी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (राज्य मन्त्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) : अध्यक्ष महोदय, आज सुबह सदन में तख्तगढ़ में कार्यरत डा. जगदीश सिंह राजपुरोहित के गलत आचरण और अपने एक चिकित्सक साथी पर हमला करने के आरोप के बारे में काफी चर्चा हुई थी। उस समय दोनों पक्षों के कई माननीय सदस्यों ने यह मांग भी की थी कि जब तक जांच पूर्ण हो, उससे पहले, चूंकि इस तरह का अमानवीय कृत्य हुआ है, इस चिकित्सक को निलम्बित किया जाए।

अध्यक्ष महोदय, प्राथमिक जांच के कुछ तथ्य मेरे सम्मुख आये हैं। इन तथ्यों के अनुसार राजकीय चिकित्सालय, तख्तगढ़ में कार्यरत डा. जगदीशसिंह राजपुरोहित के विरुद्ध दिनांक 18-5-96 को भंवरी देवी पारीक द्वारा पुलिस थाना तख्तगढ़ में एक एफ. आई. आर. दर्ज करवायी गयी जिसके अन्तर्गत यह कहा कि दिनांक 14-5-96 को जब वह अपनी चिकित्सा के लिये चिकित्सक के पास गयी, उक्त चिकित्सक ने अभद्र व्यवहार किया तथा शीलभंग का प्रयास किया। अध्यक्ष महोदय, इस पर तख्तगढ़ पुलिस स्टेशन में एफ. आई. आर. नम्बर 61/96 दर्ज हुई, धारा 354 आई.पी.सी. के अन्तर्गत और अब 26-6-96 को इसका चालान भी न्यायिक मजिस्ट्रेट सुमेरपुर के सम्मुख पुलिस ने कर दिया है।

अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा एक यह भी आरोप था कि दिनांक 20-6-96 को सुबह एक बजे तख्तगढ़ के चिकित्सालय इंचार्ज डा. एस. पी. पुरोहित के ऊपर कातिलाना हमला किया। इसकी भी एफ. आई. आर. दर्ज हुई और तफ्तीश के दौरान डा. जगदीश सिंह के एक भाई और 2 सालों को गिरफ्तार किया तथा डा. जगदीशसिंह की पुलिस तलाश कर रही है।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

इन सारे तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए, माननीय सदस्यों की भावनाओं के अनुरूप मैं डा. जगदीशसिंह राजपुरोहित को निलम्बित करता हूं और निलम्बन काल के अन्दर उनका मुख्यालय भी यहां जयपुर के अन्दर रखा गया है।

श्रीमती बीना काक : मैं धन्यवाद तो दे दूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद दे दीजिये आप।

श्रीमती बीना काक : मेरी भावनाएं सुन लें। देर आये दुरूस्त आये। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस संवेदनशीलता से आज मन्त्रीजी ने और इस सरकार ने महिला के प्रति अत्याचार और गम्भीर हत्या के आरोप का जो निर्णय लिया है, उससे मेरा मन बहुत प्रसन्न है। इससे माननीय मन्त्रीजी की इज्जत में इजाफा हुआ है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री भीमराजजी भाटी, दस मिनट। सभी माननीय सदस्यों से अब प्रार्थना करूंगा कि अधिकांश का समय अब समाप्त हो रहा है। इसलिये कम शब्दों में अच्छी से अच्छी बात कहें। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हमारा समय समाप्त नहीं हो रहा है। बहुत लम्बा है। अभी अधिकांश का समय समाप्त नहीं हो रहा है। आप जरा संशोधन कर लें।

श्री अध्यक्ष : अधिकांश का मतलब, अधिकांश व्यक्तियों का। (व्यवधान) विराजिये। अधिकांश पार्टियों का अंकित समय, यह कह रहा हूं। हां, भाटी साहब।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, अधिकांश पार्टियों का भी अभी अंतिम समय नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष : अंकित समय, अभी चर्चा के लिये अंकित समय। भाटी साहब।

श्री रामस्वरूप मीणा : मैं चिकित्सा मन्त्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने इस प्रकार की घोषणा यहां सदन में की है। इस बात के लिये आपको बहुत–बहुत धन्यवाद है क्योंकि उस समय मैंने भी यह मांग रखी थी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैंने आपकी हीं मांग पर किया है।

श्री रामस्वरूप मीणा : मेरी मांग के ऊपर किया है आपने ? बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बोलने दें। समय बहुत कम है।

श्री जोगेश्वर गर्ग : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि अब तक जो भी वक्ता बोले हैं, उन पर कोई समय-सीमा नहीं लगायी गयी है। मैक्जिमम 45 मिनट तक लोग बोले हैं और कल सवा-सवा घंटे तक लोग बोले हैं। अब जब समय कम बचा है इसके बाद जिनका नाम

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

आने वाला है, उनके लिए 10 मिनट और 15 मिनट की बात आप कर रहे हैं। यह न्याय नहीं है सबके लिये बराबर लागू होना चाहिये। (व्यवधान) अतः कोई समय सीमा लागू नहीं की जाए।

श्री अध्यक्ष : मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं इसलिये निवेदन कर रहा हूं कि अधिक से अधिक माननीय सदस्य भाग ले सकें।

श्री जोगेश्वर गर्ग : यह बात प्रारम्भ में सोची जानी चाहिये थी।

श्री अध्यक्ष : मैंने पहले भी कहा था।

श्री जोगेश्वर गर्ग : तब लागू नहीं हुआ। कल भी नहीं हुआ, आज भी नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष : श्री कालीचरणजी जब बोलने लगे, उससे पहले मैं कहकर गया था और अब अपने पास समय लिमिटेड है। (व्यवधान) और पार्टियों को जो समय आबंटित किया गया है, उस हिसाब से कांग्रेस पार्टी का अलोटेड समय....

श्री जोगेश्वर गर्ग : कल भी इस तरह से.... (व्यवधान) आज जब मेरे नाम आने की बारी आ रही है तो आप समय सीमा लगा रहे हैं। नहीं, क्या यह ठीक है ?

श्री अध्यक्ष : आप पूरी बात सुन लें। कांग्रेस पार्टी को जो समय दिया गया है, वह करीब-करीब समाप्ति पर है। अब निर्दलीयों के हिसाब से अभी समय बाकी है। मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा माननीय सदस्य इसमें भाग लें और कम से कम समय में बोलने का प्रयास करें। आप अपनी पार्टी के हिसाब से कहेंगे तो मुझे कोई एतराज नहीं है। आप भले ही एक घंटा बोलें।

श्री जोगेश्वर गर्ग : मेरी पार्टी ने कल नाम दिया था, वह काट दिया गया। किसने काटा, मैं आपसे चाहूंगा कि आप जांच करें कि यहां से काटा कि वहां से काटा और अब जब मेरी बारी आ रही है तो आप समय सीमा लगा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : मैं समय सीमा नहीं लगा रहा हूं।

श्री जोगेश्वर गर्ग : मेरे से पहले लोग पौन-पौन घंटे बोले हैं।

श्री अध्यक्ष : आप एक घंटा बोल लें। मुझे तो कोई एतराज नहीं है। मैं तो पार्टी के हिसाब से कह रहा हूं।

श्री जोगेश्वर गर्ग : अध्यक्ष महोदय, मैं विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि मैं इस हाउस में स्माल फील कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये। अभी इसमें समय क्यों जाया कर रहे हैं आप। श्री भाटी साहब, बोलिये आप।

श्री जोगेश्वर गर्ग : मुझे यह फील हो रहा है कि आसन मेरी तरफ ध्यान नहीं दे

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

रहा है। मैं 27 तारीख से लगातार यह फील कर रहा हूं, आसन मेरी तरफ ध्यान नहीं देता है। मैं विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं, कृपया थोड़ा ध्यान रखिये। मैं भी कोई बहुत जूनियर नहीं हूं, कल का आया हुआ नहीं हूं।

श्री अध्यक्ष : आप यह मुझे क्यों कह रहे हैं ?

श्री जोगेश्वर गर्ग : और किस को कहूं (व्यवधान).... मैं आप से ही कहूंगा, आसन से कहूंगा।

श्री अध्यक्ष : आप अपनी पार्टी के मुख्य सचेतक को कहिये कि आपका नाम प्रायोरिटी में लें।

श्री जोगेश्वर गर्ग : मैं आसन से प्रोटेक्शन चाहता हूं, आसन माई–बाप है।

श्री अध्यक्ष : मैं इसमें कुछ भी फेरबदल नहीं कर सकता हूं। पार्टी के सचेतक जो लिस्ट दे रहे हैं, उसी के अनुरूप, मैं ऊपर नीचे भी नहीं कर रहा हूं, उसमें।

श्री शिवनाथ सिंह : यह समय सीमा आप पर लागू नहीं है। आप मर्जी आये, उतना बोलो न, क्या दिक्कत है? हमको बोलने दो पहले, समय सीमा आपके लिये लागू नहीं है।

श्री रतनलाल ताम्बी : शोषण तो हमेशा हमारा ज्यादा होता है। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमूं) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मेरा निवेदन यह है कि सदन में कई बार आसन के द्वारा यह व्यवस्था होती है कि माननीय सदस्य किसी के प्रति मानहानिकारक या अपमानजनक या ऐसे शब्द जो आप उचित समझते हैं, उनको आप निकालने के आदेश दे देते हैं। बहस हो रही है, आपने निकलवाने के आदेश दे दिये। उसके बाद वे कटते नहीं हैं। आप कह देते हैं कि जब मैं देखूंगा और जो भी मानहानिकारक शब्द होंगे, उनको निकाल दूंगा। वे दो दिन या तीन दिन बाद निकलते हैं, उसके पहले वह भाषण अखबार में चला जाता है। अखबार में जाकर छप जाता है। छपने के दो दिन बाद वह निकालते हैं। ऐसे में यह परिस्थिति पैदा हो जाती है... (व्यवधान)

श्री शिवनाथ सिंह : आप यह बताइये कि आपकी कौनसी बात अखबार में छापें ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं कोई नहीं छपवाना चाहता हूं। मैं नहीं छपवाना चाहता, मैं दूसरी बात बता रहा हूं, तो वह छप जाते हैं। उसके बाद यह स्थिति पैदा हो जाती है, प्रेस के लिये भी यह समस्या हो जाती है और माननीय विधायक का भाषण छपता है, उसके बारे भी समस्या हो जाती है। इसलिये इस बारे में एक निश्चित रूप से व्यवस्था की आवश्यकता है कि जिस दिन आपने निकालने के आदेश दिये, उसी दिन वे शब्द निकलने चाहिये। वे प्रेस को भी जाने चाहिये कि ये शब्द निकल गये हैं और वे नोटिस बोर्ड पर भी लगते थे पहले हमेशा कि इन शब्दों को निकाल दिया है।

श्री अध्यक्ष : बिलकुल ठीक कह रहे हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अगले दिन कहा, आप निकाल दीजिए। यह प्रेस में जो विज्ञप्ति जाती है, उस विज्ञप्ति में जाता है कि इन शब्दों को माननीय अध्यक्ष ने निकाल दिया है।

श्री अध्यक्ष : ठीक कह रहे हैं आप।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं यह निवेदन कर रहा था कि आप इस बारे में व्यवस्था दें ताकि प्रेस की समस्या का समाधान........ (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नहीं, भविष्य में पक्का ध्यान रखा जाएगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हां, उसका ध्यान रखिए।

श्री अध्यक्ष : बिलकुल, विराजिये। श्री भाटी साहब।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : ऐसा हो चुका इसलिए मैं अभी कह रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष : हां, हां। नहीं, ठीक कह रहे हैं आप। विराजिए आप। सही है, भविष्य में ध्यान रखेंगे।

श्री भोमराज भाटी (पाली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्रीजी ने अपने 15 मार्च, 1996 के बजट भाषण में पेज नम्बर-दो के बिन्दु संख्या–चार पर यह कहा था कि "आम आदमी को सामाजिक सुरक्षा देने की दृष्टि से सरकार ने शिक्षा, चिकित्सा, पेयजल आदि सामाजिक सेवाओं के साथ-साथ रोजगार के अधिक अवसर जुटाने के लिए विशेष विनियोग किया है।" लेकिन, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मन्त्रीजी के भाषण की जो किताब है, वह कुछ और कह रही है और यह जो बजट स्टडी है वह कुछ और कह रही है। आपने सामाजिक सेवाओं में जो अधिक विनियोग की बात कही है और यह भारतीय जनता पार्टी श्रमिकों की, शिड्यूल्ड कास्ट की और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की दुहाई भी देती है और इस सोशल सर्विसेज में लेबर और लेबर वेलफेयर पर विनियोग कम किया गया है। पिछले साल 1995-96 में 29 करोड़ रुपये थे, इस बार उसमें कम किया गया है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के वेलफेयर के लिए पिछले साल 86 करोड़ रुपये थे। इस बार 73 करोड़ रुपया किया गया है। सोशल वेलफेयर और न्यूट्रीशन के लिए पिछले साल 287 करोड़ थे, इस बार उसमें करीब चालीस-पचास लाख रुपये की कमी की गई। यही हालत है, माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी ने अपने भाषण के पेज नम्बर चार पर बिन्दु संख्या पांच में यह कहा है कि "सम्पूर्ण साक्षरता, शिक्षा का सार्वजनीकरण व तकनीकी शिक्षा पर विशेष विनियोग राज्य के इस मनोरथ को अभिव्यक्त करते हैं।"

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी जो यह बजट स्टडी है, उसमें टेक्नीकल एजुकेशन में करीब 50 लाख रुपया घटाया गया है। 26 करोड़ रुपया पिछली साल था, इस साल 25 करोड़ कुछ रुपये का प्रावधान किया गया है। यही नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी जो पब्लिक हैल्थ थी, यह पब्लिक हैल्थ और फैमिली वेलफेयर है, उस पब्लिक हैल्थ में आपने चार करोड़ रुपये की कमी

(172)

(श्री भीमराज भाटी)

की है। 58 करोड़ रुपये पिछली साल था और इस साल 54 करोड़ रुपये का प्रावधान आप कर रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सरकार शहरों और गांवों में भेद-भाव भी कर रही है। अन्य मामलों में तो हो रहा है सो हो रहा है लेकिन दुःख की बात यह है कि पीने के पानी जैसी समस्या के लिए, पीने के पानी के साधन मुहैया कराने के लिए अरबन और रूरल सैक्टर में भारी भेद-भाव किया गया है। अरबन सैक्टर में 179 करोड़ रुपये पिछले साल था, इस साल 190 करोड़ रुपया किया गया है जबकि ग्रामीण, रूरल वाटर सप्लाई स्कीम्स में पिछले साल 107 करोड़ रुपये का प्रावधान था और इस साल 102 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इकानोमिक सर्विसेज में, जब हम पढ़ते थे तो यह कहा जाता था कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। आज भी भारत एक कृषि प्रधान देश है। राजस्थान की अधिकतर जनसंख्या एग्रीकल्चर पर निर्भर है, लेकिन मुझे दुःख है कि यह जो इकानोमिक सर्विसेज आपकी है, आर्थिक सेवाओं की बात जो की गई है, उन आर्थिक सेवाओं में एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज में आपके बजट प्रोविजन में कमी की गयी है। करीब 300 लाख रुपये की। ग्रामीण विकास और विशेस क्षेत्र, स्पेशल स्कीम की जो, स्पेशल एरियाज की जो स्कीम्स हैं, उनमें 391 करोड़ रुपये का प्रोविजन था। इस साल महज 303 करोड़ रुपये का प्रोविजन किया गया है। इतना ही नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके वर्तमान बजट में इण्डस्ट्री में भी पैसा घटाया गया है। 138 करोड़ रुपये था पिछले साल और इस साल आपने महज 124 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में यह जो सोयल और वाटर कन्जर्वेशन है, उसके रेवेन्यू एक्सपेन्डिचर में कमी की गयी है। डेयरी जैसे काम में, जिसमें राजस्थान में पशुओं की संख्या बहुत ज्यादा है और पशुओं के ऊपर जो इकानोमी है, अपने आश्रित है, कई पश्चिमी राजस्थान के बहुत बड़े इलाके डेयरी के क्षेत्र में भी कमी की गई।

अध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्री महोदय ने एक बहुत बड़ा बोर्ड रिलीज किया था। सहकारिता का मूल मंत्र है–"एक सबके लिये और सब एक के लिये"। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बहुत बड़े फंक्शन में एक बोर्ड रिलीज किया, जिसमें यह लिखा था कि सहकारिता विकास का मूल मंत्र है। लेकिन, माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे दुःख है कि बजट में का-आपरेटिव सैक्टर में पिछले साल 43 करोड़ रुपये का प्रावधान था, इस साल महज 35 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उद्योग मन्त्री यहां विराजमान है। इंडस्ट्रीज के लिए जगह-जगह जाते हैं। कभी बैंगलोर जाते हैं उद्योगपतियों को इन्वाइट करने के लिए। हैदराबाद जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, बॉम्बे जाते हैं, यह जो राजस्थान के बाहर अप्रवासी अपने लोग हैं, राजस्थानी, जिन्होंने बहुत नाम कमाया, उनको राजस्थान में इन्वाइट करने के लिए जाते हैं। लेकिन, मुझे दुःख है कि इण्डस्ट्रीज के लिये भी इस बजट में पिछले साल के मुकाबले इस साल कम प्रोविजन किया गया है।

(श्री भीमराज भाटी)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे सबसे ज्यादा दुःख तो इस बात का है कि आसाम, बंगाल, गोवा, मणिपुर छोटे-छोटे प्रान्त हैं, इन प्रान्तों की अपनी भाषाएं हैं, लेकिन दुःख इस बात का है कि हमारे इस राजस्थान जैसे गौरवशाली प्रदेश की कोई भाषा नहीं है। राजस्थानी भाषा को मान्यता देने की बात तो दूर, यहां हमारे बजट का प्लान आउट-ले बढ़ रहा है, बजट का आकार बहुत बड़ा हो रहा है, सारी चीजें बड़ी हो रही हैं, लेकिन राजस्थानी भाषा और राजस्थानी साहित्य के संवर्द्धन के लिए इतने बड़े बजट का बनाने वाली सरकार और इतने बड़े बजट को पेश करने वाले माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने इस राजस्थानी भाषा और राजस्थानी साहित्य के सवर्द्धन के ईनाम के लिए भी सिर्फ पांच लाख रुपये की राशि प्रोवाइड की है। मुझे इस बात को कहते हुए दुःख है कि राजस्थानी भाषा को मान्यता देना तो दूर, उस राजस्थानी भाषा के संवर्द्धन के लिए और उस साहित्य के प्रचार-प्रसार के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले जो लोग हैं, उनके लिए भी महज पांच लाख का ईनाम पेश करके, पांच लाख के ईनाम का प्रावधान करके इस सरकार ने बहुत कजूसी का अपना एक नमूना पेश किया है।

गरीब को गणेश मानकर यह सरकार हमेशा चलती रही है। गरीब की दुहाई देती रही है कि गरीब को गणेश मानकर यह सरकार सेवा करने में लगी है। लेकिन, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं इन्दिरा आवास के बारे में। माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने कहा है कि हम इन्दिरा आवास के इतने मकान बनाएंगे। उस इन्दिरा आवास के मकान के लिये, माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्दिरा आवास बनते हैं गांवों में, जो बहुत गरीब लोग हैं, उनके लिये। इन्दिरा आवास बनते हैं गांव से थोड़ा दूर हट कर बाहर जाकर और उस गरीबी की रेखा के नीचे जो लोग हैं उन लोगों के लिये हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे दुःख है कि इन्दिरा आवास के उन मकानों के लिये 1500 रुपया लैट्रिन और बाथरूम बनाने का जबरदस्ती उनके ऊपर थोपा जाता है जबकि जो गरीब आदमी है, उसको कोई लैट्रिन–बाथरूम की आवश्यकता नहीं है। वह जहां पर उसका मकान बना हुआ है वहां से दूर जंगल में जा सकता है और गांव में यह परम्पर रही है। लेकिन उसको बाध्य किया जाता है और अगर वह नहीं बनाता है तो उसको वह 1500 रुपये और उसकी जो आखिरी किस्त है, वह भी नहीं मिलती है।

श्री किशन गोपाल कोगटा : यह तो केन्द्रीय सरकार की योजना है, इससे राजस्थान सरकार का कोई लेना–देना नहीं है।

श्री भीमराज भाटी : केन्द्रीय सरकार से पैसा आता है लेकिन उसके अन्दर लैट्रिन-बाथरूम का जो प्रोविजन है....

श्री किशन गोपाल कोगटा : यह बनाना उनका काम है।

श्री अध्यक्ष : बोलने दीजिये।

श्री भीमराज भाटी : मान लीजिये, केन्द्रीय सरकार की योजना है। मैं बिलकुल

(श्री भीमराज भाटी)

एग्री करता हूं कि केन्द्रीय सरकार की योजना है लेकिन उसके अन्दर जो प्रोविजन है, उस प्रोविजन में तो कम से कम आप अपने राजस्थान सरकार की तरफ से, यह तो कह ही सकते हैं कि हमारे राजस्थान में यह सम्भव नहीं है। बहुत खुला इलाका है, बहुत खुली जगह है, हमारे राजस्थान में निमटने के लिये। ऐसा कुछ नहीं है कि जो राजस्थान की सरकार कहे और केन्द्र सरकार माने नहीं। कोई व्यावहारिक सुझाव आप दो और उस सुझाव को वह माने नहीं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, और तो और जीवन धारा योजना के तहत दस-दस हजार रुपये के अनुदान दिये जाते हैं। उस अनुदान में मैं आज इस सदन में कहता हूं कि उस दस हजार के अनुदान में उस 35 हजार रुपये का जो कुआ खुदाने की जो योजना है, उस कुए खोदने की योजना के लिये अण्डर ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। आप उसके 35 हजार रुपये मंजूर कर देते हैं।

श्री परसादीलाल मीणा : जीवनधारा योजना में पूरा का पूरा पैसा भारत सरकार द्वारा दिया जाता है, सारा ही अनुदान है। आप दस हजार रुपये का अनुदान क्या कह रहे हैं, पूरा ही अनुदान है।

श्री भीमराज भाटी : नहीं, उन्होंने बजट भाषण में लिखा है, दस हजार रुपये के अनुदान का प्रावधान किया है।

मैं दूसरी बात कह रहा हूं, अण्डर ग्राउण्ड वाटर बोर्ड से सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है वह अण्डर ग्राउण्ड वाटर बोर्ड सर्टिफिकेट देता नहीं है। उस सर्टिफिकेट के मिलने के पहले ही गरीब आदमी अपना कुआ खोदना शुरू कर देता है और न तो उसको उस कुए के पैसे मिलते हैं और अगर पैसे मिलते भी हैं तो जो पैसा उसको मिलता है, उसमें से कम से कम पांच हजार रुपये जब तक वह खर्च नहीं करता उसका उस पैसे को पंचायत समिति से या कहीं से लेने का कोई सवाल ही नहीं उठता है।

श्री अध्यक्ष : श्री भाटी साहब, संक्षिप्त करें अब।

श्री भीमराज भाटी : अध्यक्ष महोदय, मैं बिलकुल घड़ी देख कर बोल रहा हूं, आपने मुझे 10 मिनट का समय दिया है मैं 10 मिनट में ही समाप्त करूंगा। मैं बोलना चालू नहीं हुआ उसके पहले से घड़ी की तरफ आप चार बार देख चुके हैं। चार मिनट मैं बोला नहीं और चार मिनट में आपने चार बार देख लिया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मुझे ध्यान रखना पड़ता है।

श्री भीमराज भाटी : अध्यक्ष महोदय, किसानों की हितैषी होने का यह सरकार दम भरती है और ऐसे कई दावे भी किये गये हैं। अध्यक्ष महोदय, पंजाब में डीजल की रेट है 6.90 रुपये, हरियाणा में डीजल की रेट है 6.90 रुपये; दिल्ली में डीजल की रेट है 6.80 रुपये और राजस्थान में डीजल की रेट है 7.82 रुपये। एक रुपया प्रति लीटर राजस्थान के किसान को डीजल का ज्यादा भुगतना पड़ता है। इस एक रुपया प्रति लीटर की वजह से राजस्थान के किसान

(श्री भीमराज भाटी)

की कोस्ट आफ प्रोडक्शन हाई होती है। कोस्ट आफ प्रोडक्शन हाई होने के बावजूद भी जो एग्रीकल्चर.... (व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष : कृपया डिस्टर्बेंस नहीं This is not the questien of debate. विराजिये आप।

श्री भीमराज भाटी : अध्यक्ष महोदय, एक रुपया प्रति लीटर डीजल का ज्यादा देने के बावजूद भी जो कोस्ट आफ प्रोडक्शन है वह राजस्थान किसान की तो होती है हाई, पूरे हिन्दुस्तान में, जो प्रिक्योरमेंट प्राइसेज हैं वह एक ही हैं जबकि राजस्थान के किसान की कोस्ट आफ प्रोडक्शन आती है हाई। किसानों का दम भरने वाली और किसानों की हितैषी होने का दम भरने वाली यह सरकार क्या केन्द्र सरकार को यह लिखेगी कि राजस्थान के किसानों को एग्रीकल्चर की जो प्रोड्यूस की जो कीमत है वह दूसरे प्रान्तों के बजाय ज्यादा दिलायी जाये, क्योंकि राजस्थान के किसानों की कोस्ट आफ प्रोडक्शन हाई है।

अध्यक्ष महोदय, संवेदनशीलता की यहां बहुत बड़ी-बड़ी बातें की जाती हैं। मैं इस सदन में एक छोटी-सी बात की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। भारत सरकार ने आतंकवादियों को जेल में रखने वाले कारागृहों के लिये 50 लाख रुपया दिया था, उनके अन्दर फ्लड लाइट्स लगाने के लिये, उनके जनरेटिंग सैट्स के लिये, उस 50 लाख रुपये का उपयोग नहीं किया गया और उपयोग नहीं करने की वजह से आज राजस्थान आतंकवादियों की एक बड़ी सेफ जगह बन चुका है। हालत यह हो गयी कि हिन्दुस्तान के गणतंत्र दिवस, 26 जनवरी के मौके पर राजधानी में सवाई मानसिंह स्टेडियम जैसी जगह पर बम विस्फोट हो गया। केन्द्र सरकार ने 104 लाख रुपये आपको दिये 26 ट्रक खरीदने के लिये। ट्राइब्ल एरिया और पिछड़े एरिये में पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन के सिस्टम हैं उसके लिये ट्रक खरीदने के आपको 104 लाख रुपये दिये गये, आपको जनवरी, 1995 में रुपये दिये गये नवम्बर, 1995 तक आप ट्रक नहीं खरीद पाये।

अध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार की बात यहां पर बहुत की जाती है। केन्द्र सरकार जो पैसा देती है उस पैसे को अपने समय पर यूज करने की स्थिति में नहीं हैं। यह सरकार बहुत सवेदनशील है, मैं बड़े दुःख के साथ इस सदन में कहता हूं कि अपने राजस्थान की जो पब्लिक अण्डरटेकिंग्स हैं उनके अन्दर हमारी राजस्थान की जनता का 1254 करोड़ रुपया लगा हुआ है। 1254 करोड़ रुपये के इन्वेस्टमेंट के बाद नफा कितना, कोई सोच सकता है, कोई बता सकता है? यह आपकी सी.ए.जी. की रिपोर्ट बता रही है, 1254 करोड़ रुपये के इन्वेस्टमेंट के बाद महज आपको नफा मिला 91 लाख रुपया। कितना पर्सेंट? .07 पर्सेंट। क्या कोई प्रोफेशनल मैनेजमेंट या छोटा-मोटा बनिये की दुकान पर कोई मुनीम अगर 1254 करोड़ रुपये के इन्वेस्टमेंट के बाद 91 लाख रुपया कमा कर देगा साल के आखिर में, तो क्या कोई उसको सहन करेगा?

(श्री भीमराज भाटी)

अध्यक्ष महोदय, उद्योग मंत्रीजी यहां विराजमान हैं। पब्लिक अण्डरटेकिंग्स में आपकी टोटल पूंजी लगी हुई है 733 करोड़ रुपये। इसकी हालत यह है कि 31-3-1995 तक सिर्फ 32 पब्लिक अण्डरटेकिंग्स का 754 करोड़ रुपये का एकुमुलेटेड लोस हो गया है। आपकी जो 733 करोड़ रुपये की जो पूंजी लगी हुई थी उसका तो पूरा ही सत्यानाश हो गया।

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री भीमराज भाटी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपने बजट के भाषण के पेज संख्या–77 के बिन्दु संख्या 174 में सी. ए. जी. की रिपोर्ट पर जो वित्तीय वर्ष की समीक्षा की गयी थी, उसका हवाला देकर सन्तोष व्यक्त किया है। लेकिन सी. ए. जी. अपनी रिपोर्ट में यह कहा है कि नवें वित्त आयोग के द्वारा मानी गयी मूल्य वृद्धि के समक्ष मूल्यों में हुई वृद्धि को समायोजित करने के उपरान्त भी राज्य सरकार योजना भिन्न राजस्व व्यय को 1995 की अवधि के दौरान नवें वित्त आयोग द्वारा मानी गयी सीमा में नहीं रख पायी है जो कि उनके विवेकपूर्ण वित्त प्रबन्ध के लिये आवश्यक था। सी. ए. जी. की रिपोर्ट कहती है कि आप इसको ठीक से मैनेज नहीं कर पाये और अपन यहां दुहाई देते हैं फाइनेंशल विजार्ड की, फाइनेंशल फिस्कल मैनेजमेंट की दुहाई देते हैं। इतना ही नहीं, आज राजस्थान की हालत यह है कि हम जो नये कर्ज ले रहे हैं ...

श्री अध्यक्ष : श्री जोगेश्वर गर्ग। (अनुपस्थित)। श्री मदान साहब। अब कृपया आप समाप्त करें।

श्री भीमराज भाटी : उसका 77 पर्सेंट पैसा रि-पेमेंट करने के लिए और इन्ट्रेस्ट का पेमेंट करने के लिये चुकाया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, इसी सी. ए. जी. की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि आपके जो असेट्स हैं वह 73 पर्सेंट बढ़े हैं जबकि आपकी लायबिलिटीज 80 पर्सेंट बढ़ी हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय, विराजें आप।

श्री भीमराज भाटी : अध्यक्ष महोदय, यह जो फाइनेंशल विजार्ड की बात कही जाती है, मेहरबानी करके यह सिन्दूर लगा कर नगाड़े मत बजाइये, बजट की स्टडी कुछ और कहती है और आप का भाषण कुछ और कहता है। हालत यह हो गयी है कि स्वदेशी की बात करने वाले डामर को आयात करने की बात कर रहे हैं। अयोध्या में राम मन्दिर के लिये कार सेवा में जाने वाले और मंत्री (व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : अब विराजें आप।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : डामर के बारे में क्या करें, सुझाव बताओ। क्या करें ?

श्री भीमराज भाटी : क्या ?

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : डामर जब नहीं आ रहा और कठिनाई पैदा हो रही है, देश की फैक्ट्रीज पैदा नहीं कर रहीं, दे नहीं

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

रही हैं, केन्द्र सहयोग नहीं करे तो क्या करें ? आप सुझाव बताओ।

श्री भीमराज भाटी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय मन्त्री महोदय से कहूंगा आपकी म्युनिसिपैलिटी जो पैसा लेकर जा रही है वह यूं की यूं डामर लेकर आ रही है, आपके जो प्राइवेट कांट्रेक्टर्स हैं वो पेमेंट करके यूं की यूं लेकर आ रहे हैं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : नहीं, वो भी नहीं ला रहे, यह आपकी सूचना गलत है। उनको भी 25 पर्सेंट मिल रहा है।

श्री भीमराज भाटी : सूचना गलत नहीं है, अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्रीजी की जानकारी में लाना चाहूंगा, पाली म्युनिसिपैलिटी ने, जो आपकी ही म्युनिसिपैलिटी है ..

श्री अध्यक्ष : माननीय, अब आप विराजें।

श्री भीमराज भाटी : पिछले तीन महीने में दो करोड़ से ज्यादा का डामर वह ला कर यूज कर रहे हैं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : दो करोड़ कुछ नहीं होता, एक सौ करोड़ कहिये।

श्री अध्यक्ष : माननीय भाटीजी, विराजें अब आप।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : 150 करोड़, दो करोड़ क्या होता है ?

श्री भीमराज भाटी : यह जो डामर की प्राब्लम है वह आपको समय पर विजुअलाइज करनी चाहिये थी, आपने उस डामर को मैटल रोड बना दिया।

श्री अध्यक्ष : माननीय भाटीजी, विराजें अब आप। आप 18 मिनट बोल चुके। मैं पक्का ध्यान रख रहा हूं 18 मिनट पूरे, 10 मिनट की जगह 18 मिनट हो गये।

श्री भीमराज भाटी : अध्यक्ष महोदय, 12 मिनट हुए हैं मेरे को।

श्री अध्यक्ष : या तो आप मेरी अथोरिटी को चैलेंज कर रहे हैं, मैंने समय लिखा है, 5 बजकर 12 मिनट पर बोलना चालू किया आपने।.... (व्यवधान)....

श्री श्रवण कुमार : अध्यक्ष महोदय, निर्दलीयों के नेता हैं हमारे।

श्री भीमराज भाटी : मैं 5 बजकर 15 मिनट पर बोलना चालू हुआ हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऐसा नहीं करें आप। अब विराजें आप।

श्री भीमराज भाटी : माननीय अध्यक्ष महोदय, अकाल राहत कार्यों में यह फिस्कल मैनेजमेंट कैसे हो रहा है, मैं आपको बताता हूं। अकाल की घोषणा हुई जनवरी और फरवरी में, अकाल के काम मन्जूर किये गये 31 मई को और एज लेट एज जून के सैकण्ड और थर्ड वीक में बाड़मेर, जैसलमेर में बाढ़ आ गयी थी। 23 जून की राजस्थान पत्रिका उठा लीजिये, उस

(श्री भीमराज भाटी)

राजस्थान पत्रिका में छपा है, बाड़मेर जिले में अकाल राहत के 20 लाख के कार्य मन्जूर और उसमें इतने श्रमिक लगेंगे। 22 जून और 23 जून को आप फैमिन के काम मंजूर करें, 30 जून को उन कामों को बन्द कर दें, क्यों आप इस सरकार के पैसे को वेस्ट कर रहे हैं, क्यों इन कागजों में आप बता रहे हैं कि हमने इतने काम मंजूर कर दिये ? काम आपका एग्जीक्यूशन हो नहीं, मैनेजमेंट यह है कि वही आदमी प्यारा लग रहा है जो कम से कम पैसा उपयोग कर के अधिक से अधिक सैंक्शन रिलीज कर दे और कम से कम मजदूरों को एम्प्लाय कर के लगा दे।

श्री अध्यक्ष : विराजें आप। श्री मदान साहब।

श्री भीमराज भाटी : अध्यक्ष महोदय, मैंने समय सीमा का ध्यान रखा है फिर भी अगर मैंने एक-दो मिनट ज्यादा लिया तो मैं आपसे माफी चाहता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अर्जुनदास मदान (लाडपुरा) : आदरणीय अध्यक्षजी, आज सदन जिस विषय पर विचार-विमर्श कर रहा है उसमें मैं भी अपनी भागीदारी करने के लिये उपस्थित हुआ हूं, खड़ा हूं।

सारे के सारे बजट, चाहे वह मेरे परिवार का हो, चाहे मेरा व्यक्तिगत हो, चाहे किसी संस्था विशेष का हो, प्रान्त का हो, देश का हो, यह बनते हैं। मेरा ऐसा अनुमान है, मेरी ऐसी परिकल्पना है कि जो भी बजट बनता है वह किसी परिवार के लिये, किसी संस्था के लिये, किसी प्रदेश के लिये या किसी देश के स्वास्थ्य की एक संरचना का परिचायक होता है, कि आर्थिक दृष्टि से हम कहां खड़े हैं, किधर हम जा रहे हैं, किधर हम जाना चाहते हैं, यह सारा का सारा इंडिकेशन, यह सारा का सारा द्योतक अगर कहीं से मिलता है तो केवल मात्र उस बजट से मिलता है जो कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिवार या कोई भी प्रदेश बनाता है।

इसी प्रकार से राजस्थान का जो 1996-97 का बजट प्रस्तुत किया गया उस पर मैं मात्र इतना ही कह सकता हूं कि कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र को इस बजट से अछूता रखा गया हो।

मैं केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं, अभी बहुत कहा गया कि यह सरकार संवेदनशील नहीं है, मैं ध्यान ले जाना चाहूंगा कांग्रेस की सरकारों के उन बजटों की ओर, जो पूर्व में निरन्तर 41–42 साल तक बनते रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कृषि के उत्पादन में, जो तलहटी में रहने वाला मजदूर आदमी है, उससे 50 प्रतिशत राजस्व वसूल किया लेकिन उस पर खर्च हम 4 प्रतिशत ही करते हैं और आज स्थिति पलटकर यह आ गयी इस भारतीय जनता पार्टी के शासन में, आज के बजट में कि आज हमें गरीब के ऊपर, किसान के ऊपर टोटल बजट का 62 प्रतिशत खर्च करते हैं। 60 प्रतिशत तो हम खर्च कर

(श्री अर्जुनदास मदान)

चुके। यह एक ध्येय है हमारा। एक मकसद है हमारा कि आज हम 62 प्रतिशत की ओर बढ़े और विश्वास है कि जिस ओर हमने कदम बढ़ाये हैं, उसमें हम सफल भी अवश्य होंगे।

मान्यवर, यह भी उस स्थिति में है जबकि आप यह महसूस करते हैं कि कोई कर इस राज्य सरकार ने नहीं बढ़ाया है। किसी भी सरकार के लिये बजट में साधन प्राप्त करने के केवल तीन साधन मैं मानता हूं। पहला है, या तो वह करों में वृद्धि करे। जब आप करों में वृद्धि करते हैं तो उसका परिणाम यह होता है कीमतें बढ़ती हैं और साधारणतया नागरिक उसने अपने आप नाराजगी प्रकट करता है, क्योंकि जब हम एक तरफ यह कहते हैं कि कीमतें धड़ाधड़ बढ़ रही हैं और दूसरी तरफ यदि करों में भी सरकार वृद्धि करती चली जाएगी तो उसका परिणाम निश्चित रूप से एक दिन आएगा कि कीमतें और ज्यादा बढ़ेंगी और निराशा का प्रादुर्भाव समाज में और अधिक होगा। इसलिये हमने किसी प्रकार के कर की बढ़ोतरी तो नहीं की।

दूसरा, साधन है कि आप बचत में से कुछ पैसा निकालें और बचत में से जो पैसा आप बचाते हैं उसको लेकर आप प्रदेश के विकास की कुछ गति बांध दें। मैं मेरे प्रतिपक्ष के बंधुओं का भी ध्यान अपनी ओर दिलाना चाहूंगा और उनसे निवेदन करूंगा कि मेरी इस बात पर थोड़ा ध्यान दें कि इस बचत में वर्ष 1993 में भारत के समस्त राष्ट्रीयकृत बैंकों में 2,85,885 करोड़ रुपये की पूंजी जमा थी और राजस्थान में वह पूंजी थी 7,847 करोड़ रुपये और इसमें से जो क्रेडिट फैसेलिटी राजस्थान को मिली, वह 3,912 करोड़ रुपये की मिली अर्थात् 49.8 प्रतिशत। हमको क्रेडिबिलिटी उस समय मिली जो राजस्थान के लोगों ने राजस्थान के खातों में जमा करायी। 1993 से आगे चलकर जब हम 1995 की ओर बढ़े तो यह राशि भारत के राष्ट्रीयकृत बैंकों में तो जमा हुई 3,91,811 रुपये और राजस्थान के बैंकों में जमा हुई 11,114 रुपये और उसकी एवज में हमको मिले केवल 4,955 रुपये अर्थात् 44.5 प्रतिशत।

अध्यक्ष महोदय, मैं छोटा-सा निवेदन करता हूं जब 1995 के अन्तर्गत हमारी सरकार को राष्ट्रीयकृत बैंकों से जो केवल राजस्थान में हैं, उस राजस्थान से हमको केवल 49 8 प्रतिशत मिला। उसकी एवज में 1995 में घटकर 44.5 प्रतिशत रह गया। बचत का पूरा प्रतिशत भारत सरकार का उस समय 35 प्रतिशत था और राजस्थान का 41 प्रतिशत था। यह बातें क्या द्योतक करती हैं कि हमारा यह पैसा जो राजस्थान के लोगों ने बचाया, कमाया, बैंकों में जमा किया वह धीरे-धीरे यहां से प्रवाहित होने लगा और प्रवाहित होकर चाहे वह महाराष्ट्र में गया हो, चाहे वह आन्ध्र में गया हो, चाहे वह किसी और प्रान्त में गया हो मैं उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहता। लेकिन यह बात इस बात को निश्चित रूप से दर्शाती है कि वह पैसा जो राजस्थान के लोगों की गाढ़ी कमाई से राजस्थान के बैंकों में जमा कराया था, वह हमको नहीं मिला। वह धीरे-धीरे दूसरे प्रान्तों में

(श्री अर्जुनदास मदान)

सरकता चला गया और परिणाम यह हुआ कि विकास की गति धीरे हो गयी।

अब तीसरा साधन होता है, मान्यवर, पैसे लेने का, ऋण लेने का। आप कर बढ़ाना नहीं चाहते। आपकी बचतों में से आपकी भागीदारी आपको मिल नहीं पा रही तो फिर आप विकास कैसे करेंगे? बहुत कहा गया, यहां आदरणीय श्री चन्दनमलजी बैद ने भी कहा कि पूरे प्रान्त की आर्थिक स्थिति चरमरा गयी है। हम उस कगार पर खड़े हैं जहां पर हमारी आर्थिक स्थिति बहुत चिन्तनीय है, विचारणीय है। मैं यह निवेदन करता हूं जब यह बात कही जाती है कि राजस्थान प्रदेश आज कर्जा ले रहा है, क्या मैं पूछ सकता हूं मेरे प्रतिपक्ष के लोगों से, जब जनता पार्टी की हुकूमत थी 1977 से 1980 में, इस देश के ऊपर 9 हजार करोड़ रुपये का विदेशी कर्ज था और राजीव जी गांधी और राव साहब के समय में वह 9 हजार करोड़ का कर्जा बढ़कर 3 लाख 50 हजार करोड़ रुपये हो गया। साढ़े तीन लाख करोड़ रुपये का विदेशी कर्ज बढ़ा। अब आप कल्पना कीजिये कहां तो 9 हजार करोड़ रुपये और कहां 3 लाख 50 हजार करोड़ रुपये। यह मैं उस कर्ज की बात कर रहा हूं, मान्यवर, जो हमने विदेशों से लिया। स्थिति इतनी दूभर हो गयी कि देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिये तो हमने 26 हजार करोड़ रुपये खर्च करने की बात सोची लेकिन आज ब्याज के रूप में हमको 52 हजार करोड़ रुपये प्रतिवर्ष विदेशों को देना पड़ेगा और धीरे-धीरे जब-जब रुपये का अवमूल्यन हुआ, रुपये के मूल्य में गिरावट आयी। जितनी दूसरी विदेशी मुद्रा थीं उनकी कीमतें बढ़ीं और यह ब्याज की राशि अपने आप ही बढ़ती चली गयी। पहली बार जब हमने रुपये का अवमूल्यन किया था उस समय 20 हजार करोड़ रुपये का कर्जा केवल इसलिये बढ़ गया कि हमने देश के रुपये का अवमूल्यन किया था। डालर के सामने रुपया और नीचे गिर गया था और परिणामतः बिना कुछ बढ़ाये हुए 20 हजार करोड़ रुपये का कर्जा बढ़ गया। जब हमने 500 करोड़ रुपया लिया तो यह चिन्ता का विषय निश्चित रूप से कि यह पैसा हम कहां लगा रहे हैं, अगर गलत जगह खर्च कर रहे हैं तो निश्चित रूप से यह चिन्ता का विषय है हमें उसके ऊपर विचार करना चाहिये।

मैं यह मानता हूं कि आज उस इंसान की, जो आज गरीबी की रेखा के नीचे खड़ा है, जिस अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत हम काम करते हैं वह व्यक्ति जो आज गरीब है, आज देश में इतनी अस्थितरता आ गयी, स्थिति इतनी दूभर हो गयी, यदि मैं समाजवाद का नारे देने वाले लोगों से भी पूछूं तो समाजवाद लाये क्या हम इस समाज में? आज भी एक आदमी जो पैदल चलता-चलता अपने पांवों में छाले करता है और दूसरा इंसान कार में चलता हुआ उस पैदल चलने वाले पर धूल फेंककर आगे बढ़ता है, आज एक इंसान छोटी-छोटी झोपड़ी में पड़ा हुआ अपनी जिन्दगी की सांसें गिनता है दूसरी तरफ ऊंची-ऊंची अट्टालिकाओं में बैठा हुआ आदमी उन झोपड़ियों की ओर थूका करता है। यह है आज हमारे देश का समाजवाद। उसकी चिन्ता अगर आज

(श्री अर्जुनदास मदान)

केन्द्र सरकार ने की होती और वह प्रादुर्भाव धीरे-धीरे सरककर अगर प्रान्तों में भी सरककर आता तो आज यह स्थिति नहीं बनती और आज हम यह निश्चित रूप से कह सकते हैं हमारी सरकार जब से आयी है एक संवेदनशील रूपरेखा के अन्तर्गत बजट का निर्माण करती है और यह प्रयास करती है कि वह अन्त्योदय की लाइन में जो आखरी आदमी खड़ा है, उसके विकास की बात हम कैसे कर सकते हैं। खेत में काम करने वाला खलिहान में काम करने वाला एक छोटा-सा आदमी है, उसके उत्थान की बात हम कैसे कर सकते हैं और उसके मैं कई प्रारूप देना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं जैसे राजस्व की प्राप्तियों के सम्बन्ध में अभी कहा गया, राजस्व की प्राप्तियां कम होती चली जा रही हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि राजस्व की प्राप्तियां 1995–96 में 7,163 करोड़ रुपये की थी वह 1996–97 में 7,514.58 करोड़ की हो जाएंगी अर्थात् 350 करोड़ रुपये हम ज्यादा प्राप्त करेंगे। मैं रिवाइज एस्टीमेट की बात नहीं कर रहा हूं, जो दिसम्बर में होते हैं। मुझे लगता है कि श्री भाटी जी ने अभी जो फीगर्स दिये हैं वह उन्होंने रिवाइज एस्टीमेट के दिये हैं और रिवाइज एस्टीमेट हमेशा बजट के नौ महीने बाद बनता है और रिवाइज एस्टीमेट में मात्र यह देखा जाता है कि हम कहां से आये थे, कहां से चलना चाहते हैं, किस जगह खड़े हैं, और आगे हमारा ध्येय क्या है उसकी ओर हम कितना आगे बढ़े हैं ? रिवाइज एस्टीमेट के ऊपर अगर आप 1995–96 के रिवाइज एस्टीमेट और 1996–97 के बजट का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो फीगर्स निश्चित रूप से आपको फीगर्स में अलाइनमेंट मिलेगा, क्योंकि जो बजट एस्टीमेट होता है वह निश्चित रूप से रिवाइज एस्टीमेट से कम होता है। इसलिये यदि तुलनात्मक अध्ययन करें तो दोनों बजट 1995–96 और 1996–97 के बजट एस्टीमेट से करना होगा न कि रिवाइज एस्टीमेट से। इसलिये मैं यह निवेदन कर रहा था कि आज राजस्व प्राप्तियों में हम पहले से 350 करोड़ रुपये ज्यादा प्राप्त करेंगे।

कृषि के हैड में यह कहा गया है कि राज्य सरकार कृषि की चिन्ता नहीं करती। मैं मानता हूं कि 3 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान 1996–1997 के बजट में पिछले बजट की अपेक्षा कम है किन्तु उसके साथ-साथ मेरे विपक्षी सज्जन यह नहीं सोच सकते कि यह जो ग्रामीण विकास अभियोजना है यह किसके काम आती है। एक छोटा-सा आदमी, जो चमड़े का काम करता है, जो लुहार बनकर बैठा है, सारे आदमी तो खेती नहीं करते, एक आदमी तीन महीने दो बीघा में काम करता है बाकी समय अपने किसी और काम में भी लगा सकता है। इस पर हमारी सरकार 75 करोड़ रुपये खर्च करने का विचार रखती है। आखिर लाभ किसको मिलेगा ? इसका लाभ निश्चित रूप से उस किसान को मिलेगा, किसान को नहीं तो किसान के बेरोजगार बेटे को मिलेगा। उस आदमी को नहीं मिलेगा, किसान को प्रत्यक्ष रूप से नहीं मिलेगा तो निश्चित रूप से अप्रत्यक्ष प्रमुख रूप से लाभ उस किसान को ही मिलने वाला है। इसलिये यह कहा जाए

(श्री अर्जुनदास मदान)

कि आज किसान की तरफ राज्य सरकार चिन्तित नहीं है। चिन्ता ठीक है। मेरी इस जेब का पैसा अगर मेरी दूसरी जेब में आता है तो आता तो मेरी जेब में ही है किसी दूसरे की जेब में तो जाता नहीं है। चिन्ता का विषय तो तब होगा जब मेरी जेब का पैसा किसी दूसरे की जेब में जाए और वह भी गलत तरीके से जाए। इसलिये मेरा प्रतिपक्ष के बन्धुओं से यह निवेदन करना चाहूंगा कि मेरी इस बात पर थोड़ा चिन्तन करें। जैसा मैंने आपसे कहा कि तीनों प्रावधानों में हम दो में वंचित रह गये हैं। ऋण हमने लिया है लेकिन ऋण के आधार पर हम विकास को गति देना चाहते हैं। मैंने आपका राजस्व प्राप्तियों की ओर ध्यान दिलाया। कृषि के हैड पर भी आपका ध्यान दिलाया।

मान्यवर, अब मैं सामुदायिक सेवाओं की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। 1995–96 में हमने 875 करोड़ रुपये के स्थान पर इस बार 962 करोड़ रुपये खर्च करने का विचार रखा गया। 85 करोड़ रुपये हम सामुदायिक सेवाओं के ऊपर ज्यादा खर्च करना चाहते हैं। सामान्य सेवाओं के ऊपर भी हम 39 करोड़ की अपेक्षा 43 करोड़ रुपये खर्च करना चाहते हैं। मैं फीगर्स केवल इसलिए दे रहा हूं कि जो लोग यह कहते हैं कि सरकार आज चिंता नहीं कर रही है, मैंने तो पहले ही एग्जाम्पल दिया था आप पुराने बजट उठाकर देख लीजिए हमने कितना पैसा किसानों से लिया और उसको दिया कितना ? आप गांव में जाओ तो मैं यह विश्वास से कह सकता हूं कि गांव का आदमी अपेक्षाकृत आज से 20 साल पहले के रहने वाले किसान से ज्यादा सुखी है। पहले कभी मोटर साइकिल दिखती थी क्या ? कहीं ट्रैक्टर दिखता था क्या, कहीं विकास की गति दिखती थी क्या, जो आज है। उसके बावजूद भी हम अगर सूरज को देखकर सूरज नहीं कहना चाहें तो अपना उसका विचार है कि किसी आदमी को मैं मना तो नहीं सकता। अगर कोई आदमी उड़ ही जाए मेरे सामने कि साहब, कौआ सफेद होता है तो, अध्यक्ष महोदय, उसे मैं नहीं मना सकता कि वह काला होता है, क्योंकि वह तो अड़ा हुआ है कि कौआ सफेद होता है। सारे संसार में जब इसी प्रकार की बातें हैं।

मैं केवल आपके माध्यम से प्रतिपक्ष के सामने रखना चाहता हूं, मान्यवर, कि यह स्थिति, जो आज हम चिन्ता का विषय बताते हैं उतनी चिन्ता का विषय नहीं है। आखिर काम करने में कहीं-कहीं कमियां होती हैं और लोग यह कहते हैं कि हमारा जो कुछ काम हैं वह केवल नीतिगत आधार पर है। हमने नीतियों से कभी समझौता नहीं किया। जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा, उसको किया। जो आज हम कहते हैं, वह करने का प्रयास करते हैं। कथनी और करनी में कोई अन्तर नहीं है। नीति और नीयति में कोई अन्तर नहीं है जो मन में है, वह बाहर भी है इसलिए यह कोई कहे, हालांकि मुझे नहीं कहना चाहिए लेकिन मुझे दुःख है, इस बात का, कि परसों लोगों ने कहा यहां खड़े होकर, कि साहब श्री अटल बिहारीजी को धोखा दे दिया भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। जब नहीं बन सकते थे तो क्यों उन्हें प्रधान मन्त्री बनाया? मान्यवर,

(श्री अर्जुनदास मदान)

हमने किसी सिद्धान्त के साथ समझौता नहीं किया, हमने किसी घोड़े को खरीदने की कोशिश नहीं की, बाजार में बिक सकते थे, दो-पांच-दस तो मिल ही जाते, ऐसी बात नहीं है। हमने ऐसा समझौता नहीं किया कि सवेरे तो महात्मा गांधीजी की हम अगर-बत्तियां करें और शाम के टाइम यू पी. में उस + + + से समझौता करें जो गांधी को गालियां देता, जो गांधी को अपमानित और तिरस्कृत करता है, उपेक्षा की दृष्टि से देखता है। हमारा केवल एक सिद्धान्त है जो हमने बात सोची वह हम करेंगे जो कहते हैं उसको करने का पूरा-पूरा प्रयास करते हैं।

मान्यवर, इसके बाद मैं आपका ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहूंगा, जैसा मैं पहले निवेदन करता था करों में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं की लेकिन उसके उप-रान्त भी यदि आप देखें तो करों के क्षेत्र में भी राज्य सरकार ने बहुत कुछ किया है।

मैं थोड़ा-सा ध्यान आपका स्वास्थ्य की ओर भी ले जाना चाहूंगा। मान्यवर, केवल आठ हजार उप केन्द्र थे 1994 से 95 तक इस पूरे राजस्थान में। हमारी सरकार ने घोषणा की कि पंचायत हैड क्वार्टर के ऊपर किसी न किसी तरह का उप स्वास्थ्य केन्द्र बनेगा ताकि ग्रामीण जनता को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल सके। यह हमारी एक घोषणा थी लेकिन आज आप कल्पना कीजिये कि 1994 से लेकर 1995 तक केवल आठ हजार उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले गये और पिछली बार के बजट में 700 उप-स्वास्थ्य केन्द्र खोले गये। इस बार के बजट में फिर सात सौ उप-स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का विचार सरकारर खती है और मुझे ऐसी भी कल्पना है कि कइयों के तो निर्माण के संबंध में विचार कर अन्तिम निर्णय भी लिया जाने वाला है अर्थात् अगर आप 1995 तक उन आठ हजार का बाइफरकेशन करें तो, अध्यक्ष महोदय, एक साल में केवल उप-स्वास्थ्य केंद्र 175 राजस्थान में खोले और हमारी सर-कार में औसत आया 700। अब मैं यह कहता हूं कि जहां 175 खोले वहां 700 खुलें और फिर भी यह कहा जाए कि राज्य के साधारण आदमी के प्रति हम चिन्तित नहीं हैं। अभी श्री भाटी साहब कह रहे थे कि साहब, आजकल दो हजार डॉक्टर बेकार हैं; एम्प्लायमेंट एक्सचेंज की फीगर है। एम्प्लायमेंट एक्सचेंज की फीगर में दो हजार डॉक्टर बेकार होंगे। मैं तो यहां तक कहता हूं कि मेरी स्वास्थ्य मन्त्री महोदय से भी बात हुई थी और मैंने उनसे निवेदन किया तो वह कहने लगे कि हमको डॉक्टर मिलते ही नहीं हैं। तो मैं भाटी साहब से निवेदन करूंगा कि इन दो हजार डॉक्टर्स की लिस्ट इनके पास है, कृपया, श्री राजेन्द्रसिंह राठौड़ के पास भेज दें ताकि कम से कम हमको लोग मिल तो जाएं। कभी-कभी आप यह मत सोचिये कि एम्प्लायमेंट एक्सचेंज की फीगर सही होती है। आज मैं बेरोजगारी में अपना नाम लिखा सकता हूं। मान लीजिये मैं डॉक्टरी करता हूं और मै इसलिये नहीं जाता एम्प्लायमेंट एक्सचेंज में नाम लिखाने कि मुझे नौकरी मिले। मैं इसलिये एम्प्लाय-मेंट एक्सचेंज में अपना नाम लिखाने जाता

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री अर्जुनदास मदान)

हूं कि मुझे अच्छी नौकरी मिले, कम्परेटिवली फ्रस्ट्रेशन समाज का कम हो इसलिये आदमी सोचता है कि आज जो मैं हूं उससे आगे कहीं बढ़ूं अगर मुझे यहां जितनी तनख्वाह मिल रही है तो उससे ज्यादा तनख्वाह मिले तो जितने एम्प्लायमेंट एक्सचेंज में नाम हैं वह सारे के सारे लोग बेरोजगार हैं। अगर ऐसी कल्पना श्री भाटीजी करके चलते हों, तो मेरा निवेदन है कि उसमें वह सुधार कर लें। कोई,डॉक्टर बेरोजगार नहीं है। पिछली बार दो हजार डॉक्टरों की भर्ती हुई हमारी सरकार में। कब की, किसने की, कब हुई? राजस्थान में 1200 के करीब ए.एन.एम्स. भर्ती की गयीं लेकिन यह थोड़े ही है कि चिन्ता का विषय नहीं है। आखिर मैं अहसान भी नहीं मानता सरकार का। मैं चुन कर आया हूं चाहे माननीय श्री भैरोंसिंहजी चुनकर आये हैं या प्रतिपक्ष के नेता चुनकर आये हैं, हमारा नैतिक उत्तरदायित्व है, हम किन्हीं जिम्मेदारियों के साथ भेजे गये हैं इस सदन में। उन नैतिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने के लिये निश्चित रूप से हर आदमी को सजग रहना पड़ेगा। हम किसी के ऊपर अहसान नहीं करते। जो कुछ हम जनता के लिये करते हैं, वह हमारे से अपेक्षित है, हमें करना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो हमें करना पड़ेगा, समाज हमको सिखायेगा कि तुम क्यों नहीं करते हो ?

अध्यक्ष महोदय, अब मैं हेल्थ के बाद शिक्षा के विषय पर भी मैं आपका थोड़ा-सा ध्यान आकर्षित करूंगा।

श्री अध्यक्ष : अब आप थोड़ा संक्षिप्त करें।

श्री अर्जुनदास मदान : संक्षिप्त तो मैं कर दूं, मान्यवर, लेकिन मुझे समाज के आदमियों के ऊपर मुझे अफसोस है कि टेल पर आते-आते पानी की धारा बहुत कम हो जाती है और होता क्या है, मैं निवेदन करता हूं कि एक तो दुर्भाग्य से हमारा नाम टेल पर आता है और पानी का प्रवाह जब चलता है टेल पर आते-आते धीरे-धीरे पानी खत्म हो जाता है खैर, मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा ...

श्री अध्यक्ष : बोलिये आप।

श्री अर्जुनदास मदान : यह आपका आदेश है, निश्चित रूप से दो मिनट में समाप्त करता हूं मसाला तो मेरे पास बहुत है लेकिन अब आपका आदेश है तो मैं उसे.... (व्यवधान)

श्री पूनमचन्द विश्नोई : जब आप कह रहे हैं कि अच्छी तरह से बोल रहे हैं तो बोलने दें।

श्री अर्जुनदास मदान : मान्यवर, अब मैं शिक्षा के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं। हमने 1996–97 में इसके ऊपर 1427 करोड़ निर्धारित किया है जो कि 1995-96 में 1228 करोड़ था अर्थात् 180 करोड़ रुपये हम ज्यादा खर्च करने की बात कर रहे हैं फिर भी शिक्षा के क्षेत्र में लोगों ने कहा कि 'भामाशाह योजना' को समाप्त कर देना चाहिये, क्यों कर देना चाहिये ? यदि

(श्री अर्जुनदास मदान)

कोई आदमी पैसा लगाता है शिक्षा के क्षेत्र में तो हमें दान लेने में, दान तो आदमी को तब नहीं मानना चाहिये जब अपने लिये मांग रहा हो जब दूसरों के लिए आदमी दान मांग रहा हो, समाज के लिये मांग रहा है, समाज के जीवन को उन्नत करने के लिये यदि कोई मांग रहा है तो उसमें किस बात का अपमान है, इसमें किसी बात का अपमान नहीं है, क्योंकि मैं आपसे निवेदन करता, पिछली बार भी मैंने कहा था, फिर निवेदन कर रहा हूं कि भरतजी महाराज जा रहे थे चित्रकूट पर भगवान राम को मनाने के लिये और जब वे प्रयागराज में पहुंचे तो उन्होंने यही कहा कि—

"मांगऊ भीख त्यागि निज धरमू ।
आरत काह न करई कुकरमू ।।

हे प्रयागराज, मैं क्षत्रिय हूं दान देना मेरा काम है, दान लेना मेरा धर्म नहीं है लेकिन; चूंकि मैं आरत हूं, दु:खी हूं, परिस्थितिवश हूं इसलिए दान मांग रहा हूं । आज समाज की परिस्थिति हमको चिन्तित करती है और कहती है कि तुम समाज के लिये मांगो तो हमें क्यों नहीं मांगना चाहिये और मिलता है तो उसका उपयोग समाज के लिये करना चाहिये । इसलिये यह कहना कि साहब, 'भामाशाह योजना' को समाप्त कर दो, वह मैं उचित नहीं समझता, इसके पीछे तर्क भी तो होना चाहिये । यही मैंने आपसे कहा ।

अब सामाजिक सामुदायिक सेवाओं के ऊपर हम 30 प्रतिशत खर्च करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर 22 प्रतिशत, इर्रिगेशन के ऊपर 14.25 प्रतिशत, रूरल डवलपमेंट के ऊपर 10 प्रतिशत । हम चाहते हैं कि वह खेत या धरती जो प्यासी है उन खेतों को पानी मिले वह मजदूर, जो आज तपतपाती धूप में काम करता है उसको तन ढाकने के लिए कपड़ा मिले उसको इतनी रोजी-रोटी मिले जो अपने बाल बच्चों के साथ शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत कर सके । इसी ध्येय के साथ भारतीय जनता पार्टी और विशेषकर हमारे प्रान्त का बजट आप लोगों के सामने रखने का प्रयास किया है हमारे मुख्य मंत्रीजी ने । ... (व्यवधान) श्री भैरोंसिहजी शेखावत के मैं गीत नहीं गाता, आप ऐसा नहीं सोचें । आप आज कहते हो मितव्ययिता नहीं बरत रहे हैं इससे ज्यादा मितव्ययिता आप क्या चाहते हैं कि हमारे मुख्य मंत्रीजी मंत्रिमण्डल का विस्तार ही नहीं कर रहे हैं, इससे ज्यादा मितव्ययिता का कोई आधार हो सकता है क्या ? जहां से आप बचा सकते हो, जहां से आपको कुछ पैसा मिल सकता हो बचत कर सकते हो, तो आप बचाओ । मैं अपने लिये नहीं कह रहा हूं, न मैं हूं, न मैं बनूंगा और न बनना चाहता हूं मैं एक और निवेदन करूं लेकिन मैं इनको कहता हूं कि यह तो आप मानेंगे कि कर बढ़ा नहीं रहे अगर संग्रहण प्रणाली हमारी उचित नहीं होती (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : कुछ मंत्री आपको कम करने चाहिये ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अगर इनमें से कटौती कर दी जाए । एक मुख्य मंत्रीजी ही काम चला लें तो कैसा रहे, पूरी बचत हो जाएगी .. (व्यवधान)

श्री अर्जुनदास मदान : वह ठीक है वह तो उनके लिये जो कहते थे वह बात तो एक अलग है....(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : नहीं, मैं तो बचत के लिए कह रहा हूं।

श्री अर्जुनदास मदान : अब मैं थोड़ा सा निवेदन श्री भामड़ाजी के विभाग के सम्बन्ध में भी करना अपना कर्तव्य समझता हूं, क्योंकि मैंने अपनी जिन्दगी के साढ़े छब्बीस साल उद्योगों में काटे हैं इसलिये मैं थोड़ा-सा उसके बारे में भी निवेदन करूंगा।

मान्यवर, सबसे पहली औद्योगिक नीति हमने 1978 में लागू की, 1978 के बाद फिर 1990 में हमारी दूसरी औद्योगिक नीति बनी और 1994 में हमने तीसरी औद्योगिक नीति की घोषणा की तथा उसका प्रतिपादन किया। 1994 से लेकर 1996 तक मैं यह निवेदन करता हूं कि जो औद्योगिक ज्ञापन होते हैं, जिनको अपन आई. ई. एमोज कहते हैं, वह देश में जितने प्रान्त हैं उनमें हमको 53 प्रतिशत अधिक हुआ और आज केवल इस तरह से हमारे प्रान्तों में हमारे समूचे देश में, हमारा चौथा स्थान है। मात्र तीन ही प्रान्त ऐसे हैं, गुजरात, आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु ही हमसे आगे हैं। बाकी कई प्रान्त तो हमसे पीछे सरक गये। पश्चिम बंगाल हमसे पीछे हो गया, यू. पी. हमसे पीछे चला गया, मध्य प्रदेश हमसे पीछे चला गया और मैं निवेदन करता हूं कि अगर यह स्थिति नहीं होती तो आकर्षित करने के लिये, आदमी आकर्षित होता है तो किसी चीज को देखकर होता है। ऐसा नहीं होता है कि आदमी के पास कोई कशिश न हो फिर कोई आदमी उसके पास चला जाए। इसलिये मैं यह निवेदन कर रहा था कि उस नीति का प्रतिफल भी हमको मिला है और इसी से आप अन्दाज लगा सकते हैं कि 1989-90 में जितना इन्वेस्टमेंट था 1994-96 में उसका चार सौ गुना बढ़ गया है। यनि 11,117 करोड़ की पूंजी आज मध्यम और वृहद् उद्योगों में लगी हुई है। इसी तरह से विनियोजन भी हमारा 64 प्रतिशत बढ़ा है। विनियोजन में आज हमारा सातवां स्थान है। औद्योगिकीकरण की पुरानी किताबों को देखें तो कहां हम खड़े थे और कहां हम आज पहुंच गये हैं।

इसी प्रकार निर्यात की दृष्टि से यदि हम देखें तो शत-प्रतिशत उत्पादन करने वाली निर्यात की इण्डस्ट्रीज में भी आज हमारा सातवां स्थान है। निर्यात की दृष्टि से 1990–91 में केवल 422 करोड़ रुपये का निर्यात इस प्रान्त से हुआ था जो बढ़कर 1994–95 में 2822 करोड़ रुपया हो गया जो 1993–94 की अपेक्षा सौ प्रतिशत ज्यादा तथा दुगुना है। यह सारी चीज मैं आपको केवल इसलिये निवेदन कर रहा था कि हो सकता है हमारी गति धीमी हो। प्रतिपक्ष के लोग यह कह रहे हैं लेकिन मैं इतना ही कह सकता हूं कि खरगोश और कछुआ साथ-साथ भागे थे लेकिन जीता तो कछुआ ही था, क्योंकि आज हमारा आत्मविश्वास हमारे ऊपर है। यदि उसके ऊपर सोचें, मनन करें तो उसका कारण केवल इतना है कि निरन्तरता यदि है, ध्येय दृष्टि यदि साथ है और कर्मशीलता में यदि कहीं अवरोध पैदा नहीं होते तो कोई कारण नहीं

(श्री अर्जुनदास मदान)

कि आदमी जिस दिशा की ओर बढ़ेगा उसको दिशा की प्राप्ति नहीं होगी और मुझे विश्वास है कि जिस दिशा में हम बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं उसमें हम निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे।

इसी सम्बन्ध में मेरे बजट के ऊपर दो-चार सुझाव हैं जो मैं आपके माध्यम से सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं। एक तो मैं यह चाहूंगा कि जीरो बजटिंग सिस्टम आया है जो बारह विभागों में है भी सही और यह फैक्ट्रियों में लागू होता है। जीरो बजटिंग सिस्टम यह होता है कि आज आप जीरो मानकर के यहां से प्रस्थान करें, कोई आपकी नीति नहीं, कोई पैसा नहीं तो जीरो बजटिंग में आपको दिशा मिलती है कि हम कहां गलत जगह पर पैसा खर्च कर रहे हैं। कितने लोग अनुपयोगी हैं जो तनख्वाहें तो उठा रहे हैं और काम नहीं कर रहे हैं। यह सारा जीरो बजटिंग से होता है और इसका लाभ, मुझे विश्वास है कि जिन 12 विभागों में लागू किया गया है सरकार ने, उनमें मिला ही होगा। उचित होगा कि सारे अन्य विभागों में भी इसे लागू किया जाए।

राजकीय व्यय पर कड़ा नियंत्रण होना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, अभी क्या हो रहा है कि बड़े-बड़े अधिकारियों को हमारी सरकार गाड़ी दे देती है और 150-200 रुपया उनसे वसूल करती है। मैं उनका विरोधी नहीं हूं। यह मत मानिये कि मेरे को किसी से द्वेष भाव है या मन में किसी प्रकार के पूर्वाग्रह हैं, ऐसी बात नहीं है। मेरा निवेदन यह है कि 150 रुपया आप उस आदमी से लेते हैं और आने-जाने के लिए ड्राइवर से कहते हैं कि घर से आएगा और वापस जाएगा। 150 रुपये उस अधिकारी से, उच्च अधिकारी से ले लेते हैं। वह दो बार जाता है या तीन बार जाता है कोई चिन्ता का विषय नहीं है। आज अगर 150 रुपये देकर के वह आदमी दो-तीन-चार बार आता जाता है, गाड़ी भी आपकी है तो उसके लिए सुझाव बनाइये। बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियों में मैंने यह देखा है कि गाड़ी खरीदकर अधिकारी को दे दी जाती है और यह तय कर दिया जाता है कि आपको पौने दो सौ लीटर हर महिने पैट्रोल मिलेगा। आप इसमें से बचाओ या आपके जंचे तो ज्यादा खर्च करो। अब एक-एक गाडी की मेंटिनेंस, उसमें मेंटिनेंस की कोस्ट भी जो तय होती हजार या डेढ़ हजार रुपये महीना तय हो जाती है। मैं तो यह निवेदन करूंगा कि इसके ऊपर नियंत्रण हो। वाहनों के ऊपर आज राज्य सरकार कितना खर्चा कर रही है। आज टेलीफोन की एस.टी.डी. कहां बात होती है, न जाने कहां-कहां चर्चाएं, परिचर्चाएं होती हैं और खर्चा सारा हमारे खातों में आता है। इसके ऊपर भी थोड़ा नियंत्रण होना चाहिये। यह मेरा दूसरा सुझाव है।

तीसरा है कि जितने भी निगम उपक्रम हैं यह घाटे का बजट बनाते हैं इस पर भी थोड़ा चिन्तन और मंथन होना चाहिये।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटे बढ़ाया जाय।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की सहमति है ?

(स्वीकृत)

सदन का समय एक घंटा बढ़ाया गया।

आय-व्ययक (1996-97) पर सामान्य वाद-विवाद

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : हमने हां इसलिये की है कि इससे आगे नहीं बढ़ाएं।

श्री अध्यक्ष : आप फरमाएंगे तो बढ़ाएंगे नहीं तो नहीं।

श्री अर्जुनदास मदान : अध्यक्ष महोदय, मैं एक और निवेदन करता हूं अभी थोड़े दिन पहले देश के वित्त मंत्री श्री चिदम्बरम जी ने घोषणा की है और मैं उससे कायल हूं। मैं यह मानता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छा किया है। सैलेरी के फ्रीजिंग की बात तो मैं नहीं करता कि साहब इस गति को रोक दिया जाए और उसके ऊपर संयुक्त सरकार में काफी झगड़े भी हुए हैं और उसको बदल भी दिया। लेकिन एक चीज उन्होंने बहुत अच्छी कही। अभी तक क्या है कि सारी की सारी जिम्मेदारी आपने हैड आफ दी डिपार्टमेंट के ऊपर डाल रखी है। मैं तो यह कहूंगा कि जितने भी आर्थिक दृष्टि से जो सुझाव हैं या नियंत्रणकर्ता हैं या सलाहकार हैं, उनको भी आप उत्तरदायी ठहराएं। उन्होंने यह कहा है कि आज एक अधिकारी नहीं टिक पाता है क्योंकि उच्च अधिकारी कहता है कि नयी गाड़ी आएगी, पुरानी बेची जाएगी और नयी आएगी या एक नयी आलमारी आएगी इस दफ्तर में।

आपका जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उसको समानान्तर अधिकार अगर आर्थिक दृष्टि से दे देंगे और उनको इस दृष्टि से आप इतना स्वावलम्बी बनाएं कि अगर वह यह कहें कि गलत है तो वह गलत है ही उसका निर्णय फिर हैड आफ डिपार्टमेंट ना करें। उसका निर्णय जाना चाहिये किसी उच्च अधिकारी के पास। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा आपने अधिकार दे दिये उस आदमी को तो वह भी कुछ नियंत्रण रख पाएगा और उससे पैसा निश्चित रूप से बचेगा। ऐसी मेरी मान्यता है।

अन्त में, मैं इतना निवेदन आपसे करूंगा कि माननीय राजेन्द्र जी राठौड़ साहब के मन में भी होगा कि जितनी भी गुणवत्ती सेवाएं हैं उन पर शुल्क लगाया जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। हो सकता है आप इसको न मानें। किसी के पास पैसा है वह बैंक में जाता है, हास्पिटल में जाता है, दस रुपये देकर के किसी डाक्टर को दिखा देता है और एक आदमी गरीब है वह दूसरी लाइन में लगता है। जो लोग दे सकते हैं, जो थोड़ा-सा पैसा अपनी जेब से निकालकर के बेहतर फैसेलिटीज अबेल

(श्री अर्जुनदास मदान)

करना चाहते हैं उनके लिये मेरा यह सुझाव है कि ऐसा शुल्क देकर ऐसी सेवाओं को प्राप्त करने के लिये उस व्यक्ति विशेष को अधिकृत कर देना चाहिये जिसके पास पैसा है और जो पैसा आये उसे उसी संस्था विशेष के विकास में, उसकी प्रगति में खर्च करें।

इन तीन-चार सुझावों के साथ आपने मुझे समय दिया। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री कोगटा जी! (अनुपस्थित)

श्री शिवनाथ सिंह : अध्यक्ष जी, समय तो हमारे लिये बढ़ा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री दलजीत सिंह जी।

श्री परसादी लाल मीणा (लालसोट) : अध्यक्ष महोदय, अभी महिलाओं पर जो लाठी चार्ज हुआ था उसके सम्बन्ध में डिप्टी सी. एम साहब ने कहा था जानकारी मंगवायी गयी है, जानकारी आते ही हाउस को दे दी जाएगी। वह जानकारी आ गयी होगी। आप हाउस को जानकारी दें।

श्री हरिशंकर भामड़ा (उप मुख्य मंत्री) : वह जानकारी जो आयी है वह आपके सभी माननीय सदस्यों को मैंने व्यक्तिगत रूप से दे दी। वहां कुछ नहीं हुआ। महिलाओं का एक जुलूस आया और शायद उनमें से किसी के पास कैंची थी। उन्होंने जो रस्सी लगी हुई थी उस रस्सी को काटा और काटकर दरवाजे पर आकर, उनके पास डंडे थे, उन डंडों से उन्होंने दरवाजे को खटखटाया। वहां जो महिला पुलिस थी उन्होंने उनको पीछे किया।

श्री शैलेन्द्र जोशी : ग्यारसीलाल नाम के कांस्टेबल ने अरूणा स्वामी, जो महिला कांग्रेस की अध्यक्ष थी, उसको लाठी मारी और उसको बुरी तरह पीटा।

श्री हरिशंकर भामड़ा : आप जो चाहे वह कहें। यह हुआ है बाकी राजनीति में आपकी मर्जी आये जैसा कहें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ और यह बात .. (व्यवधान)....

श्री शैलेन्द्र जोशी : महिला कांग्रेस की जो अरूणा स्वामी है, उनके ऊपर लाठी का प्रहार किया और निर्ममता से उनको मारा और उनको बचाने के लिये दो महिलाएं गयीं उनको भी मारा। प्रदेश महिला कांग्रेस का जो प्रदर्शन हुआ उस पर लाठी प्रहार किया... (व्यवधान)....

श्री हरिशंकर भामड़ा :... (व्यवधान)... और श्रीमती बीना जी काक ने सबको बता दिया....

श्री शैलेन्द्र जोशी : यह किया और आपके दरवाजे पर किया और इस तरह पुलिस की गलतबयानी मंत्री महोदय कह रहे हैं, यह निरर्थक है। सरासर गलत है।

श्री हरिशंकर भामड़ा : कोई लाठी चार्ज नहीं हुआ। किसी प्रकार का बल प्रयोग नहीं हुआ। विधान सभा परिसर में

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

उन महिलाओं को जबरन घुसने से रोका गया और उनका एक घंटे तक भाषण सुना है और सबके भाषण सुने हैं।

श्री परसादी लाल मीणा : आप गये थे क्या नीचे ?... (व्यवधान)

श्री हरिशंकर भाभड़ा : मैं ऊपर से सुन रहा था। भाषण में एक वक्ता भी नहीं बोला कि लाठी चार्ज हुआ है।

श्री शैलेन्द्र जोशी : श्रीमान मैंने देखा है ग्यारसीलाल नामक कांस्टेबल ने लाठी मारी।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : इसलिये आप मेहरबानी करके... (व्यवधान) ...

श्री शैलेन्द्र जोशी : और पुलिस कर्मियों ने महिला को धकेला, बहुत बुरी तरह घसीटा इस गेट पर, मुख्य द्वार पर। यह भारतीय जनता पार्टी के शासन...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विराजें, विराजें आप।

श्री शैलेन्द्र जोशी : यह भारतीय जनता पार्टी के शासन में महिलाओं के साथ अत्याचार किया... (व्यवधान) ... क्योंकि प्रदर्शन करने वाली महिलाएं जिन्होंने नारी की अस्मियता को बनाये रखने के लिये प्रदर्शन किया उनके साथ इस तरह की ज्यादती होती है यह सरासर अन्याय है, इसकी जांच की जानी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : विराजे, विराजें।

श्री हरिसिंह (महुआ) : लाठी चार्ज तो हुआ है।.... (व्यवधान)....

श्री शैलेन्द्र जोशी : मैं खुद आई विटनेस हूं, मैंने देखा है। मैं खुद आई विटनेस हूं मैंने देखा है..... (व्यवधान).... इसलिये, अध्यक्ष महोदय, मैं आपको कह रहा हूं।

श्री हरिसिंह (महुआ) : लाठी चार्ज तो हुआ है, महिला पुलिस ने नहीं, पुरूष पुलिस किया है.... (व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : विराजें आप।

श्री परसादी लाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, पुरूष पुलिस ने उन पर लाठी चार्ज किया है।....

(18.00)

श्री अध्यक्ष : श्री दलजीत सिंह।

श्री दलजीत सिंह (बाड़ी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्री महोदय ने अपने बजट भाषण में कहा है कि मैं राजस्थान को एक विकसित राज्य के रूप में देखना चाहता हूं। जिसमें 2001 ईस्वी तक कोई निरक्षर नहीं हो, स्कूल में जाने वाली आयु के बच्चे स्कूल में जाते हो, कोई गांव में बिना बिजली के नहीं हो, हर व्यक्ति को पूरी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो, सभी को पीने का पानी मिले आदि-आदि। बढ़ता विनियोग तथा तेजी से हो रहा विकास मेरे इस विश्वास का जनक है। माननीय अध्यक्ष

(श्री दलजीत सिंह)

महोदय, अंग्रेजी में एक कहावत है कि—"The dreams of a dreamer, if they are converted into reality, makes a statesman and dreams, if they are impractical, leads to a nightmare :

इन आंकड़ों के अनुसार जिस तरीके से बजट डेफिसिट साल प्रति साल बढ़ता जा रहा है कहीं ऐसा नहीं हो कि राजस्थान एक डेट, ट्रेप में फंस जाए। पिछले पांच सालों के अन्दर 1991-92 में जहां बजट सरप्लस और रेवेन्यू बजट सरप्लस 184 करोड़ था। आज 1133 करोड़ का डेफिसिट है। यह 13 गुना बढ़ोतरी डेफिसिट में हुई है। फर्स्ट स्टेट फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर यह बजट डेफिसिट 2332 करोड़ तक पहुंच सकता है। इनका कहना है कि— "The financial condition of the State in 1991-92 was sound, its actual revenue and budgetary surplus were 48 croroes and 136 respectively."

इसका मतलब यह रहा कि जब यह राज्य सरकार आयी है तब स्टेट की स्थिति अच्छी थी, एक सरप्लस था। पांच सालों के अन्दर यह स्थिति 13 गुना डेफिसिट में जा रही है। यह भी कहते हैं कि—"It is apparent from the above analysis that the adverse revenue deficit has seriously affected the State's ability to finance its plan activities from its own resources. Hence the Stat Government has to borrow not only to fund its plan but also to meet its revenue deficit. Mounting deficit if not arrested is likely to lead to State finances to the brink of the debt trap. The State will get into a vicious circle of borrowing to meet unproductive revenue expenditures which will further accentuate its debt servicing liability and thereby the revenue deficit."

इससे जाहिर होता है कि यह जो सपने हम देख रहे हैं क्या हम इनको फाइनेंस कर सकते हैं। ये सपने जो हम चाहते हैं क्या उसके लिये हमारे पास पैसा है? जब हमारे पास पैसा नहीं है तो उन सपनों को हम देख क्यों रहे हैं? उन सपनों को पूरा क्यों नहीं करते हैं? जो हमारा इन्फ्रास्ट्रक्चर है, जो पहले स्कूल्स थे, जो पहले बिजली का उत्पादन हुआ है, पहले आपने इलेक्ट्रीसिटी में जो बढ़ोतरी की है उनको जाकर मजबूत क्यों नहीं करते हैं। उनको तो हम भूलते चले जा रहे हैं और नये-नये स्कूल्स, नये-नये कनेक्शन्स, नये-नये पोल्स खड़े करते जा रहे हैं। पुराने वाले तो गिरते जा रहे हैं। स्कूलों में टीचर्स नहीं हैं, पढ़ाई के लिये और नये स्कूल्स खोल रहे हैं। उससे क्या डेफिसिट बढ़ेगा नहीं? अध्यक्ष महोदय, किसी डेफिसिट को इल्लीगल या कोई से मैथड से पूरा किया जाऐ तो बरदाश्त नहीं होता है। इसका एक उदाहरण देना चाहता हूं। धौलपुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर जिलों में जिस तरह से खनिज विभाग रॉयल्टी वसूल कर रहा है वह टोटली इल्लीगल है और टोटली कोहेसिव है। इल्लीगल यूं है, चाहे लीगल माइनिंग हो चाहे इल्लीगल माइनिंग हो, दोनों से बराबर रॉयल्टी ली जा रही है।

(श्री दलजीत सिंह)

जबकि कानून के अनुसार जिसके पास पट्टा नहीं है, तो वह खनिज नहीं कर सकता है। जो आदमी खनिज नहीं कर सकता है उससे 10 गुना रायल्टी वसूल की जाती है। दुर्भाग्य की बात है कि मैं क्वेश्चन क्यू पर उस दिन मैं अन्तर नहीं कर पाया। उसमें राज्य सरकार ने कहा है कि पिछले साल 95 लाख रुपये रायल्टी के आधार पर वसूल किये गये थे।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि लीगल माइनिंग से जो रायल्टी वसूल की गई थी वह केवल 40 लाख रुपये से अधिक नहीं थी। 55 लाख रुपया इल्लीगल माइनिंग से वसूल किया गया। जिसके ऊपर 10 गुना रायल्टी लगनी चाहिये थी, स्टेट ट्रेजरी को साढ़े पांच करोड़ रुपयों का नुकसान हुआ है। इसके अलावा बिना बिल के वाहन सेल्स टैक्स बेरियर के यूं जाते हैं जाते हैं उनसे एक गुना सेल्स टैक्स वसूल किया जाता है तो फिर रजिस्टर्ड फर्म और अन रजिस्टर्ड फर्म का मतलब क्या है। यह जो माइन्स का कानून है इसका फायदा क्या है। जब इल्लीगल माइनिंग और इल्लीगल वाहन जा सकते हैं सेल्स टैक्स केवल एक गुना देकर। फिर क्या नाटक है कि जो हमने नयी खनिज नीतियां चालू कर दी हैं।

वाणिज्य के अन्दर हमने ऐसी–ऐसी उपलब्धियां की हैं, जबकि चार गुना सेल्स टैक्स उन पर लगना चाहिये और जिसके पास बिल नहीं है उसके वाहन कैसे पास हो रहे हैं, केवल रेवेन्यू बढ़ाने के लिये। मैं इसको सराहनीय मानता हूं कि जो आपने ठेके दिये हैं पैसा वसूल करने के लिये, रायल्टी वसूल करने के लिये और इस इल्लीगल माइनिंग को रोकने के लिये। वास्तविक जगह में इसके साथ-साथ इल्लीगल माइनिंग रोकने के ठेके खोले हैं उसकी जगह दस गुना रायल्टी वसूल करते तो आज रेवेन्यू में 10 करोड़ रुपया साल का आता। इसके अलावा बाकी बातें माइनिंग के बारे में डिमाण्ड के ऊपर कहूंगा। केवल एक पोल बताना चाह रहा था आपको कि किस तरह से इल्लीगल कोहेसिव मैथड्स इस्तेमाल किये जा रहे हैं।

दूसरी बात मिसाल के लिये, अध्यक्ष महोदय, यह देश आंकड़ों से भरपूर है। जो कुछ भी होता है, आंकड़े दिखाये जाते हैं, आंकड़े समझाये जाते हैं। वह आंकड़े हकीकत में हैं कि नहीं हैं कोई देखता नहीं हैं। इसके अलावा किसी बजट को पूरा करने के लिये टार्गेट सैट किये जाते हैं और टार्गेट सैट करने के लिये जैसे पुराने जमाने में महाराज लोग जाकर अपनी चौथ वसूल करते थे और अपने लम्बरदारों को कहते थे कि मुझे इतना पैसा चाहिये तो वही चीज आज की तारीख में हो रही है। इसका उदाहरण अब मैं आपके माध्यम से यह दिखाना चाहता हूं। यह बिल्स हैं बिजली विभाग के। एक गांव का उदाहरण दे रहा हूं। उस गांव के अन्दर नवम्बर के महीने में उनका ट्रांसफार्मर खराब हुआ। वह ट्रांसफार्मर बिजली विभाग वाले उस गांव से उठाकर ले गये। 6 महीने से उस गांव के अन्दर कोई ट्रांसफार्मर नहीं है पर बिजली विभाग ने जो टार्गेट दे रखा है, ए. ईएन. और एक्स. ईएन. को आज तक उन गरीब ग्रामीणों से पैसा वसूल किया जा रहा है और बिल पहुंच

(श्री दलजीत सिंह)

रहे हैं। यह एक गांव की बात कह रहा हूं भगवान जाने कितने गांव ऐसे होंगे जिनमें फर्जी बिल घर बैठे-बैठे काटे जा रहे हैं। और जब मांगने गये कि साहब हमें ट्रांसफार्मर दे दिये जायें हमारे गांवों के लिये तो कहा गया कि आप बिल का भुगतान करिये। आप बिल का भुगतान नहीं करोगे तो आपको बिजली उपलब्ध नहीं होगी। काहे को किसानों की बात करते हो और काहे को गरीबों की बात करते हो ? मैं दोष मन्त्रीजी के ऊपर नहीं लगा रहा, यह अधिकारियों के ऊपर हैं। यह लापरवाही है, यह सरेआम लापरवाही है। धौलपुर और भरतपुर जिले के लिये कहा जा रहा है कि वहां पर बिजली की चोरी होती है इसलिये वहां ठेकेदार नियुक्त किये जाए। बिजली के बिल वसूल करने के लिये ठेके पर दे दीजिए जाएं। क्या हम चोर हैं ? इससे साबित होता है कि हम चोर नहीं हैं, अधिकारी चोर हैं।

अध्यक्ष महोदय, इस राज्य में यह जो प्रोग्रेस हो रही है उससे क्या हर जिले को अपना हक मिल रहा है ? क्या इक्वल प्रोग्रेस हो रही है ? मैं तो इस बात को मानने के लिये तैयार नहीं हूं। एक उदाहरण के रूप में, अपने जिले को लेते हुए, शिक्षा में यह लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट है। वार्षिक प्रतिवेदन 1993-94 है। इसमें एक व्यक्ति डूंगरपुर का चुना गया है तथा धौलपुर से चार व्यक्ति चुने गये हैं। और जिलों में 53, 54, 153 इसका मतलब क्या है ? मतलब यह है कि शिक्षा के क्षेत्र में धौलपुर जिला इतना पिछड़ा हुआ है और इसके बावजूद कारण क्या है कि वहां पर उच्च शिक्षा के नाम पर कोई चीज प्राप्त नहीं हुई है। मैं दावे से कहता हूं कि पिछले महाराज के टाइम में धौलपुर राज में एक कानून था कि कोई भी बी. ए. करेगा तो वह स्टेट से बाहर निकाल दिया जाएगा। कोई आदमी पढ़ा-लिखा नहीं होना चाहिये। उस स्टेट के टाइम से और आज के टाइम तक धौलपुर में कौनसा परिवर्तन हुआ है ? एक मात्र कालेज है। मैं दावे से कहता हूं कि धौलपुर में से गिने-चुने दो या तीन आर. ए. एस. होंगे। एक आर. पी. एस. नहीं है। आई. पी. एस. और आई. ए. एस. की बात ही छोड़िये। कहां से शिक्षा प्राप्त करें। इस बजट में आप नीमकाथाना में एक महाविद्यालय खोल रहे हो। जबकि सीकर में छह कालेजेज उपलब्ध हैं और धौलपुर में सिर्फ एक है। वहां पर यह एक मांग है। आज की मांग नहीं है पिछले 30 साल से निरन्तर मांग की जा रही है कि एक और कालेज खोल दिया जाए। लेकिन नहीं, वहां जाकर खोला जा रहा है जहां पर छह कालेज उपलब्ध हैं। लोक सेवा आयोग में सीकर से 53 लोग चुने गये हैं, धौलपुर से चार और डूंगरपुर से एक। इसका मतलब क्या है ? यह क्या इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है ? मैं समझता हूं कि यह न्याय नहीं है। यह सरेआम अन्याय है। धौलपुर जिले की बयाना कांस्टीट्यूएंसी पिछले तीस साल से एक एस सी की सीट रही है। एस. सी. की सीट का मतलब यह है, राजस्थान में केवल तीन या चार होंगी। वहां पर बाकी राजस्थान के मुकाबले में एस. सी. के अधिकाधिक लोग हैं। वह आगे बढ़ेंगे क्या ? वहां पर एस.सी. की सीट बनाने का फायदा क्या रहा है ? एजुकेशन में मैं इतना जरूर

(श्री दलजीत सिंह)

कहना चाहता हूं कि वह डांग क्षेत्र है। टीचर्स जाते नहीं हैं। मिडिल स्कूल में जहां कम से कम आठ टीचर्स होने चाहिये वहां दो या तीन से अधिक नहीं हैं तो नये-नये स्कूल खोलने से फायदा क्या है? मेरा पर्सनल सुझाव है कि जो राज्य में पुराने स्कूल है उनमें टीचर्स की पूर्ति करो। जिनमें बिल्डिंग्स नहीं हैं उनमें बिल्डिंग्स खड़ी करो। जो आपने नींव लगायी है उस नींव को मजबूत करो। नये-नये स्कूल खोलने से, नया–नया पैसा लगाने और पुरानी किसी चीज पर पैसा नहीं देना, यह प्रोग्रेस नहीं है। बल्कि इस राज्य को आप 20 साल पीछे लेकर जा रहे हैं, आगे नहीं। आपकी जेब में पैसा नहीं है तो आप कौन–कौनसी दुकानों में शोपिंग के लिये जा रहे हो? पैसा हो, तो खर्च कीजिये। पैसा नहीं हो तो कंजूसी से खर्च कीजिये।

अध्यक्ष महोदय, ज्यादा बातें नहीं करते हुए मैं एक बात और कहना चाहता हूं बिजली के कनेक्शंस के बारे में। मेरी कांस्टीट्यूएंसी में 11 के. वी. लाइन से 131 गांवों को कनेक्ट किया गया है जिसमें से 48 गांव ऐसे हैं जिनमें पोल गिरे हुए हैं, तार कटे हुए हैं। तारों के कोई निशान नहीं हैं। हर साल सात या दस गांवों को लगातार हमें इलेक्ट्रिफाई करते हैं। उससे अच्छा यह हो कि जो 48 गांवों के पोल गिरे हुए थे, तार कटे हुए थे, किन कारणों से वे पोल गिरे हुए हैं, वहां तार गिरे हुए हैं उस बारे में राज्य सरकार सक्रिय रहती। मेरा एक सुझाव है कि किसी गांव को बिजली नहीं दी जाए जब तक कि वहां से डिमांड नोटिस का पैसा वसूल नहीं हो जाए। जब पैसा वसूल हो किया जाए तो तुरन्त उसे बिजली भी दी जाए ताकि ऐसे 48 गांवों में वेस्टफुल खर्चा नहीं हो। इस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को खुशी होगी कि हमने पैसा जमा कराया है और उस पैसे के आधार पर तुरन्त हमें बिजली मिली है। धौलपुर जिले में सरे ग्राम निराशा है कि पैसा भरते हैं और चार–चार साल, दस–दस साल तक वहां बिजली उपलब्ध नहीं होती है। हमारे डिमांड नोटिसेज 1984 से आज तक पैंडिंग पड़े हुए हैं। यह क्या हो रहा है?

माननीय अध्यक्ष महोदय, आखिर में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हम नये-नये सपने नहीं देखें और जो हमारे पुराने सपने हैं पहले उनको पूरा किया जाए। यह जो प्रोग्रेस के नाम से डेफिसिट फाइनेंसिग हो रही है उसको सीमित किया जाए ताकि ऐसा नहीं हो कि 'Those dreams lead to nightmare'. धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री ताम्बी साहब।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट पर अलग-विचार-विमर्श हो रहा है और इस बजट पर मूल्यवान सुझावों के साथ कई नयी बातें सामने आयी हैं। मुझे इस अवसर पर यह निवेदन करना है किसी भी राजनीतिक चिंतन के साथ सरकार चलती है। मगर उसके साथ उस प्रदेश की जनता का क्या चिंतन है, क्या सोच है वह दृष्टिकोण भी महत्व रखता है। मेरा ऐसा मानना है कि इधर से बार-बार काफी बातें सामने आयीं कि राजस्थान में भा. ज. पा. की सरकार

(श्री रतनलाल ताम्बी)

आने के बाद विकास की गति बढ़ी, जनाधार बढ़ा और उस आधार पर यह सरकार काफी कार्यक्रमों के साथ राजस्थान को आगे बढ़ा रही है। उन्होंने एक प्रकार से अपना चिंतन रखा है। मगर मैं इस चिंतन के साथ आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश की भा. ज. पा. की सरकार पिछले लोकसभा चुनावों में अपने समस्त साधनों के साथ, पूरी शक्ति के साथ राजस्थान के चुनाव मैदान में उतरी थी। उसमें यह दावा किया गया था हमारे प्रदेश के मुख्य मंत्रीजी द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष के द्वारा कि राजस्थान में बीस सीटें भा. ज. पा. को प्राप्त होंगी।

श्री खेतसिंह राठौड़ : पच्चीस सीटों के लिये कहा था।

श्री रतनलाल ताम्बी : वह तो पालिटिकल कहा होगा। दावा तो पच्चीस के लिये ही किया था। मगर बाद में बीस सीटों पर उन्होंने दावा किया था। हमारे प्रदेश में जो चुनाव हुए उसमें (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया बोलने दें माननीय सदस्य, समय लिमिटेड है।

श्री रतनलाल ताम्बी : एक करोड़ 29 लाख 347 वोट इस लोक सभा चुनाव में पड़े थे। भा. ज. पा. को 54 लाख 94 हजार 459 वोट यानि 42.36 पर्सेंट वोट मिले। पहले तो यह समझना चाहिये कि भारतीय जनता पार्टी को (व्यवधान) दोनों कांग्रेस अलग-अलग नहीं होती, तो कांग्रेस को 44.90 पर्सेंट वोट मिले। मैं तो यह समझता हूं कि यह भारतीय जनता पार्टी का अहोभाग्य है और राजस्थान के मुख्य मंत्री श्री भैरोंसिंह जी का यह तकदीर है कि उन्होंने....

श्री नाथूसिंह गुर्जर (राज्य मंत्री, पंचायती राज) : आपने किसका सपोर्ट किया था ?

श्री रतनलाल ताम्बी : मैंने तो कांग्रेस का खुला सपोर्ट किया है और कांग्रेस ही जीती।

श्री देवीसिंह भाटी : फिर भी टिकट नहीं दिया।

श्री रतनलाल ताम्बी : मुझे टिकट नहीं चाहिये। मुझे तो जनता का टिकट चाहिये। यह श्री भैरोंसिंह जी का भाग्य है कि राजस्थान की तिवाड़ी कांग्रेस ने....

श्री कालीचरण सराफ : कांग्रेस (आई) को कितने वोट मिले ?

श्री अध्यक्ष : कृपया श्री कालीचरण जी विराजें। समय लिमिटेड है। टोका-टोकी नहीं करें।

श्री रतनलाल ताम्बी : 5 सीटें दे दीं। वरना उनका दावा तो मैं समझता हूं कि कुल मिलाकर सात सीटें भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतती। अध्यक्ष महोदय, जिस शिड्यूल्ड कास्ट, ट्राइब्स की ये बात करते हैं, राजस्थान में शिड्यूल्ड कास्ट, ट्राइब्स की सीटों पर पर्सेंटेज के हिसाब से, सीटों के

(श्री रतनलाल ताम्बी)

हिसाब से इस पार्टी को राजस्थान की जनता ने प्रमाण पत्र दे दिया कि शिड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्स के साथ आप संवेदनशील नहीं हैं।

श्री परसादीलाल मीणा : फिर ये कैसे जीते ?

श्री रतनलाल ताम्बी : कैसे जीते श्री भाटीजी को पूछो। पूरी राजस्थान नहर और सिंचाई विभाग सारा झोंक दिया। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि राजस्थान की जनता ने उस कांग्रेस को नहीं नकारा। इस प्रदेश में 1952 में राजस्थान क्या था और आज राजस्थान कहां बढ़ा। कोई भी सरकार काम करती है, उसका फर्ज है उससे मैं इनकार नहीं करता राजस्थान में 7 मंजिल कांग्रेस की सरकार ने खड़ी कर दी तो 8 वीं और 9 वीं मंजिल आप खड़ी करें, तो मैं यह समझता हूं कि आपका कर्तव्य है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है पर बुनियाद कांग्रेस ने डाली थी, इस राजस्थान का आधारभूत ढांचा कांग्रेस ने दिया था, अब उसको आपने आगे बढ़ाया और कई मामलों में आप आगे बढ़ा रहे हैं तो मैं उससे इनकार करके भी नहीं चलता। परन्तु इस बात को भी स्वीकार करना पड़ेगा कि आधारभूत ढांचा आपको मिला उसके आधार पर आप आगे कुछ करने जा रहे हैं।

मैं इस मौके पर यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश की जनता ने तिवाड़ी कांग्रेस के बावजूद जो भारतीय जनता पार्टी को सीटें इस विधान सभा क्षेत्रों में दी हैं उसके हिसाब से कांग्रेस को 94, भा. ज. पा. को 98 सीटें, जनता दल को 3, कांग्रेस तिवाड़ी को 4, और समाजवादी पार्टी को एक और यदि तिवाड़ी कांग्रेस नहीं होती राजस्थान में तो भारतीय जनता पार्टी 87 सीटों से आगे नहीं बढ़ती। 10-12 सीटें इन्होंने प्रभावित कीं, जो आंकड़े मुझे उपलब्ध हैं। कुछ लोग कहते हैं कि 23 सीटें प्रभावित हुई पर कुल मिलाकर राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का जनाधार घटा है, इसमें दोराय नहीं, इसको आपको चिंतन करने की आवश्यकता है। मैं चुनौती देने के लिये नहीं कह रहा आपको कोई बात, पर वास्तव में आपकी हालत पहले से और आपकी आस्थाएं जनता में कम हुई हैं।

पंचायती राज के चुनावों में आपने देखा होगा। आपने जो कानून-कायदा बनाया और उधर मण्डी में खरीद फरोख्त का धंधा शुरू हो गया बाकी बहुमत कहां था। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस टिकट पर जीता हुआ व्यक्ति निर्दलीय जीता और भारतीय जनता पार्टी ने जिसको टिकट दिया कमल के निशान पर था उसका प्रधान को एक वोट मिला और कांग्रेस सीट से जीता हुआ व्यक्ति बाद में आपसे जाकर मिला तब दो वोट से आप जीत पाये और उसमें कितनी बड़ी खरीद-फरोख्त हुई है। तो यह क्या नैतिकता है, इसको ठीक मानते हैं ?

श्री अध्यक्ष : फिर आप कहेंगे कि मेरे को टोक रहे हैं। मैं यह कह रहा हूं कि आप इस बजट पर फरमाइये।

श्री रतनलाल ताम्बी : अब बजट पर ही आ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : नहीं तो आपका टाइम लिमिटेड है, 15-15 मिनट से ज्यादा नहीं दूंगा।

श्री रतनलाल ताम्बी : मेरा टाइम मेरी पार्टी का है, मुझे सब ध्यान है, साहब मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि (व्यवधान) बीच में यह टाइम काट रहे हैं उसका जिम्मेदार कौन है ? अब मैं पोलिटिकल चर्चा समाप्त करना चाहता हूं।

अभी मैं निवेदन यह कर रहा था कि राजस्थान में पिछले एक महीने से बड़ी चर्चा है राजस्थान पत्रिका के संस्थापक कुलिशजी के लेखों को लेकर। उन लेखों के बारे में काफी चर्चाएं सामने आयीं, यह भी चर्चा हुई, बाहर भी हुई। पर एक व्यक्ति, एक पत्रिका जैसा अखबार पिछले 40 वर्षों से भाजपा को फीड करता रहा, हर दृष्टि से वह आपको आगे बढ़ाने, जनाधार बढ़ाने में उसका सहयोग रहा, उसके एहसान को आपको नहीं भूलना चाहिये। पर उसके बाद उसमें जब प्रतिक्रियाएं आयीं पाठकों की, अध्यक्ष महोदय, मैंने सारी संग्रह की हैं। राजस्थान पत्रिका में जो पाठकों की प्रतिक्रियाएं छपती हैं उनका आप अध्ययन करेंगे, तो राजस्थान की जनता का चिन्तन आपके बारे में क्या है, उसको आपको समझने की आवश्यकता है।

अभी यहां पर चर्चा की थी मेरे एक साथी ने, काशीराम से कांग्रेस का गठबन्धन। मैं भी इसको ठीक नहीं मानता, भारतीय जनता पार्टी इसको ठीक नहीं मान रही है और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी उन्हीं काशीरामजी के साथ सरकार बना कर चलाती है तब तो वह मामला अच्छा है और अब यह मामला बुरा हो गया। राम मन्दिर की बात, उसके साथ-साथ धारा 370 और समान आचार संहिता की बात भा. ज. पा. के भाई बहुत तेजी से उठाते रहे हैं मगर जब दिल्ली में राज का सवाल आया तो ये सारे मुद्दे भा. ज. पा. ने भुला दिये और इस तरह से कुल मिलाकर यह स्थिति बनी है। यह बात तो मैंने पोलिटिकल कह दी, यह सही नहीं हो तो आप मुझे बतायें (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री बद्रीप्रसादजी, माननीय मांडलगढ़ से पधारने वाले विधायक। विराजें। (व्यवधान) कृपया समय बहुत लिमिटेड है।

श्री रतनलाल ताम्बी : अब मैं बजट पर आना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी भी प्रदेश का बजट, सही स्थिति का आकलन उसके राज कोषीय घाटे से पता चलता है। बजट में राज कोषीय घाटा बताने की परिपाटी शुरू होनी चाहिये, यह मेरा सुझाव है। चूंकि राज्य का बजट, बजटीय घाटा, ऋण एवं अन्य देनदारियों को मिलाकर राज कोषीय घाटा बनता है, यह मेरा मानना है।

1995-96 में बजट पर अनुमानित राज कोषीय घाटा 3171 करोड़ का था जो सकल उत्पाद का 8.4 पर्सेंट था, जो संशोधित अनुमान के अनुसार 4790 हो सकता है जो 12.7 था जबकि 2-3 पर्सेंट

(श्री रतनलाल ताम्बी)

उत्पाद का यह आधार बनना चाहिये। 1996–97 में 3629.85 जो आगे जाकर सकल उत्पाद का 14 पर्सेंट तक का मैं अनुमान मानकर चलता हूं 1994-95 में विकास दर 16.5 थी, 1995–96 में 3.90 होना यह हमारे लिये निराशाजनक स्थिति का चित्र उपस्थित करता है। राजस्व खाते में गैर आयोजना एवं गैर विकास भी कुल राजस्व का 33.7 है जो अन–उत्पादक व्यय के रूप में राशि जा रही है।

1995–96 की योजना 3200 करोड़ की है, योजना में 2700 करोड़ का कर्जा है। राजस्व खाते की बचत से योजना की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने की मैं समझता हूं आवश्यकता है। 1992–93 में वित्तीय घाटा 183 करोड़ का, जबकि 1995–96 में 825 करोड़ रुपये का अनुमान है।

राजकीय उपक्रमों की स्थिति और भी गम्भीर है, अध्यक्ष महोदय। 17 उपक्रम ऐसे हैं जिसमें राजस्थान सरकार की 254 करोड़ 61 लाख रुपये की पूंजी लगी है मगर उन सब में घाटा है। वित्त आयोग की रिपोर्ट में आज तक लागू नहीं होने से राजस्थान में क्या स्थिति बनेगी, वह गम्भीर स्थिति बनेगी। आज भी केन्द्रीय सहायता के रूप में 1992–93 में 1074 करोड़, 1993–94 में 1154 करोड़ 1994–95 में 1291 करोड़, 1995–96 में 1483 और 1996–97 में मेरा ख्याल है कि 2000 करोड़ के आसपास रुपया भारत सरकार की ओर से हमको इस साल की योजनाओं में केन्द्रीय सहायता के रूप में मिलेगा। तो प्रति वर्ष बजट बढ़ता है उसके हिसाब से भारत सरकार का भी योगदान निश्चित रूप से इन योजनाओं में विभिन्न प्रकार से राज्य को मिलता है, यह हमारे लिये एक अच्छी बात है। पर जब यहां पर चर्चा हो रही थी, जब भारत सरकार का नाम आता है तो बहुत विरोध करते हैं। मैं समझता हूं कि जहां–जहां से हमको मिलता है उनके प्रति हमको आभार व्यक्त करना चाहिये। राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है कि बिना भारत सरकार के चाहे अकाल को ले लें, चाहे पेयजल को ले लें, चाहे बड़ी योजनाएं जितनी भी हैं उनके लिये पैसे की हमेशा आवश्यकता रहेगी, यह मेरा अनुमान है।

अब मैं निवेदन करना चाहता हूं सिंचाई के बारे में। माननीय सिंचाई मन्त्रीजी आज तक उदयपुर सम्भाग एक ऐसा है जहां पर आदिवासी रहते हैं, पहाड़ी इलाका है, पानी के स्रोत काफी हैं और सौभाग्य से सिंचाई मन्त्री भी आज तक उसी सम्भाग का बनता रहा है। परन्तु अब कृपा करके श्री भैरोंसिंह शेखावत साहब ने यह अवसर आपको दिया है। देने के बाद वहां की जनता क्या सोचती है उसके बारे में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। बीसलपुर सिंचाई योजना बनी। मान्यवर, सिंचाई मन्त्री महोदय आप इसको हल्के–फुल्के में नहीं लें तो मैं कुछ सुझाव आपको देना चाहता हूं। मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि इस योजना से भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद आदि जिलों के करीब 50 लाख जनता के साथ यह योजना अभिशाप का कारण बनी है। मैं

(श्री रतनलाल ताम्बी)

कोई बांध का विरोधी नहीं हूं, बांध बने जयपुर को छोड़ कर आप कहीं भी पानी ले जाओ पर इसके बीच में कुछ सुझाव ऐसे देना चाहता हूं कि आपकी तकलीफ भी मिट जाए, हमारी तकलीफ भी मिट जाए और आपके प्रति हमारे 50 लाख जनता में जो एक असंतोष का वातावरण आपके और मुख्य मन्त्रीजी के प्रति बनता चला जा रहा है वह मिटे, इसलिये मैं सुझाव देना चाहता हूं। निवेदन यह करना चाहता हूं कि बीसलपुर योजना में स्टोरेज से ज्यादा पानी की आवक है, यह इसकी आप जांच करवा लें। जल ग्रहण गणना में केचमेंट के जिलों के बावजूद अधिक वाष्पीकरण का जिला अजमेर है, उसकी गणना की गयी है जबकि उसी केचमेंट जिलों के आधार पर आपको उसकी गणना करना चाहिये जिसके आधार पर कम वाष्पीकरण के जिलों के आधार नहीं बनाये जाए, यह मेरा एक निवेदन था। इस परियोजना में एक वर्ष में करीब 150 एम. सी. एफ. टी. ये सिल्ट भरेगी, मिट्टी भरेगी। दस वर्ष में कितनी भरेगी उसकी जल ग्रहण क्षमता का आधार आपको मानने की आवश्यकता है। इस योजना में केचमेंट में तालाब, बंधे और जो डेड स्टोरेज रहता है प्रतिवर्ष उसको आपने डिडेक्ट कहीं नहीं माना। आपने टोटल पानी उसमें हर साल भरेगा उसको आधार बनाया है जबकि करीब 3200 एम. सी. एफ. टी. केचमेंट में जो तालाब, बंधे हैं उनके आधार पर पानी आपको डिडेक्ट करने के बाद सरप्लस पानी आपको उपलब्ध होगा। इस आधार पर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि चाहे आपकी सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो इन पिछले 15–20 वर्षों में चाहे अकाल राहत के नाम पर, एन. आर. ई. पी. के नाम पर और अन्य कोई योजनाओं के आधार पर तालाब और बड़े–बड़े बांध और एनीकट हाथ में लिये। लेकिन रुपयों के अभाव में योजनाएं पूरी नहीं कर पाये। अभी बीसलपुर के नाम पर एनीकट बनाने शुरू करते हो, अब तो थोड़ा बहुत खुल गया लेकिन सिंचाई विभाग वाले अकाल में एन. ए. सी. देते ही नहीं हैं। (व्यवधान) समस्या की जड़ में आप हैं।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप स्टोरेज की जांच करा लें, पानी की जितनी आवक है उससे ज्यादा पानी आ रहा है उसको आप देख लें और जितनी अधूरी योजनाएं बीसलपुर बांध से पहले बन रही हैं, कहीं पचास प्रतिशत कहीं पचहत्तर प्रतिशत काम हो गया, उन योजनाओं में गरीब लोगों के साथ ज्यादती न करें....।

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें। आप पूरे 17 मिनट बोल चुके हैं।

श्री रतनलाल ताम्बी : अध्यक्ष महोदय, अब मैं अकाल राहत कार्यों पर चर्चा करना चाहता हूं। राजस्थान की चार करोड़ जनता अकाल से प्रभावित रही है। आप पिछले वर्षों के आंकड़े उठाकर देख लें, पूरे राजस्थान से 10 से 15 लाख और हमारे जिले में डेढ़–दो लाख के बीच मजदूर लगते थे। सरकार ने जनवरी में सबसे पहले 10 हजार मजदूर अकाल राहत कार्यों पर लगाये थे, फिर पांच-पांच हजार बढ़ाये और बाद में इनको 60 हजार तक बढ़ा दिया। इनमें कहीं 60 मजदूर हैं तो कहीं 70 मजदूर हैं।

(श्री रतनलाल ताम्बी)

किसी सड़क पर 5 मजदूर तो किसी पर 10 मजदूर स्वीकार किये गये।

मैं कहना चाहता हूं कि बरसात नहीं होने पर भी 23 जून को अकाल राहत कार्य स्वीकार कर 25 जून को वापस बन्द कर दिये, 1 जुलाई को कच्चे काम बन्द कर दिये जबकि वहां बुआई भी नहीं हुई है। राज्य सरकार जो अपने आप को संवेदनशील सरकार कहती है उसके अकाल राहत विभाग ने इतना बड़ा अन्याय किया है जिससे कई लोग पलायन कर गये हैं।

आपकी सरकार यह वाहवाही लेना चाहती है कि हमने पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत बनाया है। अध्यक्ष महोदय, पंचायती राज एक्ट में व्यवस्था न होने और न ही निर्देश होने के बावजूद इस बार अकाल का राजनीतिकरण किया गया।

अध्यक्ष महोदय, जहां भारतीय जनता पार्टी की खिलाफ पार्टी के सरपंच जीते थे उनको तंग किया गया, कम काम स्वीकृत किया गया। इसके बाद अवैधानिक ढंग से कमेटियां बनायी गयीं जिनको जिला परिषद ने ठीक नहीं माना और बाद में कलेक्टर ने निरस्त कर दिया तो राजस्थान की सत्ता में बैठे हुए लोगों ने जोर-जबर्दस्ती से कमेटियां बनाकर जिनमें निर्वाचित सरपंचों के स्थान पर हारे हुए सरपंच थे, काम दिया गया इसका काफी विरोध हुआ तो अन्त में कहा कि पंचायत समितियां काम कराएंगी, इस प्रकार नाम तो पंचायत समितियों का हुआ पर काम हारे हुए लोगों के हाथ में दिया गया। क्या पंचायत समिति का प्रधान इस काम को कराने के लिये एक्जीक्यूटिव बाडी है? इस प्रकार अजमेर और भीलवाड़ा जिले में बड़ा अन्याय किया गया। भीलवाड़ा जिले की पंचायत समिति कोटड़ी, जहाजपुर, शाहपुरा के निर्वाचित सरपंच जो भारतीय जनता पार्टी को पराजित करके आये थे उन कांग्रेसी सरपंचों से काम हटाकर बिना किसी नोटिस बिना किसी शिकायत, बिना किसी जांच के काम दिया गया। मैं समझता हूं कि प्रजातन्त्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहली बार अकाल राहत कार्यों का राजनीतिकरण किया।

अध्यक्ष महोदय, मेरी पंचायत समिति की जनसंख्या से आधी जनसंख्या होते हुए भी दूसरी जगहों पर दुगने मजदूर दिये गये। यहां पर भी मेरे क्षेत्र के साथ भेदभाव किया गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो अपने आपको संवेदनशील सरकार कहती है उसने जो अन्याय मेरे क्षेत्र के साथ किया है उसका उदाहरण मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं।

मैं समझता हूं कि अकाल राहत मंत्रीजी ने राजस्थान के मुख्य मन्त्रीजी और राजस्थान सरकार, दोनों की छवि खराब करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। मेरे क्षेत्र से पराजित सरपंच जा-जाकर के जबर्दस्ती कमेटियां बना करके अपने चहेते हारे हुए सरपंचों को मस्टर रोल दिये और खुद की गाड़ी में बी.डी.ओ. को ले जाकर काम करते हैं। अकाल राहत कार्य की समीक्षा के नाम पर शाम को आधा घंटा बैठकर चले जाते हैं। पता नहीं क्या समीक्षा करते हैं। अकाल राहत विभाग ने स्थिति का अध्ययन नहीं किया,

(श्री रतनलाल ताम्बी)

क्या इंतजाम किया? आज सैंकड़ों लोग भूख से मर रहे हैं, करोड़ों की सम्पत्ति नष्ट हो रही है। इस मौके पर में यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो गड़बड़ हुई है उसकी उच्च स्तर पर जांच हो, यदि हमने गड़बड़ की है तो हमको सजा दो, कोई ऐतराज नहीं है। पर बिना गड़बड़ के अकाल राहत कार्यों का राजनीतिकरण किया गया।

गड़बड़ करने की ही बात लें तो मेरे पास बड़ा पोथा है। फर्जी मस्टर रोल भरे गये हैं, लोगों ने एफेडेबिट दिया है कि हम लोग काम पर नहीं गये फिर भी हमारे नाम मस्टर रोल में हैं, लेकिन इनके यहां समितियां नहीं बनती है और न ही प्रशासन कोई कार्यवाही करता है। उन पर कार्यवाही न करने के लिये दबाव डाला जाता है। हमारे यहां एक पंचायत समिति है जिसमें चुनाव में भाजपा का सरपंच चौथे नम्बर पर रहा था। कलेक्टर ने कहा कि यहां काम सही है, निरस्त नहीं किया जा सकता तो जयपुर से आदेश भेजा गया और उसके स्थान पर समिति बना दी, आठ बार आर्डर बदले गये। जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा ने जांच की और लिखा कि पंचायत समिति का काम सही है लेकिन हारा हुआ सरपंच पीछे लगा था, उसको अकाल राहत में नियुक्त किया गया, उसकी नियुक्ति को समाप्त किया जाए।

श्री अध्यक्ष : अब विराजें। 25 मिनट हो गये। अब एक माननीय सदस्य और बोल लेगा तो मामला बैठ जाएगा।

श्री रतनलाल ताम्बी : अध्यक्ष महोदय, अब मैं बिजली पानी पर चर्चा करना चाहता हूं।

श्री नाथूसिह गुर्जर : मुझको दे दें।

श्री रतनलाल ताम्बी : आपको दे देकर थक गये, कुछ करते हो क्या?

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में तीन लाख कृषि कनेक्शन काफी लम्बे समय से लम्बित हैं। नर्सरी योजना में हमारे इलाके का किसान कनेक्शन नहीं ले सकता, यह गरीबों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। मेरी मांग है कि पहले जैसे पोल फ्री था जिस मूल्य पर देते थे, वह व्यवस्था वापस होनी चाहिये। राजस्थान के 38 हजार गांवों में से 16550 गांव फ्लोराइड से ग्रसित हैं। यह बहुत गम्भीर मामला है। राजस्थान की जनता को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए राजीव गांधी कमीशन से आपको करोड़ों रुपये स्वीकृत हुए।

श्री अध्यक्ष : मेरा निवेदन है कि पेयजल की डिमांड 9 या 10 तारीख को है उस दिन आप अपनी बात रखें।

श्री रतनलाल ताम्बी : गृह मन्त्रीजी तो हमारे साथ अन्याय करने में शामिल रहते हैं, हमको बोलने नहीं देना चाहते। मेरा निवेदन है कि मैंने बजट पर जो सुझाव दिये हैं उन पर विचार किया जाएं।

श्री अध्यक्ष : श्री नरपतसिंहजी राजवी।

श्री नरपतसिंह राजवी (चित्तौड़गढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, दो-तीन दिन के

(श्री नरपतसिंह राजवी)

बजट के सम्बन्ध में चर्चा और पिछले वर्ष के बजट की चर्चा में कोई विशेष अन्तर समझ में नहीं आता। एक बार यह भी कहा गया कि राजस्थान में योजना का जो आकार है वह बराबर घटता गया। पहली पंचवर्षीय योजना से लेकर आज तक मेरे ख्याल से पहली पंचवर्षीय योजना में 39 हजार करोड़ से द्वितीय स्थान पर राजस्थान रहा और पांचवीं पंचवर्षीय योजना में प्रथम स्थान पर रहा। इसके अलावा चौथा, तीसरी में घटते-घटते सातवीं पंचवर्षीय योजना में छठा स्थान रहा। पहली बार 8 वीं पंचवर्षीय योजना में राजस्थान की योजना का आकार बढ़ा और 5 वां स्थान इस राज्य को प्राप्त हुआ। योजनागत विनियोजन 1990-95 में पूर्व विनियोजन में 5 वर्षों मे 148 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि 1980–85 और 1985–90 की अवधि में केवल 46 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। योजना के आकार में समस्त राज्यों में राजस्थान का 1990-91 में 12वां स्थान रहा जबकि 1995–96 में चौथा स्थान हो गया। पर-व्यक्ति विनियोजन 1995–96 में 727 रुपये जबकि 1989–90 में 184 रुपये मात्र था। तमिलनाडु में 573, उत्तर प्रदेश में 410, पश्चिम बंगाल में 303 रुपया, मध्य प्रदेश में 448, केरल में 533 और आन्ध्र प्रदेश में 475 रुपये का का विनियोजन रहा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, 10 में फाइनेंस कमीशन ने जो केन्द्र को सिफारिशें की हैं उसके कारण से भी बहुत नुकसान हुआ हैं। कुछ लाभ भी हुए हैं और कुछ नुकसान भी हुए हैं। शुरू से ही मुख्य मंत्रीजी जब माननीय प्रतिपक्ष के नेता के रूप में कार्य कर रहे थे तब से यह कोशिश थी कि भौगोलिक परिस्थिति और पिछड़ापन इसको भी सम्मिलित किया जाए। पहली बार राज्यों के आधारभूत ढांचे और भौगोलिक क्षेत्रफल को फाइनेंस कमीशन ने शामिल किया है। पहली बार राज्यों की सिफारिशों के अनुरूप आपदा राहत कोष की भी स्थापना हुई है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, समय समय पर करेंट लिस्ट को जिस प्रकार से सैन्ट्रल लिस्ट में लाया गया और विशेषकर केन्द्र का जो वापस रेकल कर लगाने की जो प्रक्रिया रही है सैन्ट्रल बिटी का तो जरूर आकार बढ़ा है लेकिन राज्य सरकारों को उसका बहुत कम हिस्सा प्राप्त होता रहा है। मैं उदाहरण स्वरूप आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा आर्टिकल 269 की ओर, यह आइडेंटीफाई करता है उस प्रकार के सबजेक्ट्स को जिनके ऊपर कर तो केन्द्र सरकार लगाएगी लेकिन जो राशि वसूल होगी वह सारी राशि स्टेट्स को मिलेगी। अब चाहे वह एडवरटाइजमेंट पर हो, चाहे वह सी.एस.टी. के अलावा अन्य आइटम्स पर हो। सी.एस.टी. का तो जरूर हिस्सा मिल रहा है लेकिन उन बाकी शेष आइटम्स पर आज तक केन्द्र सरकार ने कर लगाया ही नहीं। अब कर नहीं लगेगा तो वसूली नहीं होगी और कर इसलिये नहीं लगाया कि केन्द्र को उसका पैसा नहीं मिल रहा है। 10वें वित्त आयोग ने इन सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए एक आल्टरनेटिव भी दिया और आल्टरनेटिव यह दिया कि 29 प्रतिशत राज्यों को हिस्सा मिले और 71 प्रतिशत केन्द्र को मिले। इस वायस एप्रोच के कारण संविधान में संशोधन की भी सिफारिश की।

(श्री नरपतसिंह राजवी)

लेकिन इस 29 प्रतिशत में आज तक जितनी भी आय राज्यों को प्राप्त होती रही है उसकी एवरेज राशि 24 प्रतिशत से अधिक नहीं है और इस 24 प्रतिशत से 29 प्रतिशत जो की है उसमें से 25 प्रतिशत तो उन्होंने इन्हीं टर्म्स आफ रेफरेंस के आधार पर की है और 3 प्रतिशत राशि ऐसी है कि जिसके ऊपर राज्यों को एक काफी बड़ा अधिकार कांस्टीट्यूशनल राइट्स, स्टेच्यूटरी राइट्स उनको देना पड़ेगा। उन तीन आइट्म्स में तम्बाकू चीनी और मनमड टैक्सटाइल है। इन तीनों पर जो भी कर लगता है उसका कर लगाने का अधिकार केन्द्र सरकार अपने हाथ में लेना चाहती है। उसकी औसत जो आज तक प्राप्त होती आई वह लगभग 2.45 प्रतिशत है। उसको बढ़ाकर उन्होंने राउण्ड-अप किया है 3 प्रतिशत के फीगर पर। लेकिन इससे कोई राज्यों को लाभ होने वाला नहीं है। अध्यक्ष महोदय, जिस आधार पर टर्म्स आफ रेफरेंस 10वें वित्त आयोग के बनाये गये हैं वह एक धारणा विशेष को मद्देनजर रखकर बनाये गये हैं। उस टर्म्स ऑफ रेफरेंस में सैंटर की रेवेन्यू डेफिसिट नहीं हो इसको इन्क्लयूड किया गया है जबकि स्टेट्स के प्लान और रेवेन्यू डेफिसिट के ग्रान्ट को इन्क्लूड नहीं किया गया है। तो आज तक हमें जो प्राप्त हो रहा है यह तो टर्म्स आफ रेफरेंस जिस दिन तय हुए थे उसी दिन तय हो गया था कि राज्य सरकारों को मिलेगा। राज्य सरकारों की योजना का आकार निरन्तर बढ़ता जा रहा है और केन्द्र से जो हमें सहायता मिल रही है वह निरन्तर घटती जा रही है। 9 वें फाइनेंस कमीशन के आधार पर 6525.62 करोड़ रुपया मिला था। 10वें फाइनेंन्स कमीशन के सिफारिश के आधार पर 11400 करोड़ रुपया मिला है जो कि करोड़ अधिक है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक और निवेदन करना चाहता हूं। 10वें वित्त आयोग ने 9 लाख 25 हजार करोड़ का अनुमान लगाया था टोटल टैक्स रेवेन्यू का जबकि केन्द्र सरकार 8 लाख 38 हजार करोड़ रुपया मानती है। यह 90 हजार करोड़ का अन्तर भी राज्यों को राशि कम देकर पूरा करना चाहती है। अध्यक्ष महोदय, फाइनेंस कमीशन में ट्रैंड रहा है कि स्टेट्स अपनी रेवेन्यू अधिक बताता है और केन्द्र रेवेन्यू रिसीट्स लगभग कुछ कम दिखाने की कोशिश करती है। लेकिन रेवेन्यू डेफिसिट और ग्रान्ट-इन-एड जो केन्द्र से मिलती है वह बन्द करने के कारण या तो कर्ज लें, लोन एण्ड एडवान्सेज के आधार पर अपनी योजनायें पूरी करें या फिर विकास की गति को कम कर दें। भारतीय जनता पार्टी ने और माननीय मुख्य मन्त्रीजी के नेतृत्व में विकास की गति को बढ़ाने का जरूर निश्चय किया था, कम करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। इसी आधार पर अतिरिक्त संसाधन स्वयं के जुटाकर और टैक्स में रेशनलाइजेशन किया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि टैक्स रेवेन्यू में 1990-91 में जहां 1216.50 करोड़ की आमदनी थी वहीं 1996-97 में बढ़कर 3276.56 करोड़ हो गयी। इसका मतलब यह हुआ कि प्रतिशत वृद्धि के हिसाब से 1990-91 के आधार पर 33 35 प्रतिशत वृद्धि हुई। यह बढ़ते-बढ़ते 43.60 प्रतिशत होकर 1990-91 मे और 1996-97 में बजट एस्टीमेट्स के आधार पर

(श्री नरपतसिंह राजवी)

2060 करोड़ की वृद्धि हुई है जो कि खुद के टैक्स रेवेन्यू का एक कीर्तिमान है। यही शेयर जो सैंट्रल टैक्स में हमको मिलता है उसमें 1990-91 में 758 करोड़ की बनिस्पत 1996-97 में 1706 करोड़ रुपया हुए। 947.82 करोड़ की इसमें वृद्धि हुई है। लेकिन ग्रान्ट-इन-एड में उसके आनुपातिक वृद्धि नहीं हो पायी। हमारे खुद के टैक्स सोर्सेज पर अगर इसी प्रकार से हमको डिपेन्ड करना है, केन्द्रीय ग्रान्ट्स और एड और शेयर जो हमारी कम हो रही है तब तो प्लानिंग कमीशन के लिए इंतजार करने की आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी। प्रोजेक्ट जो इनआर्डिनेट डिले होती है प्रोजेक्ट को क्लीयर कराने में, उसमें इनक्लयूट उसको कोस्ट एस्केलेशन हो जाता है। इस 10वें वित्त आयोग के पश्चात अगर उपयुक्त परिवर्तन नहीं किये गये तो केन्द्र से मिलने वाली सहायता को तो राइट आफ ही करना पड़ेगा।

श्री विष्णु मोदी : जो सैंट्रल शेयर है उसको बढ़ाया है या गिराया है।

श्री नरपतसिंह राजवी : आप थोड़ा सुन लें फिर बात करेंगे। पर्सेन्टेज गिरती आ रही। अमाउंट भी बता दूंगा। विराजें आप।

श्री विष्णु मोदी : बढ़ा है या घटा है इतना बता दें।

श्री नरपतसिंह राजवी : बढ़ा है घटेगा कैसे। शेयर इन सैंट्रल टैक्सेज की ग्रोथ रेट कम्पेरेटिवली कम इस प्रकार से हुई है कि स्टेट की ओवन टैक्स ग्रोथ है 27.32 प्रतिशत एज अगेंस्ट प्रीवियस ईयर, जबकि शेयर इन सैंट्रल टैक्सेज की ग्रोथ रेट है 18.10 प्रतिशत। इसी प्रकार 1993-94 में स्वयं के टैक्सेज की ग्रोथ रेट 12 प्रतिशत है जबकि सैंट्रल की 7.52 प्रतिशत ही है। 1995-96 में खुद के टैक्स ग्रोथ है 20.65 प्रतिशत जबकि शेयर फ्रोम द सैंट्रल टैक्सेज 14.83 प्रतिशत था। इस लिबरलाइजेशन और इकोनामिक रिफोर्म से स्टेट को निश्चित रूप से अपूर्णनीय क्षति हुई है। लिबरलाइजेशन आफ टैक्सेशन स्ट्रक्चर, इन्कम टैक्स, एक्साइज तो ग्रेजुअली गांट कम करते गये और स्टेट की कोस्ट पर लिबरलाइजेशन होता रहा। मैं इकोनामिक पालिसी की कह रहा हूं, इकोनामिक रिफार्म की बात कर रहा हूं। 10वें वित्त आयोग का पेज 140 पढ़ लें, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जायेगा।

श्री विष्णु मोदी : लिबरलाइजेशन से मान्यवर, इन्कम टैक्स, एक्साइज, यह घटा नहीं है। भारत सरकार का इन्कम टैक्स रेवेन्यू, एक्साइज रेवेन्यू बढ़ा है।

श्री अध्यक्ष : श्री मोदी साहब बोलने दें। समय बहुत कम है।

श्री नरपतसिंह राजवी : अध्यक्ष महोदय, यह फीगर्स चाहते हैं तो मैं इन्हें थोड़े से फीगर्स बता दूं। स्टेट की सेल्स टैक्स....

श्री पूनमचन्द विश्नोई : ऐसा है श्री राजवी साहब, 7-8 घण्टे बैठे-बैठे हो गये। यह तो सुबह के वक्त आप आंकड़े बताओ

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

तो हमारे शरीके बुजुर्गों को भी याद रह जाएं। इसलिये इसमें थोड़ा रखो आपका भाषण ताकि सोमवार को फिर आप आंकड़े बता दें। मेरे ख्याल से यह अच्छा रहेगा।

श्री नरपतसिंह राजवी : मुझे तो कोई एतराज नहीं है अगर माननीय अध्यक्ष महोदय अनुमति दें तो।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : He will not be able to justice to his learning. सही बात है। अब टाइम बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : सदन का समय एक घंटे बढ़ाओ साहब।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : नहीं, नहीं। यह हमारे साथ ज्यादती है। अब नहीं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपका भाषण होने तक समय बढ़ाया जाए।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : देखिये, आप जानते हैं कि मैं तो सुबह साढ़े दस बजे आकर बैठता हूं और सबसे लास्ट में जाता हूं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपका भाषण समाप्त होने तक बढ़ाया जाए।

श्री नरपतसिंह राजवी : खतम करना हो तो अभी कर दो, नहीं तो मेरे को कम से कम आधा घंटा और लगेगा।

श्री महावीर प्रसाद जैन : पूरा करो।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : आपका भाषण बहुत इम्पोर्टेंट है लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं। अगले दिन ले लें। सोमवार को ले लें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : इनका भाषण बहुत महत्वपूर्ण है, राजस्थान को दिशा ही तब मिलेगी इसलिये सुबह के वक्त रखो आप। उनको आज छुट्टी दे दो। परसों के लिये रखो आप।

श्री नरपतसिंह राजवी : आपका सुझाव बहुत उत्तम है। पांच मिनट तो पूरा कर लूं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : पांच मिनट पूरा कर लो आप।

श्री नरपतसिंह राजवी : माननीय अध्यक्ष महोदय, स्टेट का ओवन टैक्स रेवेन्यू 1990–91 में 653 करोड़ रुपये था जबकि 1996–97 में 1625 करोड़ हुआ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : यह परसों फिर रिपीट करना पड़ेगा आपको।

श्री नरपतसिंह राजवी : पांच मिनट हैं, यह कम्पलीट कर रहा हूं। 1990–91 की तुलना में 148.49 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। एक्साइज में 260.46 करोड़ रुपये से बढ़कर 870 करोड़ रुपये, यानि 234.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। टैक्सेज ऑन व्हीकल्स 160.50 करोड़ से बढ़कर 291 करोड़ हुआ है जो कि 170.70 प्रतिशत

(श्री नरपतसिंह राजवी)

वृद्धि है । स्टाम्प्स एण्ड रजिस्ट्रेशन में 83.47 करोड़ से बढ़कर 275 करोड़ रुपये की आमदनी हुई है जो कि 229.46 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । कुल मिलाकर ओवन टैक्स में 216 से बढ़कर 3276.56 हुआ है जो कि 169.34 प्रतिशत की वृद्धि हुई है ।

अध्यक्ष महोदय, रेशनलाइजेशन आन टैक्सेशन भी हम लोगों ने किया था और इसी सदन में उस बजट को पास किया है । रजिस्ट्रेशन और स्टाम्प्स में इतनी वृद्धि मेरे ख्याल से आजादी के बाद कभी भी नहीं हुई । वाहनों पर टैक्सेज घटाये, पहले हरियाणा से बहुत वाहन खरीदकर आते थे, माननीय श्री मोदीजी भी वहीं से खरीदकर लाये हैं । अब उस टैक्स को रेशनलाइज करने के लिये उनको वहां हरियाणा की तरफ देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी ।

श्री विष्णु मोदी : यह श्री राजवी साहब बिलकुल सही बात कह रहे हैं । टैक्स पहली बार घटाया । उससे पहले मध्य प्रदेश, हरियाणा से, दिल्ली से, चंडीगढ़ से, गोवा-दमन-दीव से गाड़ियां आती थीं । राजस्थान में बिकना ही बन्द हो गयी थीं ।

श्री भंवरसिंह डांगावास : रजिस्ट्रेशन और स्टाम्प्स के सम्बन्ध में चित्तौड़ से आने वाले माननीय सदस्य से निवेदन कर दूं कि किसानों में इस टैक्स के लिये बहुत विरोध और आक्रोश है । भूमि की कीमत तीन गुना मानकर, एक्चुअली....

श्री अध्यक्ष : विराजिये आप । बाद में कह देना वरना एक जमाना था जब 17 पर्सेंट वसूली हो रही थी । विराजें आप । पांच पर्सेंट हो रही है ।

श्री भंवरसिंह डांगावास : वैल्यूएशन इतनी हो गयी, पर्सेंटेज की बात नहीं कर रहा हूं । वैल्यूएशन इन्क्रीज कर दी । गांव की भूमि जितने में बेची जाती है उससे तीन गुना कीमत मानकर के तय किया जाता है । उस टैक्स को कम करने की आवश्यकता है ।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : किसानों की कमर तोड़ दी है ।

श्री नरपतसिंह राजवी : अध्यक्ष महोदय, मैं मेड़ता से आने वाले माननीय सदस्य मेरे साथी श्री भंवरसिंह जी से सहमत हूं । लेकिन यह वृद्धि तो तब हुई है जब हमने टैक्स को रेशनलाइज किया है । यह बात सही है कि कीमतें एग्रीकल्चर लैण्ड की भी बढ़ी हैं और उसके अनुपात में अगर कुछ और कम कर दिया जाए तो निश्चित तौर पर यह आय और ज्यादा बढ़ेगी लेकिन यह नहीं है कि लैण्ड रेट तो वही है और टैक्सेशन स्ट्रक्चर कम हो रहा है । लैण्ड रेट अधिक होने के कारण उसको रेशनलाइज करने की आवश्यकता है, यही मैं निवेदन करना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय, इस टोटल स्ट्रक्चर में जिस प्रकार हमारी आमदनी बढ़ी है टैक्स रेवेन्यू की, उम्मीद यह की जा रही थी कि सैंट्रल शेयर से शेयर इन सैंट्रल टैक्स भी

(श्री नरपतसिंह राजवी)

करीब-करीब उसी अनुपात में बढ़ रहा है, अगर आप फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ प्लान के आंकड़े उठाकर देखेंगे तो शेयर इन सेंट्रल टैक्सेज ओवन टैक्स रेवेन्यू से कम नहीं है। अन्तर बहुत कम है। प्रतिशत घटते-घटते 7 प्रतिशत से भी कम आ गया।

अध्यक्ष महोदय, 7 बज गये। मैं नेक्स्ट टापिक लूंगा तो पूरा नहीं हो पाएगा। खतम नहीं होगा, पौन घंटा लगेगा।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री अध्यक्ष : सदन का समय आपके कथन तक बढ़ाया जाता है।

आय-व्ययक (1996-97) पर सामान्य वाद-विवाद

श्री नरपतसिंह राजवी : अध्यक्ष महोदय, टोटल एक्सपेंडीचर एक्सक्लूडिंग लोन....

श्री अध्यक्ष : दो-तीन मिनट का मामला और है।

(19.00)

श्री नरपतसिंह राजवी : एक बार चर्चा हुई थी, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि सोशल सर्विसेज पर और डवलपमेंट एक्टीविटीज पर खर्चा कम किया जा रहा है। मैं उसी सन्दर्भ में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि 1990-91 में 1623 करोड़ की बनिस्पत 3806 करोड़, जोकि 34.42 प्रतिशत की वृद्धि है। ईकोनोमिक सर्विसेज 1437.57 करोड़ से बढ़कर 3219 करोड़, जोकि 123.99 प्रतिशत की वृद्धि है। रेवेन्यू एक्सपेंडीचर 3468 करोड़ से बढ़कर 7858 करोड़, जो कि 126.60 प्रतिशत की वृद्धि है। केपिटल एक्सपेंडीचर 490 करोड़ से बढ़कर 1666 करोड़ हुआ है जो कि 240.09 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। टोटल एक्सपेंडीचर 4883.32 करोड़ से बढ़कर 11427.97 करोड़ हुआ है जो कि 135.95 प्रतिशत की वृद्धि है। इससे साफ है, टैक्स रेवेन्यू इस पीरियड में 169.34 प्रतिशत बढ़ा है जबकि टोटल एक्सपेंडीचर 135.95 प्रतिशत ही बढ़ा है। उसको भी हमने बेलेंस करने की और रेशनलाइज करने की कोशिश की है।

अध्यक्ष महोदय, रेवेन्यू एक्सपेंडीचर गम्भीरता से ध्यान आकर्षित करता है। रेवेन्यू एक्सपेंडीचर को जितना कम रखा जाए, उतनी ही राज्य की वित्तीय स्थिति अच्छी रहती है लेकिन जनरल सर्विसेज में, अन्य सेवाओं में टैक्सेज पर रेवेन्यू अर्निंग डिपार्टमेंट्स, लेजिस्लेचर और इलेक्शन भी इस रेवेन्यू एक्सपेंडीचर के हैड में इन्क्लूड होते हैं। इलेक्शन हुए और उसके साथ-साथ इन्ट्रेस्ट कम्पोनेंट जो भी इस राज्य सरकार को भुगतना पड़ता है, वह भी रेवेन्यू एक्सपेंडीचर में इन्क्लूड किया जाता है। जनरल सर्विसेज में 1990-91 के बनिस्पत 146.21 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। सोशल सर्विसेज में 1471 करोड़ से बढ़कर 3306 करोड़, जो कि 134.76 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इकोनोमिक सर्विसेज में 857.75 करोड़ से

(श्री नरपतसिंह राजवी)

बढ़कर 1736 करोड़ रुपये, जो कि 102.44 प्रतिशत की वृद्धि है। इससे मत साफ जाहिर होता है कि विकास के लिये हमारी सरकार ने जितना व्यय किया है वह निश्चित रूप से सराहने योग्य है।

मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं सोशल सर्विसेज की ओर, 1990–91 और 1996–97 के काल खण्ड में 135 28 प्रतिशत की वृद्धि की है जिसमें एजुकेशन, स्पोर्ट्स, आर्ट्स, कल्चर। अभी धौलपुर से आने वाले माननीय विधायक कह रहे थे कि स्कूलों का अभाव है। 1985 से 90 तक, पांच वर्ष में 1900 स्कूलें खोलीं और 1990 से 95 तक 5955 स्कूल्स खोले हैं। कौनसी सरकार ने कम काम किये हैं, वह जनता जवाब दे देगी (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : 5,000 आर. एस. एस. की शाखाएं लग रही हैं, जिनमें शाखाएं भी लगेंगी ...

श्री नरपतसिंह राजवी : धौलपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : यही कर दिया आपने और कुछ किया क्या तभी तो आपको पूरे राष्ट्र ने अछूत करार दे दिया, अछूत (व्यवधान) आज साम्प्रदायिकता कितनी बढ़ रही है। उन स्कूलों में आर. एस. एस की शिक्षा देने से, यह नहीं देखा, क्या नैतिक मूल्यों का पतन कर दिया आपने (व्यवधान)

श्री ओमप्रकाश शर्मा : दंगे नहीं हो रहे हैं आर. एस. एस. की शिक्षा देने से, शांति बनी हुई है। आपके राज में दंगे होते थे। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : दंगे करने वाले ही जब चंगे हो गये तो दंगे करवाना बंद हो गया (व्यवधान) दंगे करने वाले ही चंगे हो गये तो दंगे करवायेगा कौन ? दंगे हम थोड़े ही कर रहे थे। दंगे तो + + + (व्यवधान)

श्री ओमप्रकाश शर्मा : आर. एस. एस. वालों ने (व्यवधान) आप दंगा कराते थे। + + +। वह व्यक्ति आपका था (व्यवधान) आर. एस. एस. तो शिक्षा देती है।

श्री शैलेन्द्र जोशी : .. कर सकते थे। जब वे ही चंगे हो गये तो दंगे होंगे क्या (व्यवधान) सारी स्कूलों का सत्यानाश कर दिया, देशद्रोही शिक्षा देने लग गये (व्यवधान) और तो और, आपने तो बदनाम कर दिया।

श्री ओमप्रकाश शर्मा : +++ (व्यवधान) नाम आर. एस. एस. का लेते हो।

श्री शैलेन्द्र जोशी : स्कूलों की ऐसी स्थिति कर दी, आज राजस्थान विश्वविद्यालय की स्थिति बहुत दयनीय है। राजस्थान विश्वविद्यालय की मान्यता रद्द होने वाली है। माननीय उच्च शिक्षा मन्त्रीजी, सुना है.... (व्यवधान)

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

एक माननीय सदस्य : 1984 में क्या हुआ दिल्ली में, दिल्ली में 1984 में दंगों में कौन था शामिल। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : राजस्थान विश्वविद्यालय की मान्यता खतम होने वाली है। आप सुनो और आप कहते हैं कि सोशल सर्विसेज कर लिया। आपने एजुकेशन पर तो कालिख पोत दी, डामर पोत दिया। + + + (व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आता है।

श्री अध्यक्ष : अच्छा किया, डामर नहीं पोतना चाहिये था। लेट हिम कम्प्लीट (व्यवधान) विराजिये।

श्री नरपतसिंह राजवी : अध्यक्ष महोदय, स्कूलों की संख्या बताने पर कुछ कष्ट हुआ। इतना ही अर्ज कर दूं कि महाविद्यालय पहले उसी काल खंण्ड में एक खोला था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आठ महाविद्यालय खोले हैं (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : एक विशेष वर्ग ही ताली बजाने में एक्सपर्ट होता है, वह हम नहीं हैं। (व्यवधान)

श्री नरपतसिंह राजवी : अध्यक्ष महोदय, मैं तो पांच वर्ष की बात ही नहीं कर रहा हूं, पिछले दो वर्षों में 1400 उपकेन्द्र स्वास्थ्य विभाग ने खोले हैं। इन्हीं पिछले दो वर्ष में 129 प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र खोले हैं। यही नहीं, सुपर-स्पेशिलिटीज मेडिकल कालेजेज में खोली हैं और एस. एम. एस. चिकित्सालय में ओपन हार्ट बाई पास सर्जरी करने की भी प्रक्रिया आरम्भ की है। माननीय श्री शैलेन्द्र जी जोशी अगर इसमें भी नाराज हो तो और कहीं खुलवा लें, आपके प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र में खुलवाने की कोशिश करें, मुझे आपत्ति नहीं है। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ : ओपन हार्ट सर्जरी केन्द्र खोला है, इसमें तो आर.एस.एस. का हाथ नहीं है न (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : ... यह नोन आर. एस. एस. है, इसलिये ही ठीक है। यह तो उल्टा मामला (व्यवधान) खाकी नेकर ने तो डूबा था। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बोलने दें, कृपया।

श्री नरपतसिंह राजवी : अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, पी. डब्ल्यू डी. विभाग ने 3363 गांवों में, जिनमें से 2072 गांव और जोड़े जाएंगे डी. आर. डी. ए. स्कीम्स के तहत तो 5435 गांवों को सड़कों के साथ जोड़ा गया है। 11,738 किलोमीटर लगभग यह जोड़ मैंने ही लगायी है, कुछ किलोमीटर की गलती हो सकती है। उसके साथ-साथ 618.96 करोड़ रुपये इसी वर्ष में 1990 से लेकर 1995–96 तक खर्च किये हैं। 1980 से 85 के पीरियड में 8412 किलोमीटर, 1985 से 90 में 8145 किलोमीटर सड़क बनायी गयी थी

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री नरपतसिंह राजवी)

जबकि 3543 गांव 1980 से 85 में जोड़े और 2320 गांव 1985 से 90 के बीच जोड़े। अध्यक्ष महोदय, दो पंचवर्षीय योजना में जितना काम कांग्रेस की सरकार ने किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने निष्पक्ष होकर एक पंचवर्षीय योजना अभी पूरी नहीं की है, उसमें किया है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : भारतीय जनता पार्टी ने एक काम नहीं किया, आपको और श्री देवीसिंह जी को नहीं जोड़ा।

श्री नरपतसिंह राजवी : जुड़े हुए हैं हम। माननीय श्री धारीवाल साहब, मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का गठन जनता पार्टी के टूटने के बाद हुआ है। मेरा इनका पारिवारिक रिश्ता उससे भी 20 साल पहले का है।

श्री अध्यक्ष : विराजिये, विराजिये।

श्री नरपतसिंह राजवी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से उद्योग विभाग के बारे में बताना चाहता हूं कि 1991–92 से 1995–96 की समयावधि में 182 वृहद और मध्यम श्रेणी के उद्योग स्थापित किये गये थे जिनमें 9268 करोड़ रुपये का विनियोजन हुआ और जबकि राजस्थान राज्य के गठन से 31–3–1991 तक 287 ऐसी इकाइयां स्थापित हुई थीं जिनमें कुल 3230 करोड़ रुपये का विनियोजन मात्र हुआ था।

अध्यक्ष महोदय, 1986–91 तक की अवधि में लघु उद्योगों में 372 करोड़ रुपये की स्थायी पूंजी का विनियोजन हुआ था जबकि इस क्षेत्र में 1991–96 की अवधि में 898.35 करोड़ का विनियोजन हुआ है। यह लगभग 141 प्रतिशत की वृद्धि है। रोजगार सृजन में, पूर्व में 1 लाख 39 हजार 380 व्यक्तियों को रोजगार सुलभ हुआ था जबकि इसी समकक्ष 1991–96 की अवधि में 1 लाख 54 हजार व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध हुआ है। ऋण सुविधाओं में, 1991–96 तक की अवधि में 321.96 करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत हुए जो कि 1986–91 की तुलना में 122.61 प्रतिशत अधिक हैं। औद्योगिक क्षेत्र का विकास इसी गति से बना रहे और निर्यात भी इसी अनुपात से होता रहे तो निश्चित रूप से इस राज्य का विकास होगा। निर्यात के सम्बन्ध में, 1990–91 में 421.81 करोड़ का निर्यात हुआ था जो कि 1994–95 में बढ़कर 2820.37 करोड़ हो गया। यह वृद्धि 569 प्रतिशत की है। अध्यक्ष महोदय, औद्योगिक उद्यमिता के अन्तर्गत अक्टूबर, 94 तक प्रस्तावित पूंजी विनियोजन की तुलना में मार्च, 1996 तक हुए प्रस्तावित पूंजी विनियोजन की प्रतिशत वृद्धि, राजस्थान अन्य राज्यों की तुलना में चौथे स्थान पर है। सब्सिडी और बिक्री कर की छूट जिस प्रकार की गयी है, माननीय श्री मोदीजी को कम से कम बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इतना जरूर निवेदन करना चाहूंगा कि यदि सिंचाई (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ : श्री मोदीजी से गाढ़ी दोस्ती है।

श्री कैलाश मेघवाल : आप श्री शांतिकुमारजी धारीवाल को भी सुनाओ, दोनों को सुनाओ तो राजी रहेंगे।

श्री नरपतसिंह राजवी : उनको मैं सुना दूंगा। अध्यक्ष महोदय, पेयजल व्यवस्था में 178.63 करोड़ की बनिस्पत 433.03 करोड़ का व्यय हुआ है जो कि 142.42 प्रतिशत की वृद्धि है। सिंचाई में जो कि इकोनोमिक सर्विसेज का एक अंग है, 220 करोड़ 1990–91 में थे जबकि 447.10 करोड़ अब किया है 1996–97 में, जो कि 103.2 प्रतिशत की वृद्धि है। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, इन सेवाओं के आधार पर जो हमारी वसूली होती है, यह तो बजट में कोई भी पढ़ लेगा, लेकिन वसूली जो रही है उसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सोशल सेवाओं में विस्तार, विकास एवं सुविधा बढ़ाने हेतु खर्चा बढ़ाये जाने का हमारा कमिटमेंट है, उदाहरण के तौर पर मैं बताऊंगा, शिक्षा विभाग में इसी अवधि में 508.8 करोड़ की वृद्धि हुई है। जो राजस्व प्राप्त हुआ है वह हालांकि प्रतिशत के हिसाब से तो बहुत अधिक है लेकिन कुल जो खर्चा बढ़ा है उसका अगर प्रतिशत देखें तो वह 0.48 प्रतिशत ही है। सर्विसेज कास्टली हैं, यह सभी जानते हैं। जब सरकार आपके दल की रही है तो सर्विसेज की कास्ट कोई कम नहीं थी और आज कोई बहुत ज्यादा बढ़ नहीं गयी है। यह तो कन्सेंसस करना चाहिये हाउस को कि इन सर्विसेज की कास्ट को रिड्यूस करने के लिये रेवेन्यू इन्क्रीज किया जाए तो निश्चित तौर पर नये काम हाथ में लिये जा सकेंगे।

श्री परसादीलाल मीणा : नया क्या होने वाला है ?

श्री नरपतसिंह राजवी : अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य विभाग–रेवेन्यू एक्सपेंडीचर इन्क्रीज हुआ है 324.81 करोड़, रेवेन्यू रिसीट....

श्री परसादीलाल मीणा : हास्पिटल कितने खोल रहे हैं इस साल ?

श्री नरपतसिंह राजवी : वह बता दिया, आप विराज नहीं रहे थे, ध्यान नहीं दे रहे थे। रेवेन्यू रिसीट सिर्फ 14.83 करोड़ ही बढ़ा है जो कि 4.57 प्रतिशत मात्र है। अध्यक्ष महोदय, पी. एच. ई. डी. की भी यही स्थिति है। 11.61 प्रतिशत राशि की वृद्धि हुई है। इसलिये इन सर्विसेज की कास्ट पर निश्चित तौर पर कुछ राजस्व बढ़ाना पड़ेगा। एक और विषय आया था, कर्ज के सम्बन्ध में।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान 1950–51 में केन्द्र सरकार की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। जब इन्टरनल डैथ था 2022.30 करोड़, अब इन्टरनल डैथ 1991–92 में हुआ 1 लाख 72 हजार 749 करोड़। 1996–97 में हो गया 3 लाख 31 हजार 307 करोड़। 1950–51 और 1991–92 में 8542.24 प्रतिशत की वृद्धि है इन्टरनल लोंस में केन्द्र सरकार की। जब कि 1991-96 का डिफरेंस है 91.78 प्रतिशत। माननीय श्री मोदीजी इन आंकड़ों को लिख लें, आप याद करेंगे तो सहयोग रहेगा। एक्सटर्नल डैट.....

श्री शैलेन्द्र जोशी : आपके राज में गबन–घोटाले कितने प्रतिशत बढ़े, यह बता दें। बी. जे. पी. के राज में गबन–घोटाले कितने प्रतिशत बढ़े हैं, यह सरकारी आय में से ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : 1953 में मैंने जवाई के सिंचित क्षेत्र में सिंचित जमीन दस रुपये बीघे में खरीदी, कहा कि यह आठ आने बीघा ज्यादा है और वह जमीन किस किस ने खरीदी, मैंने, श्री नाथूरामजी मिर्धा ने और श्री रामनिवासजी मिर्धा ने ज्वाइंट। उस वक्त की आप अब तुलना कर रहे हैं, अब उस जमीन की, बारानी की आपके उधर डेजर्ट में क्या कीमत है श्री देवीसिंह-जी के यहां ?

श्री नरपतसिंह राजवी : अध्यक्ष महोदय, कीमत तो सब चीज की बढ़ी है, सभी जानते हैं। हम भी, ठीक है लेट जन्मे होंगे, जवाई में जमीन नहीं खरीदी होगी या जवाई की जमीन का भाव पता नहीं होगा।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : नहीं–नहीं, महोदय, आप कम्पेयर उस वक्त का कर रहे हैं, उस वक्त चालीस रुपये में तोला सोना आता था।

श्री नरपतसिंह राजवी : लेकिन प्रपोर्शन आपको देखना पड़ेगा कि उस समय जो...

श्री शैलेन्द्र जोशी : भू–माफिया किस के राज में पड़ा इनको संरक्षण किसने दिया, मल्टी स्टोरीड कौन बना रहे हैं ? जयपुर को बरबाद कौन कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : विराजें, विराजें।

श्री ओमप्रकाश शर्मा : यूरिया घोटाला किस ने किया ?

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री ओमप्रकाश शर्मा : बोफोर्स काण्ड किस ने किया, चीनी घोटाला काण्ड किस ने किया ? यह कांग्रेस ने किया है या बी.जे.पी. ने किया ? यह तो जिन्होंने किया है और दया कर बैठे हैं। यूरिया में खा गये, बोफोर्स में खा गये, चीनी प्रकरण में खा गये।

श्री शैलेन्द्र जोशी : जयपुर को बरबाद किस ने किया, जयपुर में प्रदूषण किस ने बढ़ाया ?

श्री रामस्वरूप मीणा : जयपुर में अपराधों की संख्या दुगुनी हो गयी है, यह पता है ?

श्री अध्यक्ष : विराजिये।

श्री नरपतसिंह राजवी : अध्यक्ष महोदय, इन्टरनल डैट, 1991–92 और 1996–97 की जो तुलना की है, उसमें निश्चित तौर पर क्योंकि अवधि कम है, 48.59 प्रतिशत ही है लेकिन नेट लायबिलिटी 88 प्रतिशत इसी पीरियड में बढ़ी है। अब जहां तक स्टेट के कर्जे का सवाल है, मैं आपको पांच-पांच साल का सिर्फ पीरियड बताऊंगा, बेहोश नहीं होगे आप। 1-4-80 से 1985 के बीच में 96.85 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 1985-90 के बीच में 100.53 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 1990–95 तक

(श्री नरपतसिंह राजवी)

93.13 प्रतिशत की वृद्धि हुई। अब एक वर्ष के पीरियड में हमने सिर्फ 20 प्रतिशत की वृद्धि की है 1996 तक, और 1996-97 में हमने उसको भी कम किया है। (व्यवधान) मेरे को इनको थोड़े ही, मेरे को तो रिकार्ड बनाना है। 1-4-97 को 15.68 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इकोनोमिक रिफोर्म्स के बारे में और चर्चा करूंगा तो आप फरमाएंगे कि ज्यादा कर रहे हैं लेकिन इतना जरूर निवेदन करूंगा ...

श्री शिवनाथ सिंह : फिर नीरस हो जायेगा भाषण।

श्री नरपतसिंह राजवी : नीरस तो हो गया। आंकड़ों में तो नीरसता आयेगी ही। मैं ऐसे तो छोड़ूंगा नहीं। (व्यवधान)

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : मोटी समस्या एक मिनट में अर्ज कर दूं, कोई प्रभाव पटक सकें तो पटको। ऐसा है कि एक आदमी, मेरा ही खेत, मेरी ही जमीन हैं, रेंट ट्रेसपासर, जाकर अन्दर बैठ जाए तो इस जिन्दगी में मैं अदालत के द्वारा उनको वापस प्राप्त नहीं कर सकता। यह सही है या नहीं? और बुनियादी काम है सरकार का न्याय देना। एक। पाकिस्तान, हिन्दुस्तान और चीन के युद्ध में जितने आदमी नहीं मरे, उतने एक्सीडेंट्स में रोज मर रहे हैं। मेरा जी जानता है, बच्चे रोज मोटर साइकिल लेकर जाते हैं, रात 11-12 बजे आवें तब तक मेरा जी ऐसा है कि मैं खड़ा रहता हूं। तो इसका कोई बंदोबस्त करो कि जापान में इतने थोड़े में, इतनी ज्यादा आबादी होते हुए भी एक्सीडेंट नहीं होते। तो यह दोवड़ी सड़कें करो न आप। पांच रुपये की कुछ किसी को स्कॉलरशिप दे रहे हैं और एक झोंपड़ा किसी के बना रहे हैं और किसी को कुछ. इसमें क्यों बरबाद कर रहे हैं। ऐसा करो कि यह एक्सीडेंट्स, दोवड़ी हो जाए सड़कें, ताकि बच सकें। मुंसिफ कोर्ट्स और यह कोर्ट्स करो अनाप-शनाप। हम 5 पीढ़ी साथ रह रहे हैं जो नया बच्चा जन्मता है तो हर एक को खुशी होती है और मुझे रोज आता है। सच्चे दिल से कहता हूं कि यह किस मौत मरेंगे आज से बीस साल बाद में प्रदूषण, बढ़ी हुई जनसंख्या उनका क्या अन्त होगा? मेरी छाती दहल जाती है इसके बारे में क्या कर रहे हो? चौथा यह है कि पढ़ाई तो आप स्कूलें कर रहे हो। रोज आपके पास तो आते होंगे सौ आदमी पढ़े-लिखे और 10 आते हैं मेरे पास। घर वाले उनको घर टिकने देते नहीं, खेत में काम करें तो पीटें कि फिर पढ़ाया किसलिये नौकरी करो। नौकरी यहां मिलती नहीं और इसके क्या अन्त हो रहे हैं कल एक परिवार ने दो बच्चों के तो मुंह बांध करके मारा और लोग-लुगाई दोनों लटक कर के मरे। रोज के ये किस्से हो रहे हैं। इनके एम्प्लायमेंट के लिये कुछ क्या करने वाले हो? नहीं, तो ये पढ़े-लिखे हैं 10 साल के भीतर खून-खराबा करके और देश को खतम करेंगे। इनके रोजगार के लिये क्या कर रहे हो? थोड़ा बहुत हम इतना कर रहे हैं उससे कुछ नहीं हो रहा है जब तक नयी पार्टी आयी है तो नये दिमाग से सोच करके इन ज्वलन्त समस्याएं हैं उनका अगर आप इलाज करते हो तो ठीक बात है। नहीं, तो हम ... (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : उद्योग लगाएंगे, रोजगार लगाएंगे।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : किस तरह आप बताओ ?

श्री नरपतसिंह राजवी : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय श्री पूनमचन्द जी ने .. (व्यवधान) ...

श्री शिवनाथ सिंह : श्री पूनमचन्द जी साहब हमको घर जाने दो। इनके बश में कुछ नहीं है। जाने दो घर, क्यों देर कर रहे हो। कहां इनके पास समस्याएं हैं, कहां सवाल हैं हमको घर जाने दो हाथ जोड़ते हैं आपके।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : नयी पीढ़ी को बता तो दें समस्या तो यह बड़ी है, ज्वलन्त है। आगे आने वाली मौत है आगे आने वाले 10 साल में यह मैं बता देता हूं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अब तो आपके हाथ काफी मजबूत हो गये डरने की थोड़ी बात है कोई।

श्री नरपतसिंह राजवी : माननीय पूनमचन्द जी ने जो वास्तव में प्रैक्टिकल डिफिकल्टिज पेश कर रहे हैं जैसे किराये के सम्बन्ध में।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : किराये की नहीं न्याय व्यवस्था के सम्बन्ध में।

श्री नरपतसिंह राजवी : मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं। मैं कहना नहीं चाहता। मैं कहना यही चाहता हूं कि रैंट कंट्रोल एक्ट भारतीय जनता पार्टी ने तो लगाया नहीं अब आप इसको विथ-ड्रा कराना चाहें तो विथ-ड्रा कराने के लिये प्रस्ताव पारित कराने के लिये मैं मेरी तरफ से कहता हूं पार्टी तैयार करती (व्यवधान)

श्री पूनमचन्द विश्नोई : जिन अदालतों में 20–20 साल पहले जो कत्ल हुए वे मामले पैंडिंग हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि अदालतों पर खर्चा आप पांच गुना नहीं बढ़ाओगे तो ये दूसरे खर्चे छोड़ो और इसमें करो।

श्री नरपतसिंह राजवी : वे रहेंगे वो राजकीय व्यवस्था है। आप जिस समय इस पर विचार करना चाहेंगे नरपतसिंह एक विधायक के नाते आपके साथ निश्चित तौर पर इस विचार में सहयोग देगा।

श्री परसादीलाल मीणा : यह विचार इनके हाथ में नहीं है छोड़ो इनको।

श्री नरपतसिंह राजवी : अब आप विराजें। छोड़ो....

श्री शिवनाथ सिंह : इन बातों को सी. एम. साहब के लिए छोड़ दो।

श्री नरपतसिंह राजवी : सी. एम. साहब पर तो बियांही छोड़ोड़ी है। आपरे और म्हारे हाथ में कांई है, सी. एम. साहब पर तो बियांही छोड़ोड़ी है। इतना ही निवेदन करना चाहता हूं दो मिनट और अब कोई लम्बा-चौड़ा नहीं है ...

श्री शैलेन्द्र जोशी : हो गयी सारी बात अब घर जाने दो।

श्री नरपतसिंह राजवी : अध्यक्ष महोदय, ऐसे नहीं छोड़ूंगा।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : सारा भाषण आपने पढ़कर सुना दिया अब बाकी जो रह गया उसका टेबिल कर दो रिकार्ड में आ जाएगा।

श्री नरपतसिंह राजवी : आ जाएगा रिकार्ड में आप दो मिनट और विराजें। अब ज्यादा समय नहीं ले रहा हूं आपका....

श्री शांतिकुमार धारीवाल : क्या दिक्कत है उसमें। कहां तक विराजें सवा सात बज गये अब तो ...

श्री नरपतसिंह राजवी : विराजें। भारत सरकार का राजस्व घाटा कुल व्यय का 19.20 प्रतिशत था 1994–95 में जबकि राजस्थान का 1994–95 में 4.35 ही राजस्व घाटा है। 1995–96 में संशोधित अनुमान के हिसाब से 18.21 प्रतिशत भारत सरकार का राजस्व घाटा है जबकि राजस्थान सरकार का 1.4 प्रतिशत ही है। अध्यक्ष महोदय, 1996–97 के अनुमान के आधार पर भारत सरकार का यह राजस्व घाटा 2.7 प्रतिशत रहने का है जबकि राजस्थान सरकार का 0.9 प्रतिशत है। राजस्व घाटे को कम करने का निश्चित तौर पर प्रयास किया है एक और निवेदन करना चाहूंगा बजट इंट रेशो के सम्बन्ध में। अब नहीं है ज्यादती तो जिस समय आपने बजट बनाया उस समय तो नहीं सोचा और आज सोच रहे हैं, क्योंकि आंकड़े सामने आ रहे हैं। 1985–86 से लेकर 1986–87 (व्यवधान)

श्री उगमराज मेहता (ब्यावर) : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट, राजवी साहब एक मिनट....

श्री नरपतसिंह राजवी : दो मिनट में खत्म है मेरा भाषण।

श्री उगमराज मेहता : नहीं एक मिनट। एक बात रह जाएगी मैं खासकर के किसानों के एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स में 1978 में टैक्स माफ किया था इसी सरकार ने, माननीय श्री भैरोंसिंह जी शेखावत की नेक और इस साल 1995 में स्लिप आफ टंग हो गया और वो आया नहीं है और किसी को मालूम नहीं है और 10 प्रतिशत टैक्स लग जाएगा। मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि उसी प्रकार सैक्सन धारा 4 ए में कर मुक्त का प्रावधान है और 1995 में बनी है उस धारा 15 में....

श्री अध्यक्ष : विराजिये।

श्री उगमराज मेहता : 28–9–95 के नोटिफिकेशन में नहीं लिया है। अतः उसको हटा करके और उसको करमुक्त किया जाए। उसी प्रकार से एक और निवेदन है सरकार ने मोटर पार्ट्स पर सैल टैक्स 12% से घटाया है परन्तु इस प्रकार से है कि आपने बियरिंग बिलकुल छोड़ दिया। अध्यक्ष महोदय, बियरिंग्स इतना सा आता है 50 हजार रुपये का और उसकी रेवेन्यू आती ही नहीं है और यहां से एन. बी. सी. का माल

(श्री उगमराज मेहता)

सीधे दिल्ली जाता है और दिल्ली से बिना बिल के यहां आता है। सरकार को पैसा नहीं मिलता है इसलिये उसको भी सेल टैक्स से कम किया जाए ताकि उससे राज्य सरकार को सैल टैक्स में वृद्धि होगी।

श्री नरपतसिंह राजवी : अध्यक्ष महोदय, एक–दो सेंटेंस और मेरे को बोलना है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा अब कोई लम्बे-चौड़े आंकड़े नहीं हैं सिर्फ एक सेंटेंस में ही समाप्त करूंगा प्लान–5 और बजट डेट रेशो अगर इसको गम्भीरता से कोई अध्ययन कर ले तो पहले 1.8, 1.7 से हमेशा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के गठन के पश्चात् 1.4 और 1.5 से अधिक कभी नहीं रहा। आपने समय दिया मैं बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं।

श्री अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही सोमवार, 8 जुलाई, 1996 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 19.27 बजे सोमवार, 8 जुलाई, 1996 को 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

———

217

परिशिष्ट—1

तारांकित प्रश्न संख्या 151 का विवरण

परिशिष्ट "क"

क्र.सं.	वर्ष	दर्ज मुकदमा	अदमवकूआ	अदमपता	अदमसबूत	जैरतफतीश	चालान	सजा	बरी	राजीनामा	पेण्डिग ट्रायल
1.	1993	59	33	—	1	—	25	—	8	—	17
2.	1994	41	17	—	—	—	24	3	15	—	6
3.	1995	55	19	1	—	1	34	9	13	—	12
4.	1996 (माह मई तक)	21	6	—	—	7	8	—	1	—	7

218

परिशिष्ट—2

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर

छात्रावासों के अंशकालीन कर्मचारी

154. श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजकीय छात्रावासों में कार्यरत अंशकालीन रसोइयों एवं चौकीदारों को नियमित वेतन शृंखला देने का आदेश माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिया है ? यदि हां, तो आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या उक्त आदेश की पालना विभाग ने करली है ? यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां । माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 29-3-96 की प्रति सदन की मेज पर रख दी गयी है ।

(2) आदेश की पालना कराने सम्बन्धी मामला विचाराधीन है ।

UPON hearing counsel the Court made the following

ORDER

Delay condoned.

We have heard the learned counsel for the State of Rajasthan as well as the respondents in the present case. The earned counsel for the State of Rajasthan has placed before us the Scheme drawn up by the State for regularisatien of the part time employees in question for the purpose of dividing them into three groups. The first group comprising those who have completed five years of service on May, 1995. The Second group comprises those who have completed two years of service in May, 1995 and the third group comprises those who have been working on May, 1, 1995 and have continued to work thereafter. These employees are intended to be regularised from August 15, 1996, April 1, 1997 and April 1, 1998 respectively. The seniority will be determined on the basis of the

first working day in accordance with the relevant rules. The eligibility in regard to age, educational qualification and physical fitness have also to be determined in accordance with the Rule applicable to Class IV employees in different departments at the relevant point of time. The final implication has also been separately worked down. The scheme has been appended to the list of dates as Annexure 'A' which we taken on recorded. The scheme appears to be reasonable and acceptable and the Government of Rajasthan may proceed to finalise and implement the same except that in the first phase a clarification would be required since it says that employees who have completed five years on May, 1995 and "those part-time employees who have given pay scale no. 1 in compliance of various court Judgements" which gives the impression that they may not have completed five years of service and even so they are accepted to be regularised. The learned counsel for the State of Rajasthan stated that in regard to the later group of employees fall into the first phase a clarification statement may be required to be made which the state would be at liberty to do. Taking this scheme to be just and reasonable. We dispose of these petitions by substituting the high Court's order by an order directing regularisation as per the scheme.

The petitions are disposed of accordingly.

Sd/-	Sd/-
Neelam Kawatra	Prem Lata Sharma
Court Master	Court Master

COURT NO. 1

SUPREME COURT OF INDIA

RECORD OF PROCEEDINGS

Petition(s) for Special Leave to Appeal (Civil) No. 21173/94 (From the judgement and order dated 16-02-94 in Appeal No. 385/94 of the High Court of Rajasthan.

STATE OF RAJASTHAN & ORS Petitioner (s)

VERSUS

MOD SINGH Respondent (s)

आहोर (जालोर) में नये राजस्व ग्राम

155. श्री मगराज चौधरी (ग्राहोर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जालोर जिले की ग्राहोर तहसील के ग्राम थूंबा का गोलिया (भाद्राजून), जोगणी खेड़ा (जोगड़ी), गोपालनाड़ी (बरवा), नौसरा की ढाणी (नौसरा), लाखेटा की ढाणी (घाणा) की आबादी 300 से भी ग्रधिक होने एवं मूल राजस्व ग्रामों से 4 किलो मीटर से भी अधिक दूर होने के बावजूद भी इन्हें अभी तक अलग से राजस्व ग्राम घोषित नहीं किया गया है ।

(2) यदि हां, तो नये राजस्व ग्राम घोषित करने के निर्धारित मानदण्डों को दृष्टिगत रखते हुए क्या सरकार इन ग्रामों को शीघ्र ग्रलग से नये राजस्व ग्राम घोषित करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी, नहीं। ढाणी गोपालनाडी (बरवा), नौसरा की ढाणी (नौसरा) एवं लाखेटा की ढाणी की ग्राबादी 250 से कम है. तथा इन तीनों ढाणियों की ग्राबादी केवल 200–200 की है।

केवल थूम्बा का गोलिया की ग्राबादी 260 है, जो भाद्राजून गांव में है, तथा जोगणी खेड़ा की आबादी 595 है जो ग्रजीतपुरा गांव में है।

(2) ढाणी थूम्बा का गोलिया एवंजोगणी खेड़ा जिनकी ग्राबादी 250 से ग्रधिक है, को नवीन राजस्व ग्राम घोषित करने के प्रस्ताव का परीक्षण जिला स्तर पर किया जा रहा है, जैसे ही प्रस्ताव राज्य सरकार को प्राप्त होंगे इस पर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जाकर नवीन राजस्व ग्राम घोषित किये जा सकेंगे ।

विधान सभा क्षेत्र गंगरार के पशु चिकित्सालय

156. श्री ग्रर्जुनलाल जीनगर (गंगरार) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र गंगरार जिला चित्तौड़गढ़ में पशु चिकित्सालय कहां पर है ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) पशु चिकित्सालय खोलने के मानदण्ड क्या हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र के कौन-कौन से गांव उक्त मानदण्डों को पूर्ण करते हैं ? क्या वहां पशु चिकित्सालय स्थापित हैं ? यदि हां, तो कहां-कहां यदि नहीं, तो किस-किस स्थान पर ? सूची मय कारण सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या सरकार उक्त निर्वाचन क्षेत्र के गांव भीमगढ़ में पशु चिकित्सालय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र गंगरार में राश्मी,

(राज्य मन्त्री पशुपालन)

रूद्र, सिहाना, गंगरार एवं सांडास में पशु चिकित्सालय तथा डिण्डोली में पशु औषधालय कार्यरत है।

(2) राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिशों के अनुसार वर्तमान में 7500 पशु इकाई पर तथा 10 किलो मीटर के दायरे में एक पशु चिकित्सा संस्था स्थापित करने की सिफारिश की गई है। इसके अतिरिक्त जनसंख्या, भवन, पशु संख्या, पूर्व में कार्यरत पशु चिकित्सा संस्था से दूरी, आवागमन के साधन, डाक सुविधा आदि साधनों को भी ध्यान में रखा जाता है।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में 7 गांव क्रमशः भीमगढ़, पहुना, आरनी, पठोली, आजोलिया का खेड़ा, बूढ़ एवं सोनियाना मानदण्डों को पूर्ण करते हैं, जहां पर अभी चिकित्सा संस्था नहीं खुली है। वर्तमान में सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण नई पशु चिकित्सा संस्था खोला जाना सम्भव नहीं है।

(4) वर्तमान में नयी पशु चिकित्सा संस्था खोलने का कोई प्रावधान नहीं है।

वक्ष एवं क्षय रोग चिकित्सालय, जयपुर

157. श्री बनवारी लाल भिण्डा (फतेहपुर) एवं श्री घनश्याम तिवाड़ी (चोमूं):- क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या जयपुर के वक्ष एवं क्षय रोग चिकित्सालयों में दवाइयों की खरीद आदि में अनियमितता का मामला प्रकाश में आया है ? यदि हां, तो तद् समय विभागीय जांच में कौन-कौन कर्मी दोषी पाये गये।

(2) सरकार द्वारा तद् संदर्भ में अब तक क्या कार्यवाही की गयी एवं भविष्य में दवाइयों की खरीद में इस तरह के घोटाले नहीं हों, इसके लिए क्या ठोस कदम उठाये गये हैं ?

उत्तर

(1) जी, हां। अनियमितताओं की जांच के लिए एक जांच कमेटी का गठन किया गया है।

जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम व पद बतलाया जाना सम्भव होगा। इस अनियमितता के संदर्भ में तथ्यों की जांच हेतु एक जांच कमेटी गठित की गयी है जो इस बाबत गहनता से जांच कर रही है।

(2) राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक शैक्षणिक चिकित्सालय में अस्पताल अधीक्षक की अध्यक्षता में भण्डार क्रय समितियां गठित की गयी हैं। इससे अनियमितता होने की सम्भावना कम होगी और शैक्षणिक अस्पतालों में क्रय की जाने वाली दवाओं की सूची को 98 तक सीमित किया ताकि आवश्यक दवाएं ही क्रय की जावें। निदेशालय द्वारा भी औषधियों को क्रय करते समय उनकी एक्सपायरी डेट ध्यान में रखने हेतु एवं नजदीक एक्सपायरी डेट वाली दवायें क्रय नहीं करने हेतु निर्देश जारी किये गये हैं।

जिला झुंझुनूं में सड़क निर्माण

158. श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) झुंझुनूं जिले में वर्ष 1995-96, 1996-97 में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा किन-किन सड़कों के निर्माण की स्वीकृति जारी की गयी है ?

(2) इन स्वीकृत सड़कों पर कितना-कितना कार्य मई 1996 के अन्त तक हुआ तथा कितने लोगों को रोजगार मिला है एवं इन पर कितनी-कितनी राशि व्यय की गयी ?

(3) उक्त स्वीकृत सड़कें किस-किस एजेन्सी के माध्यम से बनवायी जावेंगी तथा इनकी धीमी प्रगति के क्या कारण हैं ? कितनी सड़कें अधूरी हैं तथा उनको पूरी कराने के क्या प्रस्ताव हैं ?

उत्तर

(1) झुंझुनूं जिले में वर्ष 1995-96 तथा 1996-97 (मई, 1996 तक) जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा विभिन्न योजनान्तर्गत 55 सड़क निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये थे, जिनका विवरण परिशिष्ट "एक" पर प्रस्तुत है।

(2) इन स्वीकृत कार्यों पर मई 1996 तक किये गये कार्य, व्यय राशि तथा सृजित मानव दिवस का विवरण संलग्न परिशिष्ट-"एक" पर उपलब्ध है।

(3) स्वीकृत सड़कें सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से बनायी जानी हैं, कुल स्वीकृत 55 कार्यों में से 7 कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं, एक निर्माण कार्य निरस्त किया गया है तथा एक स्वीकृत निर्माण कार्य (पोंख से नेवरी सड़क) भूमि विवाद के कारण स्वीकृत नहीं हुआ है। 13 सड़कों के कार्यों में भूमि विवाद के कारण तथा 11 कार्यों पर मेटेरियल एवं बिटुमन की आपूर्ति में विलम्ब हुआ।

वर्तमान में 46 अधूरे कार्य प्रगति पर हैं जिनको इसी वित्तीय वर्ष में कार्यकारी विभाग के माध्यम से पूर्ण करवाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

मकराना की सड़कों की मरम्मत

159. श्री रूपाराम (मकराना) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि मकराना की प्रमुख सड़कों की हालत जर्जर होने के कारण वाहनों के अक्सरतया दुर्घटनाग्रस्त होने की आशंका बनी रहती है तथा जनता को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो सरकार इन सड़कों को कब तक दुरूस्त कराने का विचार रखती है ?

उत्तर

जी, हां, यह आंशिक रूप से सही है। मकराना शहर की 14 सड़कों में से 3 सड़कें सार्वजनिक निर्माण विभाग की रख-रखाव सूची पर हैं तथा शेष सड़कें अन्य विभागों के अधीन है। 3 सड़कें समुचित ड्रेनेज व्यवस्था न होने के कारण क्षतिग्रस्त होती रहती हैं किन्तु इस कारण दुर्घटना की

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

आशंका नगण्य है। इन तीन सड़कों को दुरूस्त करने की योजना निम्न प्रकार है :–

1. **मकराना से बोरावड़** :–इस वर्ष 1996–97 में इस सड़क पर किमी. 103/0 से किलो मीटर 107/0 तक विशेष मरम्मत के कार्य हेतु 10.00 लाख रुपये की राशि स्वीकृत कर दी गयी है। निविदायें आमन्त्रित की जा चुकी हैं तथा कार्य शीघ्र ही शुरू कर दिया जायेगा तथा माह जून 1997 तक पूर्ण होने की सम्भावना है।

2. **मकराना बाईपास** :- इस सड़क की जल निकासी एवं रेजिग हेतु प्लान योजना में 8.00 लाख की राशि वर्ष 1995–96 में स्वीकृत की जा चुकी है तथा कार्य जून 1997 तक पूर्ण होने की सम्भावना है। इसके अतिरिक्त रुपये 5.00 लाख की स्वीकृति निर्बन्ध योजना के अन्तर्गत जिलाधीश द्वारा उपरोक्त सड़कों की मरम्मत हेतु भी स्वीकृत किये जा चुके हैं तथा कार्य प्रगति पर है। माह जून 1997 तक पूर्ण होने की सम्भावना है।

3. **मकराना जूसरी सड़क** : इस सड़क की मरम्मत किलो मीटर 2/0 से 4/0 की पेच आदि कर दिये गये हैं तथा किलो मीटर 0/0 से 2/0 में पानी का निकास होने के उपरान्त सड़क मरम्मत का कार्य करवाना सम्भव हो सकेगा।

राजस्थान विधि आयोग

160. श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : क्या विधि राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान विधि आयोग के टर्म्स आफ रेफरेन्स का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) इसके गठन से अब तक आयोग ने सरकार को कितनी व कौन–कौन सी रिपोर्ट दी है और सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

(3) गठन से अब तक आयोग पर कितनी राशि व्यय की गयी ?

उत्तर

(1) राजस्थान विधि आयोग के टर्म्स आफ रेफरेंस के विवरण की संलग्न सूची "क" सदन की मेज पर रख दी गयी है।

आयोग के गठन से अब तक इसने सरकार को सात रिपोर्ट दी हैं। रिपोर्ट की विषय–वस्तु विवरण निम्न प्रकार है :—

प्रथम—राजस्थान परिसर (किराया तथा बेदखली नियंत्रण) अधिनियम, 1950

द्वितीय—संशोधनकारी अधिनियमों को निरसित किये जाने हेतु।

तृतीय—पंचायती राज अधिनियम

चतुर्थ—सिविल मामलों के शीघ्र निस्तारण हेतु प्रस्तावित सुझाव।

पंचम—लोक अप्रदूषण (न्यूसेंस)

षष्ठम—सहकारिता विधि

सप्तम—आपराधिक विधि

(2) इन रिपोर्टों पर की गयी कार्यवाही का विवरण संलग्न सूची "ख" में अंकित है।

(3) गठन से अब तक मार्च, 1996 तक आयोग पर कुल खर्चा 71,05,145.00 रुपये हुआ है।

(राज्य मंत्री, विधि)	टर्म्स आफ रेफरेंस

1. उन विधियों को परिलक्षित करने की दृष्टि से :—

(क) जिनकी उपयोगिता समाप्त हो चुकी है या जो किसी अन्य विधि के तथ्य को केवल दोहराती सी प्रतीत होती है।

(ख) जिनके उपबन्ध संघीय विधान मण्डल का विधियों में भी उपलब्ध हैं या

(ग) जिनके प्रवर्तन से सामान्य नागरिक को कठिनाई होती है, राजस्व विधियों से भिन्न समस्त राजस्थान विधियों का पुनर्विलोकन करना और यह सुझाव देना कि क्या उनमें से किसी को भी निरस्त किया जा सकता है या उनमें कोई काट–छांट की जा सकती है या उन्हें सरलीकृत या युक्तिसंगत बनाने या परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार ढालने की दृष्टि से उनमें कोई संशोधन किया जा सकता है।

2. उन विषयों का सुझाव देना जिन पर नई विधियां बनायी जा सकती हैं और

3. यह सिफारिश करना कि क्या अधीनस्थ विधान में भी किसी परिवर्तन या परिवर्द्धन की आवश्यकता है।

परिशिष्ट "ख"

<u>प्रथम प्रतिवेदन</u>

यह प्रतिवेदन किराया नियंत्रण एवम् बेदखली से सम्बन्धित विद्यमान विधि के प्रतिस्थापन के सम्बन्ध में है। इस विषय पर विधेयक का प्रारूप तैयार कर विधि विभाग द्वारा उसकी विधिक्षा कर दी गयी है। अग्रिम कार्यवाही हेतु विचाराधीन है।

<u>द्वितीय प्रतिवेदन</u>

यह प्रतिवेदन संशोधनकारी अधिनियमों को निरसित किये जाने के सम्बन्ध में है। आयोग ने वर्ष 1950 से 1992 तक की अवधि में अधिनियमित किये गये अधिनियमों में से 394 संशोधी अधिनियमों के निरसन की सिफारिश की है। इसका परीक्षण करने पर पाया गया है कि 394 अधिनियमों में से 82 अधिनियम विभिन्न संशोधी या नये अधिनियमों द्वारा निरसित हो चुके हैं इनमें से कुछ विधियां जिनको रखना आवश्यक है, को छोड़ते हुए 303 संशोधी अधिनियमों को निरसित करने का निश्चय किया गया है और तद्नुसार इन 303 अधिनियमों को निरस्त करने के लिये विधेयक का प्रारूप तैयार कर लिया है और मन्त्रीमण्डल के अनुमोदन हेतु कार्यवाही चल रही है। अनुमोदन प्राप्त होने पर अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।

(राज्य मन्त्री, विधि)

तृतीय प्रतिवेदन :

यह प्रतिवेदन पंचायती राज के सम्बन्ध में है। इस विषय पर राज्य सरकार ने राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 अधिनियमित किया जा चुका है और इस नयी विधि के अनुसार चुनाव भी हो चुके हैं।

चतुर्थ प्रतिवेदन :

इसका प्रमुख भाग राज्य के सिविल न्यायालयों में लम्बित विषयों के वादों के शीघ्र निपटारे के लिये दीवानी प्रक्रिया संहिता की अनुसूची प्रथम के विभिन्न आदेशों में संशोधन किये जाने से सम्बन्धित है। इसमें संशोधन माननीय उच्च न्यायालय द्वारा किये जाने हैं। इसके लिये विषय प्रतिवेदन की प्रति के साथ दिनांक 4–2–94 को राजस्थान माननीय उच्च न्यायालय को निवेदन कर दिया गया है। कार्यवाही माननीय उच्च न्यायालय में चल रही है।

इस प्रतिवेदन के अन्य बिन्दुओं पर विचार किया गया जो दीवानी प्रक्रिया संहिता, की धारा 80 के अधीन विभिन्न कृत्यकारियों को प्राप्त होने वाले नोटिसों के सम्बन्ध में शीघ्र एवं प्रभावी कार्यवाही के लिये प्रक्रिया के निर्धारण से सम्बन्धित है। इसके लिये विधि एवं न्याय विभाग नियमावली, 1958 में संशोधन कर पुनरक्षित किया गया है। अग्रिम कार्यवाही चल रही है।

पंचम प्रतिवेदन :

यह प्रतिवेदन लोक अपदूषण के सम्बन्ध में नयी विधि अधिनियमित करने के सम्बन्ध में है। इस मामले में परीक्षण करने के उपरान्त यह निश्चय किया गया है कि विद्यमान विधि लोक अप्रदूषण के सम्बन्ध में कार्यवाही करने के लिये पर्याप्त है और नये विधान की आवश्यकता नहीं है।

षष्ठम प्रतिवेदन :

यह सहकारिता विधि से सम्बन्धित है। इस पर परीक्षण की कार्यवाही राज्य सरकार द्वारा की जा रही है।

सप्तम प्रतिवेदन :

यह अपराधिक विधि से सम्बन्धित है। रिपोर्ट माह जून में प्राप्त हुई है। कार्यवाही की जा रही है।

तारांकित प्रश्न संख्या 161

(स्थगित)

राज्य कर्मियों को आवास आबंटन

162. श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमूं) : क्या मुख्य (सामान्य प्रशासन) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में राज्य के कर्मचारियों एवं अधिकारियों हेतु किस-किस श्रेणी के कितने-कितने आवास उपलब्ध हैं ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान में जिलेवार कितने सरकारी अधिकारी/कर्मचारी प्रतीक्षा सूची में हैं ?

(3) राज्य कर्मियों को यथा समय आवास उपलब्ध हो सके इस हेतु सरकार द्वारा क्या विशेष प्रयास किये जा रहे हैं ?

उत्तर

(1) जिलेवार सूची परिशिष्ट "क" संलग्न है।

(2) जिलेवार सूची परिशिष्ट "ख" संलग्न है।

(3) राजकीय आवासों की सबसे ज्यादा कमी जयपुर में है। अतः यहां हाल ही में विद्याधर नगर में 106 तृतीय श्रेणी के एवं 85 पंचम श्रेणी के, मालवीय नगर में 48 एवं जवाहर नगर में भी 49 आवास तृतीय श्रेणी के क्रय किये गये हैं।

इसके अतिरिक्त कई जिला मुख्यालयों पर राजस्थान आवासन मण्डल के आवास क्रय करने सम्बन्धी एवं आवासों के निर्माण हेतु भूमि क्रय करने सम्बन्धी भी कार्यवाही की जा रही है।

जयपुर में 30 तथा अन्य स्थानों पर 75 आवास वर्तमान में निर्माण की प्रक्रिया में हैं। इनके निर्मित हो जाने पर कुल 105 आवास और उपलब्ध होंगे।

इसके अतिरिक्त राज्य के समस्त जिलों में न्यायिक अधिकारियों हेतु भी 518 नये राजकीय आवासों का निर्माण राज्यभर में कराया जा रहा है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

पीपल्दा (कोटा) में फोती एवं वसीयत इन्तकाल पर पाबन्दी

163. श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या पंचायती राज संस्थाओं को कानूनन फोती इन्तकाल व वसीयत के इन्तकाल खोलने के अधिकार पंचायत कानून में दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्या कोटा जिले की तहसील पीपल्दा में उपनियम जारी करके हल्का पटवारियों को पंचायत में फोती इन्तकाल व वसीयत के इन्तकाल पर पाबन्दी लगा रखी है ? यदि हां, तो किस स्तर के अधिकारी के आदेश से ? जारी आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(श्री रामगोपाल बैरवा)

(2) क्या यह सही है कि इस पाबन्दी के बाद बिना सरपंचों के इन्तकाल तस्दीक के इन्तकाल कर दिये गये हैं ? यदि हां, तो बिना सरपंच के कितने इन्तकाल तस्दीक किये गये ?

उत्तर

(1) भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 135 के तहत अविवादित मामलों में नामान्तरकरण के अधिकार पंचायतों को दिये गये हैं। पंचायत द्वारा 45 दिन की समयावधि में नामान्तरकरण के प्रकरण का निपटारा नहीं करने पर यह अधिकार तहसीलदार को हस्तान्तरित हो जाते हैं। तहसीलदार पीपल्दा ने तहसील के भू-अभिलेख निरीक्षकों को लिखे पत्र क्रमांक 903–952 दिनांक 31-5-96 के द्वारा उपनिवेशन क्षेत्र में घोषित गांवों के समस्त प्रकार के नामान्तरकरण सम्बन्धित राजस्व अधिकारी के समक्ष निर्णय हेतु प्रस्तुत करने के आदेश दिए उपखण्डाधिकारी, कोटा ने इस आदेश को दिनांक 27-6-96 को निरस्त कर दिया है। तहसीलदार के आदेश की प्रति सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(2) इस पाबन्दी के आदेश के बाद तहसील पीपल्दा के उपनिवेशन क्षेत्र में घोषित गांवों के 28 नामान्तरकरण तहसीलदार/नायब तहसीलदार द्वारा तस्दीक किये गये हैं ऐसे नामान्तरकरण की छाया प्रतियां सदन के पटल पर रख दी हैं। अन-कमाण्ड इलाके में कोई अन्य नामान्तरकरण बिना सरपंच की तस्दीक के नहीं पारित किये गये हैं। सिर्फ ऐसे इन्तकाल तहसीलदार/नायब तहसीलदार द्वारा किये गये हैं, जो 45 दिन से अधिक पंचायतों में बिना तस्दीक से रह गये थे।

(आदेश की प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

भरतपुर जिला दुग्ध उत्पादक संघ के पशुपालक

164. श्री आर. पी. शर्मा (भरतपुर) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भरतपुर में जिला दुग्ध उत्पादक संघ की स्थापना कब हुई ?

(2) क्या उक्त जिला दुग्ध उत्पादक संघ कार्य कर रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या उक्त जिला दुग्ध उत्पादक संघ के कार्य नहीं करने से जिले के पशु-पालकों को उनके दूध का उचित मूल्य नहीं मिलने से आर्थिक हानि हो रही है ?

(4) क्या दुग्ध उत्पादक संघ में कार्यरत कर्मचारियों के लिये कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) भरतपुर में जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ की स्थापना 02-09-1972 को हुई।

(2) जी, नहीं। क्योंकि पिछले कई वर्षों से संघ के दुग्ध संकलन में लगातार कमी हुई तथा हानि में लगातार वृद्धि हुई।

(राज्य मंत्री, पशुपालन)

(3) जी, नहीं। भरतपुर जिले में निजि क्षेत्र में एक डेयरी है जो किसानों से दूध लेती रही है।

(4) दुग्ध उत्पादक संघ में कार्यरत कर्मचारियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था पर विचार किया जा रहा है।

फलौदी (जोधपुर) के स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों के रिक्त पद

165. श्री पूनमचन्द विश्नोई (फलौदी): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पंचायत समिति फलौदी जिला जोधपुर के किन-किन ग्रामों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं स्वास्थ्य उप केन्द्र हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इन केन्द्रों में से किस-किस केन्द्र पर पिछले छः माह से चिकित्सक एवं नर्सों के पद रिक्त हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पंचायत समिति फलौदी जिला जोधपुर के ग्रामों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं स्वास्थ्य उप केन्द्र की सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) उक्त केन्द्रों के रिक्त पदों की सूची सदन की मेज पर दी गयी है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

केन्द्रीय सरकार द्वारा डांग क्षेत्र विकास हेतु आबंटित राशि

166. शांतिकुमार धारीवाल (हिंडौली): क्या विशिष्ठ योजना संगठन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1995-96 में केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार को डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम, सामुदायिक जलोत्थान सिंचाई योजना, में मैसिव कार्यक्रम के लिए कितनी-कितनी राशि उपलब्ध करवायी गयी हैं? योजनावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) आश्वासित रोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना तथा सूखा सम्भावित क्षेत्र विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत कोटा डिवीजन में कितने किलो मीटर सड़क निर्माण का कार्य करवाया गया? विधान सभा क्षेत्रानुसार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 1995-96 में केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम, सामुदायिक जलोत्थान सिंचाई योजना मैसिव कार्यक्रम के लिए राशि उपलब्ध नहीं करवाई गयी, क्योंकि यह तीनों कार्यक्रम राज्य सरकार अपने संसाधन से ही चला रही है।

(2) कोटा डिवीजन में आश्वासित रोजगार योजना एवं जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत निर्मित सड़कों का विधान सभा क्षेत्रवार विवरण परिशिष्ट-"अ" पर

(राज्य मन्त्री, विशिष्ट योजना संगठन)

संलग्न है। सूखा सम्भाव्य क्षेत्र विकास कार्यक्रम में सड़क निर्माण कार्य नहीं हुआ है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

हिण्डौन में पोलिटेक्निक महाविद्यालय

167. श्री कमल (हिण्डौन) : क्या तकनीकी शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या सरकार हिण्डौन में पॉलिटेक्निक महाविद्यालय खोलने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी, नहीं। विभाग का यह प्रयास है है कि प्रथमतः राज्य में जिला मुख्यालय पर जिले की औद्योगिक आवश्यकताओं के अनुरूप पॉलिटेक्निक खोले जावें। वर्तमान में केवल 16 जिलों में ही पॉलिटेक्निक हैं। वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर पॉलिटेक्निक विहीन जिला मुख्यालयों को ही प्राथमिकता दिया जाना सम्भव होगा।

हिण्डौन जिला सवाई माधोपुर में है तथा सवाई माधोपुर में पोलिटेक्निक की स्थापना वर्ष 1988 में कर दी गयी थी।

पत्रकारों के साथ घटित घटनाएं

168. श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजस्थान में पत्रकारों के साथ वर्ष 1990 से 1996 तक कितनी घटनाएं घटित हुई हैं ?

(2) क्या यह सही है कि पत्रकारों के साथ मारपीट, बेईज्जती एवं मारने की धमकी देने की घटनाएं आये दिन होती रहती हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इनको रोकने का विचार रखती है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक की गयी कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार पत्रकारों को सुरक्षा के लिए उनको बन्दूक का लाइसेंस देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य में वर्ष 1990 से 1996 तक पत्रकारों के साथ मारपीट के कुल 61 अभियोग दर्ज हुए हैं।

(2) वर्ष 1990 से 1996 तक इस प्रकार की घटनाओं के सम्बन्ध में कुल 61 अभियोग दर्ज हुए जिनमें से 45 अभियोगों में अभियुक्तों के विरुद्ध चालान पेश किये जा चुके हैं। आठ अभियोगों में बाद अनुसंधान अन्तिम प्रतिवेदन लगाया गया है। शेष आठ अभियोग अनुसंधानाधीन हैं। ऐसी घटना की सूचना प्राप्त होते ही त्वरित गति से प्रभावी ढंग से कानूनी कार्यवाही की जाती है।

(3) बन्दूक का लाइसेंस देने पर कोई रोक नहीं है। कोई भी व्यक्ति निर्धारित प्रपत्र में शस्त्र अनुज्ञा पत्र बाबत् आवेदन पत्र सम्बन्धित अनुज्ञा पत्राधिकारी के समक्ष

(गृह मन्त्री)

प्रस्तुत कर सकता है जिस पर आवश्यक जांच पश्चात् तदनुसार निर्णय लिया जाता है।

अभियन्ताओं की सेवा मुक्ति/निलम्बन प्रकरण

169. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या मुख्य (कार्मिक) मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अप्रेल, 1996 से मई, 1996 तक कई अभियन्ताओं को सेवा मुक्त व निलम्बित किया गया है ? यदि हां, तो किन–किन को किस–किस आरोप में ? जांच रिपोर्ट व आरोप तथा सेवा निवृति व निलम्बन के आदेशों की प्रतियों सहित सूचना सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अभियन्ताओं के विरुद्ध किस वर्ष के आरोप हैं और अब तक इस सम्बन्ध में क्या–क्या कार्यवाही की गयी ?

(3) जिन अभियन्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही की जा चुकी है क्या इनके अलावा भी किसी के विरुद्ध कार्यवाही विचाराधीन है ? यदि हां, तो किस–किस के विरुद्ध कब–कब से क्या–क्या कार्यवाही विचाराधीन है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अप्रेल, 1996 से अब तक कार्मिक विभाग द्वारा इन्दिरा गांधी नहर विभाग से सम्बन्धित चार अधिशाषी अभियन्ता, सात सहायक अभियन्ता एवं बीस, कनिष्ट अभियन्ताओं को आदेश दिनांक 21-3-96, 25-4-96 (दो आदेश) 24-5-96 (दो आदेश) 21-5-96 एवं 12-6-96 द्वारा सेवा से पृथक करने का दण्ड दिया गया है (आदेशों की प्रति संलग्न है) जांच प्रतिवेदन की प्रति करीब 3500 पृष्ठों में है। अतः सदन के पटल पर रखना सम्भव नहीं है।

सार्वजनिक निर्माण विभाग, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग एवं कृषि विभाग के किसी अभियन्ता को सेवामुक्त नहीं किया गया। सार्वजनिक निर्माण विभाग में 9 एवं जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के एक अभियन्ता को निलम्बित किया गया। सार्वजनिक निर्माण विभाग के अभियन्ताओं के विरुद्ध आरोप–पत्र परीक्षणाधीन है।

(2) इन्दिरा गांधी नहर विभाग से सम्बन्धित अभियन्ताओं के विरुद्ध आरोप किस वर्ष के हैं एवं इस बारे में क्या–क्या कार्यवाही की गयी यह सब विवरण संलग्न आदेशों की प्रतियों में दिया हुआ है। सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध आरोप वर्ष 1988–90 के हैं।

(3) इन्दिरा गांधी नहर की बुर्जी संख्या 1160 से 1175 से सम्बन्धित प्रकरण में सर्वश्री जी.पी. पोद्दार, सहायक अभियन्ता, पी. एस. अबरोल, सहायक अभियन्ता (से. नि) ओ. पी. गौड, कनिष्ठ अभियन्ता, त्रिलोकचन्द, कनिष्ठ अभियन्ता, एस. पी. चौहान, कनिष्ठ अभियन्ता व बी. डी. शर्मा, कनिष्ठ अभियन्ता के सम्बन्ध में प्रकरण

(मुख्य (कार्मिक) मन्त्री)

राय हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग के समक्ष विचाराधीन है।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

तहसील सहाड़ा एवं रायपुर (भीलवाड़ा) की भूमि पर अतिक्रमण

170. **श्री रामपाल उपाध्याय** (सहाड़ा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि भीलवाड़ा जिले की सहाड़ा रायपुर तहसीलों में सीलिंग भूमि तथा बिलानाम भूमि आवंटित की जाना शेष है ? यदि हां, तो कहां-कहां कितनी-कितनी भूमि आवंटन हेतु उपलब्ध है ? तथा सरकार इसे कब तक आवंटित करने का विचार रखती है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त दोनों तहसीलों की चरागाह व बिलानाम भूमि पर लोगों के नाजायज कब्जे हैं ? यदि हां, तो किन-किन के ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त चरागाह, बिलानाम, अन्दर हल्का आबादी वाली भूमि पर नाजायज कुएं भी खुदे हुए हैं ? यदि हां, तो समुचित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या नियमों में इन्हें नियमन करने का भी प्रावधान है ? यदि हां, तो सम्बन्धित नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) तहसील क्षेत्र सहाड़ा में सिलिंग अधिनियम के तहत अधिग्रहित एवं बिलानाम भूमि आबंटन हेतु उपलब्ध नहीं है। तहसील क्षेत्र रायपुर में सिलिंग अधिनियम से प्राप्त 43 एकड़ एवं बिलानाम 346 एकड़ भूमि आबंटन हेतु उपलब्ध है। वर्तमान विधान सभा सत्र के पश्चात् भूमि आबंटन का कार्यक्रम जारी कर दिया जायेगा। भूमि विवरण संलग्न है।

(2) तहसील क्षेत्र सहाड़ा में चारागाह एवं बिलानाम भूमि पर अतिक्रमण (नाजायज कब्जे) के 6 मामले एवं तहसील क्षेत्र रायपुर में चारागाह एवं बिलानाम भूमि पर 119 मामले पंजीबद्ध हुए हैं। विवरण संलग्न है।

(3) तहसील क्षेत्र सहाड़ा में चारागाह बिलानाम भूमि पर 4 तथा तहसील क्षेत्र रायपुर में चारागाह भूमि पर कोई कुआ अवैध निर्मित नहीं है एवं बिलानाम भूमि पर 6 अवैध कुएं निर्मित है। आबादी भूमि पर अवैध कुआं होने का मामला कोई नहीं है। विवरण संलग्न है।

(4) जी हां। राजस्थान भू-राजस्व (सिंचाई प्रयोजनार्थ कुएं खोदने एवं पम्प सेट लगाने के लिये भूमि आबंटन) नियम, 1979 के नियम 12-क के अन्तर्गत सरकारी पड़त या चारागाह भूमि निर्मित कुओं के नियमन के प्रावधान हैं, जिसकी प्रति संलग्न है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

(232)

विधान सभा क्षेत्र आमेर के चिकित्सालयों में ए. एन. एम. के रिक्त पद

171. श्री गोपीराम जाट (आमेर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सरकार के निर्णयानुसार विधान सभा क्षेत्र आमेर के किन-किन स्थानों पर सब सेन्टर खोल दिये गये हैं और कितने केन्द्र खोलने शेष हैं ? इन्हें अब कब तक खोल दिया जावेगा ? ब्यौरा सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि इस क्षेत्र के सब सेन्टर्स, डिस्पेंसरीज एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर ए. एन. एम के पद लम्बे समय से रिक्त चले आ रहे हैं ? यदि हां, तो कहां-कहां पर ?

(3) क्या सरकार रिक्त पदों को भरना चाहती है ? यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों ? ब्यौरा सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र आमेर में वर्तमान में 50 उपकेन्द्र स्वीकृत हैं । सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है । विधान सभा क्षेत्र में 5 ग्राम पंचायतों में चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करायी जानी शेष हैं । समुचित वित्तीय प्रावधान अनुरूप शेष रहे प्रस्तावित उप केन्द्रों को राज्य के अन्य स्थानों के साथ खोला जाना सम्भव हो सकेगा ।

(2) जी, नहीं । वर्ष 1996–97 में खोले गये दो उपकेन्द्र यथा अनोपपुरा एवं बीलपुर में ए. एन. एम. के पद रिक्त हैं ।

(3) जी, हां । प्रशिक्षित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर नवसृजित रिक्त पदों को भरा जाना सम्भव हो सकेगा ।

उप स्वास्थ्य केन्द्रों की सूची

(विधान सभा आमेर)

क्र.सं.	उप स्वास्थ्य केन्द्र का नाम
पंचायत समिति—आमेर	
1.	टाडावास
2.	विजयपुरा
3.	जालसू
4.	सिरसिली
5.	कपरपुरा
6.	मुडिया रामसर
7.	रामपुरा
8.	भूरवाल
9.	नांगल पुरोहित
10.	खोराश्यामदास
11.	दौलतपुरा कोटड़ा
12.	नांगल कुमावतान
13.	हरमाडा
14.	माचेडा
15.	खोराबिसल
16.	सरदारपुरा
17.	रोजदा

(राज्य मन्त्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य)

क्र. सं.	उप स्वास्थ्य केन्द्र का नाम
18.	जयरामपुरा
19.	देवगुढ़ा
20.	राधाकिशनपुरा
21.	पुनासा
22.	बिजपूडी
23.	मुण्डोता
24.	बगवाडा
25.	पोखरियावास
26.	बिलोची
27.	छापरेडी
28.	जसपुरा खिची
29.	काट
30.	लबाना
31.	ढण्ड
32.	कूकस
33.	खोरामीणा
34.	पुनियाना
35.	उदयपुरिया
36.	अनोपपुरा
37.	बीलपुर
38.	मीवपुरा

पंचायत समिति — सिरसी

39.	पचार
40.	कालवाड़
41.	दुर्जनियावास

क्र.सं.	उप स्वस्थ्य केन्द्र का नाम
42.	माचवा
43.	सरनाडूंगर
44.	निवारू
45.	ह्रासोद
46.	बिन्दायका
47.	निमेडा
48.	मुडिया रामसर
49.	धानक्या
50.	बेगस

जिला दौसा में निर्मित सड़कों की जांच

172. श्री हरिसिंह (महुआ) : क्या विशिष्ठ योजना संगठन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि गत पांच वर्षों में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण दौसा द्वारा विभिन्न प्रवर्तित योजनाओं में सम्पर्क सड़कें स्वीकृत की गयी एवं स्वीकृत सड़कों का निर्माण करने हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग डिवीजन दौसा को राशि उपलब्ध करायी गयी ? यदि हां, तो वर्ष 1991 से मार्च, 1996 तक स्वीकृत सड़कों की सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि जन प्रतिनिधियों की शिकायत पर जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा दौसा जिले की प्रत्येक पंचायत समिति में पांच-पांच सम्पर्क

(श्री हरिसिंह)

सड़कों की जांच करवाने का निर्णय लिया गया था ? यदि हां, तो किस-किस सड़क की जांच करवायी गयी ? जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें। यदि जांच नहीं करवायी गयी तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 1991-92 से मार्च, 1996 तक जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, दौसा में विभिन्न प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत सार्वजनिक निर्माण विभाग, दौसा डिवीजन को 210 सड़कों की स्वीकृति दी गयी थी जिनकी अनुमानित लागत 603.386 लाख है। स्वीकृत सड़कों की सूची संलग्न परिशिष्ट–"अ" पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। जन प्रतिनिधियों की शिकायत पर जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, दौसा की शासकीय समिति की बैठक दिनांक 18-11-95 में प्रत्येक पंचायत समिति में 5-5 सड़कों की गुणवत्ता की जांच करवाने का निर्णय लिया गया था। अभी तक जिले की कुल 20 सड़कों की जांच करवा ली गयी है, जिसकी जांच रिपोर्ट परिशिष्ट–"ब" पर संलग्न कर प्रस्तुत है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

भोपालगढ़ (जोधपुर) में डाक बंगले का निर्माण

173. श्री रामनारायण डूडी (भोपालगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) डाक बंगलों निर्माण के मानदण्डों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) पिछले तीन वर्षों में राज्य में कहां-कहां डाक बंगलों का निर्माण कराया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या भोपालगढ़, जिला जोधपुर में डाक बंगले का निर्माण कराना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इसका कब तक निर्माण करा दिया जाएगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा डाक बंगलों के निर्माण हेतु जारी निर्देशों की प्रति संलग्न है। (परिशिष्ट–क)

(2) 1. लक्ष्मणगढ़ (अलवर) (तहसील)
2. बाली (पाली) (उपखंड मुख्यालय)
3. बनेडा (भीलवाड़ा) (तहसील मुख्यालय)

(3) वर्तमान में भोपालगढ़ डाक बंगले का निर्माण कराना सरकार के विचाराधीन नहीं है। उक्त डाक बंगले का निर्माण उपलब्ध वित्तीय संसाधनों पर निर्भर करेगा।

परिशिष्ट "क"

1. All Divisional Commissioners
2. Secretary, Public Works Department
3. All District Collectors
4. Chief Engineer, Public Works Department (B&R)
5. All Executive Engineers, Public Works Deptt. (B&R)

Subject :—Regarding policy decisions for construction of Dak Bungalows.

Sir,

I am directed to bring to your notice that Government of Rajasthan has Framed a policy in the following manner to deal with the proposals for construction of new Dak Bunglow and addition to existing Dak Bungalows in Rajasthan :—

1. Normally P. W. D. Dak Bungalow should have a minimum of four rooms.

2. All Tehsil headquarters should have Dak Bungalows. In case a P. W. D. Dak Bungalow exists at place, which is not a tehsil headquarter, no upgradation would considered, in respective of the accomodation.

3. At SDO Hq., the following action may be taken :—

   (a) Where the population of the town is upto 50000 as per 1991 census, the Dak Bungalow should have 5 rooms.

   (b) In towns with population beyond 50,000 but less than 1,00,000, six rooms would be considered adequate.

(c) where the population is more than 1,00,000 the Dak Bungalow should have upto 12 rooms.

4. In each of the above cases existing accomodation may be seen. In case their is a Irrigation Dak Bungalow, R.S.E.B. Dak Bungalow etc. already present, there should no need of constructing a new P. W. D. Dak Bungalow. In such cases the expension of the existing Dak Bungalow may be undertaken.

5. At Div. headquarters P. W. D. Dak Bungalows should have barracs for accomodation for drivers, gunmens etc. who face accomodation problems at Circuit Houses.

6. Priority for construction of Dak Bungalow at tehsil Hq., S.D.O. head quarters would be given to those places which do not have any Dak Bungalow at presents.

7. All panchayat samiti headquarters which are not tehsil headquarters would also be considered a Dak Bungalow.

Yours faithfully,

Sd/-

(Ashok Jain)

Special Secretary to Govt.

Copy to Deputy Secretary D.O.P. (BR Gr. I) to ref. thsir U.O. note No. F. 18 (15) AR/Gr. I/Corn/95 part dated 14-11-95.

Accounts Officer.

उदयपुर का लाठी चार्ज प्रकरण

174. श्री ग्रमराराम (धोद) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि पुलिस ने दिनांक 25 मई, 1996 को उदयपुर शहर की कच्ची बस्ती ग्रावरी माता के वाशिंदों की बेवजह पिटाई की थी ?

(2) क्या दिनांक 27 मई, 1996 को उदयपुर क्लेक्ट्रेट पर शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रही जनता पर पुलिस ने बेवजह लाठी चार्ज किया ? यदि हां, तो इसके लिये पुलिस का का कौन-सा ग्रधिकारी जिम्मेदार है ?

उत्तर

(1) जी, नहीं।

(2) जी, नहीं। प्रदर्शनकारियों द्वारा पुलिस जाप्ते पर पथराव किये जाने पर ग्रतिरिक्त दण्डनायक के ग्रादेशानुसार भीड को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस छोड़ी गई, परन्तु भीड़ पर इसका कोई असर नहीं होने के कारण अतिरिक्त दण्डनायक के आदेश से लाठी चार्ज किया जाकर भीड़ को तितर-बितर किया।

जहाजपुर (भीलवाड़ा) में उपकोष कार्यालय

175. श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर): क्या मुख्य (वित्त) मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि भीलवाड़ा ज़िले में जहाजपुर उपकोष कार्यालय खोलने के लिए मानदण्ड के अनुसार सरकारी कार्यालय, पेंशनधारियों ग्रादि की पर्याप्त उपलब्धता है ? यदि हां, तो उपकोष जहाजपुर के क्षेत्राधिकार में वर्ष 1993-94 से वर्ष 1995-96 के बीच कितना कार्य जहाजपुर कोष कार्यालय में जहाजपुर तहसील के अन्तर्गत निष्पादित हुग्रा ?

(2) क्या यह भी सही है कि जहाजपुर तहसील का सर्वाधिक कार्य जिले में पेन्शनधारियों तथा भूतपूर्व सैनिक, सरकारी कार्यालयों के भुगतान से सम्बन्धित है ? यदि हां, तो सरकार वहां उप-कोष कार्यालय मानदण्ड के अनुसार कब तक खोलने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, नहीं। राज्य सरकार द्वारा स्वतन्त्र उपकोष खोलने के लिए कोई नोर्म्स अनुमोदित नहीं हैं। जहाजपुर स्थित राजकीय कार्यालयों के वर्ष 1993-94 में 6379 तथा 1994-95 में 6899 ग्रौर वर्ष 1995-96 में 6300 कुल बिलों का स्वतन्त्र उपकोष शाहपुरा से पारित हुए। इस प्रकार जहाजपुर क्षेत्र में मात्र 23 बिल कार्य दिवस का कार्यभार हैं।

(2) जी, नहीं।

सहायक भू-अभिलेख अधिकारी पाली द्वारा पारित आदेश प्रकरण

176. श्री भीमराज भाटी (पाली) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री भीमराज भाटी)

सहायक भू-अभिलेख अधिकारी पाली का मुकदमा नम्बर 84/58 में पारित आदेश दि. 20 मार्च, 1959 जिलाधीश, पाली का आदेश दि. 28 अक्टूबर,1991, मुकदमा नं. 190/80 एवं आदेश दिनांक 23 अप्रेल, 1991 मुकदमा नं. 54/87 क्या न्यायसंगत है ? सरकार ऐसे गैर कानूनी आदेश रद्द करने बाबत क्या कार्यवाही करना चाहती है एवं दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ताकि भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो ?

उत्तर

सहायक भू-अभिलेख अधिकारी, पाली का मुकदमा सं. 84/58 पारित आदेश दि. 20.3.59 एवं जिला कलक्टर, पाली के मु. सं. 190/80 आदेश दि. 28.10.91 तथा मु.सं. 54/87 आदेश दि. 23.4.91 न्यायिक आदेश है, जिसकी अपील/निगरानी आदि का नियमों में प्रावधान है।

उक्त मुकदमों के निर्णयों के विरुद्ध राजस्व मण्डल, अजमेर ने मु. सं प्रा. पत्र/पीए/10/91 में निर्णय दिनांक 1.11.94 पारित करते हुए समस्त भूमि को मन्दिर श्री आई माताजी के नाम दर्ज करने के आदेश दिये हैं। राजस्व मण्डल के उक्त निर्णय की पालना में नामान्तरकरण सं. 1126 दिनांक 11.11.94 द्वारा समस्त भूमि 327 बीघा 16 बिस्वा श्री आई माता जी कस्बा बिलाडा अंकित हो गई है।

स्वास्थ्य-उपकेन्द्र खोलने के मानदण्ड

177. श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) सरकार ने 1 अप्रेल, 1995 से 31 मार्च, 1996 तक की अवधि में कितने स्वास्थ्य उपकेन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चिकित्सालय, सामुदायिक विकास केन्द्र खोले हैं ? खोले गये केन्द्रों व चिकित्सालयों के स्थान दर्शाते हुए सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त केन्द्रों के खोलते समय क्या मानदण्ड अपनाये गये ?

उत्तर

(1) 1.4.95 से 31.3.96 तक राज्य में 700 उपकेन्द्र, 89 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, एक चिकित्सालय एवं 10 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले गये। खोले गये स्थानों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) उक्त केन्द्रों को खोले जाने हेतु जो मापदण्ड अपनाये गये वे इस प्रकार हैं। उपकेन्द्र प्रति 5000 की ग्रामीण जनसंख्या पर सामान्य क्षेत्र में तथा प्रति 3000 की ग्रामीण जनसंख्या पर जनजाति एवं रेगिस्तानी क्षेत्र में एक खोले जाने का मानदण्ड है। इसके अतिरिक्त माननीय मुख्य मन्त्री महोदय, के बजट अभिभाषण में की गयी घोषणा के अनुसार राज्य में उपकेन्द्र उन पंचायतों में स्थापित किये जाएंगे जहां कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक चिकित्सालय नहीं है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र प्रति 30,000 की ग्रामीण जनसंख्या पर सामान्य क्षेत्र में एवं प्रति 20,000 ग्रामीण जनसंख्या पर जनजाति एवं

(राज्य मन्त्री चिकित्सा एवं स्वास्थ्य)

रेगिस्तानी क्षेत्र में एक खोले जाने का मानदण्ड है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र प्रति पंचायत समिति में 1 लाख की ग्रामीण जनसंख्या पर खोले जाने का मापदण्ड है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

ग्राम पंचायत रामड़ावासकलां (भोपालगढ़) के निर्माण कार्य

178. श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जोधपुर जिले की भोपालगढ़ पंचायत समिति की पंचायत रामड़ावास कलां में पिछले दस वर्षों में कौन-कौन से विकास कार्य किन-किन योजनाओं के अन्तर्गत कब-कब स्वीकृत किये गये एवं इन कार्यों को किन-किन एजेंसियों से कराया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) ग्राम पंचायत रामड़ावास कलां में गत 10 वर्षों में स्वीकृत निर्माण कार्य कब—कब पूर्ण हुए एवं उनका कब—कब भुगतान हुआ एवं वर्तमान में कौन-कौन से निर्माण कार्य पूर्ण हो चुके हैं एवं कौन-कौन से अधूरे हैं एवं इनके किस-किस निर्माण पर कितना-कितना भुगतान हो चुका है एवं कितना बकाया है ?

(3) क्या ग्राम पंचायत रामड़ावास कलां में निर्माण कार्य स्कूल, टांके, तालाब आदि के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त हुई थीं ? यदि हां, तो क्या जांच की गयी ? इस जांच में कौन-कौन दोषी पाया गया क्या दोषियों के विरुद्ध सरकार कार्यवाही करेगी यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जोधपुर जिले की भोपालगढ़ पंचायत समिति की पंचायत रामड़ावास कलां में पिछले 10 वर्षों में कुल 53 कार्य स्वीकृत किये गये हैं। उक्त कार्य जिन-जिन वर्षों में स्वीकृत किये गये हैं उनका कार्यक्रमवार, एजेंसीवार एवं वर्षवार विवरण परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है।

(2) ग्राम पंचायत रामड़ावास कलां में गत 10 वर्षों में स्वीकृत निर्माण कार्यों के पूर्ण होने एवं अंतिम भुगतान की तिथि परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है। कुल 53 स्वीकृत कार्यों में से 47 कार्य पूर्ण हो चुके हैं, जिनका पूर्ण भुगतान किया जा चुका है शेष 11 लाख 30 हजार की लागत के 6 कार्य प्रगति पर हैं, जिनका कार्य प्रमाणीकरण के आधार पर 6,44,770/- का भुगतान किया जा चुका है एवं शेष 4,85,230/- रुपये का भुगतान कार्य पूर्ण होने पर किया जायेगा। कार्यवार विवरण परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है।

(3) ग्राम पंचायत रामड़ावास कलां में स्कूल, टांका, तालाब आदि के निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में 2 शिकायतें प्राप्त हुई थीं, जिनकी जांच करवाली गयी हैं। जांच रिपोर्ट 27-6-96 को ही प्राप्त हुयी है। उक्त जांच रिपोर्ट्स का विश्लेषण किया जा

(राज्य मन्त्री विशिष्ट योजना संगठन)

रहा है, यदि कोई दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जावेगी। विवरण परिशिष्ट- "ब" पर उपलब्ध है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

सड़क निर्माण पर प्रति किलोमीटर लागत

179. श्री मदनमोहन (खैरथल) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार मुख्य मार्ग पर पड़ने वाले सभी गांवों को सड़कों से जोड़ने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक तथा किस आधार पर ?

(2) सरकार द्वारा सड़क निर्माण की प्रति किलोमीटर क्या लागत राशि तय की गयी है क्या वह पर्याप्त है ? यदि हां, तो उपयुक्त सड़क का निर्माण क्यों नहीं किया जाता है। यदि लागत राशि कम है, तो क्या सरकार उसे बढ़ाने का विचार रखती है ?

(3) आपत्तिपूर्ण निर्माण पाये जाने पर भुगतान की क्या व्यवस्था है ?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार की सड़क नीति के अनुसार उन सभी ग्रामों को जिनकी आबादी 1971 की जनगणना के आधार पर 1000 या 1000 से अधिक है, उनको डामर सड़क से एवं सभी पंचायत मुख्यालयों को कम से कम ग्रेवल सड़क से आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक जोड़ने की नीति है।

(2) सरकार द्वारा सड़क निर्माण लागत की प्रति कि. मी. की कोई राशि निर्धारित नहीं की हुयी है। सड़क की लागत निर्माण स्थल पर उपलब्ध सामग्री, श्रमिक एवं भौगोलिक स्थिति, सड़क चौड़ाई एवं आवश्यकतानुसार तकनीकी दृष्टि से तैयार किये गये तकमीने पर निर्भर करती है।

(3) आपत्तिपूर्ण निर्माण का कोई भुगतान विभाग द्वारा नहीं किया जाता है। इस सम्बन्ध में पी. डब्ल्यू. डी. मैनुअल के नियम 33, 15, 2 के अनुसार कार्यवाही की जाती है।

अज्ञात शवों की शिनाख्त प्रकरण

180. श्री शिवनाथसिंह (गुढ़ा) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में वर्ष 1996 के दौरान कितने अज्ञात शव मिले हैं ?

(2) इनमें से कितने शवों की पहचान हो सकी है तथा इन वारदातों में लिप्त कितने मुलजिमों का पता लगाया जा चुका है ? उनके खिलाफ अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

(3) इस प्रकार की घटनाओं को रोकने हेतु पुलिस क्या रणनीति अपना रही है ?

उत्तर

(1) 1 जनवरी, 1996 से 15 जून, 1996 तक राजस्थान में कुल 811 अज्ञात शव मिले हैं।

(2) इसमें से 264 शवों की पहचान हो चुकी है। अज्ञात शवों के सम्बन्ध में अब तक कुल 61 अभियोग पंजीबद्ध किये गये जिनमें से 18 अभियोगों में 52 अभियुक्तों को नामजद किये जा चुके हैं। इनमें से 38 अभियुक्त गिरफ्तार किये जा चुके हैं जिनमें से 18 अभियुक्तों के विरुद्ध चालान पेश कर दिया गया है। 44 अभियोग अभी अनुसंधानाधीन हैं। 9 अभियोग में एफ. आर. दी जा चुकी है।

(3) इस प्रकार की घटनाओं की रोकथाम हेतु पुलिस द्वारा गश्त, नाकाबन्दी की जाती है। ऐसे अपराधों की तफ्तीश गहनता व उच्चाधिकारियों के मार्ग दर्शन से की जाती है। ऐसे अपराधों में सफलता पर पुलिस कर्मियों के प्रोत्साहन हेतु उचित पारितोषिक दिया जाता है। अज्ञात शवों की पहचान हेतु उनके चित्रों तथा गजट समाचार पत्रों में दिया जाता है। मृतक की शिनाख्त के हर सम्भव प्रयास किये जाते हैं। पड़ौसी राज्यों से भी इस सम्बन्ध में सूचनाओं का आदान-प्रदान किया जाता है।

देशी व भारत निर्मित विदेशी मदिरा से आय

181. श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : क्या मुख्य (आबकारी) मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1994-95 एवं 1995-96 में देशी एवं भारत निर्मित विदेशी मदिरा की प्रदेश में बिक्री से राजकोष में कितनी आय हुई ? देशी एवं भारत निर्मित विदेशी मदिरा की बिक्री से हुई आय का पृथक्-पृथक् जिलेवार ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 1996-97 में देशी एवं विदेशी मदिरा के ठेकों के आवंटन के लिए कब-कब निविदाएं आमंत्रित की गयीं तथा आरक्षित राशि कितनी-कितनी निर्धारित की गयी ? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि ठेकों के सम्बन्ध में अनेक बार निविदाएं आमंत्रित किये जाने के उपरान्त भी शत प्रतिशत मदिरा समूहों व दुकानों के आवंटन की कार्यवाही नहीं हो सकी है ? तथा पड़त मदिरा समूह एवं दुकानों के संचालन की कार्यवाही गंगानगर शुगर मिल्स के माध्यम से करवायी जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि शहरी क्षेत्रों में भारत निर्मित विदेशी मदिरा व बीयर की पड़त दुकानों के लिए आरक्षित राशि में से कुछ राशि कम करके वर्ष 1995-96 की प्राप्त राशि पर प्रस्ताव आमन्त्रित किये जावे ? यदि हां, तो क्यों तथा इससे कितनी राजस्व हानि होगी ?

(5) क्या सरकार द्वारा इस वर्ष देशी एवं विदेशी (भारत निर्मित) मदिरा की प्रदेश में बिक्री के सम्बन्ध में नये मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या ?

उत्तर

(1) वर्ष 1994-95 एवं 1995-96 में देशी मदिरा एवं भारत निर्मित विदेशी मदिरा एवं बीयर की बिक्री से हुई आबकारी आय का जिलेवार मानचित्र संलग्न है (परिशिष्ट–"क")।

(2) वर्ष 1996-97 में देशी एवं विदेशी मदिरा के ठेकों के आवंटन के लिए दिनांक 16-3-96, 23-3-96, 3-5-96, 9-5-96 एवं 15-5-96 को निविदाएं आमंत्रित की गयी इसके उपरान्त दिनांक 22-5-96 को जारी विज्ञप्ति से प्रस्ताव भी चाहे गये। देशी एवं विदेशी मदिरा की आबकारी जिलेवार आरक्षित राशि का मानचित्र संलग्न है (परिशिष्ट "ख")।

(3) जी हां। पड़त समूहों व भा. नि. वि. मदिरा की शहरी दुकानों के क्षेत्र में उपभोक्ताओं को सही मदिरा उपलब्ध कराने की दृष्टि से एवं उस क्षेत्र में अवैध मदिरा की तस्करी व निर्माण पर अंकुश लगाने के लिये राजकीय उपक्रमों के माध्यम से दुकानें चलायी जा रही हैं।

(4) जी, हां। पड़त दुकानें उठाने एवं राजस्व हानि को कम करने हेतु ऐसा किया गया। दिनांक 15-5-96 को पड़त रही 83 दुकानों की आरक्षित राशि में रु. 380.65 लाख की कमी की गयी है।

(5) जी, नहीं।

(मानचित्र विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

मण्डी क्षेत्र लूणकरणसर में नाजायज कब्जे

182. श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : क्या राजस्व (उपनिवेशन) मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि लूणकरणसर मण्डी क्षेत्र में नाजायज कब्जों वाले छोटे दुकानदारों का सर्वे करवाकर उनके नियमन की कार्यवाही की गयी है? यदि हां, तो नियमन किये गये दुकानदारों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि कस्बा लूणकरणसर की पुरानी आबादी को मंडी क्षेत्र से अलग करके ग्राम पंचायत को सुपुर्द करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है?

उत्तर

(1) जी, हां। लूणकरणसर मण्डी में सन् 1993 में सर्वे किया जाकर 77 व्यक्तियों के कब्जों के नियमन हेतु 50 प्रतिशत राशि जमा करवाई जाकर नियमन कार्यवाही प्रारम्भ की गयी है। जिन व्यक्तियों को नियमन किया जा चुका है, उनकी सूची संलग्न है।

(2) कस्बा लूणकरणसर की पुरानी आबादी को मण्डी क्षेत्र से अलग करके ग्राम पंचायत को सुपुर्द करने की मांग स्थानीय लोगों की है, जिसके सम्बन्ध में एक कमेटी जिला कलक्टर, बीकानेर की अध्यक्षता में गठित है। इस कमेटी की रिपोर्ट अभी अपेक्षित है।

नियमन किये गये प्रकरण की सूची

1. श्री लक्ष्मण सिंह पुत्र जुगल सिंह, जाति राजपूत।

बिजोलियां क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन

183. श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी (मांडलगढ़) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बिजोलिया सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन विस्तार के लिये सरकार ने 15 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की है ?

(2) यदि हां, तो यह राशि कब स्वीकृत की गयी एवं इसके निर्माण की जिम्मेदारी किसे सौंपी गयी ? क्या निर्माण कार्य चालू कर दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) यदि निर्माण कार्य चालू नहीं हुआ तो इसके लिये कौन जिम्मेदार है ? अब कब तक इसका निर्माण चालू कर दिया जायेगा ?

(4) बिजोलिया सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के साथ ही माण्डलगढ़ विधान सभा क्षेत्र के किस सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों के निर्माण विस्तार के लिये राशि स्वीकृत की गयी ? इनमें से किन–किन का कार्य चालू कर दिया गया है एवं किनका कार्य बाकी रह गया है ?

उत्तर

(1) जी, हां ।

(2) यह राशि वर्ष 1995–96 में राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ–11 (17)/विस्वा/2/95 दिनांक 16-1-96 से स्वीकृत की गयी एवं निर्माण की जिम्मेदारी आवास विकास संस्थान को सौंपी गयी। निर्माण कार्य चालू नहीं हुआ है, क्योंकि निर्माण कार्य चालू करने से सम्बन्धित कार्यवाही जैसे सर्वेक्षण, प्लानिंग एवं नक्शे तथा लेबर रेट कार्य की निविदाएं आमंत्रित करने का कार्य पूर्ण करने में समय लगता है।

(3) निर्माण की जिम्मेदारी आवास विकास संस्थान को सौंपी गयी है एवं उन्होंने सूचित किया है कि निर्माण कार्य माह जुलाई, 1996 में प्रारम्भ कर दिया जाएगा।

(4) माण्डलगढ़ विधान सभा क्षेत्र में बिजोलियां के अतिरिक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र काछोला में भी आवर्तन परिवर्तन निर्माण कार्य हेतु 15 लाख रुपये स्वीकृत किये गये। यहां निर्माण कार्य प्रारम्भ हो चुका है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के मुख्य भवन मय आवास गृह के निर्माण कार्य हेतु माण्डलगढ़ विधान सभा क्षेत्र में जलीन्द्री, धामनिया, बरून्दनी, मानपुरा में मुख्य भवन एवं आवास गृह के निर्माण कार्य हेतु 20 लाख रुपये प्रति केन्द्र स्वीकृत किये गये हैं। मानपुरा में भूमि सम्बन्धि विवाद विचाराधीन होने से वहां पर निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है। शेष प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों जलीन्द्री, धामनिया एवं बरून्दनी में निर्माण कार्य प्रारम्भ हो गया है।

चयनित परिवारों के चयन के मानदण्ड

184. श्री शंकरलाल अहारी (चौरासी): क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सरकार द्वारा चयनित परिवार मानने के क्या-क्या मानदण्ड हैं तथा इन्हें किस-किस योजना में प्राथमिकता दी जाती है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार आदिवासी क्षेत्र के लोगों को चयनित परिवार मानने के मानदण्ड में शिथिलता प्रदान करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले उन ग्रामीण परिवारों को चयनित परिवार माना जाता है, जिनकी वार्षिक आय 11,000/- अथवा कम है और जिनका चयन ग्राम सभाओं के माध्यम से हुआ है। चयनित परिवारों को एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम इत्यादि के अन्तर्गत लाभान्वित किया जाता है। चयनित परिवारों को लाभान्वित कराने की मुख्य-मुख्य योजनाओं की सूची निम्नानुसार है :—

1. एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम
2. ट्राइसेम कार्यक्रम
3. इन्दिरा आवास योजना
4. जीवनधारा योजना
5. उन्नत औजार वितरण योजना
6. आश्वासित रोजगार योजना
7. ढाकरा योजना

(2) जी, नहीं। गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले ग्रामीण परिवारों के चयन का मानदण्ड भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। राज्य सरकार उन्हीं मानदण्डों के अनुसार भारत सरकार के निर्देशों पर चयन की कार्यवाही सम्पादित कराती है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्डों में शिथिलता राज्य सरकार द्वारा प्रदान नहीं की जा सकती है।

परिशिष्ट—3

अतारांकित प्रश्न संख्या 199 की सूची

जिला परिषदों से प्राप्त सूचना के आधार पर विधवा/परित्यक्ता महिलाओं के नियुक्ति बाबत लम्बित प्रकरणों की सूची

1	2	3	4
1.	जिला परिषद	चूरू	—
2.	,,	जालौर	1
3.	,,	भीलवाड़ा	6
4.	,,	सिरोही	—
5.	,,	सीकर	8
6.	,,	बांसवाड़ा	—
7.	,,	राजसमन्द	1
8.	,,	झालावाड़	14
9.	,,	अजमेर	16
10.	,,	बाड़मेर	4
11.	,,	जयपुर	9
12.	,,	बारां	5
13.	,,	जैसलमेर	—
14.	,,	जोधपुर	—
15.	,,	चित्तौड़गढ़	4
16.	,,	बीकानेर	3
17.	,,	कोटा	2
18.	,,	डूंगरपुर	—
19.	,,	बून्दी	2
20.	,,	दौसा	1

1	2	3	4
21.	जिला परिषद	नागौर	—
22.	”	हनुमानगढ़	—
23.	”	गंगानगर	2
24.	”	भरतपुर	17
25.	”	टोंक	4
26.	”	पाली	1
27.	”	सवाई माधोपुर	3
28.	”	अलवर	2
29.	”	झुन्झुनूं	—
30.	”	उदयपुर	5
31.	”	धौलपुर	1
		कुल :—	111

परिशिष्ट—4

अतारांकित प्रश्न संख्या 202 का विवरण

खान विभाग की राजस्व प्राप्ति

वर्ष 1985–86 से 1995–96 तक

(रु. लाखों में)

वर्ष	रेंट रायल्टी, जिप्सम विकास शुल्क, झामरकोटडा रॉक फॉस्फेट, सानू लाइम स्टोन खानों से प्राप्त कुल राजस्व
1985–86	5730.61
1986–87	5125.25
1987–88	6001.72
1988–89	6380.62
1989–90	7102.50
1990–91	7858.98
1991–92	10390.53
1992–93	15302.15
1993–94	16304.30
1994–95	18275.06
1995–96 (प्रोविजनल)	21369.81

परिशिष्ट—5

अतारांकित प्रश्न संख्या 203 की सूची

परिशिष्ट–1

जोधपुर संभाग में अवैध खनन करने वालों पर बकाया राशि की डिवीजन वाइज सूची

क्र.सं.	खण्ड/उपखण्ड	अवैध खनन करने वालों पर बकाया राशि
1.	जोधपुर डिवीजन	रुपये 48,36,000/–
2.	बालेसर सब डिवीजन	रुपये 1,76,775/–
3.	जैसलमेर सब डिवीजन	रुपये 4,31,993/–
4.	सिरोही डिवीजन	रुपये 7,45,622/–
5.	सोजत सब डिवीजन	रुपये 17,40,930/–
6.	जालौर सब डिवीजन	रुपये 16,39,875/–
7.	बाडमेर सब डिवीजन	रुपये निल
	योग :—	रुपये 95,71,195/–

अवैध खनन करने वालों जिनके नाम वैध खानें हैं, के नामों की सूची

परिशिष्ट—2

क्र.सं.	नाम अवैध खननकर्ता	खनिज	क्षेत्र	तहसील/जिला	वि. वि.
1	2	3	4	5	6
	जोधपुर खण्ड				
1.	श्रीमती दोली/जीवराम	सेण्डस्टोन	कालीबेरी	जोधपुर	क्वारी लाई
2.	श्री आईदान/मीठाजी	"	सोठोकोढाणी	"	"
3.	श्री घासीराम/ब्रह्माजी	"	"	"	"
4.	श्री घासीराम/ब्रह्माजी	"	"	"	"
5.	श्री जेठाराम/कानाराम	"	फिदुसर	"	"
6.	श्री जेठाराम/कानाराम	"	"	"	"
7.	श्री मुसेखां/खेरूखां	"	"	"	"
8.	श्री मुसेखां/खेरूखां	"	"	"	"
9.	श्री खेमचन्द/मघाराम	चुनापत्थर	घोड़ावत	भोपालगढ़	खननपट्टा
10.	श्री घाराराम/संग्रामराम	"	हरियाढाणा	बिलाडा	"
	जालोर उप खण्ड				
1.	श्री विमलचन्द जैन	ग्रेनाइट	मोकलसर	सिवाना	खननपट्टा
2.	मै. अग्रवाल मिनरल	"	करावाना	जालोर	"

1	2	3	4	5	6
	बालेसर उप खण्ड				
1.	श्री रावलराम/गोकुलराम	सेण्डस्टोन	भोमियाजी का थोन	शेरगढ़	क्वारी लाई
2.	श्री जगमाल/परागाराम	"	भाल	"	"
3.	श्री तुलछाराम/हजारीराम	"	सोमानाडा	"	"
4.	श्री बंशीलाल/अल्सीराम	मेसेनरीस्टोन	बरसिंगो का बास	फलौदी	खननपट्टा
	सोजतसिटी उप खण्ड				
1.	श्री महावीर कोठारी	ग्रेनाइट	बिटिया	पाली	खननपट्टा
2.	श्री बंशीलाल मेवाड़ा	क्वार्टज	श्यामपुरा	"	"
3.	श्री चम्पालाल जैन	मै.स्टोन	अमरपुरा	"	"
4.	श्री समुन्द्रसिंह/भोपालसिंह	ग्रेनाइट	जवडिया	"	"
5.	श्री दुर्गाराम जाट	ग्रेनाइट	जवडिया	"	"
6.	श्री अब्दुल गनी मेहन्दी	ला. स्टोन	बोयल	"	"
7.	श्री सीमेन्ट लि. ब्यावर	मार्बल	मैरूकाबाडिया	"	"
	सिरोही उप खण्ड				
1.	श्रीमती शांतीदेवी	केलसाइट	बागदरी	पिण्डवाड़ा	खननपट्टा
2.	श्री राजवीरसिंह	ग्रेनाइट	जोरावल	रेवदर	"

अधीक्षण खान अभियन्ता (चतुर्थ)

परिशिष्ट—6

अतारांकित प्रश्न संख्या 204 का विवरण

परिशिष्ट "क"

जनवरी, 1995 से जून, 1996 तक जिला जयपुर एवं सीकर एवं शहर में हुई हत्याओं का विवरण

शीर्षक	दर्ज अभियोग	चालान	अदम पता	अदम वकू	अदम सबूत	गलत फहमी	फौजी मुल.	पेंडिंग	अभियुक्तों की संख्या	गिर. अभियुक्तों की संख्या	गिरफ्तारी शेष
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
जिला जयपुर ग्रामीण											
हत्या	56	28	5	4	1	6	—	12	102	97	5
जिला सीकर											
हत्या	76	36	3	11	1	5	1	19	115	99	16
जिला जयपुर शहर											
हत्या	90	52	7	3	3	3	3	19	175	164	16
योग :—	222	116	15	18	5	14	4	50	392	360	32

251.

परिशिष्ट–7

अतारांकित प्रश्न संख्या 207 का विवरण

क्र.सं.	नाम जिला	नये थाने
1.	जयपुर शहर	1. महेश नगर
		2. शिप्रापथ
		3. संजय सर्किल
		4. महिला थाना
		क्रमोन्नत थाने
		5 सिंधी कैम्प
		6. बट्टा बस्ती
		7. मुरलीपुरा
		8. विधायक नगर
		9. ट्रांसपोर्ट नगर
		10. लाल कोठी
		11. श्याम नगर
2.	जयपुर (ग्रामीण)	12. सामोद
		नवसृजित थाना
		13. कालवाड़
		14. आंधी
3.	धौलपुर	15. निहालगंज
4.	जोधपुर	16. चोपासनी हाउसिंग बोर्ड
		17 महिला थाना
5.	पाली	18. सोजत रोड
6.	हनुमानगढ़	19. गोलूवाला
7.	अजमेर	20. महिला थाना
8.	कोटा सिटी	21. महिला थाना

क्र.सं.	नाम जिला	नई चौकी
1.	जयपुर शहर	1. बगरू वालों का रास्ता
		2. चार दरवाजा
		3. रामगंज
		4. मण्डी खटीकान
		5. ईदगाह
		6. अम्बाबाड़ी
		7. वी. के. आई. रोड
		8. हीरापुरा
		9. दुर्गापुरा
		10. जगतपुरा
		11. एन. बी. सी. रोड
2.	जयपुर (ग्रामीण)	12. मनोहरपुर
3.	सीकर	13. खड
4.	दौसा	14. बालाजी मंदिर
5.	टोंक	15. टोडारायसिंह
6.	नागौर	16. छोटी खाटू
7.	भरतपुर	17. सिनसिनी
8.	धौलपुर	18. बसई नवाब
9.	पाली	19. गुन्दोज
10.	उदयपुर	20. जयसमन्द
		21. बटेवर
11.	डूंगरपुर	22. गलियाकोट
12.	कोटा ग्रामीण	23. पीपलदा
13.	हनुमानगढ़	24. सूरेवाला
		25. तलवाड़ा

परिशिष्ट–8

अतारांकित प्रश्न संख्या 214 का विवरण

		1994		1995		1996 (1 जनवरी से 22 जून तक)	
क्र.सं.	जिले का नाम	पोजेटिव कैसेज	मृत्यु	पोजेटिव कैसेज	मृत्यु	पोजेटिव कैसेज	मृत्यु
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अलवर	2054	—	8347	1	1001	—
2.	भरतपुर	9532	1	24337	5	4321	—
3.	दौसा	297	—	2783	—	511	—
4.	धौलपुर	686	—	1104	—	247	—
5.	जयपुर	4408	—	8146	—	1171	—
6.	झुंझुनूं	3211	5	6906	4	1153	—
7.	सीकर	675	10	638	—	123	—
8.	बीकानेर	13319	94	13613	18	1220	—
9.	गंगानगर	640	—	664	—	119	—
10.	हनुमानगढ़	5035	—	2826	—	610	—
11.	रतनगढ़ (चूरू)	5900	4	9001	—	1074	—
12.	बाड़मेर	39651	108	36542	7	2061	2
13.	जैसलमेर	19115	56	15540	15	2526	1
14.	जालौर	5541	20	3836	—	699	—
15.	जोधपुर	14919	69	8922	1	1000	—
16.	पाली	12631	3	9499	—	578	—
17.	सिरोही	4178	—	2656	—	961	—
18.	बांसवाड़ा	3007	—	1799	—	400	—

(254)

1	2	3	4	5	6	7	8
19.	चित्तौड़गढ़	5801	—	5500	—	710	—
20.	डूंगरपुर	7988	1	7975	—	1882	—
21.	राजसमन्द	2823	—	2180	—	266	—
22.	उदयपुर	15640	—	10791	—	1145	—
23.	बून्दी	2965	1	3774	—	416	—
24.	बारां	3621	26	3600	1	613	—
25.	झालावाड़	1614	—	768	—	140	—
26.	सवाई माधोपुर	2391	—	5901	8	1435	—
27.	कोटा	5290	—	5482	—	802	—
28.	अजमेर	11511	2	8352	5	767	—
29.	नागौर	26547	30	7190	9	1295	—
30.	भीलवाड़ा	5638	2	25210	—	2655	—
31.	टोंक	4612	—	6693	—	1188	—
	योग :—	241255	452	250780	74	32405	3

परिशिष्ट—9

अतारांकित प्रश्न संख्या 215 का विवरण

उदयपुर डिवीजन में बेरोजगार प्रसाविका एवं नर्स का विवरण

जिला	अ. ज.	अ. ज. जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	सामान्य	योग
			प्रसाविका		
चित्तौड़	0	0	0	15	15
डूंगरपुर	0	0	0	0	0
राजसमंद	0	0	0	0	0
बांसवाड़ा	0	0	0	0	0
उदयपुर	2	3	1	18	24
					39
			नर्स		
चित्तौड़	0	0	0	0	0
डूंगरपुर	0	2	1	0	3
राजसमंद	0	0	0	0	0
बांसवाड़ा	0	0	0	0	0
उदयपुर	0	1	0	6	7
					10

परिशिष्ट—10

अतारांकित प्रश्न संख्या 225 का विवरण

निर्वाचन क्षेत्र फलासिया, जिला उदयपुर में विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों का विवरण

क्र.सं.	नाम छात्रावास व स्थान	स्वीकृत छात्र संख्या	राजकीय या किराया		भवन मालिक का नाम	प्रतिमाह देय किराया
1	2	3	4		5	6
1.	राज. अनु. ज. जा. छात्रावास, झाड़ोल	80	राजकीय	—		
2.	,, कन्या झाड़ोल	25	,,	—		
3.	राज. अनु. ज. जा. छात्रावास, फलासिया	105	,,	—		
4.	,, ओडा	25	,,	—		
5.	,, गोराणा	25	,,	—		
6.	,, नालवा	25	,,	—		
7.	,, डैया	25	,,	—		
8.	,, कोटड़ा	125	,,	—		
9.	,, कन्या कोटड़ा	25	,,	—		
किराये के भवनों में संचालित						
1.	राज. अनु. जन. जाति छात्रा. ओगणा	25	—	किराया	भंवर लाल सुथार	1061/–
2.	,, जैड	25	—	किराया	ग्राम पंचायत भवन, जैड	345/–

परिशिष्ट—11

अतारांकित प्रश्न संख्या 229 का विवरण

परिशिष्ट "अ"

			राशि (लाखों में)	राशि (लाखों में)
1. राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	(1)	राजस्थान सरकार 1995–96	प्लान 125.00	नोनप्लान 2280.00
	(2)	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1995–96	नियमानुसार प्रोजेक्ट 9.14	अन्य प्रोजेक्ट 309.33
	(3)	सी.एस.आई.आर. 1995–96	19.8	
2. महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर	(1)	राजस्थान सरकार 1995–96	प्लान 260.00	नोनप्लान 232.25
	(2)	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1995–96	21.50	
	(3)	अन्य संस्था 1995–96	शून्य	
3. जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर	(1)	राजस्थान सरकार 1995–96	प्लान 163.23	नोनप्लान 1509.78
	(2)	यू. जी. सी. 1995–96	91.25	
	(3)	केन्द्र सरकार 1995–96	72.87	
	(4)	अन्य संस्थाएं 1995–96	9.83	

			राशि (लाखों में)	राशि (लाखों में)
4.	मोहनलाल सुखाड़िया विश्व-विद्यालय, उदयपुर	(1) राज्य सरकार 1995–96	प्लान 106.00	नोनप्लान 672.25
		(2) यू. जी. सी. 1995–96	शून्य	
		(3) केन्द्र सरकार 1995–96	शून्य	
5.	कोटा खुला विश्वविद्यालय, कोटा	(1) राज्य सरकार 1995–96	प्लान 106.00	नोनप्लान —
		(2) यू. जी. सी 1995–96	51.35	
		(3) केन्द्र सरकार	शून्य	
		(4) अन्य संस्थाएं	शून्य	
6.	कृषि विश्वविद्यालय,	(1) राज्य सरकार 1995–96	2.86	
		(2) केन्द्र सरकार 1995–96	0.08	
		(3) आई. सी. ए. आर. संस्था 1995–96	1.18	

259

परिशिष्ट "ब"

राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों में छात्र एवं शिक्षक का अनुपात का विवरण

क्र.सं.	नाम विश्वविद्यालय	छात्र शिक्षक अनुपात
1.	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	1 : 27
2.	महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर	1 : 9
3.	जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर	1 : 18
4.	मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर	1 : 16
5.	राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर	1 : 5
6.	कोटा खुला विश्वविद्यालय, कोटा	यह विश्वविद्यालय दूरस्थ शिक्षा पद्धति पर आधारित है, अतः छात्र एवं शिक्षक का अनुपात इस विश्वविद्यालय के लिए सम्भव नहीं है।

————